श माला, खंड 35, अंक 6

सोमवार, 28 जुलाई, 2003
6 श्रावण, 1925 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No 3 55
Date 19/11/03

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 35, तेरहवां सत्र, 2003/1925 (शक)]

अंक 6, सोमवार, 28 जुलाई, 2003/6 श्रावण, 1925 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1–2
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 101 से 120	2–30
अतारांकित प्रश्न संख्या 933 से 1161	30–322

लोक सभा

सोमवार, 28 जुलाई, 2003/6 श्रावण, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए***]**

[अनुवाद]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, मुझे सभा को हमारे एक सम्माननीय साथी श्री जार्ज ईडन के आकस्मिक और असामयिक निधन की दुखद सूचना देनी है।

श्री जार्ज ईडन केरल के एर्णाकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने 1998 से 1999 तक बारहवीं लोक सभा में भी इसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व, श्री ईडन 1991 से 1998 तक केरल विधान सभा के सदस्य रहे।

लोक सभा के सदस्य के रूप में श्री ईडन 1998 से 1999 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन समिति तथा 2001 से 2003 तक विदेशी मामलों संबंधी समिति के सदस्य रहे। वह 1998 से 1999 तक पर्यटन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति और वर्ष 2001 से 2003 तक राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्य भी रहे।

पेशे से वकील श्री ईडन एक सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। वह 1998 से 1999 तक श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसिस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुअनंतपुरम तथा मसाला बोर्ड के सदस्य थे।

श्री जार्ज ईडन का निधन, 26 जुलाई, 2003 को 50 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ।

श्री जार्ज ईडन अनेक वर्षों से मेरे परिचित थे। उनके निधन से मैंने अपना एक मित्र खो दिया है।

हम अपने इस सम्माननीय साथी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मैं अपनी ओर से तथा इस सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

विमान यात्रा किराए में वृद्धि

***101. श्री गुनीपाटी रामैया:**
श्री गंता श्रीनिवास राव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया और कुछ अन्य निजी एयरलाइंस ने यात्री और कार्गो किराये में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की है और संशोधित और पुराने किरायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस वृद्धि के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरवेज और सहारा एयरलाइंस ने दिनांक 26.3.2003 से घरेलू सेक्टरों पर यात्रियों के लिए रुपया में अपने किराए 15 प्रतिशत तक बढ़ा दिए हैं। अंतरराष्ट्रीय सेक्टर पर, इंडियन एयरलाइंस ने दिनांक 5.4.2003 से चुने हुए मार्गों पर रूटों पर भारत से दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए अपने किराए 7-18 प्रतिशत तक बढ़ा दिए हैं; जबकि एअर इंडिया ने दिनांक 15.4.2003 से भारत से यू एस ए, कनाडा, यूरोप, मध्य-पूर्व, दक्षिण-पूर्व एशिया, जापान, कोरिया और आस्ट्रेलिया के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय यात्री किराए 5 प्रतिशत तक बढ़ा दिए हैं।

इंडियन एयरलाइंस और जेट एयरवेज ने वर्ष 2003 में अपने कार्गो टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं की है, जबकि एयर सहारा ने जनवरी, 2003 से आगे इसे 7-10 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। एअर इंडिया ने मुम्बई से खाड़ी देशों तथा मध्य-पूर्व के लिए दिनांक 1.3.2003 से पेरिशेबल कार्गो की दरों में 2/-रु. प्रति कि.ग्रा. तक

वृद्धि कर दी है जबकि लंदन के लिए दिनांक 18.3.2003 से यह वृद्धि 65,000 रु. प्रति कंटेनर से बढ़ाकर 77,000 रु. प्रति कंटेनर कर दी है।

(ग) घरेलू एयरलाइनों ने विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की लागत और दूसरी प्रचालन लागतों में वृद्धि की भरपाई के उद्देश्य से विमान किरायों में वृद्धि की है। एअर इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन एसोसिएशन (आयटा) द्वारा निर्णीत सामान्य किराया वृद्धि का अनुसरण किया है। परम्परागत रूप से एअर इंडिया की कार्गो दरों में हरेक वर्ष अप्रैल, मई और जून के महीनों में बढ़ोतरी हो जाती है चूंकि यह पेरिशेबल माल के निर्यात का पीक सीजन होता है और जुलाई में ये दरें फिर नीचे आ जाती हैं।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र से आय

***102. श्री अजय सिंह चौटाला:**
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्यवार, कृषि क्षेत्र से कुल कितनी आय अर्जित की गई;

(ख) वर्तमान में देश में, राज्यवार, सीमांत किसानों, मध्यम वर्ग के किसानों और बड़े भूस्वामी किसानों की औसतन प्रति व्यक्ति आय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त आय सीमांत और मध्यम वर्ग के किसानों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 2003-04 और दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान, सरकार द्वारा किसानों की स्थिति और दशा में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): (क) वर्ष 1999-2000, 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान कृषि से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के राज्य-वार अनुमान संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) जोतों की श्रेणी, आकार के अनुसार किसानों की औसत प्रति व्यक्ति आय का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। तथापि, किसानों की औसत प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पादन के राज्य-वार आंकड़े जो वर्ष 2001-02 हेतु किसानों के संबंध में कृषि में सकल मूल्य वृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं, संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) विवरण-II में दर्शाए गए कृषि में सकल मूल्य वृद्धि के आंकड़े, उत्पादन के सकल मूल्य और सामग्री आदानों के मूल्य के बीच के अंतर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह से जमा सकल मूल्य किसानों को होने वाली शुद्ध आय नहीं दर्शाते हैं, और इस प्रकार किसानों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आय की पर्याप्तता का कोई आकलन करना सम्भव नहीं है।

(ङ) किसानों की स्थिति और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करना, अधिप्राप्ति द्वारा समर्थन, किसानों द्वारा मजबूरी में की जाने वाली (डिस्ट्रेस) बिक्री को रोकना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, उर्वरकों, बीजों, कृषि उपकरणों आदि पर राजसहायता (सब्सिडी) के माध्यम से आर्थिक प्रोत्साहन, उचित लागत पर कृषि ऋण और आदानों की समय पर उपलब्धता तथा ग्रामीण गोदामों, शीत भण्डारों आदि पर ध्यान केन्द्रित करके ग्रामीण अवसंरचना में सुधार पर लक्षित निवेश शामिल है। किसानों की स्थिति तथा जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, उच्च मूल्य वर्धन की संभावना वाले क्षेत्रों में निवेश किया जाना जरूरी है। तदनुसार, संघीय (यूनियन) बजट 2003-04 में हाई-टैक बागवानी तथा सुव्यवस्थित (प्रिसिजन) खेती संबंधी एक नई केन्द्रीय सैक्टर स्कीम का प्रस्ताव किया गया है। इस स्कीम के मुख्य घटक हैं— फर्टीगेसन जैसे हाई-टैक इन्टरवेंशन का प्रयोग, जैव-प्रौद्योगिकीय औजारों का उपयोग, हरा खाद्य उत्पादन, तथा हाई-टैक ग्रीन हाउस।

विवरण I

वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक के लिए वर्तमान मूल्य पर कृषि से सकल राज्य घरेलू उत्पाद

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3235780	3648380	3702018
2.	अरुणाचल प्रदेश	49706	55446	53704

1	2	3	4	5
3.	असम	1039256	997111	976063
4.	बिहार	1523411	1624351	1732118
5.	झारखण्ड	573535	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
6.	गोवा	46251	38259	40469
7.	गुजरात	1568377	1392297	उपलब्ध नहीं
8.	हरियाणा	1573953	1676270	1714498
9.	हिमाचल प्रदेश	260290	290634	उपलब्ध नहीं
10.	जम्मू व कश्मीर	360670	371831	उपलब्ध नहीं
11.	कर्नाटक	2619384	2667831	उपलब्ध नहीं
12.	केरल	1270793	1332045	1392253
13.	मध्य प्रदेश	2418350	1815434	2186940
14.	छत्तीसगढ़	507374	412316	618471
15.	महाराष्ट्र	3579027	3309208	3453781
16.	मणिपुर	71756	77988	81716
17.	मेघालय	76389	85138	85396
18.	मिजोरम	28153	44914	उपलब्ध नहीं
19.	नागालैंड	61140	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
20.	उड़ीसा	1147105	1011776	1232369
21.	पंजाब	2484873	2628077	उपलब्ध नहीं
22.	राजस्थान	2230222	1962203	2440000
23.	सिक्किम	20693	22823	25214
24.	तमिलनाडु	1886672	2043141	2005991
25.	त्रिपुरा	122453	132479	उपलब्ध नहीं
26.	उत्तर प्रदेश	5749874	5730998	उपलब्ध नहीं
27.	उत्तरांचल*	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
28.	पश्चिम बंगाल	3485487	3520408	3814658
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	17985	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
30.	चण्डीगढ़	5206	4905	उपलब्ध नहीं
31.	दिल्ली	83430	87475	उपलब्ध नहीं
32.	पाण्डिचेरी	15754	15182	15048

*नए बनाए गए राज्य।

विवरण II

2001-2002 में प्रति किसान राज्यवार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	कृषि जी.एस.डी.पी. (2001-2002) (लाख रुपये में)	जनसंख्या संगणना के अनुसार किसानों की संख्या 2001	प्रति व्यक्ति जी एस डी पी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3702018	793635	46839
2.	अरुणाचल प्रदेश	53704	281822	19056
3.	असम	976063	3741912	26085
4.	बिहार	1732118	8192108	21144
5.	झारखण्ड	उपलब्ध नहीं	3908235	उपलब्ध नहीं
6.	गोवा	40469	50663	79879
7.	गुजरात	उपलब्ध नहीं	5613185	उपलब्ध नहीं
8.	हरियाणा	1714498	3046091	56285
9.	हिमाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं	1960840	उपलब्ध नहीं
10.	जम्मू व कश्मीर	उपलब्ध नहीं	1599656	उपलब्ध नहीं
11.	कर्नाटक	उपलब्ध नहीं	6936121	उपलब्ध नहीं
12.	केरल	1392253	740403	188040
13.	मध्य प्रदेश	2186940	11058500	19776
14.	छत्तीसगढ़	618471	4316981	14326
15.	महाराष्ट्र	3453781	12009903	28758
16.	मणिपुर	81716	492696	16585
17.	मेघालय	85396	457195	18678
18.	मिजोरम	उपलब्ध नहीं	253167	उपलब्ध नहीं
19.	नागालैंड	उपलब्ध नहीं	544433	उपलब्ध नहीं
20.	उड़ीसा	1232369	4238347	29077
21.	पंजाब	उपलब्ध नहीं	2099330	उपलब्ध नहीं
22.	राजस्थान	2440000	13166777	18531

1	2	3	4	5
23.	सिक्किम	25214	131422	19186
24.	तमिलनाडु	2005991	5114384	39223
25.	त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं	311378	उपलब्ध नहीं
26.	उत्तर प्रदेश	उपलब्ध नहीं	22172563	उपलब्ध नहीं
27.	उत्तरांचल*	उपलब्ध नहीं	1559415	उपलब्ध नहीं
28.	पश्चिम बंगाल	3814658	5613113	67960
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	उपलब्ध नहीं	21136	उपलब्ध नहीं
30.	चण्डीगढ़	उपलब्ध नहीं	1585	उपलब्ध नहीं
31.	दिल्ली	उपलब्ध नहीं	36588	उपलब्ध नहीं
32.	पाण्डिचेरी	15048	11284	133357

*नए बनाए गए राज्य।

[अनुवाद]

प्रदूषण में कमी लाने और पर्यावरण सुधार के लिए हरित पट्टी

***103. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के विपरीत प्रभाव को कम करने के मद्देनजर चयनित नगरों/शहरों में ''प्रदूषण में कमी लाने और पर्यावरण सुधार के लिए हरित पट्टी'' नाम का एक नया कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न नगरों/शहरों के चयन के लिए मार्गनिर्देश/मानदण्ड क्या हैं;

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार कितने नगरों/शहरों का चयन किया गया है; और

(ङ) कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार अब तक कुल कितनी राशि निर्धारित और व्यय की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ङ) सरकार ने हाल ही में पांच शहरों नामशः चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै, सेलम और तिरूनेलवेली और तमिलनाडु की 102 नगरपालिकाओं में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के विपरीत प्रभाव को कम करने के लिए प्रदूषण में कमी लाने और पर्यावरण सुधार के लिए हरित पट्टी पर एक अग्रगामी परियोजना प्रारम्भ की है। परियोजना में पांच शहरों में 4.557 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 2,94,000 पौधों का रोपण और उगाना शामिल है, जिनमें से 4.00 करोड़ भारत सरकार द्वारा और 0.557 करोड़ रुपये तमिलनाडु सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 102 नगरपालिकाओं में 1.02 करोड़ रुपये की लागत से पौधों का रोपण कार्य और उगाना शामिल है जिनमें 0.765 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा और 0.255 करोड़ रुपए तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं। इसी तरह के प्रस्ताव अन्य राज्यों से भी आमंत्रित किए गए हैं।

विमानपत्तनों की वित्तीय स्थिति

***104. श्री माणिकराव होडल्या गावित:**
श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, 2001 से 31 मार्च, 2003 की अवधि के दौरान उन विमानत्तनों का पृथक-पृथक वर्ष-ब्यौरा क्या है जिन्होंने लाभ अर्जित किया या घाटा उठाया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक विमानपत्तन द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया/हानि हुई;

(ग) हानि होने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इन विमानपत्तनों को लाभ अर्जित करने वाले बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए;

(घ) क्या सरकार का विचार घाटे में चलने वाले विमानपत्तनों को संबंधित राज्यों को सौंपने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) वर्ष 2001-2002 तथा वर्ष 2002-2003 के दौरान दिल्ली, मुम्बई, जुहू, पुणे, चैन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, गोवा और बंगलौर के हवाई अड्डों ने क्रमशः 703.49 करोड़ रु. तथा 657.00 करोड़ का मुनाफा कमाया। वर्ष 2002-2003 के दौरान अर्जित लाभ में कालीकट हवाईअड्डा भी शामिल है।

वर्ष 2001-2002 तथा वर्ष 2002-2003 के दौरान 71 आपरेशनल हवाईअड्डों को क्रमशः 224.44 करोड़ रु. तथा 273.66 करोड़ रु. का घाटा हुआ। इसके अलावा वर्ष 2001-2002 की राशि में कालीकट हवाईअड्डा भी शामिल है। 42 नॉन-आपरेशनल हवाईअड्डे हैं जिनमें वर्ष 2001-2002 तथा वर्ष 2002-2003 के दौरान उनके रख-रखाव की वजह से क्रमशः 2.07 करोड़ रु. तथा 20.09 करोड़ रु. का घाटा हुआ।

(ग) इन हवाईअड्डों पर घाटे का मुख्य कारण इन हवाईअड्डों पर अत्यधिक कम यातायात होने की वजह ही है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सम्भव सीमा तक इन हवाईअड्डों पर नान एयरोनाटिकल राजस्व बढ़ाने और नियंत्रण-योग्य खर्चे को कम करने की दिशा में कदम उठा रहा है।

(घ) और (ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है चूंकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तकनीकी तौर पर और आपरेशनल तौर पर राज्य सरकारों की अपेक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी सुविधाएं मुहैया कराने में बेहतर स्थिति में हैं।

भारतीय प्रवासी श्रमिक के लिए बीमा

***105. श्री टी.एम. सेल्वागनपतिः**
श्री नरेश पुगलियाः

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार के भारतीय प्रवासी श्रमिकों को अनिवार्य बीमा कवर के प्रस्ताव को रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या संकटग्रस्त क्षेत्रों के श्रमिकों को भी बीमा योजना के अंतर्गत नहीं लाया गया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बीमा योजना के अंतर्गत सभी श्रमिकों को लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने प्रवासी श्रमिकों का दोहन रोकने और उसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उत्प्रवास अधिनियम में संशोधन करने की सिफारिश की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) उत्प्रवास (संशोधन) विधयेक, 2002, जो पहले ही 21.11.2002 को लोक सभा में पेश कर दिया गया है, में रोजगार के लिए, विदेश जाने वाले कमजोर वर्ग के श्रमिकों के लिए अन्य कल्याण उपायों के अतिरिक्त बीमा कवर प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है। इस विधेयक में भारतीय प्रवासी कामगार कल्याण निधि का प्रावधान है जिसका संचालन केन्द्रीय जनशक्ति निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा किया जाना है। इस निधि का उपयोग (1) असहाय कामगारों की स्वदेश वापसी की व्यवस्था करने, (2) शवों को लाने, तथा (3) विदेश में वैध नियोजन के दौरान लगी चोटों से आंशिक अथवा स्थायी रूप से विकलांग प्रवासियों को सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

कृषि क्षेत्र में निवेश

***106. श्री शिवाजी मानेः**
श्री लक्ष्मण गिलुवाः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में कितना निवेश किया गया है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में निवेश हेतु परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस क्षेत्र में पूर्व-दशक की तुलना में निवेश में कितनी कमी आई है;

(ङ) सरकार द्वारा पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) इसके क्या परिणाम निकले हैं?

कृषि मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): (क) से (घ) वर्ष 1999-2000, 2000-01 और 2001-02 के लिए वर्ष 1993-94 के मूल्यों पर सकल पूंजी निर्माण (जी.सी.एफ.) के संदर्भ में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अनुमानित निवेश के आंकड़े क्रमशः 20,024 करोड़ रु., 19,578 करोड़ रु. तथा 21,140 करोड़ रु. हैं। वास्तव में (1993-94 के मूल्यों पर) कृषि में औसत वार्षिक सकल पूंजी निर्माण 1980 के दशक के 14,283 करोड़ रु. से बढ़कर 1990 के दशक में 17,136 करोड़ रु. हो गया है।

(ङ) और (च) सरकार ने कृषि में पूंजी निर्माण बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें खरीफ और रबी फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा के जरिए कृषि जिन्सों के लिये लाभकारी मूल्य, उचित लागत पर समय पर ऋण देना, उर्वरकों और बीजों जैसे महत्वपूर्ण आदानों की आपूर्ति तथा ग्रामीण गोदामों, शीतागारों इत्यादि के निर्माण के जरिए ग्रामीण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण शामिल हैं।

सिंधु नदी संधि

*107. **श्रीमती प्रभा राव:**
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच 1960 में हुई सिंधु नदी संधि पर विचार-विमर्श करने हेतु बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच हुए विचार-विमर्श का क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) क्या जम्मू और कश्मीर में 450 मेगावाट की बाघलीहर पनबिजली परियोजना के निर्माण के संबंध में भी कोई विचार-विमर्श हुआ था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान ने इस परियोजना के निर्माण से संबंधित विवाद को हल करने के लिए विश्व बैंक को शामिल करने का प्रस्ताव किया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) स्थाई सिंधु आयोग (पीआईसी) की 89वीं बैठक सिंधु जल संधि 1960 के फ्रेमवर्क के अनुरूप 28 से 30 मई, 2003 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई।

(ख) और (ग) 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इस आयोग के कार्य की वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष 2003-2004 के दौरान दौरों के अनन्तिम कार्यक्रम तथा वर्ष 2003 के मानसून के दौरान पाकिस्तान को बाढ़ प्रवाह आंकड़ों के संप्रेषण के लिए भारत द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया। बगलीहर और किशनगंगा परियोजनाओं सहित कुछ अन्य मदों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) पाकिस्तान ने बगलीहर परियोजना से सम्बद्ध अपने प्रश्नों/आपत्तियों के समाधान के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त करने का अनुरोध किया है। सिंधु जल संधि में इस बात का भी प्रावधान है कि यदि दोनों सरकारों के बीच सहमति नहीं होती है तो विश्व बैंक द्वारा एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति की जा सकती है।

(च) सिंधु जल संधि में निहित सद्भावना और सहयोग की भावना को ध्यान में रखते हुए भारत, बगलीहर जल विद्युत परियोजना के संबंध में पाकिस्तान की आपत्तियों के संबंध में दोनों देशों के बीच तकनीकी विचार-विमर्शों के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए पाकिस्तान से अनुरोध करता रहा है। स्थाई सिंधु आयोग की हाल ही में आयोजित 89वीं बैठक के दौरान भारत ने एक बार फिर इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए ऐसे विचार-विमर्श करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है।

पूजा स्थलों का प्रबंधन

*108. **श्री दलपत सिंह परस्ते:**
श्रीमती कान्ति सिंह:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों के संस्कृति मंत्रियों की देश में धार्मिक पूजा स्थलों और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के कार्यों के प्रबंधन से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने हेतु एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उपयुक्त विधान अधिनियमित करने के प्रस्ताव सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बैठक में जिन धार्मिक पूजा स्थलों और ऐतिहासिक स्थानों पर विचार-विमर्श किया गया है उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में राज्यों के मंत्रियों के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ङ) जी, हां। पूजा स्थलों तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थलों सहित पर्यटन और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों पर बेहतर सुविधाएं और बुनियादी ढांचे के सृजन पर विचार-विमर्श करने के लिए 13 मई, 2003 को राज्यों के संस्कृति मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई थी। उक्त विचार-विमर्श में जम्मू एवं कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी मंदिर अधिनियम, 1988, जिसके परिणामस्वरूप तीर्थयात्रियों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई और इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय प्रोत्साहन मिला, की तर्ज पर महत्वपूर्ण मंदिरों और पूजा स्थलों के रख-रखाव हेतु कानून बनाने की वांछनीयता पर भी चर्चा हुई। भारत सरकार की उन स्कीमों के संबंध में आम सहमति प्रकट की गई जिनके तहत पर्यटन को बढ़ावा देने तथा पूजा स्थलों और ऐतिहासिक स्थलों की स्थितियों को सुधारने के दोहरे उद्देश्य के साथ संस्कृति, पर्यटन और स्वच्छ नागरिक जीवन के विभिन्न केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

खाद्यान्न का उत्पादन

***109. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आगामी दस वर्षों में खाद्यान्न का उत्पादन दोगुना करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत किन-किन फसलों को शामिल करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता और राजसहायता प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यह मौजूदा कृषि योजना से किस तरह भिन्न है?

कृषि मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): (क) से (च) महोदय, आने वाले दस वर्षों के दौरान खाद्यान्न उत्पादन को दोगुणा करने के लिए कोई स्कीम नहीं बनाई गई है। तथापि, योजना आयोग ने विभिन्न खाद्य मदों हेतु निम्नलिखित लक्ष्यों का सुझाव दिया था:

खाद्य मदें	उत्पादन लक्ष्य (मि.मी. टन)		
	नौंवी योजना (2001-02)	दसवीं योजना (2006-07)	कार्य योजना (2007-08)
चावल	99.0	124.2	130.0
गेहूं	83.0	104.1	109.0
मोटे अनाज	35.5	40.0	41.0
दलहन	16.5	19.4	20.0
कुल खाद्यान्न	234.0	287.7	300.0
तिलहन	30.0	42.7	45.0
गन्ना	336.0	435.2	495.0
फल एवं सब्जियां	179.0	307.2	342.0
दूध	87.0	121.5	130.0
अंडा (मिलियन सं. में)	3500.0	4928.6	5300.0
मछली	6.9	9.1	9.6

इस प्रयोजन के लिए योजना आयोग द्वारा विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों पर आधारित क्षेत्र विशिष्ट रणनीति का सुझाव दिया गया। फसलों हेतु रणनीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

(क) एकल फसल दृष्टिकोण के मुकाबले समग्र रूप में अनाज फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए फसल प्रणाली दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। हरी खाद, कम्पोस्ट और अन्य जैविक स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा;

(ख) जैव और अजैव प्रतिरोध क्षमता वाली नई स्थान (लोकेशन) विशिष्ट अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रचार और किस्मीय प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना;

(ग) किसानों के संसाधन आधार में सुधार करना तथा समय पर एवं प्रभावी ढंग से खेत में कार्य करने के लिए कुशल जल-प्रबन्ध के साधनों को बढ़ावा देना;

(घ) किसानों की जोतों में फील्ड प्रदर्शनों के आयोजन के जरिए उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाना तथा महिलाओं सहित कृषकों और कृषक मजदूरों को प्रशिक्षण देना;

(ङ) सतत कृषि उत्पादन हेतु समेकित पोषक तत्व प्रबन्धन को बढ़ावा देना;

(च) कृमियों और रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए समेकित कृमि प्रबंध दृष्टिकोण अपनाने पर अधिक जोर देना तथा फसलों में खर-पतवार को नष्ट करने के लिए खर-पतवारनाशी का उपयोग करना;

(छ) समय पर बुवाई, इष्टतम पौध की संख्या रखना, उर्वरक का कुशल उपयोग तथा आवश्यकता आधारित पौध संरक्षण उपायों जैसे गैर-मौद्रिक आदानों को समुचित ढंग से अपनाने पर ज्यादा जोर देना; तथा

(ज) किसानों द्वारा नई प्रौद्योगिकी को और अधिक अपनाने के लिए विस्तार शिक्षा प्रयासों को सुदृढ़ किया जाएगा।

योजना आयोग द्वारा परिकल्पित खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग देश के विभिन्न राज्यों में अनेक केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है। दसवीं योजना अवधि के दौरान कृषि के सतत विकास हेतु विभिन्न स्कीमें शुरू करने के लिए योजना आयोग द्वारा कृषि और सहकारिता विभाग के लिए 13300 करोड़ रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई है।

[अनुवाद]

बहु-सांस्कृतिक परिसर

***110. श्री सुरेश रामराव जाधव:**
श्री आदि शंकर:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राज्य सरकारों के सहयोग से देश में बहु-सांस्कृतिक परिसरों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने परिसरों को स्थापित किया जाना है;

(ग) सरकार द्वारा योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान, विशेषकर, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु और दिल्ली में स्थापित/पुनरुद्धार किए गए सांस्कृतिक केन्द्रों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) स्कीम को शुरू करने से लेकर अब तक विभाग ने निम्नलिखित राज्यों में परियोजनाओं को निधियां उपलब्ध करवाई हैं:

1. अरुणाचल प्रदेश
2. बिहार
3. हरियाणा
4. जम्मू और कश्मीर
5. केरल
6. कर्नाटक
7. मणिपुर
8. मिजोरम
9. मध्य प्रदेश
10. नागालैंड
11. उड़ीसा
12. पंजाब

13. पांडिचेरी

14. सिक्किम

15. त्रिपुरा

16. उत्तर प्रदेश

17. पश्चिम बंगाल।

इन राज्यों में से नागालैंड तथा कर्नाटक में परियोजनाएं पूर्णतः काम कर रही हैं जबकि अन्य राज्यों में ये कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति पर विभागीय बैठकों तथा निरीक्षणों के माध्यम से नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है।

(घ) 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान, परियोजनाओं के लिए मिजोरम में (50 लाख रु.), पांडिचेरी में (20 लाख रु.), पंजाब में (25 लाख रु.), सिक्किम में (335 लाख रु.), उत्तर प्रदेश में (100 लाख रु.) तथा अरुणाचल प्रदेश में (130 लाख रु.) निधियां उपलब्ध करवाई गई। तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हरियाणा के मामले में, विभाग ने कुरुक्षेत्र में बहु-उद्देशीय सांस्कृतिक परिसर (एम पी सी सी) स्थापित करने के लिए 25 लाख रु. की पहली किस्त उपलब्ध करवा दी है।

चावल अनुसंधान कार्यक्रम के लिए धनराशि

***111. श्री सुरेश कुरूपः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या धन की कमी के कारण देश में चावल अनुसंधान कार्यक्रम प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो अनुसंधान के कौन से प्रमुख क्षेत्र प्रभावित हुए हैं; और

(ग) स्थिति के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)ः (क) जी, नहीं। देश में चावल अनुसंधान के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बी.टी. कॉटन के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन

***112. श्री प्रियरंजन दासमुंशीः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्य में बी.टी. कॉटन के कार्य निष्पादन संबंधी आधिकारिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है जिसे मान्सेंटोमेहीको बायो-टेक लिमिटेड द्वारा विकसित और प्रोत्साहित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक राज्य को कितनी हानि उठानी पड़ी है;

(घ) कपास उत्पादकों द्वारा विरोध किए जाने और उन्हें हुई हानि के लिए मुआवजे की मांग किए जाने के बावजूद जी.ई.ए.सी. द्वारा एक के बाद एक ट्रांसजेनिक फसलों को स्वीकृति दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इंडोनेशियाई फर्मों ने उनको हुई हानि के लिए मुआवजा के रूप में मान्सैंटों से 1 बिलियन अमरिकी डॉलर की मांग की है और भारतीय कपास उत्पादकों ने भी उक्त फर्म से मुआवजे की मांग की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)ः (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि गैर-बी.टी. कपास की तुलना में बी.टी. कपास में बालवार्म की घटनाएं कम रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप कीटनाशी छिड़काव की आवश्यकता में कमी आयी। तथापि, ये संकर किस्में मुरझाने तथा चूषक कीट के प्रकोप की दृष्टि से संवेदनशील पाई गई हैं।.

(घ) आनुवांशिक इंजीनियरी अनुमोदन समिति ने अप्रैल, 2002 में तीन वर्ष की अवधि के लिए बी.टी. कपास की केवल तीन संकर किस्मों की वाणिज्यिक खेती के लिए सशर्त मंजूरी दी थी। इन तीन अनुमोदित संकर किस्मों की खेती इस समय महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में की जा रही है।

(ङ) और (च) उपलब्ध जानकारी के अनुसार किसी भी इण्डोनेशियाई एजेन्सी द्वारा मोंसांतों इण्डोनेशिया पर फसल चौपट होने के मुआवजे का दावा नहीं किया गया है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार जिन राज्यों में बी.टी. कपास की किस्में खेती के लिए निर्गत की गयी थीं, वहां के कुछ किसानों ने बी.टी. कपास के कथित घटिया कार्य-निष्पादन के लिए प्रतिपूर्ति हेतु उपभोक्ता फोरम से सम्पर्क किया था। इन मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

किसानों द्वारा उपभोक्ता अदालतों में दायर मामलों का विवरण

राज्य का नाम	जिन किसानों ने बी.टी. कपास की खेती की, उनकी संख्या	उपभोक्ता अदालतों में दायर मामले
आंध्र प्रदेश	6853	21
गुजरात	13269	06
कर्नाटक	2960	शून्य
महाराष्ट्र	15925	10
मध्य प्रदेश	2016	10
तमिलनाडु	295	शून्य
कुल:	41318	47

नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजना

*113. **श्री एन.एन. कृष्णदास:**
श्री वरकला राधाकृष्णन:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजना के विरुद्ध अपना असंतोष दर्ज किया है;

(ख) यदि हां, तो असंतोष का ब्यौरा क्या है और उनके समाधान के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या परियोजना के वित्त-पोषण स्रोत और सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी लागत का अनुमान लगाया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) से (घ) विभिन्न बेसिन राज्यों ने राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन डब्ल्यू डी ए) द्वारा तैयार की गई विभिन्न नदी-संपर्क परियोजनाओं के जल संतुलन अध्ययनों और व्यवहार्यता रिपोर्टों के विषय में अलग-अलग राय व्यक्त की हैं। राज्यों द्वारा व्यक्त की गई मुख्य आशंकाएं नीचे दिए अनुसार हैं:-

(1) भंडारण जलाशयों के निर्माण के कारण कृषि योग्य भूमि तथा वन भूमि की जनमग्नता और लोगों का विस्थापन।

(2) राज्यों को राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा आकलित अधिशेष जल के बारे में आशंकाएं हैं।

(3) लंबी दूरी के हस्तान्तरणों की विश्वसनीयता के विषय में आशंका।

(4) राज्य यह महसूस करते हैं कि नदियों को परस्पर जोड़ने के प्रस्तावों में प्रस्तावित जल हस्तान्तरण से मौजूदा अधिकरण पंचाट प्रभावित हो सकते हैं।

(5) जल को ऊपर उठाने के लिए वांछित विद्युत का उपलब्ध न होना।

राज्यों के बीच सहमति स्थापित करने और अलग-अलग परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन के मानकों और परियोजनाओं वित्तपोषण इत्यादि संबंधी मार्गदर्शन मुहैया कराने के लिए केन्द्र सरकार ने नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी एक कार्यबल का गठन किया है। इस कार्यबल से इस परियोजना के वित्तपोषण और निष्पादन तथा लागत वसूली के लिए सुझाई गई विधियां बताते हुए 31 जुलाई, 2003 तक कार्रवाई योजना-2 प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

संयुक्त पर्यटन परियोजना

*114. **डा. डी.वी.जी. शंकर राव:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आन्ध्र प्रदेश, केरल और राजस्थान में भ्रमण के लिए संयुक्त पर्यटन परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन राज्यों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए रेल और वायु सम्पर्क को जोड़ने के लिए कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) पर्यटन विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वन्य ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करना

*115. **डा. चरणदास महंत:**
श्री अवतार सिंह भड़ाना:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों से अपने वन्य ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन सभी वन्य ग्रामों के लिए वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपनी स्वीकृति/अनापत्ति प्रदान कर दी है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार कितने वन्य ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया गया है/घोषित किया जाना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने वन गांवों को राजस्व गांवों में परिवर्तित करने के लिए सितम्बर, 1990 में दिशानिर्देश जारी किए थे। केन्द्रीय सरकार को वर्ष 2002 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार से 11 जिलों में 316 वन गांवों को राजस्व गांवों में परिवर्तित करने के 11 प्रस्ताव, महाराष्ट्र सरकार से जिला नन्दुरबार में 73 वन गांवों का एक प्रस्ताव और छत्तीसगढ़ सरकार से 14 जिलों में 421 गांवों को राजस्व गांवों में परिवर्तित करने के 19 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। वर्ष 1994 के दौरान उड़ीसा सरकार ने भी सम्बलपुर जिले के लिए ऐसे तीन प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने जून, 2003 में 27 जिलों में 925 वन गांवों की एक नई सूची भेजी है, जिसमें पहले प्रस्तावित 11 जिले शामिल हैं और इस प्रकार इनमें 230239.69 हैक्टेयर भूमि शामिल है।

(ग) से (ङ) सरकार ने पहले ही मध्य प्रदेश के 5 जिलों में 94 वन गांवों और महाराष्ट्र के नन्दुरबार जिले के 73 वन गांवों को राजस्व गांवों में परिवर्तित किए जाने का अनुमोदन दे दिया है। छत्तीसगढ़ के प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना अधूरी थी इसलिए प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास वापिस भेज दिया गया है। उड़ीसा के मामले में प्रस्ताव दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थे इसलिए प्रस्तावों को बन्द कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार का 925 वन गावों वाला हाल का प्रस्ताव वन गांवों को राजस्व गांवों में परिवर्तित करने के लिए मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है।

वनाच्छादन और वृक्षों की अवैध कटाई

***116. डा. मदन प्रसाद जायसवाल:**
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा वनीकरण पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी राज्यों में वनाच्छादन क्षेत्र में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान इस कार्य हेतु किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा सहित कतिपय राज्यों में वन अधिकारियों और जंगल मफियों के बीच सांठ-गांठ के कारण वृक्षों की कटाई हुई है और अभी भी जारी है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गये 1999 के आंकलन के अनुसार देश में वनाच्छादित क्षेत्र 637,293 वर्ग किलोमीटर था जबकि 2001 के आंकलन के अनुसार, इसे 675,538 वर्ग किलोमीटर आकलित किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) केन्द्र सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि वन कर्मियों के वन माफिया के साथ संबंध हैं। तथापि, उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों में वृक्षों की.अवैध कटाई के मामले होते रहते हैं और पता चलने पर राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 और अन्य संबंधित अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जाती है। इन अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

[अनुवाद]

आरक्षित वनों में गांजा की अनधिकृत खेती

***117. श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में आरक्षित वन के बड़े क्षेत्र का उपयोग गांजा की अनधिकृत खेती के लिए किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र में गांजा की खेती को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) देश के आरक्षित वनों में गांजा की अनधिकृत खेती अक्सर होने वाली घटना नहीं है। तमिलनाडु और केरल राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार वर्ष 2002 के दौरान वन क्षेत्र में गांजा की खेती की मात्रा निम्नलिखित है। उक्त अवधि के दौरान अन्य राज्यों द्वारा आरक्षित वनों में बड़े पैमाने पर गांजा की खेती किए जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है।

तमिलनाडु—यह गतिविधि मुख्यत: पश्चिमी घाट में थेनी, कोडाइकनाल, थिरूनेलवेली और धर्मपुरी जिलों तक सीमित है। वर्ष 2002 के दौरान 36.198 है. में गांजा नष्ट किया गया है।

केरल-पालाकाड जिले में स्थित अट्टापड्डी हिल्स का अगम्य वन क्षेत्र इसके प्रति अधिक संवेदनशील है। वर्ष 2002 के दौरान गांजा के 256510 पौधे नष्ट किए गए थे।

(ग) आरक्षित वनों के भीतर और इनके आस-पास गांजा की खेती को रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार ने इन क्षेत्रों में निरंतर चौकसी रखे जाने के उद्देश्य से विशेष सुरक्षा दस्ते गठित किए हैं। राजस्व, पुलिस, वन अधिकारियों, राज्य पुलिस के नारकोटिक्स ब्यूरो विंग के समन्वित प्रयासों के साथ नए क्षेत्रों में गांजा की खेती पर नजर रखी जा रही है।

अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने और अवैध रूप से खेती करने पर नियंत्रण लगाने के लिए वन विभाग, केरल ने सहायक वन संरक्षक के प्रभार के अंतर्गत गांजा-विरोधी दस्ता गठित किया है। अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में प्रादेशिक और प्रभागीय वन अधिकारियों के उड़न दस्तों द्वारा नियमित छापे और गहन छान-बीन प्रक्रिया चलाई जा रही है। मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता) के तहत एक आसूचना प्रकोष्ठ ऐसी अवैध गतिविधियों पर गुप्त सूचना एकत्रित करने के लिए कार्य कर रहा है। गांजा की खेती करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पुलिस और वन विभागों के कार्मिकों की त्वरित कार्य बल की दो इकाईयां भी कार्य कर रही हैं। इसके लिए अतिरिक्त भारत सरकार ने ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के साथ-साथ देश में केनाबिस की अनधिकृत ग्रोथ को नष्ट करने के विभिन्न उपाय किए हैं, इनमें शामिल हैं:-

(क) नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस अधिनियम, 1985 के प्रभावी कार्यन्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इसके अंतर्गत बड़ी संख्या में केन्द्रीय व राज्य अभिकरणों को सशक्त बनाया गया है।

(ख) विविध औषधि कानून प्रवर्तन अभिकरणों के मध्य, बेहतर समन्वय और अवैध गतिविधि की जांच करने के उद्देश्य से समन्वय में सुधार करना।

(ग) प्रचालन संबंधी आसूचना के एकत्रण, विश्लेषण और प्रसार हेतु आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाया गया है।

(घ) कानून प्रवर्तन अधिकारियों के कौशल के उन्नयन हेतु प्रशिक्षण।

बेंत फसल पर एफीड का हमला

***118. श्री बी. वेंकटेस्वरलु:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्यों को इस वर्ष बेंत फसलों पर एफीड के हमला का सामना करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण किसानों को राज्य-वार कितनी अनुमानित हानि हुई;

(ग) क्या सरकार का प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंधन केन्द्र (सेन्ट्रल इन्टेग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर) द्वारा क्या भूमिका अदा की गई है?

कृषि मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों से गन्ने की फसल में बड़े पैमाने पर वूली एफिड लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों से भी छोटे पैमाने पर इस कीट के प्रकोप की सूचना प्राप्त हुई थी। महाराष्ट्र में राज्य के कृषि विभाग और राज्य कृषि विश्वविद्यालय की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2002-03 में मुख्य रूप से सातारा, सांगली, कोल्हापुर, पुणे अहमदनगर और शोलापुर जिलों में गन्ने की खेती पर वूली एफिड का प्रकोप देखा गया। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कर्नाटक में गन्ने पर एफिड का प्रकोप बेलगांव जिले में अपेक्षाकृत अधिक तथा इसके अलावा बागलकोट, बीदर, बीजापुर और बेल्लारी में भी पाया गया। महाराष्ट्र और कर्नाटक में इससे प्रभावित क्षेत्र क्रमश: 1.32 लाख हैक्टेयर और 0.87 लाख हैक्टेयर था।

महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में प्रकोप की गहनता के आधार पर किसानों को उपज की दृष्टि से हुआ अनुमानित नुकसान 12 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच था। अन्य राज्यों में नुकसान नगण्य था।

(ग) और (घ) व्हाइट वूली एफिड पर नियंत्रण करने के लिए किसानों को निम्नलिखित उपायों के माध्यम से राहत दी गई है:-

(1) महाराष्ट्र और कर्नाटक में प्रकोप के नियंत्रण के लिए वर्ष 2002-03 के दौरान क्रमशः 1.16 लाख हैक्टेयर क्षेत्र और 0.38 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार कृषि रसायनों से किया गया।

(2) भारत सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकारों, राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई.सी.ए.आर.) से गन्ने के प्रकोपग्रस्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराया गया। महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ-साथ अन्य प्रभावित राज्यों में भी उक्त सर्वेक्षण किए गए। राज्यों को कीट के फिर से हमले पर निगरानी रखने की सलाह दी गई, ताकि नियंत्रण उपायों को यथा समय शुरू किया जा सके।

(3) महाराष्ट्र सरकार ने 25 प्रतिशत सब्सिडी देकर कीटनाशियों की आपूर्ति की है तथा 76.49 लाख रुपये के व्यय से 1.16 लाख हैक्टेयर क्षेत्र पर इसका छिड़काव/डस्ट किया गया है और गन्ने की फसल के लिए पौध संरक्षण उपायों हेतु 100.00 लाख रुपये की धनराशि भी निर्धारित की गई है।

(4) जहां तक कर्नाटक राज्य का संबंध है, राज्य सरकार ने नियंत्रण उपायों को अपनाने के लिए किसानों को सब्सिडी के रूप में 77.87 लाख रुपये मूल्य के पौध संरक्षण रसायन और उपकरण वितरित किए हैं। इसके अलावा, फसल बीमा स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2002-03 में गन्ने की फसल को कवर किया गया है और राज्य में इस स्कीम के तहत 52373 कृषकों को कवर कर लिया गया है।

(5) भारत सरकार ने राज्य सरकारों से वृहद प्रबन्ध स्कीम के तहत पहले से आबंटित धनराशि की सीमा के अंतर्गत अपनी कार्य योजना में एक नए हस्तक्षेप के रूप में इस प्रस्ताव को शामिल करने का अनुरोध किया है।

(6) डा. सी.आर. हाजरा, कृषि आयुक्त के नेतृत्व में एक केन्द्रीय दल ने 3 से 5 मार्च, 2003 तक महाराष्ट्र और कर्नाटक का दौरा किया और इस दल की सिफारिशें इस कीट से निपटने के लिए दीर्घावधिक और लघु अवधि उपायों को शामिल करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इस कीट से प्रभावित सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजी गई हैं।

(ङ) वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय के अंतर्गत देश में 26 केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंध केन्द्र कार्यरत हैं। ये केन्द्र किसानों को पूर्व चेतावनी देने के लिए विभिन्न फसलों पर कीटों की निगरानी रखते हैं। ये केन्द्र समेकित कीट प्रबन्ध के प्रचार-प्रसार और कार्यान्वयन के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों से समन्वय करते हैं। ये केन्द्र फार्मर्स फील्ड स्कूलों के माध्यम से समेकित कीट प्रबन्ध (आई.पी.एम.) प्रशिक्षण भी आयोजित करते हैं। फार्मर्स फील्ड स्कूल में किसानों तथा राज्य सरकार के विस्तार कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ये केन्द्र जैव नियंत्रण एजेंटों का उत्पादन करते हैं और इन्हें फार्मर्स फील्ड स्कूलों में किसानों को वितरित करते हैं। बंगलौर और नागपुर स्थिति केन्द्रीय समेकित कीट प्रबन्ध केन्द्र इस समय कर्नाटक और महाराष्ट्र में क्रमशः समेकित कीट प्रबंध के बारे में किसानों में जागरूकता लाने तथा गन्ने की फसल में उनके अनुप्रयोग के बारे में समेकित कीट प्रबंध प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

पर्यावरण आयोजना और इंजीनियरी में क्षमता निर्माण

***119. श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पर्यावरण आयोजना और इंजीनियरी के क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु भारतीय तकनीकी संस्थान और अन्य उत्कृष्ट केन्द्रों के साथ सहयोग करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण में कमी करने हेतु सभी संबंधित संस्थानों से सक्रिय योगदान और सहयोग दिए जाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) सरकार पर्यावरण योजना एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं और उत्कृष्टता केन्द्र के साथ सहयोग कर रही है। सहयोग के थ्रस्ट क्षेत्र इस प्रकार हैं:-

(1) नदी संरक्षण सहित जल गुणता मानीटरिंग और प्रदूषण निवारण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना।

(2) फ्लाई ऐश प्रबंध।

(3) खनन योजना।

(4) वायु गुणता माडलिंग।

(5) पर्यावरणीय मानक विकसित करना।

(6) पारिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंध।

(ग) और (घ) सरकार प्रदूषण निवारण और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यनीतियों के क्रियान्वयन में शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों, औद्योगिक संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, जनता एवं अन्य स्टेकहोल्डरों को शामिल कर रही है।

[हिन्दी]

झीलों का संरक्षण

***120. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में झीलों की संख्या लगातार कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उनके संरक्षण के लिए कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं; और

(च) वर्ष 2003-04 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत शामिल की गई/शामिल की जाने वाली झीलों का ब्यौरा क्या है और झील-वार कितनी राशि आवंटित की गई?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ङ) भारत सरकार विभिन्न झीलों और टैंकों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही है। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना जून 2001 में शुरू की गई थी। वर्ष 2002-2003 तक कुल 72.61 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 20 झीलों के संरक्षण की परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं। कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित झीलों में कर्नाटक में वेनगईनकेरे, कामाक्षील्पया, नागावारा, जरगनहाली, बेलेन्दुर और कीटीकेरे, महाराष्ट्र में थाणे की 9 झीलें, राजस्थान में मनसागर, तमिलनाडु में ऊटी और कोडइकनाल और पश्चिम बंगाल में रबिन्द्र सरोवर है। पोवई-झील के संबंध में कार्य लगभग पूरा होने वाला है और ऊटी झील के कार्य में लगभग 40 प्रतिशत की प्रगति हुई है।

(च) वर्ष 2003-04 के दौरान अब तक नैनीताल जिला (उत्तरांचल) की 4 झीलें अनुमोदित की जा चुकी हैं। यह झीलें भीमताल (10.74 करोड़ रुपये), नौकुचियाताल (2.32 करोड़ रुपये), सातताल (1.22 करोड़ रुपये) और खुरपताल (1.77 करोड़ रुपये) है। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 16.85 करोड़ रुपये है।

[अनुवाद]

मछुआरों की मांग

933. श्री टी. गोविन्दन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मछुआरों की मांगों का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्टेट फार्म्स का सुदृढ़ीकरण

934. श्री बी.के. पार्थसारथी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 93 लाख रुपये की लागत से स्थापित स्टेट फार्मस् के सुदृढ़ीकरण हेतु कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) राज्य सरकार को इसकी स्वीकृति और इस प्रयोजनार्थ धनराशि कब तक निर्गत किए जाने की संभावना है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्यान्नों का कम उत्पादन

935. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान ने बताया है कि आगामी 20 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन के बहुत कम होने की संभावना है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (आई.ए.एस.आर.आई.) ने नहीं बताया है कि आगामी 20 वर्षों में खाद्य उत्पादन बहुत ही कम होने की संभावना है। तथापि, पत्रिका (जर्नल) में डा. एस. रविचन्द्रन द्वारा प्रकाशित पीएच.डी. के आंशिक भाग में संस्थान में आयोजित अनुसंधान कार्य पर आधारित एक लेख राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत, के कार्यवृत्त (वोल्यूम 72, बी(1), पृष्ठ 37-46, 2002), जिसमें भारत का खाद्य उत्पादन पहले के अनुसंधानकर्त्ताओं के अनुमान से कम होने की बात दर्शायी गई थी, प्रकाशित हुआ। यह मूलतः प्रतिरूपण पर अध्ययन है, इसकी वैधता की आवश्यकता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय भण्डारण निगम में चुनाव

936. **श्री विकास चौधरी: क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भण्डारण निगम का प्रबंधन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में गुप्त मतदान नहीं करवा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से चुनाव करवाने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) श्रम मंत्रालय ने 2001 में केन्द्रीय भण्डारण निगम में गुप्त मतदान कराए जाने की प्रक्रिया शुरू की। तथापि, इस प्रक्रिया को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि श्रमिक संघों और केन्द्रीय भण्डारण निगम के प्रबंधन का यह मत था कि यूनियन की सदस्यता के सत्यापन की प्रक्रिया वेतन के संशोधन पर समझौता वार्ता पूरी होने के पश्चात् शुरू की जाए।

(ग) गुप्त मतदान कराने हेतु यूनियन की सदस्यता के सत्यापन की प्रक्रिया प्रबंधन एवं संबंधित यूनियनों की सहमति प्राप्त होने के बाद शुरू की जाएगी।

[हिन्दी]

इन्डोनेशिया के कार्गो-शिप का डूबना

937. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:**
श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्रीमती जयश्री बैनर्जी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मई, 2003 में पश्चिम बंगाल में हल्दिया पत्तन के निकट इन्डोनेशिया का कार्गो-शिप डूब गया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें कितनी मात्रा में सोडा ऐश और डीजल था;

(ग) इस जहाज के डूबने से पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ है;

(घ) क्या सरकार ने पत्तन मालिकों से पर्यावरण और अन्य नुकसान हेतु मुआवजे की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या परिणाम निकले?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (ग) जी हां। प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इंडोनेशियन मालवाहक जहाज ''एम वी सेजीटेगु बीरू'' 18 मई, 2003 को कोलकाता/हल्दिया पोर्ट सीमा में डूब गया था जिसमें 5327 टन सोडा ऐश और लगभग 140 टन ईंधन था। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा 20 मई 2003 को मामूली सा तेल प्रदूषण देखा गया था जिसे आयल स्पिल डिसपरसेंट (ओ एस डी) के छिड़काव से निष्प्रभावित कर दिया गया था।

(घ) और (ङ) भारतीय पत्तन अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा स्वामी, मास्टर, बीमाकर्त्ता और एजेन्टों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उन्हें 50 करोड़ रुपये या 10 मिलियन अमरीकी डालर की राशि बैंक गारन्टी भी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

काजू बोर्ड की स्थापना

938. **श्री कोडीकुनील सुरेश:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के नियंत्रणाधीन काजू उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए कोई संस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में काजू की खेती और बड़ी मात्रा में कच्चे काजू के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए काजू बोर्ड की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी नहीं। कृषि मंत्रालय के अधीन काजू एवं कोको विकास, निदेशालय, कोचीन देश में काजू के विकास के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अंतर्गत राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केंद्र, पुथुर काजू क्षेत्र के लिए अनुसंधान सहायता मुहैया करा रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत काजू निर्यात संवर्धन परिषद्, कोचीन काजू के निर्यात में संलग्न है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) में स्पष्ट स्थिति के दृष्टिगत सरकार का काजू बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों के विरुद्ध जांच

939. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बंगलौर परिमंडल में कार्यरत 11 अधिकारियों के विरुद्ध कर्त्तव्य अवहेलना, भ्रष्टाचार और निधियों के दुरुपयोग के आरोपों के संबंध में विभागीय जांच के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार किया गया है जिसने कि विस्तृत जांच के पश्चात् इन अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाये हैं;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उत्तरदायी ठहराये गए उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) दोषी अधिकारियों को कब तक दण्डित किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) अनुशासनात्मक कार्यवाही उनके खिलाफ शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा हेतु अवसंरचना

940. **श्री राजो सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार को कृषि अनुसंधान और शिक्षा हेतु प्रदान की गई मूलभूत अवसंरचना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य को प्रदान की गई मूलभूत अवसंरचना पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा किसी भी राज्य को मूलभूत अवसंरचना सीधी मुहैया नहीं की जाती है। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् देश के विभिन्न राज्यों में स्थिति अपने संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/परियोजना निदेशालयों को मूलभूत अवसंरचना मुहैया करती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् बिहार स्थिति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को विकासात्मक अनुदान भी प्रदान करती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अनुसंधान केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अनुसंधान केन्द्रों में मुहैया करायी गई मूलभूत अवसंरचना पर्याप्त है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बिहार स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के निम्नलिखित संस्थानों/क्षेत्रीय केन्द्रों को मूलभूत अवसंरचना मुहैया की गई है

क्र. सं.	स्कीमों के नाम
1.	पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का अनुसंधान परिसर।
2.	जल प्रबंध अनुसंधान निदेशालय।
3.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केन्द्र।
4.	गन्ना प्रजनन संस्थान का क्षेत्रीय केन्द्र।
5.	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केन्द्र।
6.	एन.एस.पी. (फसलें) केन्द्र-प्रजनक बीज उत्पादन।
7.	एन.एस.पी. फसल केन्द्र-बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान।

अ.पि.व., अ.जा. और अ.ज.जा. के कर्मचारी

941. **श्री बालकृष्ण चौहानः** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के अधीन विभागों और उपक्रमों में श्रेणीवार कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं; और

(ख) इनमें से अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति से संबंधित अलग-अलग श्रेणीवार कितने कर्मचारी हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में बागवानी और कृषि परियोजनाओं का विकास

942. **श्री अमर राय प्रधानः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में बागवानी और कृषि परियोजनाओं के विकास हेतु आवंटित, निर्गत और प्रयुक्त केन्द्रीय धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पश्चिम बंगाल हेतु इस प्रयोजनार्थ धनराशि बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि एवं बागवानी के विकास के लिए विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा निर्मुक्त एवं उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	निर्मुक्त धनराशि	उपयोग में लाई गई धनराशि
2000-01	15.95	19.37
2001-02	29.14	20.82
2002-03	24.93	25.60

राज्य सरकारों को धनराशि की निर्मुक्ति राज्य से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पहले की गई निर्मुक्तियों में से राज्यों के पास अव्ययित शेष राशि तथा विभाग की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत किए गए समग्र आवंटन के आधार पर की जाती है।

असम में बांध परियोजनाओं का प्रतिस्थापन

943. **श्री एम.के. सुब्बाः** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का असम में 2000 मेगावाट के सोमानासेटी बांध परियोजनाओं जैसी बड़ी परियोजनाओं को छोटी बांध परियोजना में बदलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या बांध को अत्यधिक भूकम्प संवेदी क्षेत्र तथा अवसादी चट्टान संरचना के कारण गम्भीर खतरा बना हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) सरकार का सुबनसिरी और दिहंग नामक बड़ी बांध परियोजनाओं को छोटी बांध परियोजनाओं की शृंखला (कैस्केड) में बदलने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) यह परियोजना हिमालयी क्षेत्र में आती है, जोकि भारत का अत्यधिक संवेदनशील भूकम्पीय क्षेत्र (जोन-5)

है। इन परियोजनाओं में से एक परियोजना अर्थात् निचली सुबनसिरी परियोजना की नींव खराब चट्टान विशेषताओं वाली नाजुक अवसादी चट्टान की है, जिसमें चट्टान की नींव सुदृढ़ करने के वास्ते उपाय किए जाने की आवश्यकता है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत करते समय केन्द्रीय जल आयोग ने वास्तविक निर्माण किए जाने से पहले अन्य अन्वेषण करने की सिफारिश की है ताकि निचली चट्टान की मजबूती संबंधी मानकों और भूकम्पीय स्थितियों को ध्यान में रखा जा सके।

[हिन्दी]

लखनऊ और वाराणसी से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें

944. **श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वाराणसी और लखनऊ विमानपत्तनों का अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों के रूप में उन्नयन किया है;

(ख) यदि हां, तो इन विमानपत्तनों से संचालित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन विमानपत्तनों पर और सुविधाएं प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) सुविधाओं की दृष्टि से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने वाराणसी तथा लखनऊ हवाईअड्डों का उन्नयन किया है। लेकिन प्राधिकरण ने फिलहाल, इन्हें अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा घोषित नहीं किया है। वाराणसी तथा लखनऊ हवाईअड्डों पर सीमाशुल्क और अप्रवासन की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

(ख) इंडियन एयरलाइंस सप्ताह में दो बार दिल्ली-लखनऊ-शारजाह तथा वापसी के लिए अपनी उड़ानें प्रचालित करती है तथा एअर इंडिया सप्ताह में दो बार जेद्दाह-लखनऊ-दिल्ली तथा वापसी के लिए अपनी उड़ानें प्रचालित करती है। नेकॉन एयर सप्ताह में तीन बार वाराणसी-काठमाण्डू तथा वापसी के लिए अपनी उड़ानें प्रचालित करती है।

(ग) और (घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान लखनऊ तथा वाराणसी हवाईअड्डों पर निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई/बढ़ाई जा रही हैं:-

(1) लखनऊ हवाईअड्डे के रनवे के सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार सहित केट-2 लाइटनिंग व्यवस्था, तकनीकी ब्लाक एवं कंट्रोल टावर का निर्माण तथा कार पार्किंग का विस्तार करना।

(2) वाराणसी हवाईअड्डे पर रनवे का विस्तार तथा टर्मिनल भवन का निर्माण करना।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्पादन लागत

945. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गेहूं, धान, गन्ना और कपास की उत्पादन लागत के संबंध में कोई आकलन कराया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान देश में उक्त उत्पादों की औसत उत्पादन लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों में उक्त वर्षों के दौरान उक्त उत्पादों की अधिकतम और न्यूनतम उत्पादन लागत क्या रही?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, "भारत में मुख्य फसलों की खेती लागत के अध्ययन के लिए व्यापक स्कीम" के कार्यान्वयन के माध्मय से खेती की लागत संबंधी आंकड़े एकत्रित करता है और नियमित आधार पर मुख्य फसलों की खेती की प्रति हैक्टेयर लागत तथा प्रति क्विंटल उत्पादन लागत विवरण तैयार करता है। इस अध्ययन में धान, गेहूं, गन्ना और कपास की लागत का आकलन किया गया है।

(ख) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा मुहैया कराए गए पिछले वर्षों के फसल लागत अनुमानों के आधार पर, वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 हेतु जैसा कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमान लगायी गयी फसलों की उत्पादन लागत निम्नवत् है:-

(रु./क्विंटल)

क्र.सं.	फसलों के नाम	उत्पादन लागत	
		20001-2002*	2002-2003*
1.	गेहूं	478.92	483.27
2.	धान	471.71	505.16
3.	गन्ना	52.44	57.89
4.	कपास	1837.85	1775.04

*अनुमानित।

(ग) वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान उत्पादन की अधिकतम और न्यूनतम लागत वाले राज्यों के नाम इस प्रकार हैं:-

फसलों के नाम	अधिकतम उत्पादन लागत वाले राज्य	न्यूनतम उत्पादन लागत वाले राज्य
2001-2002*		
गेहूं	हिमाचल प्रदेश	हरियाणा
धान	केरल	उत्तर प्रदेश
गन्ना	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक
कपास	पंजाब	गुजरात
2002-2003*		
गेहूं	मध्य प्रदेश	पंजाब
धान	केरल	उत्तर प्रदेश
गन्ना	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक
कपास	मध्य प्रदेश	गुजरात

*अनुमानित।

[अनुवाद]

प्रवासी पक्षियों का अवैध शिकार

946. **श्री जी. गंगा रेड्डी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** 24.2.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 887 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कब तक एकत्रित और कार्यन्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (ग) जी, हां। आश्वासन को पूरा करने के लिए प्राप्त सूचना के आधार पर विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राज्य के सुरक्षा तंत्र के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई की जाती है।

विवरण

''प्रवासी पक्षियों का अवैध शिकार'' से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 887, दिनांक 24.2.2003 के आश्वासन को पूरा करने हेतु विस्तृत सूचना निम्नलिखित हैं:-

प्रश्न (क) हाल ही में विगत समय के दौरान देश में विशेषकर दिल्ली तथा अन्य भागों और उड़ीसा में स्थानीय ढाबों, जलपानगृहों और क्लबों में दुलर्भ पक्षियों को परोसे जाने की सरकार के ध्यान में आयी घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

उत्तर (क) यद्यपि दिल्ली और देश के अन्य भागों के स्थानीय ढाबों और जलपानगृहों में दुर्लभ पक्षियों को परोसा जाना गैर-कानूनी है तथापि, ऐसी घटनाओं को वर्जित नहीं किया जा सकता। हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद जिले से ऐसी एक घटना सूचित की गई है, जहां से पक्षियों का पकाया गया मांस, जो कि तीतर का मांस होने का सन्देह है, जब्त किया गया है। इस सम्बन्ध में फरीदाबाद के विशेष पर्यावरण न्यायालय में मामला दर्ज किया गया है।

प्रश्न (ख) क्या दिनांक 21 जनवरी, 2003 के ''दैनिक जागरण'' में प्रकाशित समाचार की सरकार को जानकारी है कि जनवरी 2003 में चिल्का झील के निकटवर्ती क्लबों और जलपानगृहों ने मानवीय उपयोग के लिए प्रवासी पक्षियों का मांस परोसा था;

प्रश्न (ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन होटलों, जलपानगृहों, क्लबों और ढाबों पर कोई छापे मारे हैं;

प्रश्न (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

उत्तर (ख), (ग) और (घ) उड़ीसा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि चिल्का के निकट क्लबों और जलपान गृहों में प्रवासी पक्षियों का मांस परोसे जाने की कुछ नई खबरें ध्यान में आई हैं। तथापि, जांच-पड़ताल/छापे मारने के बाद इसे साबित करने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं।

प्रश्न (ङ) सरकार द्वारा भविष्य में मानवीय उपयोग के लिए अप्रवासी पक्षियों और दुर्लभ पक्षियों का मांस परोसे जाने को बंद कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

उत्तर (ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:-

(1) ऐसी घटनाएं होने के संभावित स्थानों पर अधिक चौकसी बनाए रखी जाती है। संदिग्ध स्थानों पर छापे मारे जाते हैं।

(2) वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत दुर्लभ पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध है।

(3) पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के संगीन निवास स्थानों को राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के रूप में अधिसूचित किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों और विश्व प्राकृतिक हेरिटेज स्थलों के रूप में भी अधिसूचित किया गया है।

(4) वन आवास-स्थलों में पक्षियों के अवैध शिकार को रोकने के लिए नियमित गश्त लगाई जाती है।

(5) राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों की प्रभावी सुरक्षा और प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(6) पक्षी-संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।

आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम और नागार्जुन सागर के बीच पोत परिवहन

947. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य में श्रीकाकुलम और नागार्जुन सागर के बीच पोत परिवहन संचालित करने का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रस्ताव की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह परियोजना निजी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइंस में व्यवसायिकता

948. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के बिक्री कार्यालयों ने उचित और लाभप्रद वाणिज्यिक संव्यवहार अख्तियार नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिक्री कार्यालय प्रायः यात्रियों को इस बहाने चक्कर कटाता है कि टिकट व्यपगत हो गए हैं या उन्हें इन पर पुनः जाने नहीं दिया जा सकता है;

(ग) ऐसा बिक्री कार्यालयों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है जोकि ऐसा गैर-पेशेवर रवैया अपनाते हैं; और

(घ) इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों में व्यवसायिकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) इंडियन एयरलाइंस अपने यात्रियों के प्रति अधिक सक्रिय है। यात्रियों के प्रति गैर-व्यवसायिक व्यवहार के मामले की गंभीरता से संवीक्षा की जाती है। इंडियन एयरलाइंस के विक्रय अधिकारियों को, निर्धारित नियमों और कार्यविधियों के अनुसार, टिकटों की बीत चुकी तारीखों की वैधत्ता बढ़ाने/टिकटों के पुनः मार्ग बनाने के लिए विवेकाधिकार प्रदान किए गए हैं। यात्रियों से सही और वैध अनुरोधों पर विचार करने से मना करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी और तुरन्त कार्रवाई की जाती है। विक्रय स्टाफ में व्यवसायीकरण का उच्च्व स्तर बनाये रखने की दृष्टि से नियमित अन्तराल पर बाहरी और भीतरी क्षमता सहित गहन विक्रय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।

उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाएं

949. श्री परसुराम माझी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा के कालाहांडी बोलानगिर और कोरापुट जिलों में सामान्य वर्षा के दौरान भूमि और नालों में कुल कितना जल रहता है;

(ख) क्या सरकार ने स्थालाकृतियों के आधार पर भूमि और नालों में बह रहे जल को उड़ीसा के कालाहांडी, बोलनगिर और कोरापुट जिलों में प्रमुख और मंझोली सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु उपयोग करने के लिए कोई संभाव्य अध्ययन कराया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सतही जल उपलब्धता का आकलन आमतौर पर जल संसाधन परियोजना स्थल पर अथवा नदी बेसिनों के लिए किया जाता है। केबीके जिलों में स्थित महानदी, इन्द्रावती, नागावल्ली, वंसधारा और कोलाब नदियों के आवाह क्षेत्र से 75 प्रतिशत विश्वसनीयता पर 23584 मिलियन घनमीटर जल (सतही जल) की प्राप्ति होती है।

(ख) और (ग) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	कृष्य कमान क्षेत्र (हेक्टे. में)	जिला	वर्गीकरण
1	2	3	4	5
1.	**उड़ीसा के केबीके जिलों की निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं**			
1.	ओंग परियोजना	30000	बारागढ़	वृहद
2.	ऊपरी लांथ सिंचाई परियोजना	4700	बोलनगीर	मध्यम
3.	तेलंगीर सिंचाई परियोजना	9950	कोरापुट	मध्यम
4.	ऊपरी कोलाब विस्तार परियोजना	12052	नौरंगपुर	वृहद
5.	ऊपरी इन्द्रावती विस्तार परियोजना	25484	नौरंगपुर	वृहद
6.	रंत सिंचाई परियोजना	8500	कालाहांडी	मध्यम
2.	**ऐसी सिंचाई परियोजनाएं जिनके लिए तकनीकी-व्यवहार्यता अध्ययन किया जा चुका है**			
1.	तुरी गुन्टैन्ट सिंचाई परियोजना	6000	नौरंगपुर	मध्यम
2.	ऊपरी उदन्ती सिंचाई परियोजना	8000	नौपाड़ा	मध्यम
3.	निचली नागावल्ली सिंचाई परियोजना	8500	रायगढ़	मध्यम

1	2	3	4	5
4.	सुराबलिजोर सिंचाई परियोजना	18000	सोनपुर	मध्यम
3. व्यवहार्यता अध्ययन के लिए सर्वेक्षण व अन्वेषण के अधीन सिंचाई परियोजनाएं				
1.	निचली लांथ	21000	बोलनगीर	वृहद
2.	तेल बैराज	17300	बोलनगीर	वृहद
3.	राउल उत्तेई	2000	कालाहांडी और बोलनगीर	वृहद
4.	संदुल	3240	कालाहांडी	मध्यम
5.	बंजारी	4000	नौरंगपुर	मध्यम
6.	निचली बास्केल	9950	नौरंगपुर	मध्यम
7.	ऊपरी वम्सधारा	12000	रायगढ़	वृहद
8.	ऊपरी नागवल्ली	5555	रायगढ़ और कालाहांडी कालाहांडी	मध्यम

समुद्र जल का उपयोग

950. श्री रामसिंह राठवा: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा स्वच्छ जल को बचाने के लिए औद्योगिक प्रयोजनार्थ समुद्र जल के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने समुद्र जल के उपयोग पर जल उपकर लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) औद्योगिक प्रयोजन हेतु समुद्र जल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जल नीति-2002 में कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, समुद्री जल संसाधनों के उपयोग की पहचान अनुसंधान प्रयासों में तीव्रता लाने वाले एक क्षेत्र के रूप में की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन का विकास

951. चौ. तालिब हुसैन: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में विशेषकर जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों के बढ़ते रुझान की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो जम्मू और कश्मीर सहित राज्यों में पर्यटन के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने, जम्मू और कश्मीर राज्य समेत, देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए, पर्यटक केन्द्रों का एकीकृत विकास, उत्पाद/अवसंरचना एवं गंतव्य विकास तथा भारी राजस्व सर्जक परियोजनाओं की सहायता हेतु योजनाएं तैयार की हैं।

कश्मीर घाटी में सेवाप्रदाताओं, यथा हाउसबोट मालिकों, होटलों एवं अतिथि गृहों के मालिकों, शिकारा मालिकों, खच्चर वालों तथा पर्यटक परिवहन प्रचालकों के लिए आसान शर्तों पर ऋण, पूंजी एवं ब्याज इमदाद, मुहैया कराने हेतु एक पैकेज तैयार किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, जम्मू एवं कश्मीर में निम्नलिखित कार्यों को भी हाथ में लेने का निर्णय लिया गया है:-

1. तुलमुला, गन्दरबाल और इसके परिवेश में खीर भवानी तीर्थ स्थल का जीर्णोद्धार/संरक्षण/विकास।

2. बाबा ऋषि साहिब, तंगमार्ग और इसके परिवेश पर तीर्थस्थल परिसर का जीर्णोद्धार/संरक्षण/विकास।

3. अमरनाथ जी यात्रा का उन्नयन एवं शरण ईकाइयों, आदि का प्रावधान।

4. वैष्णों देवी-पाटनोटाप-श्रीनगर-गुलमर्ग पर्यटन परिपथ का विकास।

5. ऐशमुकाम तीर्थस्थल, कश्मीर के अन्दर एवं इसके आसपास पर्यटन सुविधाओं का विकास।

पटना में विमानों से पक्षी टकराने के मामले

952. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशक जो कि विमानपत्तन और विमानों की सुरक्षा की निगरानी करता है, ने पटना विमानपत्तन पर विमान से प्राय: पक्षी टकराने के मामलों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो पटना विमानपत्तन पर इस समस्या से निपटने के लिए नागर विमानन महानिदेशक द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि वधशालाएं और अन्य पक्षी आकर्षक स्थल अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित किये जाएं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पक्षियों के आकर्षण स्रोत का पता लगाने और पक्षी टकराव के निवारण के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए, एक एयरफील्ड पर्यावरण प्रबंध समिति गठित की गई है। पक्षी टकराव को दूर करने/कम करने के लिए उठाए गए बड़े कदमों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

(1) हवाई अड्डे के अन्दर घास की कटाई और पानी के भराव की जांच।

(2) पक्षियों की स्केरिंग करना और शूट करना।

(3) हैंगर का वायर माशिंग करना।

(4) ढक्कनदार बिनों में कूड़ा-करकट का ढेर करना तथा इसे जल्द हटाना।

(5) हवाई अड्डे के आस-पास के क्षेत्रों की नियमित संयुक्त निरीक्षण।

(6) आधुनिक वधशालाओं की स्थापना।

इसके अलावा वायुयान अधिनियम, 1934 को संशोधित किया गया है जिससे हवाई अड्डे के 10 किलोमीटर के खुले क्षेत्र में कूड़ा-करकट के निपटान को एक दण्डनीय अपराध माना जा सके। यदि इस प्रकार के कार्यकलापों का पता संयुक्त निरीक्षण के दौरान लगता है तो इसे स्थानीय पुलिस के नोटिस में लाया जाता है।

काली मिर्च का उत्पादन

953. श्री सईदुज्जमा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत, जो कि काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, को पानी की कमी के परिणामस्वरूप घटिया क्वालिटी की काली मिर्च के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निचले दर्जे पर रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव अनुसंधान और विकास प्रौद्योगिकी, अच्छी किस्म के बीज इत्यादि को अपनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) भारत विश्व में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ए.एस.टी.ए. ग्रेड काली मिर्च के लिए स्रोत मंडी (भारत में कोचिन) में काली मिर्च का उच्च औसत पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य भारत की काली मिर्च की गुणवत्ता को दर्शाता है। तथापि, अन्य देशों से सस्ती दर पर आपूर्ति होने के कारण वर्ष 2002-2003 के दौरान काली मिर्च के निर्यात में गिरावट आई।

(ख) और (ग) भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट में मसालों, पर अनुसंधान किया जाता है। संस्थान ने अधिक तेल और ओलियोएसिन अवयव वाली काली मिर्च की उच्च्च गुणवत्ता वाली किस्मों की पहचान की है। विषाक्त रसायनों के उपयोग को न्यूनतम करने के लिए समेकित कृमि, रोग और पोषक तत्व प्रबंध पर अनुसंधान पर जोर दिया जाता है। फूट रौट और स्लो विल्ट जैसे मुख्य रोगों पर नियंत्रण के लिए जैव विज्ञानीय आधारित सूत्र बाजार में उपलब्ध हैं। काली मिर्च के विकास के लिए "वृहत् कृषि प्रबंधन-कार्य योजनाओं के जरिए राज्य के प्रयासों में समर्थन/

सहायता'' की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं:-

(क) काली मिर्च की उच्च उपज वाली किस्मों की पौध रोपण सामग्रियों का उत्पादन और किसानों को राजसहायता प्राप्त दरों पर उनका वितरण,

(ख) अधिक उपज देने वाली किस्मों और साथ ही उन्नत कृषि पद्धतियों को लोकप्रिय बनाने के लिए फिल्ड प्रदर्शन प्लाटों की स्थापना और प्रबंध,

(ग) समेकित कृमि और रोग प्रबंध पद्धतियों को अपनाना,

(घ) पुराने और गैर-उत्पादक बागानों के पुनरुद्धार को बढ़ावा देना,

(ङ) प्रभावी प्राद्योगिकी अंतरण।

दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयां

954. श्रीमती श्यामा सिंह: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और उसके पश्चात् दिल्ली में विशेषकर त्रिनगर में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को सील/शिफ्ट/बंद किया गया;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उपर्युक्त क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों की पहचान करने में विफल रहा है और उसने ऐसी इकाइयों के मालिकों के साथ हाथ मिला लिया है जिसके परिणामस्वरूप कुछ नई इकाइयां विकसित हो गई हैं और कुछ पुरानी पुनः खुल गई हैं जिससे हवा में बहिस्रावों के छोड़े जाने तथा ध्वनि प्रदूषण फैलने से यहां के निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार हेतु तैयार की गई कार्य योजना, यदि कोई है, का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में बढ़ते खतरे को रोकने के लिए आवधिक रूप से जांच सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वनों में आग के संबंध में रिपोर्ट

955. श्री राम मोहन गाड्डे:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान वर्ल्डवाइड फंड फॉर नेचर द्वारा प्रकाशित ''भारत में वनों में आग'' की ओर उत्कृष्ट कराया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस रिपोर्ट में क्या सुझाव/सिफारिशें की गई; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) जी, हां। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया (डब्ल्यू डब्ल्यू एफ-इंडिया) ने चालू वर्ष के दौरान ''फायर्स इन इंडिया''-लैसन्स फ्रोम केस स्टडीज, शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट, भारत के आठ राज्यों के चुनिंदा स्थलों से दावानलों के संबंध में एकत्र की गई बेसलाइन सूचना पर आधारित है। इस रिपोर्ट के अनुसार दावानल की लगभग सभी घटनाएं (इरादतन या गैर-इरादातन) आदमी की देन हैं। वनों में दावनल संबंधी इरादतन घटनाएं समुदायों द्वारा विभिन्न कारणों जैसे कि शाकदार वनस्पति की बढ़ोतरी को बढ़ावा देने, गैर-इमारती लकड़ी वनोत्पाद के संग्रहण या स्थानीय देवता को प्रसन्न करने आदि के उद्देश्य से की जाती है'।

(ग) और (घ) रिपोर्ट में कोई ठोस सुझाव/सिफारिशें नहीं की गई हैं। तथापि, रिपोर्ट की अंतिम भाग में और अधिक सूचना की आवश्यकता, विस्तृत अनुसंधान, पूर्व चेतावनी और अन्य ढांचागत/सांस्थानिक सहायता पर बल दिया गया है ताकि आग को एक प्रबंधन औजार के रूप में काम में लाया जा सके। यह सुझाव दिया गया है कि सर्वोत्तम कार्यनीति सामुदायिक सहभागिता के साथ हमारी पहुंच के भीतर आने वाले सभी उपायों के माध्यम से बार-बार लगने वाली आग पर नियंत्रण पाना होगा। देश में दावानल की घटनाओं की समस्या एक महत्वपूर्ण मुद्दा है तथा इसका निराकरण किया जा रहा है। मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत राज्य सरकारों को दावानलों के निवारण एवं नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। रिपोर्ट में सुझाए अनुसार दावानलों पर नियंत्रण/निपटने के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जा रहा है।

[हिन्दी]

वर्षा जल संचयन संबंधी जागरूकता

956. **श्री सुंदर लाल तिवारी:**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्षा जल संचयन हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने और घटते जल स्तर के मद्देनजर वर्षा जल का दुरूपयोग रोकने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सी जी डब्ल्यू ए) वर्षा जल संचयन की विभिन्न तकनीकों और इसके लाभों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। सी जी डब्ल्यू ए ने 31.3.2003 तक देश के विभिन्न भागों में 135 जनजागरूकता और 69 प्रशिक्षण, कार्यक्रम आयोजित किए हैं। वर्ष 2003-2004 के दौरान सी जी डब्ल्यू ए द्वारा देश में 51 जन जागरूकता और 51 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना है। सी डी डब्ल्यू ए ने वर्षा जल संचयन के बारे में लोगों को जागरूक बनाने एवं उन्हें शिक्षित करने के लिए छत पर वर्षा जल संचयन पर (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीजीडब्ल्यूएइंडिया.कॉम) नामक एक वेबसाइट भी प्रारंभ की है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी जी डब्ल्यू बी) ने पुन: उपयोग में लाये जा सकने वाले भूमि जल संसाधनों का संवर्द्धन करने के लिए उपयुक्त पुनर्भरण संरचनाओं का प्रदर्शन करने हेतु नौवीं योजना के दौरान "भूमि जल के पुनर्भरण का अध्ययन" संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम भी क्रियान्वित की है। इस स्कीम के अंतर्गत 35.81 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से देश में 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वयन हेतु 174 पुनर्भरण परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। सी जी डब्ल्यू बी ने पूरे देश में 1350 स्थानों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली के लिए डिजाइन भी मुहैया कराया है।

[अनुवाद]

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा खुदाई

957. **श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का विचार भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का पता लगाने हेतु खुदाई कराने के लिए कोई परियोजना चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सरस्वती और उसके जलग्रहण क्षेत्र में एक बहु-विध अध्ययन संबंधी परियोजना के तहत, अब तक आदि-बद्री, कपालभोचन-ऋणभोचन, थानेश्वर, संधौली, कुणाल और राखीगढ़ी (सभी हरियाणा में), हनुमानगढ़, पीलीबंगन, बड़ोपाल, और बरोड़ (सभी राजस्थान में), और धौलावीरा (गुजरात) के स्थलों की 2003-2004 के सत्र हेतु खुदाई में वास्ते पहचान की है। इसके साथ-साथ, वर्तमान योजना अवधि में खुदाई के वास्ते चुने गए अन्य स्थलों में वारंगल किला (आन्ध्र प्रदेश), तलातलघर (कारेंघर), शिवसागर (असम), भीमबेटका (मध्य प्रदेश), दौलताबाद (महाराष्ट्र), लांगुडी पहाड़ी (उड़ीसा) अरिकमेडु (पांडिचेरी), महाराणा प्रताप का ध्वस्त महल, चावड (राजस्थान), बोक्सानगर (त्रिपुरा), रेजिडेन्सी परिसर, लखनऊ, लच्छगिर (उत्तर प्रदेश) हैं। तैयार किए जाने वाले कार्यक्रमों ने महाबलीपुरम (तमिलनाडु) में और लक्षद्वीप में बंगरम द्वीप से परे पोत अवशेष, अपतट अन्त:जल अन्वेषण भी शामिल हैं।

विश्व पर्यटन मानचित्र पर भारत

958. **डा. मंदा जगन्नाथ:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ल्ड ट्रेवल एण्ड टुरिज्म काउंसिल (डब्ल्यूटीटीसी)-2003 ने भविष्यवाणी की है कि यदि वीसा ऑन अराइवल स्कीम शुरू की जाती तो भारत अपने लिए विश्व पर्यटन मानचित्र पर स्थायी बर्थ पा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जहां तक पर्यटन का संबंध है, भारत को महत्वपूर्ण देशों के समूह में लाने हेतु वीसा योजना में छूट देने, बेहतर विमान सुविधाएं प्रदान करने तथा और विमानपत्तन विकसित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) भारत आने वाले पर्यटक आगमनों में सुधार के लिए, विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद् (डब्ल्यूटीटीसी) द्वारा सुझाए गए उपायों में से, एक उपाय आगमन पर वीजा जारी करना है।

(ख) और (ग) उप महाद्वीप में मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों के कारण, वर्तमान में, आगमन पर वीजा जारी करने की शुरूआत नहीं की जा रही है। हवाई संपर्क में सुधार करने तथा सीट क्षमता बढ़ाने के लिए, देशों के बीच विमानन अधिकारों हेतु, द्विपक्षीय वार्ताएं समय-समय पर होती हैं।

कर्नाटक समुद्र तट पर समुद्री दीवार

959. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से समुद्री कटाव से भूमि की रक्षा करने हेतु कर्नाटक में समुद्र तट पर स्थायी समुद्री दीवार का निर्माण करने हेतु 136 करोड़ रुपये प्रदान करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक ने फ्रांस सरकार के सहयोग से राज्य में उल्लाल पर 1.5 कि.मी. समुद्री दीवार का निर्माण करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जी, हां। असुरक्षित तटीय क्षेत्रों की समुद्री कटाव से सुरक्षा के लिए कर्नाटक सरकार से मार्च, 2002 में 135.95 करोड़ रुपये वाला एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इसको राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना (एन सी सी पी) के प्रस्तावित फेज-1 में शामिल कर लिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। कर्नाटक सरकार, फ्रांस सरकार की सहायता से 6.375 करोड़ रुपये की लागत से मंगलौर के निकट उल्लाल तट पर 1.5 किलोमीटर के खंड पर एक प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ करना चाहती है।

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण

960. श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के उत्तरी राज्य चालू वर्ष के दौरान भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने हेतु अब तक कौन-कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को कितनी निधियां आवंटित/जारी की गई हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं। उपलब्ध सूचना के अनुसार चालू वर्ष के दौरान देश का कोई भी उत्तरी राज्य बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित नहीं हुआ है। तथापि, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू उप प्रभाग में शीलागढ़ में 16 जुलाई, 2003 को बादल फटने की घटना में 21 व्यक्तियों के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। बचाव और राहत कार्य राज्य सरकार द्वारा किए गए थे।

(ख) और (ग) प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए राहत व्यय के वित्त पोषण की स्कीम के अनुसार, राज्य सरकारों को आपदा राहत निधि के आवंटित समूह में से राहत प्रचालन संबंधी व्यय को पूरा करने की आवश्यकता पड़ती है, इसमें भारत सरकार और राज्य सरकारों को 3:1 के अनुपात में अंशदान करना होता है। जब आपदा गंभीर प्रकृति की होती है और आपदा राहत निधि पर्याप्त नहीं होती है तो केन्द्र सरकार स्थापित प्रक्रिया पूरी करने के बाद राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि में से राज्यों को सहायता देती है। इस संबंध में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से वित्तीय सहायता का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

हाथी दांत का अवैध व्यापार

961. श्री अनंत नायक:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में हाथी दांत का अवैध व्यापार प्रतिबंध के बावजूद भी फल-फूल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या डब्ल्यू डब्ल्यू एफ के अंतर्गत आने वाले ट्रैफिक इंडिया तथा वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि उड़ीसा, असम और उत्तर प्रदेश हाथी दांत के अवैध व्यापार के लिए सबसे सक्रिय केन्द्रों में से हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा हाथी दांत के अवैध व्यापार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार ने हाथी दांत के

अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 के अंतर्गत भारतीय हाथी को शामिल किया गया है जो इसके शिकार और वाणिज्यिक व्यापार को प्रतिबंधित करता है।

2. सभी प्रकार के हाथी दांत का घरेलू व्यापार प्रतिबंधित किया गया है।

3. अधिनियम की अनुसूची-1 और अनुसूची-2 के भाग-2 के अंतर्गत जीवजन्तुओं व व्युत्पन्नों और जीव-जन्तुओं से संबंधित अवैध वन्यजीव व्यापार में लिप्त दोषी अपराधियों की सम्पत्ति जब्त करने और शास्तियां बढ़ाने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 को 2002 में संशोधित किया गया है।

4. केन्द्रीय सरकार ने देश से हाथी दांत का आयात व निर्यात प्रतिबंधित किया है।

5. भारत सरकार हाथियों और उनके हाथी दांत के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एनडेंजर्ड स्पीसिज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाऊना (साइट्स) के प्रावधानों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करती है।

6. केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए शक्तियां प्रदान की हैं।

7. अवैध शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सचिव, पर्यावरण एवं वन, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक विशेष समन्वय और प्रवर्तन समिति गठित की गई है।

8. भारत की केन्द्रीय सरकार सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ बनाने के लिए हाथी परियोजना के अंतर्गत हाथी की अधिक संख्या वाले प्रमुख राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

9. भारत सरकार ने जीवनक्षम हाथी रिजर्वों के लिए व्यवस्थित और संकेन्द्रित प्रबंधन मुहैया कराने की दृष्टि से देश में 26 हाथी रिजर्वों की पहचान की है। इनमें से 19 हाथी रिजर्व राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।

[हिन्दी]

रिहन्द बांध जलाशय में बहि:स्राव छोड़ना

962. श्री रामशकल: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और हिंडाल्को फैक्ट्री सोनभद्र (यू.पी.) द्वारा औद्योगिक बहि:स्राव रिहन्द बांध के जलाशय में छोड़े जा रहे हैं जिससे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे रोकने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) सिंगरौली क्षेत्र में स्थित ताप विद्युत निगम और रिहन्द और विंध्याचल पावर संयंत्रों में कंडेंसर कूलिंग जल और एशपोण्ड बहि:स्राव उपचार के बाद रिहन्द बांध के जलाशय में छोड़े जाते हैं। उसी क्षेत्र में स्थित हिंडाल्को के एल्युमिनियम संयंत्र के बहि:स्राव भी रिहन्द नदी की निचली धारा के जलाशय में छोड़े जाते हैं। इन इकाईयों ने अपशिष्ट जल के शोधन के लिए आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं।

(ख) सिंगरौली क्षेत्र के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है और औद्योगिक इकाईयों को रिहन्द नदी और जलाशय में प्रदूषण रोकने हेतु कदम उठाने को कहा गया है।

मूर्तियों की तस्करी

963. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बालीवुड के कुछ लोगों तथा मूर्ति तस्करों के बीच कथित संबंधों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सूचित किया है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान बालीवुड सितारों एवं मूर्ति तस्करों के बीच संबंधों का कोई मामला उनकी संबंधित शाखा के ध्यान में नहीं आया है।

[अनुवाद]

बाघों की संख्या

964. श्री रामजीवन सिंह: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय और अमरीकी वैज्ञानिकों के दल ने अपनी हाल ही कि रिपोर्ट में देश में बाघों की संख्या के संबंध में आंकड़े एकत्र करने के तरीके पर टिप्पणी की है जिससे खराब संरक्षण व्यवहार तथा बाघों की संख्या का संदेहास्पद आकलन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (ग) भारत में बाघों की संख्या के आकलन पर एक दस्तावेज जिसे 9 व्यक्तियों ने मिलकर तैयार किया है और जिसमें वैज्ञानिक और गैर-वैज्ञानिक दोनों ही शामिल हैं, उसे हाल ही में एक अन्तर्राष्ट्रीय जनरल में प्रकाशित किया गया है। दस्तावेज में जांच समय, क्षेत्र मैत्री, लागत दक्षता जैसे देश में बाघों की संख्या के आकलन के लिए प्रचलित तरीकों की आलोचना की गई है जो विश्व में कहीं नहीं है और वैकल्पिक नमूना आधारित महंगे तरीके की वकालत की गई है जो देश स्तर पर विविध वासस्थलों के अनुमान के लिए व्यावहारिक नहीं है। अधिकांश वास स्थलों में बाघों की संख्या न्यून या सामान्य है इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर बाघ जैसे क्षेत्रीय पशु की संख्या के अनुमान के लिए कोई विश्वव्यापी सांख्यिकी डिजाइन स्वीकार करना व्यावहारिक नहीं है। जो तरीका अपनाया जा रहा है वह विश्वसनीय परिणाम देने में सक्षम है जो प्रजातियों के संरक्षण के लिए क्षेत्र प्रबन्ध की आवश्यकताओं को पूरा करता है। बाघ परियोजना निदेशालय ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ ''बाघ वासस्थल और संख्या निर्धारण प्रणाली'' तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं:

(1) देश में बाघों के वासस्थलों और बाघों की स्थिति का आकलन।

(2) उपयुक्त (स्थल विशेष) गणना और आकलन का प्रोटोकाल तैयार करना।

(3) जोखिम निर्धारण के लिए स्पाशियल, अस्पाशियल मोडल और डाटाबेस विकसित करना और मौजूदा बांघों की संख्या बनाए रखना।

(4) सूचनाओं का अवलोकन, विश्लेषण, संग्रहण अद्यतन और इस सूचना को निर्णयकर्ताओं और फील्ड प्रबंधकों को देना।

(5) क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करके और नियम पुस्तिकाएं तैयार करके गणना, वासस्थल के मूल्यांकन और मॉनीटरिंग तकनीकों की जानकारी फील्ड कार्मिकों को देना।

[हिन्दी]

शोलापुर तथा उस्मानाबाद के लिए उड़ानें

965. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में शोलापुर तथा उस्मानाबाद के लिए विमान सेवाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितने घरेलू विमानपत्तन/हवाई पट्टियां निर्मित/उन्नयन किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) इंडियन एयरलाइन्स की महाराष्ट्र के शोलापुर और उस्मानाबाद के लिए विमान सेवाएं शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

किसानों हेतु बीज तथा उर्वरक

966. श्री पी.आर. खूंटे:
श्री पुन्नू लाल मोहले:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि किसानों को छत्तीसगढ़ में सरकारी विक्रय केन्द्रों पर ऊंची दरों पर बीज तथा उर्वरक मिल रहे हैं जबकि यह निजी दुकानों पर सस्ते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) छत्तीसगढ़ में सरकारी खुदरा दुकानों पर निजी खुदरा दुकानों

पर प्रचलित मूल्यों से अधिक मूल्यों पर बीज बेचे जाने पर कोई भी मामला छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार के ध्यान में नहीं आया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्यों पर छत्तीसगढ़ में बेचे जा रहे उर्वरकों का कोई भी मामला छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

ईपीएफओ में समूह ''ग'' की अनिवार्य सेवानिवृत्ति

967. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के समूह ''ग'' के कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है और एफ.आर.56 (एल) के प्रावधानों के विरूद्ध कुछ समूह ''ग'' के कुछ कर्मचारियों का नोटिस जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार नियमों के विरुद्ध इस कार्यवाही को रोकने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ई.एस.आई. के चिकित्सकों द्वारा हड़ताल

968. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:**
श्री नरेश पुगलिया:
श्री परसुराम माझी:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ई.एस.आई. अस्पतालों और दिल्ली में औषधालयों में कार्यरत चिकित्सकों ने 8 जुलाई, 2003 को धरना दिया था;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा कौन-कौन सी मुख्य मांगे उठाई गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने उनकी मांगों पर कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कुछ डॉक्टरों ने दिल्ली में दिनांक 8.7.2003 को धरना दिया था।

(ख) डॉक्टर मुख्य रूप से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टरों के समकक्ष कैरियर प्रोन्नति की मांग कर रहे हैं।

(ग) और (घ) यह मामला सुलह कराने हेतु मुख्य श्रमायुक्त(के.) के पास भेजा गया है।

हिमाचल प्रदेश में कृषि योजनाओं हेतु धन

969. **श्री सुरेश चन्देल:**
श्री महेश्वर सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में मंत्रालय द्वारा चलाई गई तीन योजनाओं हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार को गत दो वर्षों के दौरान कितनी निधियां स्वीकृत/आवंटित/जारी की गई और अगले दो वर्षों में नदी घाटी परियोजनाएं तथा भू-संरक्षण और बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में प्रभावित भूमि की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि करने और क्षारीय मिट्टी के सुधार तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना हेतु अलग-अलग कितनी निधियां स्वीकृत/आवंटित/जारी किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): कृषि मंत्रालय, भारत सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य सहित अधिकतर राज्यों में नदी घाटी परियोजना तथा बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाने हेतु मृदा संरक्षण (आर.वी.पी. एवं एफ.पी.आर) तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना नामक दो केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम कायान्वित कर रही है।

नवम्बर, 2000 से इन कार्यक्रमों को कृषि के वृहत प्रबंधन (एम.एम.ए.) में मिला दिया गया है। कृषि मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को निधियों का आवंटन पिछले उपयोग तथा कृषि के वृहत प्रबंधन के अधीन निधियों की समग्र उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। फिर राज्य सरकारें विभिन्न कार्यक्रमों के लिए निधियां आवंटित करती हैं और वार्षिक कार्य योजना तैयार करती हैं। वार्षिक कार्य योजना को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात्,

राज्य सरकारों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। इसके बाद राज्य सरकारें संबंधित कार्यक्रम कार्यान्वयक विभागों को निधियां निर्मुक्त करती हैं।

वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक के दौरान कृषि के वृहत के तहत हिमाचल प्रदेश को निधियों के आवंटनों तथा निर्मुक्तियों की स्थिति इस प्रकार है:

(लाख रुपये में)

वर्ष	आवंटित निधियां	निर्मुक्त निधियां
2001-02	1800.00	1800.00
2002-03	1600.00	1600.00
2003-04	1600.00	800.00 (पहली किस्त)
2004-05	1700.00 (अनंतिम)	-

पिछले दो वर्षों के लिए नदी घाटी परियोजना व बाढ़ प्रवण नदियों तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना हेतु कृषि वृहत प्रबंधन में से हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा मुहैया कराई गई निधियां तथा वर्ष 2003-04 के लिए प्रस्तावित आवंटन इस प्रकार है:-

(लाख रुपये में)

वर्ष	आर.वी.पी. व एफ.पी.आर.	वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए रा.प.वि.प.
2001-02	509.23	232.99
2002-03	520.34	48.97
2003-04	703.00	143.00
2004-05	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित किया जाना है।	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित किया जाना है।

क्षारीय मृदा के सुधार के लिए केन्द्रीय सहायता मांगने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

कोड शेयर क्षमता का कम उपयोग किया जाना

970. **श्री अरुण कुमार:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस को कोड शेयर क्षमता के कम उपयोग तथा श्रीलंका एयरलाइंस और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस सहित अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों द्वारा देयों की गैर-अदायगी के कारण 31.15 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वसूली हेतु क्या कार्रवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) कोड़ शेयर कैपेसिटी की पात्रता में किसी प्रकार की लागत नहीं लगती, यह लागत इसके उपयोग के स्तर तक ही लगती है और इससे इंडियन एयरलाइंस को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होता है। कोड शेयर कैपेसिटी के उपयोग का स्तर यातायात मांग और प्रचालित कैरियर के नेटवर्क आदि पर निर्भर करता है। इंडियन एयरलाइंस और अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंसों के बीच अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यवसाय व्यवस्थाएं भी विद्यमान हैं, जिनके लिए बीजकों का आदान-प्रदान होता है तथा मामलों का निपटान नियमित आधार पर आयटा क्लीनिंग हाऊस के माध्यम से या स्थानीय आधार पर जैसा कि मामला हो, किया जाता है। इन संव्यवहारों के दौरान, ऐसे मामले भी आ जाते हैं जिनमें कुछ विवादों/स्पष्टीकरणों/सहायक दस्तावेजों की आवश्यकता आदि के लिए देयों को भुगतान बाकी रह जाता है। ऐसा सभी मामलों की समीक्षा की जाती है और इन्हें आपसी वार्ताओं के माध्यम से या स्थानीय प्रतिनिधि स्तर पर या यदि आवश्यक हो तो मामले को नियमित स्तर पर उठा कर सुलझाने के प्रयास किए जाते हैं। किसी समय विशेष में ऐसे विवादित बीजकों की राशि सामान्यत: संव्यवहारों की कुल मात्रा तथा इन संव्यवहारों से इंडियन एयरलाइंस को प्राप्त होने वाले राजस्व की राशि अनुपात में बहुत कम होती है।

कृषि हेतु आवंटन

971. **डा. वी. सरोजा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो दशकों में योजना व्यय की क्षेत्र-वार संरचना से पता चलता है कि अधिकांश बड़े कृषि राज्यों के लिए कृषि हेतु आवंटन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो 1980-81 से 1999-2002 के दौरान उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश में कृषि पर योजना व्यय के हिस्से में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने हेतु क्या उपाय किए गए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभी पटल पर रख दी जायेगी।

यमुना सफाई अभियान

972. श्री चाडा सुरेश रेड्डी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में यमुना को साफ करने हेतु तीन-दिवसीय अभियान चलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके अंतर्गत कितनी सफलता हासिल की गई; और

(ग) उस पर अभी तक कितनी राशि खर्च की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) जी, हां। यमुना सफाई अभियान 2 जून से 4 जून 2003 तक तीन दिनों के लिए दिल्ली में यमुना नदी के दोनों किनारों पर छह स्थानों पर चलाया गया था जिसमें अनेक स्टेकहोल्डरों ने भाग लिया था। नदी के किनारों से लगभग 40 ट्रक अपशिष्ट उठाया गया और इनका व्ययन भूमि भरण स्थलों पर कर दिया गया। गढ़ीमन्डु नामक स्थल पर सामूहिक वृक्षारोपण भी किया गया था।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया क्योंकि यह अभियान एक स्वैच्छिक प्रयास था।

केरल में ''पैलेस ऑन व्हील्स''

973. डा. बी.बी. रमैया: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केरल में ''पैसेल ऑन व्हील्स'' नामक रेलगाड़ी चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रेलगाड़ी के कब तक शुरू होने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अप्रयुक्त हवाई पट्टियां

974. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार अप्रयुक्त पड़ी हवाई पट्टियों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) इन बेकार विमानपत्तनों के संबंध में कितनी धनराशि फंसी पड़ी है;

(ग) क्या सरकार इन हवाई पट्टियों का प्रयोग करने हेतु कोई प्रभावी कदम उठा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार इन मूल्य घटती परिसंपत्तियों को किस प्रकार कार्य रूप में परिणत करने का विचार रखती है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) अकोला, बेल्लूरघाट, बेहाला, बिलासपुर, कूच बिहार, कुडप्पा, दीसा, झांसी, झारसुगुडा, कैलाशहर, कमालपुर, ललितपुर, मुज्जफ्फरपुर, सतना, सोलापुर तथा वारंगल को प्रचालन के लिए किसी भी अनुसूचित एयरलाइन के नॉन-कॉमिटमेन्ट के कारण यहां की हवाई पट्टी अनुपयुक्त पड़ी है।

ऐजवाल, आसनसोल, चाकुलिया, दोनाकोंड़ा, हसन, हड़प्सर, जोगबानी, खंडवा, कोवाई, माल्दा, मैसूर, पन्ना पासीघाट, रक्सोल, रूपसी, सीला तथा बेल्लोर की हवाई पट्टी गैर- प्रचालनात्मक हैं, क्योंकि ये हवाई पट्टियां प्रचालन के योग्य नहीं हैं।

(ख) 369.74 लाख रुपये।

(ग) और (घ) प्रयोग में न लाई जा रही हवाई पट्टियों का उपयोग इन स्थानों से प्रारम्भ होने वाले हवाई प्रचालन के लिए उपलब्ध यातायात पर पूरी तरह निर्भर करता है। पर्याप्त वायु यातायात की कमी के कारण इन हवाई पट्टियों को प्रचालनात्मक बनाने के लिए फिलहाल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की कोई योजना नहीं है।

(ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनयम के तहत अनप्रयुक्त पड़ी हुई हवाई पट्टियों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को स्थानान्तरित कर दी गई थी फिर भी भारतीय विनानपत्तन प्राधिकरण को गैर-विमानन गतिविधियों के लिए इन हवाई पट्टियों को सेल करने का अधिकार नहीं है।

[हिन्दी]

बाल श्रम का उन्मूलन

975. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2007 तक बाल श्रम उन्मूलन का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) हां, तो सरकार द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) गत तीन वर्षों को दौरान और आज की तारीख के अनुसार सरकार को बाल श्रम के कितने मामलों का पता चला है और उन पर वर्षवार तथा राज्यवार क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) बाल श्रम के उन्मूलन हेतु दसवीं योजना कार्यनीति में दसवीं योजना के अन्त तक जोखिमकारी व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं से बाल श्रम के उन्मूलन की व्यवस्था है।

(ख) नवीं योजना के दौरान अंगीकार की गई बाल श्रम के उन्मूलन हेतु कार्यनीति दसवीं योजना के दौरान जारी रहेगी। तथापि, दसवीं योजना अवधि के दौरान बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रमों को और अधिक केन्द्रित, एकीकृत, विस्तारित तथा समन्वित तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा।

(ग) पिछले तीन वर्षों (अर्थात् 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002) के दौरान राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार 3,41,979 निरीक्षण किए गए जिसके परिणामस्वरूप 4,490 अभियोजन दायर किए गए तथा 1363 सिद्धदोष पाए गए।

[अनुवाद]

वर्षा का आकलन

976. **कर्नल (सेवानिवृत) सोना राम चौधरी:**
श्री आर.एल. जालप्पा:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों विशेष रूप से सूखाग्रस्त राज्यों में वार्षिक वर्षा का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का स्थिति से निपटने हेतु क्या आकस्मिक योजना तैयार करने का विचार है; और

(घ) पिछली योजनावधि के दौरान वर्षा जल संचयन हेतु अवसंरचना के विकास हेतु प्रत्येक राज्य सरकार को कितनी धनराशि आवंटित/जारी की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जी, हां। विभिन्न राज्यों में आकलित वार्षिक वर्षा का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(ग) सूखे की स्थिति में तुरंत राहत उपाय करने का उत्तरदायित्व मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा आपदा राहत कोष (सी आर एफ) के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जाती है। जल संसाधन मंत्रालय ने राज्य सरकारों को पेय जल आपूर्ति को प्राथमिकता देते हुए जलाशयों में उपलब्ध जल का विवेकपूर्ण उपयोग करने की सलाह दी है। राज्यों को उनकी जल आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी जी डब्ल्यू बी) द्वारा ड्रिल किए गए अन्वेषी कुओं को अपने स्वामित्व में लेने की भी सलाह दी गई है। सी जी डब्ल्यू बी ने विभिन्न राज्य सरकारों को 4000 से अधिक कुएं सौंपे हैं।

गंभीर जल की कमी से उबरने के लिए सूखा प्रभावित राज्यों की सहायता के लिए सचिव, जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन किया गया है। संबंधित 18 सूखा प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिव तथा कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्राल, शहरी विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के केन्द्रीय सचिव; अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग; अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड; सदस्य (ट्रैफिक), रेल बोर्ड; महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण; और महानिदेशक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इस कार्य बल के सदस्य हैं। इस कार्य बल की दो बैठकें हो चुकी हैं। कार्य बल की प्रथम बैठक में विभिन्न राज्यों में जल की कमी दूर करने के उपायों पर भी चर्चा हुई। प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपातकालीन स्थितियों से उत्पन्न हुई आकस्मिकता पूरी करने के उद्देश्य से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जो राज्यों को प्रदान की जा सकती है तथा विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों जिनके लिए केन्द्रीय सहायता विशेषकर त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) के अंतर्गत आबंटित निधियों के 5 प्रतिशत के अंतर्गत वाली सहायता अपेक्षित हो सकती है। कार्यबल की दूसरी बैठक में सूखा प्रभावित राज्यों से चालू मानसून के दौरान वर्षा जल का उपयोग करने की दृष्टि से वर्षा जल संचयन और वर्षा संरक्षण तकनीकें अपनाने का

अनुरोध किया गया। राज्य सरकारों द्वारा जल का मितव्ययी उपयोग करने तथा उपलब्ध जल का विवेकपूर्ण उपयोग करने पर बल दिया गया था।

(घ) नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान प्रत्येक राज्य के संबंध में सिंचाई का अनुमोदित परिव्यय संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

राज्य-वार वर्षा जल वितरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000 वार्षिक		2001 वार्षिक		2002 वार्षिक	
		वास्तविक (मिमी)	सामान्य से विचलन	वास्तविक (मिमी)	सामान्य से विचलन	वास्तविक (मिमी)	सामान्य से विचलन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्र)	2386.2	-20%	2935.1	0%	2310.7	-22%
2.	अरुणाचल प्रदेश	2762.0	-3%	2199.9	-23%	2559.6	-23%
3.	असम	2656.1	-4%	2048.2	-21%	2132.4	-15%
4.	मेघालय	3069.7	6%	3954.0	-5%	4992.3	-26%
5.	नागालैंड	1626.6	-19%	1446.8	-28%	1408.9	-30%
6.	मणिपुर	1315.1	2%	1233.3	-7%	1417.5	3%
7.	मिजोरम	2567.4	-1%	2694.3	4%	2546.3	-3%
8.	त्रिपुरा	2484.4	12%	2476.8	12%	2246.9	1-3%
9.	सिक्किम	2705.7	-29%	2904.9	-23%	2914.2	14%
10.	पश्चिम बंगाल	1879.5	7%	1795.3	4%	1778.1	-1%
11.	उड़ीसा	1163.0	-22%	1777.4	19%	1166.6	-18%
12.	झारखंड	1369.8	4%	1410.8	8%	1184.6	-1%
13.	बिहार	1313.7	11%	1368.4	16%	1324.2	3%
14.	उत्तर प्रदेश	953.2	-2%	895.0	-8%	769.4	-20%
15.	उत्तरांचल	1935.4	16%	1479.4	-11%	1588.5	0%
16.	हरियाणा	498.5	-14%	597.2	3%	432.6	-30%
17.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	1136.8	7%	953.2	-10%	1010.0	-5%
18.	दिल्ली	589.6	-19%	600.0	-17%	555.6	-21%

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	पंजाब	544.3	-16%%	634.3	-2%	446.1	-31%
20.	हिमाचल प्रदेश	1111.8	-17%	1102.7	-18%	1075.5	-20%
21.	जम्मू और कश्मीर	828.3	-22%	795.4	-26%	750.5	-19%
22.	राजस्थान	337.5	-28%	416.9	-11%	199.8	-59%
23.	मध्य प्रदेश	659.9	-39%	938.7	-13%	895.9	-19%
24.	छत्तीसगढ़	952.7	-29%	1435.2	7%	1043.4	-20%
25.	गुजरात	481.5	-38%	709.2	-8%	544.4	-32%
26.	दादरा व नगर हवेली एवं दमन (संघ राज्य क्षेत्र)	-	-	1930.9	-13%	1655.0	-25%
27.	दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	356.0	-43%	-	-	-	-
28.	गोवा	3558.1	12%	2365.7	-25%	2373.3	-28%
29.	महाराष्ट्र	10665.7	-5%	10453.3	-7%	1034.8	-18%
30.	आंध्र प्रदेश	1010.6	11%	939.4	3%	698.6	-24%
31.	तमिलनाडु	857.5	-12%	778.5	-20%	741.2	-24%
32.	पांडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	1224.4	-11%	940.1	-32%	992.9	-28%
33.	कर्नाटक	1260.0	8%	1049.5	-10%	939.2	-27%
34.	केरल	2465.8	-21%	2913.9	-6%	2457.3	-14%
35.	लक्षद्वीप	1372.7	-8%	1383.7	-7%	1034.4	-34%

विवरण II

नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान सिंचाई के लिए अनुमोदित परिव्यय

क्र.सं.	राज्य	रुपये करोड़ में परिव्यय			
		एम एण्ड एम	लघु सिंचाई	क.क्षे.वि.	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आध्र प्रदेश	5027.16	775.73	76.50	5879.39
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.30	202.48	5.65	210.43
3.	असम	135.12	429.99	25.07	590.18

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	1450.00	725.00	125.00	2300.00
5.	गोवा	237.02	27.31	7.31	271.64
6.	गुजरात	7358.00	963.55	50.00	8371.55
7.	हरियाणा	1372.43	172.13	68.22	1612.78
8.	हिमाचल प्रदेश	35.00	196.55	7.30	238.85
9.	जम्मू और कश्मीर	183.00	156.00	23.50	362.50
10.	कर्नाटक	5500.00	500.00	120.00	6120.00
11.	केरल	650.00	250.00	40.00	940.00
12.	मध्य प्रदेश	1915.76	782.90	18.69	2717.35
13.	महाराष्ट्र	8969.08	1568.56	388.46	10926.10
14.	मणिपुर	222.00	44.00	12.60	278.60
15.	मेघालय	15.00	60.00	5.00	80.00
16.	मिजोरम	0.40	17.52	0.19	18.11
17.	नागालैंड	9.85	40.28	1.50	51.63
18.	उड़ीसा	3084.76	267.32	16.50	3368.58
19.	पंजाब	238.25	252.83	384.47	875.54
20.	राजस्थान	1855.54	196.30	422.86	2474.70
21.	सिक्किम	0.00	10.00	1.00	11.00
22.	तमिलनाडु	1000.00	357.65	90.00	1447.65
23.	त्रिपुरा	60.55	105.36	0.10	166.01
24.	उत्तर प्रदेश	2600.12	490.00	120.00	3210.12
25.	पश्चिम बंगाल	710.93	347.87	16.33	1075.13
	कुल—राज्य	42632.27	8939.32	2026.25	53597.84
	कुल—संघ राज्य क्षेत्र	6.10	45.52	1.04	52.66
	कुल—राज्य+संघ राज्य क्षेत्र	42.638.37	8984.84	2027.29	53650.50

जल-विवाद

977. श्री कालवा श्रीनिवासुलु:
श्री राजैया मल्याला:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने कर्नाटक सरकार पर जल विवाद संबंधी समझौतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने यह शिकायत की है कि कर्नाटक की परियोजनाओं को स्वीकृत करते समय केन्द्रीय जल आयोग का दृष्टिकोण तटस्थ नहीं था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मामले में हस्तक्षेप करने और राज्यों के बीच के मसले को सुलझाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) आंध्र प्रदेश के अनुसार, कर्नाटक सरकार ने जल संबंधी मौजूदा समझौतों का उल्लंघन किया है।

(ख) आंध्र प्रदेश के अनुसार, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कर्नाटक की अपर तुंगा परियोजना को प्रदान की गई तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति कृष्णा जल विवाद अधिकरण के निर्णय का उल्लंघन है।

(ग) और (घ) अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 27.6.2003 को एक अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित की गई थी जिसमें अन्य परियोजनाओं के अलावा, परागोडु तथा ऊपरी तुंगा जैसी परियोजनाओं के संबंध में दोनों राज्यों के अंतर्राज्यीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के सचिवों तथा तकनीकी अधिकारियों ने भाग लिया। विचार-विमर्श पर निष्कर्ष देते हुए अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने यथा प्रस्तावित तथा आंध्र प्रदेश सरकार की समस्याओं पर इस बैठक में लिखित उत्तर में अपने दृष्टिकोण को दोहराया कि परागोडु परियोजना एक पेयजल आपूर्ति परियोजना है और इसके पैरामीटरों को पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए विद्यमान राष्ट्रीय मानकों को अपनाना होगा। जहां तक ऊपरी तुंगा परियोजना का संबंध है, केन्द्रीय जल आयोग इन परियोजना के लिए उपलब्धता की गणना में यदि कोई गणितीय गलती होगी तो उस पर ध्यान देगा।

[हिन्दी]

ठेका कृषि को बढ़ावा देना

978. श्री रामजीलाल सुमन:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ठेका कृषि को बढ़ावा देकर कृषि कार्य में यंत्रों का प्रयोग करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यन्त्र कृषि में कम मजदूरों की जरूरत होगी;

(ग) कृषि की इस पद्धति से क्या सामाजिक और वित्तीय लाभ होने की आशा है;

(घ) किन-किन राज्यों में ठेका कृषि शुरू की गई है;

(ङ) क्या देश में ठेका कृषि को बढ़ावा देने के बाद से कृषि क्षेत्र में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश आसान हो गया है;

(च) यदि हां, तो किन-किन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने इस क्षेत्र में अभी तक प्रवेश किया है; और

(छ) ठेका कृषि के अंतर्गत अभी तक कितने भू-क्षेत्र को लिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) श्रम की आवश्यकता यंत्रीकरण के सोपान तथा विभिन्न फसलों के उत्पादन में अपनाई जाने वाली पद्धतियों पर निर्भर करती है।

(ग) विभिन्न कृषि प्रचालनों से संबद्ध कड़ी मजदूरी में कमी तथा संसाधनों के संरक्षण के अलवा किसानों को अधिक आय दिलाने के लिए यंत्रीकरण आवश्यक है।

(घ) से (छ) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, केरल तथा उत्तर प्रदेश में ठेका कृषि शुरू की गई है। क्योंकि ठेका कृषि को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगा कि कृषि में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रवेश आसान हो गया है। तथापि, मोनसांटो, अडवांटा, नोवरटीज, प्रो-एगो, स्पिक, पी.एच.आई., ग्लोबल ग्रीन, रैलीज, एच.एल.एल. कॉलमन इंडिया

लिमिटेड, इण्टर-गार्डन, पेप्सी, नैस्ले जैसी कुछ कम्पनियां इस क्षेत्र में प्रवेश कर गई हैं। उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि विभिन्न कृषि जिंसों के लिए लगभग 12630 हैक्टेयर क्षेत्र ठेका कृषि के अधीन लाया गया है।

[अनुवाद]

नदियों की सफाई करने संबंधी अध्ययन

979. **श्री भर्तृहरि महताब:** या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न एजेंसियों/विभागों/संस्थानों द्वारा गत पांच वर्षों और चालू वर्ष में आज की तारीख के अनुसार देश में प्रायद्वीपीय नदियों की सफाई के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में से प्रत्येक रिपोर्ट पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई;

(घ) अब तक प्रायद्वीपीय नदियों की सफाई करने में क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान सफाई से किन-किन शहरों को लाभ हुआ है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (ङ) प्रायद्वीपीय नदियों की सफाई के संबंध में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्टों के आधार पर 7 राज्यों के 38 शहरों में बहने वाली 12 प्रायद्वीपीय नदियों के प्रदूषित भागों में प्रदूषण उपशमन कार्य किए जा रहे हैं। नदीवार, राज्यवार और नगरवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(लाख रु.)

सं.	नदी/शहर	राज्य सं.	राज्य	स्वीकृत लागत (06/2003 तक)	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	पूरी हुई परियोजनाओं की सं.
1	2	3	4	5	6	7
I.	**नर्मदा**					
1.	जबलपुर	1	मध्य प्रदेश	133.85	4	2
	उप-योग			133.85	4	2
II.	**ताप्ती**					
2.	बुरहानपुर		मध्य प्रदेश	194.36	5	4
	उप-योग			194.36	5	4
III.	**महानदी**					
3.	कटक	2	उड़ीसा	684.40	3	1
	उप-योग			684.40	3	1
IV.	**ब्राह्मणी**					
4.	चान्दवाली		उड़ीसा	0.00	0	0

1	2	3	4	5	6	7
5.	धर्मशाला		उड़ीसा	0.00	0	0
6.	तलचर		उड़ीसा	0.00	0	0
	उपयोग			0.00	0	0
V.	**सुवर्णरेखा**					
7.	घाटशिला	3	झारखण्ड	68.02	3	0
8.	जमशेदपुर		झारखण्ड	174.52	3	0
9.	रांची		झारखण्ड	133.07	3	0
	उप-योग			375.61	9	0
VI.	**गोदावरी**					
10.	भद्राचलम	4	आन्ध्र प्रदेश	200.70	4	2
11.	मंचरियल		आन्ध्र प्रदेश	231.30	5	1
12.	नान्देड़	5	महाराष्ट्र	1293.18	2	0
13.	नासिक		महाराष्ट्र	6201.76	7	4
14.	राजामुन्दरी		आन्ध्र प्रदेश	2178.60	5	2
15.	त्रिम्बकेश्वर		महाराष्ट्र	1164.00	9	0
16.	रामागुंडम		आन्ध्र प्रदेश	574.55	7	1
	उप-योग			11844.09	39	10
VII.	**वेणगंगा**					
17.	छपरा		मध्य प्रदेश	39.85	5	5
18.	केयोलारी		मध्य प्रदेश	36.16	5	4
19.	सिवनी		मध्य प्रदेश	25.10	3	3
	उप-योग			101.12	13	12
VIII.	**कृष्णा**					
20.	कराड		महाराष्ट्र	318.72	2	0
21.	सांगली		महाराष्ट्र	295.89	1	0
	उप-योग			614.61	3	0

1	2	3	4	5	6	7
IX.	**मूसी**					
22.	हैदराबाद		आन्ध्र प्रदेश	0.00	0	0
	उप-योग			0.00	0	0
X.	**तुंगभद्रा**					
23.	दावनगेरे	6	कर्नाटक	404.19	5	3
24.	हरीहरा		कर्नाटक	236.87	4	2
	उप-योग			641.07	9	5
XI.	**कावेरी**					
25.	भवानी	7	तमिलनाडु	128.25	5	2
26.	एरोर		तमिलनाडु	1136.63	8	3
27.	के.आर. नगर		कर्नाटक	42.17	5	0
28.	कोलेगंल		कर्नाटक	55.82	2	0
29.	कुमारपलायम		तमिलनाडु	232.14	5	3
30.	नजांगुड		कर्नाटक	126.49	3	1
31.	पाली पलायम		तमिलनाडु	184.67	4	3
32.	करूर		तमिलनाडु	2764.32	1	0
33.	कुभंकोनम		तमिलनाडु	3166.19	2	0
34.	मलयदुथुरई		तमिलनाडु	3963.17	1	0
35.	तिरूचापल्ली		तमिलनाडु	11667.00	1	0
36.	श्रीरंगपटना		कर्नाटक	138.51	4	0
37.	त्रिची		तमिलनाडु	377.63	7	6
	उप-योग			23983.00	48	18
XII.	**वेगई**					
38.	मदुरई		तमिलनाडु	11277.85	2	0
	उप-योग			11277.85	2	0
	कुल (प्रायद्वीपीय नदियां)			49849.96	135	52

पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र घोषित करना

980. **श्री अशोक ना. मोहोल:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार किन-किन पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र घोषित किया गया है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों और प्रस्तावित चालू वित्त वर्ष के दौरान इन स्थलों के विकास हेतु राज्य सरकारों को कितनी वित्तीय सहयता प्रदान की गई; और

(ग) अब तक कितनी धनराशि जारी की गई और राज्य सरकारों द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) किसी भी स्थल को राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र के रूप में घोषित करने की कोई पद्धति नहीं है।

(ख) और (ग) पर्यटन परियोजनाओं के लिए स्थलों की पहचान राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके की जाती है। पर्यटन विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान, स्वीकृत परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2000-2001, 2001-02 और 2002-03 के दौरान स्वीकृत राज्य-वार पर्यटन परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001			2001-2002			2002-2003		
		स्वीकृत परि-योजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परि-योजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	13	299.50	228.50	6	167.85	129.76	2	507.50	195.00
2.	असम	12	338.35	134.47	7	397.50	195.68	9	768.13	618.85
3.	अरुणचाल प्रदेश	6	49.75	17.50	14	321.90	205.88	5	41.30	32.50
4.	बिहार	13	324.48	148.52	1	1.35	1.35	8	505.00	505.00
5.	छत्तीसगढ़	4	120.28	37.25	3	35.00	23.50	9	308.00	98.00
6.	गोवा	10	93.30	29.90	9	93.73	49.85	1	0.05	0.50
7.	गुजरात	18	469.20	155.62	11	305.50	120.30	2	197.12	59.13
8.	हरियाणा	6	123.31	74.75	7	125.44	82.89	8	332.25	311.00
9.	हिमाचल प्रदेश	19	397.29	246.75	12	157.64	78.95	30	779.32	760.38
10.	जम्मू एवं कश्मीर	12	474.93	328.63	3	65.50	60.95	3	94.38	89.47
11.	झारखण्ड	6	206.49	115.14	2	80.00	24.00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	कर्नाटक	19	489.30	295.66	8	254.76	166.99	6	902.49	625.49
13.	केरल	14	717.60	471.44	11	680.08	356.62	11	861.36	829.86
14.	मध्य प्रदेश	12	262.33	91.14	11	256.37	105.44	18	711.18	574.79
15.	महाराष्ट्र	10	282.69	97.40	10	1128.20	965.91	8	623.46	546.25
16.	मणिपुर	18	782.77	234.92	0	0	0.00	2	5.24	2.62
17.	मेघालय	5	105.59	46.10	5	87.87	36.95	3	70.35	21.20
18.	मिजोरम	14	311.19	265.73	6	73.25	44.20	6	141.16	48.46
19.	नागालैंड	8	156.53	95.95	5	41.54	22.70	5	360.50	323.43
20.	उड़ीसा	4	156.94	65.52	4	38.05	28.82	2	47.50	15.75
21.	पंजाब	6	203.50	61.33	3	17.50	12.34	3	23.00	14.60
22.	राजस्थान	22	454.96	253.71	2	5.00	2.50	13	1098.70	1096.20
23.	सिक्किम	31	368.62	267.63	5	108.83	68.70	13	346.24	269.76
24.	तमिलनाडु	9	122.83	48.82	20	533.67	167.26	5	559.00	316.10
25.	त्रिपुरा	12	333.23	166.09	5	114.40	64.87	5	216.13	67.78
26.	उत्तरांचल	7	70.19	33.53	3	65.51	40.79	3	548.00	418.00
27.	उत्तर प्रदेश	18	423.74	182.66	5	55.74	46.87	3	295.00	295.00
28.	पश्चिम बंगाल	23	432.99	311.03	17	229.85	9863	5	201.10	60.00
29.	अण्डमान एवं निकोबार	1	1.78	0.89	0	0	0.00	0	0	0
30.	चण्डीगढ़	5	22.13	16.14	2	8.00	7.12	3	7.75	6.63
31.	दादरा नगर हवेली	1	8.00	2.40	1	3.70	1.85	2	8.07	6.46
32.	दिल्ली	2	17.70	9.99	6	55.01	37.30	14	504.00	449.02
33.	दमन एवं दीव	0	0	0.00	1	5.00	1.50	3	49.50	16.90
34.	लक्षद्वीप	0	0	0,00	1	17.00	5.19	0	0	0
35.	पांडिचेरी	3	26.18	9.09	3	78.61	55.98	2	7.87	6.30
	जोड़	363	8647.67	4544.20	209	5609.35	3311.55	212	11121.10	8680.93

इंडियन एयरलाइंस का बाजार हिस्सा

981. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी, 2003 से इंडियन एयरलाइंस के बाजार हिस्से में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो यात्री यातायात और राजस्व के मामले में इंडियन एयरलाइंस और अन्य मुख्य निजी विमान वाहकों का तुलनात्मक हिस्सा कितना है; और

(ग) गत वर्ष के उसी अवधि हेतु तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) यात्रियों को वहन करने की दृष्टि से इंडियन एयरलाइंस के बाजार भाग की निजी अनुसूचित एयरलाइनों से तुलना, उदाहरण के लिए जेट एयरवेज तथा सहारा एयरलाइंस के जनवरी से जून 2003 के आंकड़ों सहित वर्ष 2002 में इसी अवधि के लिए तुलनात्मक आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

अवधि	बाजार भाग (%)		
	इंडियन एयरलाइंस	जेट एयरवेज	सहारा एयरलाइंस
जनवरी, 2003 से जून, 2003	39.7	49.3	11.0
जनवरी, 2002 से जून, 2002	43.1	49.7	7.2

जहां तक राजस्व की तुलना का संबंध है, निजी एयरलाइनों के संबंध में ये आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। बहरहाल वर्ष 2002-03 और 2003-04 (जून 2003 तक) के लिए एलाइंस एयर सहित इंडियन एयरलाइंस में यात्री राजस्व के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

अवधि	राजस्व (करोड़ रुपए में)
2002-03 (सं.अ.)	3793.35
2003-04 (अ.) (अप्रैल से जून, 2003)	1061.78

पानी की कमी

982. श्री जे.एस. बराड़: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पानी की कमी से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में इन क्षेत्रों में पानी की कमी दूर करने की दीर्घावधि योजनाएं क्या हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) देश में 14 राज्यों के 99 जिलों में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कराये गये अध्ययनों के आधार पर 74 जिलों के 315 तालुकों में पड़ने वाले 51.13 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान सूखा प्रवण क्षेत्र के रूप में की गई है जोकि देश में जल की कमी से बुरी तरह प्रभावित हैं। इन क्षेत्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधन की आयोजना, अन्वेषण, क्रियान्वयन और वित्तपोषण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार वर्षा जल का उपयोग करने तथा कुछ चुनिंदा निर्माणाधीन स्कीमों को शीघ्र पूरा करते हुए सिंचाई क्षमता के सृजन में तेजी लाने के प्रयास में राज्य सरकारों की सहायतार्थ वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) के अंतर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान कर रही है।

भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की क्षेत्र सुधार परियोजना के अंतर्गत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल संचयन के माध्यम से वर्षा जल संचयन को भी बढ़ावा दे रही है जिसके लिए राज्य सरकारों और अन्य क्रियान्वयन अभिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड प्रायोगिक आधार पर "भूमि जल के पुनर्भरण संबंधी अध्ययन" पर एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम भी प्रारंभ किया है।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने दीर्घावधि उपाय के रूप में जल संसाधनों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें अधिक जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल का हस्तांतरण करने के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़े जाने की योजना है।

विवरण

सूखा प्रवण क्षेत्रों का विवरण

क्रम सं.	राज्य/जिला	तालुकों की संख्या	जिले का क्षेत्र (वर्ग किमी)	केन्द्रीय जल आयोग के अध्ययन के अनुसार	
				सूखा प्रभावित तालुकों की संख्या	सूखा प्रभावित क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)
1	2	3	4	5	6
1.	**आंध्र प्रदेश**	**79**	**125113.03**	**19**	**32839.51**
	1. अनंतपुर	11	19134.90	5	10455.80
	2. चित्तूर	11	15143.10	–	–
	3. कुडप्पा	9	15372.90	1	1473.70
	4. हैदराबाद	9	7762.49	3	3157.90
	5. कुरनूल	11	17600.40	2	3825.97
	6. बेहबूबनगर	12	18472.00	3	4285.00
	7. नलगोंडा	7	14223.24	1	1772.05
	8. प्रकाशम	9	17440.00	4	7869.00
2.	**झारखंड**	**15**	**43384.50**	–	–
	9. मुंगेर	4	7884.50	–	–
3.	**बिहार**				
	10. नवादा	1	2494.00	–	–
	11. पलामू	3	12019.90	–	–
	12. रोहतास	2	7199.70	–	–
	13. भोजपुर	2	3971.10	–	–
	14. औरंगाबाद	1	3305.00	–	–
	15. गया	2	6510.30	–	–
4.	**गुजरात**	**124**	**121238.90**	**103**	**106818.40**
	16. अहमदाबाद	7	8565.90	5	7530.30
	17. अमरेली	10	6711.40	10	6711.40
	18. बनासकांठा	11	12404.30	9	11018.10
	19. भावनगर	12	9786.30	12	9786.30

1	2	3	4	5	6
	20. भरूच	11	7805.70	11	7805.70
	21. जामनगर	10	10143.00	10	10143.00
	22. खेडा	10	6888.10	3	2407.00
	23. कच्छ	9	19476.50	9	19476.50
	24. महेसाना	11	9011.80	3	2803.50
	25. पंचमहल	11	8849.80	10	7975.10
	26. राजकोट	13	11152.30	12	10667.70
	27. सुरेन्द्रनगर	9	10443.80	9	10443.80
5. हरियाणा		**15**	**16587.85**	**8**	**8338.50**
	28. भिवानी	4	4657.38	4	4657.38
	29. गुड़गांव	5	4862.80	2	1462.44
	30. महेन्द्रगढ़	3	3221.67	2	2218.68
	31. रोहतक	3	3846.00	–	–
6. जम्मू और कश्मीर		**8**	**15999.30**	**2**	**2407.60**
	32. डोडा	4	11691.00	–	–
	33. उधमपुर	4	4308.30	2	2407.60
7. कर्नाटक		**139**	**152163.33**	**42**	**57645.54**
	34. बंगलौर	11	7949.50	–	–
	35. बेलगाम	10	13460.80	1	1996.00
	36. बेल्लारी	8	9548.50	3	3994.30
	37. बीजापुर	11	17092.83	7	12477.44
	38. चिकमंगलूर	7	7222.00	1	804.80
	39. चित्रदुर्गा	9	10754.50	5	7477.50
	40. धारवाड़	17	13480.10	3	2772.32
	41. गुलबर्गा	10	16167.80	5	8131.00
	42. हासन	8	6833.30	1	1277.80
	43. कोलार	11	8215.20	4	3444.70

1	2	3	4	5	6
	44. मांडया	7	4961.00	1	1034.70
	45. मैसूर	11	11947.00	1	1235.90
	46. रायचूर	9	13972.40	4	6347.60
	47. तुमकुर	10	10557.70	6	6651.90
8. मध्य प्रदेश		**47**	**87219.52**	**26**	**37307.93**
	48. बेतुल	3	7062.90	–	–
	49. दतिया	2	2034.00	–	–
	50. देवास	5	6723.50	3	4219.00
	51. धार	5	8195.41	4	6287.00
	52. झबुआ	5	6792.80	5	6792.80
	53. खंडवा	3	6379.60	1	1865.00
	54. खरगौन	8	13490.00	5	6955.37
	55. शहडोल	4	13860.06	–	–
	56. शाजापुर	4	6178.00	3	4533.07
	57. सिधि	3	10390.75	1	3768.49
	58. उज्जैन	5	6112.50	4	4887.20
9. महाराष्ट्र		**100**	**123767.05**	**45**	**57664.70**
	59. अहमदनगर	13	16762.20	7	9491.80
	60. औरंगाबाद	12	16385.00	2	3111.30
	61. बीड़	7	11169.00	3	4595.00
	62. नासिक	13	15631.50	7	8098.90
	63. मोमंदाबाद	11	14027.00	7	9515.00
	64. पुणे	14	15688.20	4	4932.10
	65. सांगली	8	8610.25	5	5939.66
	66. सतारा	11	10436.90	4	3878.50
	67. शोलापुर	11	15057.00	6	8102.50

1	2	3	4	5	6
10. उड़ीसा		**6**	**22862.41**	**1**	**2002.07**
	68. फुलबनी	3	11090.41	1	2002.07
	69. कालाहांडी	3	11771.00	–	–
11. राजस्थान		**76**	**218950.45**	**57**	**194203.27**
	70. अजमेर	5	8449.60	3	4317.980
	71. बांसवाड़ा	5	5055.00	5	5055.00
	72. बाड़मेर	5	29521.40	5	29521.40
	73. बीकानेर	4	27396.40	4	29521.40
	74. चूरू	7	16861.35	7	16861.35
	75. डुंगरपुर	3	3770.00	3	3770.00
	76. जैसलमेर	2	41674.30	2	41674.30
	77. जालौर	4	10554.40	3	8308.80
	78. झुंझुनू	4	5928.00	3	4460.20
	79. जोधपुर	5	22633.80	5	22633.80
	80. नागौर	8	17628.00	8	17628.00
	81. पाली	7	12211.20	2	4763.80
	82. उदयपुर	17	17267.00	7	7812.42
12. तमिलनाडु		**77**	**84091.14**	**8**	**7451.66**
	83. कोयम्बटूर	10	15603.79	–	–
	84. धरमपुरी	8	9718.60	1	1227.80
	85. मदुरई	12	12264.10	–	3090.36
	86. रामानाथपुरम	12	12575.49	3	–
	87. सेलम	9	8543.00	–	943.30
	88. तिरूचिरापल्ली	10	11078.86	1	2190.20
	89. तिरूनेलवेली	12	12505.50	3	–
	90. कन्याकुमारी	4	1701.80	–	4608.40

1	2	3	4	5	6
13. उत्तर प्रदेश		**31**	**43033.10**	**4**	**–**
	91. इलाहाबाद	8	7255.00	–	1354.40
	92. बांदा	5	7645.10	1	1072.00
	93. हमीरपुर	6	7192.00	1	2183.00
	94. जालौन	4	4549.00	2	–
	95. मिर्जापुर	4	11301.00	–	–
	96. वाराणसी	4	5091.00	–	–
14. पश्चिम बंगाल		**8**	**26720.80**	**–**	**–**
	97. बांकुरा	2	6855.80	–	–
	98. मिदनापुर	5	13606.00	–	51128864
	99. पुरूलिया	1	6259.00	–	–
	कुल:	725	1081131.38	315	
			99 जिले में		74 जिले में

पर्यटन अवसंरचना में सुधार

983. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन अवसंरचना में सुधार करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकारों को आवंटित/जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने घरेलू/विदेशी पर्यटकों हेतु सुविधाओं में सुधार करने हेतु राज्य सरकारों को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) पर्यटन विभाग ने, देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए, दसवीं योजना के दौरान, पर्यटक परिपथों का एकीकृत विकास, उत्पाद/अवसंरचना तथा गंतव्य विकास और भारी राजस्व सर्जक परियोजनाओं को सहायता हेतु योजनाएं शुरू की हैं। विगत तीन वर्षों में, स्वीकृत की गई योजनाएं एवं रिलीज की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, विभिन्न राज्यों में 622.39 लाख रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता वाली नौ पर्यटक अवसरंचना परियोजनाओं को अभी तक मंजूरी दी गई है।

(ग) और (घ) राज्य पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन समेत विभिन्न मंचों से राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों पर दबाव डाला गया है कि वे अपने-अपने संबंधित राज्यों/क्षेत्रों में पर्यटक अवसंरचना का सुधार करें एवं घरेलू तथा विदेशी, दोनों पर्यटकों को अकर्षित करने के लिए सुविधाओं का सृजन करें।

विवरण

वर्ष 2000-2001, 2001-02 और 2002-03 के दौरान स्वीकृत राज्य-वार पर्यटन परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001			2001-2002			2002-2003		
		स्वीकृत परि-योजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परि-योजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परि-योजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	13	299.50	228.50	6	167.85	129.76	2	507.50	195.00
2.	असम	12	338.35	134.47	7	397.50	195.68	9	768.13	618.85
3.	अरुणाचल प्रदेश	6	49.75	17.50	14	321.90	205.88	5	41.30	32.50
4.	बिहार	13	324.48	148.52	1	1.35	1.35	8	505.00	505.00
5.	छत्तीसगढ़	4	120.28	37.25	3	35.00	23.50	9	308.00	98.00
6.	गोवा	10	93.30	29.90	9	93.73	49.85	1	0.05	0.50
7.	गुजरात	18	469.20	155.62	11	305.50	120.30	2	197.12	59.13
8.	हरियाणा	6	123.31	74.75	7	125.44	82.89	8	332.25	311.00
9.	हिमाचल प्रदेश	19	397.29	246.75	12	157.64	78.95	30	779.32	760.38
10.	जम्मू एवं कश्मीर	12	474.93	328.63	3	65.50	60.95	3	94.38	89.47
11.	झारखण्ड	6	206.49	115.14	2	80.00	24.00	0	0	0
12.	कर्नाटक	19	489.30	295.66	8	254.76	166.99	6	902.49	625.49
13.	केरल	14	717.60	471.44	11	680.08	356.62	11	861.36	829.86
14.	मध्य प्रदेश	12	262.33	91.14	11	256.37	105.44	18	711.18	574.79
15.	महाराष्ट्र	10	282.69	97.40	10	1128.20	965.91	8	623.46	546.25
16.	मणिपुर	18	782.77	234.92	0	0	0.00	2	5.24	2.62
17.	मेघालय	5	105.59	46.10	5	87.87	36.95	3	70.35	21.20
18.	मिजोरम	14	311.19	265.73	6	73.25	44.20	6	141.16	48.46
19.	नागालैंड	8	156.53	95.95	5	41.54	22.70	5	360.50	323.43
20.	उड़ीसा	4	156.94	65.52	4	38.05	28.82	2	47.50	15.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	पंजाब	6	203.50	61.33	3	17.50	12.34	3	23.00	14.60
22.	राजस्थान	22	454.96	253.71	2	5.00	2.50	13	1098.70	1096.20
23.	सिक्किम	31	368.62	267.63	5	108.83	68.70	13	346.24	269.76
24.	तमिलनाडु	9	122.83	48.82	20	533.67	167.26	5	559.00	316.10
25.	त्रिपुरा	12	333.23	166.09	5	114.40	64.87	5	216.13	67.78
26.	उत्तरांचल	7	70.19	33.53	3	65.51	40.79	3	548.00	418.00
27.	उत्तर प्रदेश	18	423.74	182.66	5	55.74	46.87	3	295.00	295.00
28.	पश्चिम बंगाल	23	432.99	311.03	17	22.85	9863	5	201.10	60.00
29.	अण्डमान एवं निकोबार	1	1.78	0.89	0	0	0.00	0	0	0
30.	चण्डीगढ़	5	22.13	16.14	2	8.00	7.12	3	7.75	6.63
31.	दादरा नगर हवेली	1	8.00	2.40	1	3.70	1.85	2	8.07	6.46
32.	दिल्ली	2	17.70	9.99	6	55.01	37.30	14	504.00	449.02
33.	दमन एवं दीव	0	0	0.00	1	5.00	1.50	3	49.50	16.90
34.	लक्षद्वीप	0	0	0.00	1	17.00	5.19	0	0	0
35.	पांडिचेरी	3	26.18	9.09	3	78.61	55.98	2	7.87	6.30
	जोड़	363	8647.67	4544.20	209	5609.35	3311.55	212	11121.10	8680.93

सरदार सरोवर परियोजना

984. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना को जल्दी पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता (ऋण) की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) गुजरात सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार केन्द्र सरकार से, विशेषकर सरदार सरोवर परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए कोई वित्तीय सहायता की मांग नहीं की गई है। केन्द्र सरकार शीघ्र पूरी की जाने वाली ऐसी निर्माणाधीन परियोजनाओं जिन्हें योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति दे दी गई है, के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईईबीपी) के अंतर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान कर रही है। सरदार सरोवर परियोजना को वर्ष 1996-97 से एआईबीपी के अंतर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) प्रदान की गई है और वर्ष 2002-03 तक 2896.25 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

मुक्त आकाश नीति का विस्तार

985. **श्री मोहन रावले:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार समिति मुक्त आकाश नीति को दो वर्ष और बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान नीति का उपयोग करने वाले देशों और एयरलाइनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने कुछ देशों और एयरलाइनों को समिति मुक्त आकाश नीति का उपयोग करने से रोक दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों से सरकार ने व्यस्ततम सीजन के लिए एक सीमित मुक्त आकाश नीति की घोषणा की है, जिससे विदेशी एयरलाइनों को सीजन की भीड़ को संभालने के लिए अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने में मदद मिली। आगामी वर्षों के लिए इस संबंध में निर्णय राष्ट्रीय तथा विदेशी वाहकों द्वारा विभिन्न मार्गों पर शीतकालीन अनुसूची के दौरान लगायी गयी नई उड़ानों और इन मार्गों पर शीतकालीन पर्यटन सीजन के दौरान सम्भावित मांग पर विचार करने के बाद किया जाएगा।

(ग) व्यस्ततम शीतकालीन 2002-03 सीजन के दौरान, मुक्त आकाश नीति के अंतर्गत विभिन्न विदेशी एयरलाइनों द्वारा 50,000 से अधिक अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था की गयी। इस अवधि में लुफ्थांसा (जर्मनी), वर्जिन अटलांटिक (यू.के.), एमीरेट्स (दुबई) एवं कोरियन एयर (दक्षिण कोरिया) ने अतिरिक्त सेवाएं प्रचालित की। सिंगापुर एयरलाइंस, साउथ अफ्रीकन एयरवेज, ईरान एयर, अमीरात्स, आस्ट्रियन एयरलाइन, मलेशियन एयरलाइंस तथा श्रीलंकन एयरलाइंस जैसी एयरलाइनों ने भी बड़े विमानों से प्रचालन किये।

(घ) और (ङ) दिसम्बर, 2002 से 15 फरवरी, 2003 की अवधि में मुक्त, आकाश नीति के अंतर्गत सभी देशों की एयरलाइनों को, एअर इंडिया से वाणिज्यिक सहमति की स्थिति में, अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति दी गयी। तथापि, इस सीमित मुक्त आकाश नीति का बाद में 30 जून, 2003 तक पश्चिमी यूरोप/अमेरिका की एयरलाइनों के लिए, केवल इन पत्तनों से पर्यटक क्षमता एवं यातायात मांग के कारण, विस्तार किया गया।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में पशु आश्रय स्थल और एम्बुलेंस संबंधी प्रस्ताव

986. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पशु कल्याण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितने पशु आश्रय स्थलों और एम्बुलेंसों के लिए अनुदान राशि प्राप्त हुई है;

(ख) क्या दयोदया पशु संवर्धन और पर्यावरण केन्द्र, तिलवाराघाट, जबलपुर, मध्य प्रदेश से पशु आश्रय स्थल और एम्बुलेंस संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक अनुमोदित कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) पशु कल्याण स्कीमों के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले पशु आश्रय स्थलों की संख्या पिछले तीन वर्षों के दौरान 77 (2000-2001), 91 (2001-2002) तथा 56 (2002-2003) है। पशु कल्याण स्कीमों के तहत अनुदान प्राप्त एम्बुलेंसों की संख्या पिछले तीन वर्षों के दौरान 28 (2000-2001), 37 (2001-2002) तथा 16 (2002-2003) है।

(ख) से (ङ) जी, हां। दयोदया पशु संवर्धन और पर्यावरण केन्द्र, तिलवाराघाट, जबलपुर, मध्य प्रदेश से 2001 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। दयोदया पशु संवर्धन और पर्यावरण केन्द्र, तिलवाराघाट, जबलपुर, मध्य प्रदेश से अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त न हो पाने की वजह से प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों का सेवा विस्तार

987. श्री शिबु सोरेन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के अधिकांश सदस्य सेवा-विस्तार के आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे निदेशकों/बोर्ड के सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्यों को शामिल करने हेतु कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास सदस्य (कार्मिक एवं प्रशासन), सदस्य (वित्त) और सदस्य (योजना) के पदों पर नियमित और पूर्णकालिक पदाधिकारी उपलब्ध हैं। सदस्य (प्रचालन) का पद रिक्त है और इसके लिए उम्मीदवारों का एक पैनल चुन लिया गया है। औपचारिकताएं पूरी होते ही, यह पद शीघ्र ही भरे जाने की संभावना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद हेतु चयन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है चूंकि मामला दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीन है। तथापि, अध्यक्ष की रूटीन ड्यूटी और जिम्मेवारी का दायित्व समय-समय पर सदस्य (कार्मिक एवं प्रशा.) को दिया गया है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय श्रम संस्थान

988. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्थापित केन्द्रीय श्रम संस्थान श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में देश में राज्यवार ऐसे कितने संस्थान कार्य कर रहे हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख के अनुसार, राज्यवार क्षेत्रीय केन्द्रीय श्रम संस्थान कलकत्ता द्वारा प्रतिवर्ष कितने श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें पूरी की जाती हैं;

(घ) क्या सरकार ने केन्द्रीय श्रम संस्थान के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) कारखाना सलाह सेवा तथा श्रम संस्थान महानिदेशालय के अन्तर्गत केन्द्रीय श्रम संस्थान की स्थापना कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत परिभाषित समस्त प्रतिष्ठानों को व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहायता देने के लिए की गई है। सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कानूनों के कार्यान्वयन का प्राधिकार राज्य सरकारों और नियोक्ताओं का है। किन्तु, देश के महापत्तनों की व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने का उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार का है और डी जी फासली इसका संतोषजनक ढंग से निर्वहन कर रहा है।

(ख) देश में फिलहाल, मुंबई में एक केन्द्रीय श्रम संस्थान और कोलकाता, कानपुर, चैन्नई तथा फरीदाबाद में एक-एक क्षेत्रीय श्रम संस्थान कार्यरत हैं।

(ग) कोलकाता स्थित केन्द्रीय श्रम संस्थान में उन श्रमिकों से संबंधित आकंड़े नहीं रखे जाते जिनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अपेक्षाएं पूरी कर ली जाती हैं। श्रम संस्थान व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सुरक्षा जांचों तथा अध्ययनों का आयोजन कर सहायक सेवाएं उपलब्ध कराता है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय श्रम संस्थान के कामकाज की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है और यह समय-समय पर की जाती है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

हज के लिए विमान पट्टे पर लेना

989. श्री थावर चन्द गेहलोत: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देशवार और तारीख-वार वर्ष 1998 से 2003 तक की अवधि के दौरान हज तीर्थ यात्रियों के आवागमन हेतु कितने विमान किराये पर लिए गए;

(ख) विमान किराये पर लेने हेतु किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) हज सेवा समझौते के अंतर्गत प्रत्येक विदेशी विमान में कितने तीर्थ यात्रियों को निःशुल्क ले जाने की अनुमति है;

(घ) तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या फ्रांस द्वारा उपलब्ध कराए गए विमान अच्छी स्थिति में नहीं थे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) विवरण इस प्रकार से है:-

वर्ष	विमानों की संख्या	देश	तिथि/अवधि
1998	4	संयुक्त राज्य अमेरिका	27.2.98 से 12.5.98
1999	5	यूनाइटेड किंगडम	18.2.99 से 30.4.99
2000	5	यूनाईटिड किंगडम	7.2.2000 से 22.4.2000
2001	6	कम्पूचिया	27.1.01 से 11.4.01

हज 2003 प्रचालनों के दौरान सऊदी अरब एयरलाइंस ने भी भाग लिया था। वर्ष 2002 तथा 2003 के लिए कोई विमान किराये पर नहीं लिया गया। एअर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस तथा सऊदी अरब एयरलाइंस ने समस्त हज प्रचालन किये।

(ख) विमानों को एक विश्वव्यापी निविदा प्रक्रिया के आधार पर किराये पर लिया गया। एक हज निविदा समिति ने तकनीकी व वित्तीय बोलियों की जांच तथा मूल्यांकन किया और करार दिये जाने की सिफारिश की।

(ग) चार्टर्ड विमानों में किसी तीर्थयात्री को निःशुल्क नहीं ले जाया जाता। प्रत्येक तीर्थयात्री से उसकी जेद्दा को/से हवाई यात्रा के लिए 12000 रुपये वसूल किये जाते हैं।

(घ) उपरोक्त (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) फ्रांस द्वारा किसी विमान की पेशकश नहीं की गयी थी।

(च) उपरोक्त (ङ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अहमदाबाद विमानपत्तन

990. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अहमदाबाद विमानपत्तन एक अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन है;

(ख) यदि हां, तो अहमदाबाद से हांगकांग और अहमदाबाद से पेरिस हेतु सीधी उड़ानें कब से शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) ऐसी उड़ानों को शुरू करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) एअर इंडिया ने पहले ही अप्रैल, 2003 से अहमदाबाद से पेरिस के लिए सीधी उड़ानें शुरू कर दी हैं। इस समय एअर इंडिया अहमदाबाद से पेरिस के लिए प्रति सप्ताह 3 सीधी उड़ानें प्रचालित करती है। एअर इंडिया प्रत्येक मंगलवार तथा शुक्रवार को अहमदाबाद/दिल्ली की उड़ानों को आगे के लिए हांगकांग से सम्पर्क के लिए भी प्रचालित करती है। एअर इंडिया के बेड़े में लीज पर लिए सातवें बी-747-400 विमान के शामिल किए जाने पर, दिसम्बर, 2002 में मुम्बई से पेरिस होकर नेवार्क के लिए नई सेवाएं आरंभ की गयी थीं। अप्रैल, 2003 से इन सेवाओं को अहमदाबाद से शुरू किया गया। एअर इंडिया की शीतकालीन अनुसूची से, नेवार्क/पेरिस से मुम्बई की उड़ानों का सप्ताह में सातों दिन सीधे अहमदाबाद तक बढ़ा दिया जाएगा।

(ग) अहमदाबाद और हांगकांग के बीच की यातायात मांग में सीधे प्रचालनों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एअर इंडिया के लिए वाणिज्यिक हित में व्यवहार्य नहीं है।

पशुओं पर अत्याचार

991. श्री रतन लाल कटारिया: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देशभर में पशुओं के प्रति अत्याचार के कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने दोषी लोगों को दंडित किया गया;

(ग) क्या पशु कल्याण बोर्ड इसे रोकने में शक्तिहीन है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बोर्ड को और शक्तियां प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

(ग) जीव-जन्तुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 को प्रवृत्त करने के दायित्व राज्य सरकारों का है। भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड विनियामक निकाय नहीं है। इस बोर्ड की भूमिका जीव-जन्तु कल्याण संगठनों को विभिन्न कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता देने के अतिरिक्त जीव-जन्तु कल्याण के विधिक और तकनीकी पहलुओं के संबंध में केन्द्रीय सरकार को परामर्श देना है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जल संसाधनों का विकास

992. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में जल संसाधनों के विकास हेतु 3600 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त राशि को खर्च करने हेतु परियोजनाओं की पहचान कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जल संसाधन मंत्रालय की केन्द्रीय योजना के वास्ते योजना आयोग ने 3600 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। इसके अलावा, दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्य योजनाओं के तहत सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के लिए 92,143 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

(ख) जी, हां, 3600 करोड़ रुपए के केन्द्रीय योजना परिव्यय के लिए स्कीमों को अभिज्ञात कर लिया गया है।

(ग) केन्द्रीय योजना के तहत स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं.	स्कीम का नाम	दसवीं योजना परिव्यय (रुपये करोड़ में)
1	2	3
1.	जल संसाधन मंत्रालय में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का विकास	3.00
2.	जल गुणवत्ता आकलन प्राधिकरण	5.00
3.	राष्ट्रीय जल अकादमी	10.00
4.	हिम जल विज्ञान	2.00
5.	सी डब्ल्यू सी में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की निगरानी के लिए प्रकोष्ठ	3.00
6.	भारत में नदियों की जल गुणवत्ता की निगरानी	10.50
7.	भूटान से निकलने वाली नदियों का जल विज्ञान प्रेक्षण	1.50
8.	सी डब्ल्यू सी में निगरानी संगठनों को मजबूत करना	19.00
9.	सिंधु बेसिन में किरथई तथा अन्य बहुउद्देशीय परियोजनाएं	7.00

1	2	3
10.	मुख्य जल विज्ञान केन्द्रों से आंकड़ा संग्रहण	40.00
11.	जलाशय अवसादन, नदी आकारिकी तथा अन्य दूर संवेदी अनुप्रयोगों संबंधी अध्ययन	14.00
12.	अनुसंधान एवं विकास, अनुसंधान, मूल्यांकन अध्ययन एवं जन जागरूकता गतिविधियां	32.00
13.	सी डब्ल्यू सी में कम्प्यूटरीकरण/सूचना प्रणाली का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण	12.00
14.	पूर्वोत्तर राज्यों में जल संसाधन विकास का अन्वेषण	4.00
15.	सी डब्ल्यू सी में एच ई डिजाइनों, पंपित, भंडारण तथा इंस्ट्रूमेंटेशन में विशिष्ट इकाई का गठन	3.00
16.	सी एम एम आर एस द्वारा नदी घाटी परियोजनाओं के वास्ते भू-तकनीकी अन्वेषण	22.00
17.	सी एस एम आर एस में संरचनाओं में प्रयुक्त/मूल अनुसंधान	6.00
18.	सी एस एम आर एस में उन्नत अनुसंधान तथा परामर्श	4.00
19.	सी एस एम आर एस में प्रयोगशाला तथा क्षेत्र जांच सुविधाओं का उन्नयन	6.00
20.	सी डब्ल्यू पी आर एस में अवसाद निपटान अनुसंधान केन्द्र	0.05
21.	जल एवं विद्युत आपूर्ति में वृद्धि	0.05
22.	सी डब्ल्यू पी आर एस में स्टाफ-कालोनी चरण-3	0.30
23.	सी डब्ल्यू पी आर एस द्वारा आर एस तकनीकों, अपतटीय आंकड़ा, भू-विज्ञान प्रयोगशाला इत्यादि के लिए स्कीम	4.00
24.	सी डब्ल्यू पी आर एस में सूचना तथा प्रौद्योगिकी का विकास	1.48
25.	सी डब्ल्यू पी आर एस में अनुसंधान सुविधाओं का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन	20.00
26.	सी डब्ल्यू पी आर एस द्वारा आधुनिक तकनीकों तथा प्रौद्योगिकी द्वारा नहर नियंत्रण में सुधार	1.00
27.	एन आई एच तथा इन्कोह को जारी रखना तथा मजबूत करना	15.00
28.	बाढ़ प्रबंधन तथा सूखा प्रवण क्षेत्र संबंधी अध्ययनों के लिए एन आई एच क्षेत्रीय केन्द्रों को चालू तथा मजबूत करना	10.00
29.	जल के अंतर्बेसिन हस्तांतरण की व्यवहार्यता अध्ययन	85.00
30.	भूजल सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा जांच	277.00
31.	केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण	5.00
32.	सी जी डब्ल्यू बी के लिए भूमि तथा भवन अधिग्रहण	20.00
33.	भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण	150.00
34.	राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	10.00
35.	भूजल एवं सतही जल का संयुक्त उपयोग	2.00
36.	सी जी डब्ल्यू बी की आर एंड डी स्कीम	2.00
37.	प्रमुख शहरों में भूजल संसाधनों तथा वर्षा जल संचयन का विकास	20.00
38.	सी ए डी क्षेत्र में आर एंड डी स्कीमें	5.00

1	2	3
39.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड को अनुदान सहायता	102.00
40.	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग	15.00
41.	पगलादिया बांध परियोजना	250.00
42.	बंगलादेश तथा पड़ोसी देशों की साझा नदियों पर संयुक्त प्रेक्षण	13.00
43.	कोसी उच्च बांध का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण	30.00
44.	कोसी एवं गंडक परियोजना के बाढ़ सुरक्षा कार्यों का रख-रखाव	35.00
45.	पंचेश्वर परियोजना	15.00
46.	असम में हरांग जल निकास स्कीम	20.00
47.	बिहार में लालबकिया, कमला, बागमती एवं खांडों नदियों के तटबंधों का विस्तार	60.00
48.	बिहार में मोकामा टाल क्षेत्र सहित भारत में जल विकास में सुधार	50.00
49.	असम में माजुली द्वीप, दिहंग परियोजना इत्यादि के लिए नई स्कीम	42.00
50.	ब्रह्मपुत्र तथा बराक बेसिन में एफ एफ एवं एच ओ नेटवर्क को मजबूत करना तथा आधुनिक बनाना	14.00
51.	भारत तथा नेपाल में बहने वाली साझी नदियों के बारे में बाढ़ पूर्वानुमान	3.00
52.	तीस्ता जल-विद्युत परियोजना, रंजीत एच ई परियोजना-2 तथा 4 और मानस-तीस्ता संपर्क के लिए अन्वेषण	9.00
53.	अंतर्वाह पूर्वानुमानों सहित भारत में बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क की स्थापना तथा आधुनिकीकरण	72.00
54.	सी डब्ल्यू सी के गैर-आवासीय/आवासीय/कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु स्कीम	25.00
55.	बाढ़ सुरक्षा, कटावरोधी, नदी नियंत्रण तथा विशेष मरम्मत संबंधी कार्यों सहित फरक्का बैराज परियोजना	150.00
56.	भारत में बांध सुरक्षा तथा पुनर्वास	8.00
57.	लघु सिंचाई आंकड़ों का युक्तिकरण	40.00
58.	कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन	1401.80
59.	बाढ़ प्रूफिंग कार्यक्रम	20.00
60.	गांगेय राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्य	192.00
61.	ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण	150.00
62.	तटीय तथा गंगा बेसिन राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्य	30.00
63.	जल विज्ञान परियोजना	21.32
	कुल	3600.00

संक्षेपण: ज.स.मं-जल संसाधन मंत्रालय, सी डब्ल्यू सी-केन्द्रीय जल आयोग, सी एस एम आर एस-केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, सी, डब्ल्यू पी आर एस-केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र, एन आई एच-राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, सी जी डब्ल्यू बी-केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, इनकोह-भारतीय राष्ट्रीय जल विज्ञान समिति।

[अनुवाद]

कृषि में फ्लाई ऐश का प्रयोग

993. **श्रीमती रेणूका चौधरी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ ने फसल पैदावार को बढ़ाने हेतु फ्लाई ऐश के प्रयोग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कृषि में फ्लाई ऐश के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। डा. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला ने कृषि महाविद्यालय, नागपुर में फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए फ्लाई ऐश के प्रयोग पर एक परीक्षण किया है।

(ख) 10 टन प्रति हैक्टेयर की दर से फ्लाई ऐश के साथ विशेषकर वर्टिसोल्स और इन्सेप्टीसोल्स मृदाओं में फसल उगाने के संबध में किए गए खेत परीक्षणों से पैदावार बढ़ने का पता चला है। उत्साहवर्धक परिणामों के आधार पर विश्वविद्यालय ने किसानों के खेतों पर लगभग 433 प्रदर्शन आयोजित किए हैं।

राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना

994. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:**
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:
कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य:
श्री राम प्रसाद सिंह:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय केन्द्रों सहित राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य सेवा संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संस्थान का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी;

(ग) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इस संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया क्या है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

वन्य जीवों का प्रजनन

995. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के पास अपने पशुओं एवं पक्षियों को उनके शरीर के अंग विशेष के लिए मारे जाने से बचाने के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार अन्य जीवों के प्रजनन तथा उनसे चिकित्सीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए निजी पार्टियों को अनुमति देने की संभावनाओं का पता लगा रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई विस्तृत रणनीति क्या है;

(ङ) क्या उत्तरांचल स्थित कस्तूरी मृग फार्म कोई परिणाम प्राप्त करने में असफल रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) रक्षित प्रजनन हेतु कस्तूरी मृग का चयन करने के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) वन्य जीवों और पक्षियों को अवैध शिकार व उनके अंगों और उत्पादों के अवैध व्यापार से उन्हें सुरक्षा प्रदान करना मुख्यतः राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। राज्य सरकारों ने इस प्रयोजनार्थ, प्रबंधन और सुरक्षा में दक्ष फील्ड स्तर के स्टाफ और अधिकारियों के साथ वन और वन्यजीव विभाग स्थापित किए हैं। इस संबंध में अन्य विभागों जैसे पुलिस, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, कस्टम इत्यादि विशिष्ट संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तिगत सहायता भी ली गई है। उल्लेख है कि वन्य जीवों और पक्षियों का प्राकृतिक पर्यावास केवल वनों और सुरक्षित क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। ऐसी कई प्रजातियां हैं जो मानवीय वासों में पायी गई हैं अतः पशुओं और पक्षियों की सभी प्रजातियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना कठिन है।

(ग) और (घ) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार, व्यक्तियों और अन्यों को रक्षित प्रजनन और जीवनरक्षोपाय औषधि बनाने के प्रयोजन हेतु सर्प विष प्राप्त करने के लिए अनुमति प्रदान की जा सकती है। वन्य जीवों के प्रजनन

तथा उनसे चिकित्सीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए इस समय निजी पार्टियों को अनुमति देने की कोई योजना नहीं है।

(ङ) और (च) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उत्तरांचल में कंछुला खर्क कस्तूरी मृग फार्म, पुनरुत्पत्ति, वैज्ञानिक अनुसंधान और कस्तूरी मृग पर अध्ययन की दृष्टि से सफल रहा है।

(छ) जैसा कि राज्य सरकार ने सूचित किया है, वैज्ञानिक अनुसंधान और जनगणना प्रबंधन हेतु कस्तूरी मृग का रक्षित प्रजनन शुरू किया गया है।

लोक नृत्य को बढ़ावा

996. श्री के.पी. सिंह देव: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में लोक नृत्य को बढ़ावा देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन हेतु विभिन्न राज्यों को दिया गया राज्यवार अनुदान कितना है; और

(ग) इन राज्यों के लोक-नृत्यों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों का एक प्रमुख उद्देश्य लोक/जनजातीय कला रूपों का संवर्धन करना भी है। इस प्रयोजनार्थ, भारत सरकार सभी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेड सी सी) को वार्षिक अनुदान प्रदान करती है। जेड सी सी के द्वारा ये निधियां विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों के साथ-साथ सांस्कृतिक परम्परा के संवर्धन के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। उक्त निधियां सीधे राज्यों को नहीं दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय लोक नृत्योत्सव आयोजित किया जाता है।

मंगलोर विमानपत्तन का विस्तार

997. श्री विनय कुमार सोराके: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाजपे (मंगलोर) विमानपत्तन की विस्तार परियोजना समय से काफी पीछे चल रही है जिससे लागत में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार पहले ही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अपेक्षित भूमि सौंप चुकी है और पहुंच मार्ग इत्यादि जैसे अवसंरचनात्मक विकास संबंधी कार्य पूरे हो चुके हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान परियोजना को पूरा करने हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) कर्नाटक राज्य सरकार ने पिछले महीने ही मंगलोर हवाईअड्डे पर नये रनवे के निर्माण तथा संबद्ध सुविधाओं के लिए अपेक्षित 186.33 एकड़ भूमि में से 176.87 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपी है। शेष भू-भाग अभी सौंपा जाना है।

(ग) और (घ) मंगलोर हवाई अड्डे की विस्तार परियोजना के लिए वार्षिक बजट 2003-2004 में 1.6 करोड़ रु. का सांकेतिक प्रावधान किया गया है। कार्य को पूरा करने के लिए संशोधित अनुमानों तथा 2004-05 के बजट में यथेष्ट निधि का प्रावधान किया जाएगा।

सहकारिता आन्दोलनों को सुदृढ़ बनाना

998. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में सहकारिता आन्दोलन को सुदृढ़ करने और सहकारी निकायों के समय पर चुनाव कराने को सुनिश्चित करने हेतु कोई कानून लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कानून के कब तक लाये जाने की संभावना है;

(ग) क्या कई राज्यों में सहकारी निकायों में चुनाव छः-सात वर्षों से नहीं हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त राज्यों का ब्यौरा क्या है और सहकारी निकायों के चुनावों को समय पर कराना सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, ''सहकारी समितियां'' राज्य का विषय हैं। सहकारी समितियों के चुनावों सहित उनके कार्यों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों ने अपने सहकारी समिति अधिनियम बना लिए हैं। केन्द्रीय सरकार का ऐसी समितियों पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। तथापि, अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम की परिधि में आने वाली सहकारी समितियों के चुनाव समय पर कराना सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 बनाया है।

इकाइयों के विनिवेश और बंदी के प्रभाव

999. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला:
श्री रामशकल:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक मंदी, विनिवेश और लघु औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के परिणामस्वरूप होने वाले मंद औद्योगिक विकास के कारण बेरोजगारी बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों के हितों की रक्षा करने हेतु और रोजगार सृजित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) रोजगार अवसर सृजित करने हेतु विनिवेश से अर्जित धनराशि में से कुछ का निवेश करना सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा वर्ष 1993-94 तथा 1999-2000 हेतु किए गए सर्वेक्षण परिणाम सामान्य स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार बेरोजगारी में आंशिक वृद्धि दर्शाते हैं। मुख्य रूप से वृद्धि श्रम बल में वृद्धि के अनुरूप अर्थव्यवस्था में रोजगार में वृद्धि न होने के कारण ही हुई।

(ख) 10वीं योजनावधि के दौरान 50 मिलियन रोजगार अवसर सृजित करने हेतु योजना आयोग के सदस्य, डा. एस.पी. गुप्ता की अध्यक्षता में एक विशेष दल गठित किया गया। विशेष दल की सिफारिशों पर 10वीं योजनावधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु विचार किया गया।

(ग) वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2001-2002 के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार विनिवेश से प्राप्त धनराशि का उपयोग मुख्य रूप से सामाजिक एवं अवसंरचना क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुन:संरचना सहायता प्रदान करने, कामगारों को सुरक्षा जाल देने, ऋण बोझ को घटाने तथा योजना हेतु अतिरिक्त बजटीय सहायता हेतु किया जाना है।

विदेशों में कार्यरत भारतीय कामगारों द्वारा धन प्रेषण

1000. श्री ज्योतिरादित्य मां. सिंधिया: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1992-2002 के दशक के दौरान पारंपरिक और अपारंपरिक देशों से भारतीय कामगारों द्वारा भेजे जाने वाले धन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो दशक के दौरान दर्ज ऐसे धन-प्रेषण का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और दर्ज वृद्धि दर वर्षवार क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में गिरावट का रुझान दिखाई दिया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी, हां। यद्यपि भारतीय कर्मकारों द्वारा विदेश से वर्ष 1992-93 में भेजी गई 8,124 करोड़ रुपए की धनराशि वर्ष 2001-02 में बढ़कर 57,821 करोड़ रुपये हो गई, लेकिन इसके क्षेत्रवार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) चूंकि इस प्रकार के क्षेत्रवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, अत: यह नहीं बताया जा सकता है कि हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कोई गिरावट आई है।

वन भूमि से वन की कटाई

1001. श्री चिंतामन वनगा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न परियोजनाओं हेतु वन भूमि से वन की कटाई का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वन भूमि से वन की कटाई से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्या का कोई आकलन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) केन्द्रीय सरकार विभिन्न विकास परियोजनाओं जैसे विद्युत, सिंचाई, सड़कों के निर्माण, रेलवे लाइनों, पेयजल आपूर्ति

आदि के लिए वन भूमि के वनेतर प्रयोग के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। वनेतर प्रयोजनों के लिए परिवर्तित वन भूमियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) स्थल निरीक्षण हमेशा किया जाता है और जहां आवश्यकता होती है वहां वन भूमियों को परिवर्तित करने से पहले विशेषज्ञों द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन भी कराया जाता है। केन्द्रीय सरकार वन क्षेत्र में हुई कमी के कारण उत्पन्न प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए हमेशा शर्तें निर्धारित करती है जैसे उचित प्रतिपूरक वनीकरण, सुरक्षा क्षेत्र का सृजन, पुनरुद्धार और अन्य ऐसे उपाय।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	परिवर्तित वन क्षेत्र हैक्टेयर में
1	2	3
1.	असम	5281
2.	अरुणाचल प्रदेश	3391
3.	आन्ध्र प्रदेश	21555
4.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	2227
5.	बिहार	5979
6.	चण्डीगढ़	लागू नहीं
7.	छत्तीसगढ़	15929
8.	दादर व नगर हवेली	168
9.	दमन व दीव	0
10.	दिल्ली	लागू नहीं
11.	गोवा	389
12.	गुजरात	52657
13.	हरियाणा	1582
14.	हिमाचल प्रदेश	4905
15.	झारखंड	*
16.	जम्मू और कश्मीर	1286
17.	कर्नाटक	34138
18.	केरल	30993
19.	मणिपुर	247
20.	मेघालय	356
21.	मध्य प्रदेश	228019
22.	मिजोरम	8528
23.	महाराष्ट्र	75872
24.	पंजाब	2577
25.	नागालैंड	0
26.	पांडिचेरी	लागू नहीं
27.	उड़ीसा	27233
28.	सिक्किम	623
29.	राजस्थान	12711
30.	तमिलनाडु	4160
31.	त्रिपुरा	2389
32.	पश्चिम बंगाल	9359
33.	उत्तर प्रदेश	6484
34.	उत्तरांचल	24249
35.	लक्षद्वीप	0
	कुल	583287

*झारखण्ड का क्षेत्र बिहार में शामिल है।

घग्गर नदी नियंत्रण बोर्ड

1002. श्री भान सिंह भौरा: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को घग्गर नदी नियंत्रण बोर्ड में किए गए विकास कार्यों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) संभवतः, माननीय सदस्य घग्गर स्थाई समिति का उल्लेख कर रहे हैं। जल संसाधन मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदान मांगों संबंधी कृषि संबंधी संसदीय स्थाई समिति ने सुझाव दिया था कि घग्गर बाढ़ नियंत्रण प्रणाली को शीघ्रता से शुरू करने में स्थानीय माननीय संसद सदस्यों तथा विधान सभा सदस्यों को घग्गर स्थाई समिति से जोड़ा जाना चाहिए। तदनुसार, घग्गर नदी बेसिन के संबंधित क्षेत्रों से माननीय संसद सदस्यों को 29.11.2002 को आयोजित घग्गर स्थाई समिति की पिछली (13वीं) बैठक में शामिल किया गया था। माननीय सदस्यों ने नदी प्रदूषण की समस्या से निपटने, तटबंधों के साथ वनरोपण करने और सामाजिक वानिकी के साथ-साथ घग्गर बेसिन की मास्टर योजना तैयार करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम का सुझाव दिया है।

एग्रीकल्चर क्रेडिट स्टेबीलाइजेशन फंड को सुदृढ़ करना

1003. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में "एग्रीकल्चर क्रेडिट स्टेबीलाइजेशन फंड" को सुदृढ़ बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों के दौरान राज्य कोपरेटिव बैंकों के उपयोग हेतु 'एग्रीकल्चर क्रेडिट स्टेबीलाइजेशन फंड' को केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत किया गया आबंटन और जारी वास्तविक धन कितना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) राज्य सहकारी बैंक स्तर पर अनुरक्षित कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष के सुदृढ़करण के लिए 75 प्रतिशत अनुदान और 25 प्रतिशत ऋण के अनुपात में राज्य सरकारों को कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष की स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जाती है ताकि कोष के इष्टतम स्तर में घाटे को कवर किया जा सके।

(ख) कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष के अन्तर्गत राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर धन निर्मुक्त किया जाता है। वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक के दौरान स्कीम के अन्तर्गत निर्मुक्त धन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस स्कीम को वर्ष 2000-01 से वृहत प्रबंधन प्रणाली में मिला दिया गया है। राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस स्कीम के अन्तर्गत अपनी कार्य योजना में इस घटक को शामिल करें।

विवरण

वर्ष 1997-98, 98-99 और 1999-2000 के दौरान कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष के अन्तर्गत राज्यों को प्रदत्त वित्तीय सहायता

क्र.सं.	राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	40.00	20.00	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-
3.	असम	-	-	-
4.	बिहार	-	-	36.50
5.	दिल्ली	-	-	-
6.	गोवा	-	-	-
7.	गुजरात	-	-	-
8.	हरियाणा	-	-	226.00
9.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-
10.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-
11.	कर्नाटक	-	60.00	-
12.	केरल	10.00	40.00	40.00
13.	मध्य प्रदेश	200.00	-	-
14.	महाराष्ट्र	-	-	-
15.	मणिपुर	-	10.00	-
16.	मेघालय	-	10.00	7.50
17.	मिजोरम	-	-	-
18.	नागालैंड	-	-	-
19.	उड़ीसा	-	-	-
20.	पंजाब	50.00	60.00	200.00
21.	राजस्थान	60.00	40.00	40.00
22.	सिक्किम	-	-	-
23.	तमिलनाडु	-	-	-
24.	त्रिपुरा	-	20.00	50.00

1	2	3	4	5
25.	उत्तर प्रदेश	40.00	60.00	100.00
26.	पश्चिम बंगाल	-	-	-
	कुल	400.00	500.00	700.00

इंडियन एयरलाइंस की वित्तीय स्थिति

1004. श्री के. येरननायडु: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2003-04 की पहली तिमाही में इंडियन एयरलाइंस को हुआ अनुमानित नुकसान कितना है; और

(घ) इसकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) वर्ष 1997-98 से 1999-2000, तीन वर्षों तक लगातार लाभ अर्जित करने के पश्चात इंडियन एयरलाइंस को मुख्य रूप से उनके नियंत्रण से परे के कारणों से वर्ष 2000-01 से हानि होनी आरंभ हो गई। हानि के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं:-

(1) वर्ष 2000 के दौरान दो बार विमानन टर्बाइन ईंधन की कीमतों में लगभग 50 प्रतिशत तक वृद्धि। मार्च 2003 में विमानन टर्बाइन ईंधन की कीमतें 25,200 प्रति कि.ली. के अपनी सर्वाधिक ऊंचाई पर पहुंच गई।

(2) अवतरण और दिक्चालन प्रभारों में वृद्धि होना।

(3) उड़ानों में स्काई मार्शलिंग, बोर्डिंग और लैडर बिन्दुओं आदि पर यात्रियों व सामान की सेकेंडरी फ्रिस्किंग के कारण सुरक्षा संबंधी व्ययों में वृद्धि होना।

(4) विमान अनुरक्षण व्यय में वृद्धि।

(5) कोलम्बो हवाई अड्डे पर जुलाई 2001 और उसके पश्चात् अमरीका में 11 सितम्बर, 2001 को आतंकवादी हमलों के पश्चात् बीमा प्रीमियमों में वृद्धि।

(ग) (अप्रैल-जून) की प्रथम तिमाही में कम्पनी को लगभग 44.65 करोड़ रुपए का घाटा हुआ।

(घ) इंडियन एयरलाइंस ने अपने वित्तीय निष्पादन को सुधारने के लिए समय-समय पर निरन्तर आधार पर विभिन्न कदम उठाए हैं तथा नीतियां तैयार की हैं। इस दिशा में उठाए गए कदमों में मुख्य हैं:-

(1) *बृहत बजटीय नियंत्रण प्रणाली:* जिसके माध्यम से निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में वास्तविक कार्यनिष्पादन की तुलना बजटीय अनुमानों से की जाती है, कमियों का विश्लेषण किया जाता है तथा निवारक कार्रवाई की जाती है।

(2) *लागत-लाभ विश्लेषण:* किसी प्रमुख परियोजना/निवेश करने से पहले यह विश्लेषण किया जाता है।

(3) *लागत नियंत्रण एवं मितव्ययिता उपाय:* समयोपरि भत्ते में नियंत्रण, नैमेतिक मजदूर ड्यूटी पर कर्मचारियों को लगाने में नियंत्रण, यात्रा, होटल, परिवहन तथा कर्मीदल से संबंधित अन्य व्ययों में कमी, विमान अनुरक्षण, भर्ती पर रोक बशर्ते कि परिचालनिक कारणों से आश्यक हो, ईंधन मॉनीटरिंग और टैंकरिंग, अलाभप्रद उड़ानों की समीक्षा वस्तु सूची प्रबंधन, जहां कहीं आर्थिक रूप से व्यवहारिक हो सेवाओं की आउट सोर्सिंग।

बंगलौर विमानपत्तन पर हवाई क्षेत्र की समस्या

1005. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: क्या **नागर बिमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन विभिन्न प्राधिकारियों के बीच हवाई क्षेत्र की व्यवस्था को लेकर समस्या का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एक घंटे में ज्यादा उड़ान संचालित करने में विमानपत्तन को समर्थ बनाने हेतु मामले को शीघ्र निपटाने के लिए विमानपत्तन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार ने एक कोर ग्रुप का गठन किया है जिसका काम प्रस्तावित बंगलौर अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, वर्तमान

एचएएल हवाई अड्डे तथा भारतीय वायु सेना के येलाहांका एयरबेस होरिजोंटल और वार्टिकल सीमाओं का आवंटन तथा विमान यातायात की संयुक्त स्टाफ के लिए उपस्करों के संबंध में समेकित एयर स्पेस प्रबंध प्रणाली सुझाना है। कोर ग्रुप से संबंधित संगठनों से परामर्श करके अपनी रिपोर्ट दे दी है।

कपास के बीजों का वितरण

1006. **श्री ए. वेंकटेश नायक:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, विशेषकर कर्नाटक के जनजातीय और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में किसानों को कितनी मात्रा में कपास के बीज वितरित किये गये हैं;

(ख) देश के विभिन्न हिस्सों में कितनी किस्म के कपास बीजों की खेती की जा रही है;

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान कर्नाटक में कपास का उत्पादन कितना है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा कपास उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कर्नाटक को दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता और प्रौद्योगिकी क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) कर्नाटक में जनजाति और अनुसूचित जाति के किसानों सहित किसानों को पिछले तीन वर्षों में वितरित किए गए कपास के प्रमाणित/गुणवत्ताप्रद बीजों की मात्रा नीचे दर्शायी गई है:-

वर्ष	मात्रा (क्विंटल)
2000-01	6383.00
2001-2002	6875.00
2002-2003	5731.00

(ख) देश के विभिन्न भागों में किस्मों/संकर किस्मों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1999-2000, 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान कर्नाटक में कपास का उत्पादन नीचे दर्शाया गया है:-

वर्ष	उत्पादन (प्रत्येक (170 कि.ग्रा. की हजार गांठें)
1999-2000	664.5
20002-01	855.2
2001-2002	721.0

(घ) भारत सरकार कर्नाटक सहित देश में कपास का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण और साथ ही बीज, स्प्रेयर्स, स्प्रिंकलरों, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, फेरोमोन ट्रैप्स और बायो एजेन्ट्स जैसे महत्वपूर्ण आदानों की आपूर्ति के माध्यम से प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए राज्यों को सहायता मुहैया कराई जाती है। प्रदर्शन व परीक्षण में कवर की गई तकनीकों में फल चक्रण, पोषक तत्व प्रबंधन, पौध संख्या का रख-रखाव, जैव-उर्वरक/जैव कृमिनाशियों का संवर्धन, स्प्रिंकलर तथा ड्रिप सिंचाई प्रणाली आदि शामिल हैं।

विवरण

खेतीगत संकर किस्मों/किस्मों के बीज (कपास)

संकर किस्में	किस्में	
1	2	
एएचएच-1	अमरीकन नेक्टरलैस	एल-604
सीएएचएच-8	अरविन्द	एल-डी-327
डीसीएच.32	अभादिता	एलडी-694
डीएचएच-11	एकेए-081	एलएच-1556
एच-10	एकेए-5	एलएच-900
एच-4	एकेए-8401	एलआरए-5166

1	2	
एच-6	एकेए-84635	एलआरके-5169 (अंजली)
एच-8	एकेए-4	मालझारी
जेकेएचवाई-1	एकेए-7	एमसीयू-5
जेकेएचवाई-2	बीकानेरी नेरमा	एमसीयू-7
एलएच-900	कॉटन-6669	एमसीयू-5वीटी
एलएच 144 (अजित)	धवल	एनए-1325
एमबीसीआरएच-104	डीएचवाई-286	नरसिंहा
एमबीसीआरएच-106	दिग्विजय	एनएच-452
एमबीसीआरएच-2	एफ-1054	पीए-255
एनबीएचबी-11	एफ-1378	पीए-183
एनएचएच-44	एफ-414	पीए-32
पीएचएच-316	एफ-505	पूसा-8-6
पीकेवीएचवाई-2	एफ-846	आरजी-18
पीकेवीएचवाई-3	एफ-1861	आरएस-810
पीकेवीएचवाई-5	एफ-1098	आरजी-8
सबिता	एफ-1156	आरएस-875
वारालक्ष्मी	गंगा अगेती	आरएसटी-9
एलडीएच-11	जी. कॉटन-13	एसवीपीआर-2
ओमशंकर	जी. कॉटन-21	सहाना
बी.टी.-कॉटन	जी. कॉटन-23	सुविन
एमईसीएच-12	एच-1098	सुप्रिया
एमईसीएच-162	एचडी-117	सुरभि
एमईसीएच-184	एच-777	ताप्ति
आरसीएच-2	एच-974	वी-797
वीआईसीएच-9	एचडी-107	विक्रम
वीआईसीएच-5	एचडी-123	विकास
आरसीएच-20	एचएचएच-81	वाई-1
अन्कुर-651	एचएस-6	
एनबीएचबी-11	आई-974	
काशीनाथ (एनएफएचबी-109)	जेकेसीएच-444	
अन्कुर-09	जेकेसीएच-666	

1	2
महाबीज-101	जेकेसीएच-9
बन्नी (एनसीएचएच-145)	जेकेसीएच-99
स्वदेशी-1 (एडीसीएच-1)	के-2
एनसीएस-207 (मलिका)	के-10
ब्रह्मा	खंडवा-2

[हिन्दी]

साइबेरियाई सारस

1007. **डा. बलिराम:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** 24 फरवरी, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 867 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्थित 989 बीघा तालाब, जहां प्रतिवर्ष नवम्बर से फरवरी/मार्च के महीने में साईबेरियाई सारस आते हैं, के विकास हेतु राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार इस तालाब के सर्वेक्षण और विकास हेतु राज्य सरकार को दिशा-निर्देश जारी करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्थित 989 बीघा जलाशय को वन्यजीव अभयारण्य या एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित किए जाने के संबंध में राज्य वन विभाग द्वारा कोई सहायता नहीं मांगी गई है। इसके अतिरिक्त, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि इस क्षेत्र के लिए राज्य सरकार की स्कीमों के तहत वन विभाग के माध्यम से कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों को पर्याप्त पारिस्थितिकीय, प्राणिजातिय, वनस्पति जातीय, भू-आकृतिकीय, प्राकृतिक या प्राणि विज्ञान के महत्व वाले क्षेत्र में वन्यजीवों या इनके पर्यावरण की सुरक्षा, इनको बढ़ावा देने या विकास करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य घोषत करने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत पूर्ण शाक्तियां दी गई हैं। अत: इस संबंध में अलग से किसी दिशानिर्देश की आवश्यकता नहीं है।

उत्तर प्रदेश में फलों का उत्पादन

1008. **श्रीमती रीना चौधरी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में फलों के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान फलों का कितनी मात्रा में आयात और निर्यात किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान फलों के उत्पादन से संबंधित उपलब्ध सूचना इस प्रकार है:-

वर्ष	उत्पादन (000' मी. टन)
1998-99	3097.8
1999-00	3210.5
2000-01	2713.0

उपर्युक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में फलों के उत्पादन में मिश्रित प्रवृत्ति रही है।

(ख) सरकार कृषि में वृहत प्रबंधन संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य के प्रयासों में सहायता/समर्थन के तहत फलों के विकास के लिए समर्थन मुहैया करा रही

है। इसके अंतर्गत, राज्य सरकारों को अपनी जरूरतों व प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यक्रम चलाने की स्वतंत्रता दी गई है।

(ग) आयातित तथा निर्यातित फलों के मूल्य संबंधी उपलब्ध सूचना इस प्रकार है:-

(मूल्य करोड़ रुपये में)

वर्ष	ताजे फलों व गिरियों का आयात	ताजे फलों का निर्यात
2000-01	797.76	386.38
2001-02	756.77	417.15
2002-03	610.36	432.03

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में किसानों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति

1009. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों में किसानों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार कोई सर्वेक्षण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों में किसानों की आर्थिक दशा में कोई गिरावट नहीं आई है। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि बाढ़ प्रभावित जिलों में किसानों की आर्थिक दशा में और सुधार करने के लिए विभिन्न नदियों पर मार्च, 2003 तक 1923 कि.मी. लंबे तटबंधों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त, जल आप्लावित क्षेत्रों में जल की निकासी के लिए 13,263 कि.मी. लंबी नालियों का भी निर्माण किया गया है।

(ग) और (घ) उपरोक्त (क) और (ख) में दी गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आगे यह सूचना दी है कि किसी प्रकार के सर्वेक्षण कराने का प्रश्न नहीं उठता।

जैव विविधता अधिनियम, 2002

1010. **श्री ए.सी. जोस:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैव विविधता अधिनियम, 2002 की खंड विशेष की, विशेषकर सहयोगपरक अनुसंधान परियोजनाओं के मुद्दों पर कई ओर से कड़ी आलोचना हुई है, जिससे जैव चोरी को बढ़ावा मिल सकता है और यह देशी किसानों को उनके संसाधनों से अलग-थलग कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने पारंपरिक ज्ञान स्रोतों के प्रलेखन को बढ़ावा देने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) जी, नहीं। वास्तव में जैव विविधता अधिनियम जैव चोरी को रोकता है और जैव संसाधनों एवं उनसे संबंधित परम्परागत ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों की समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करता है।

(ग) से (ङ) जैव विविधता अधिनियम की धारा 41 में ऐसे स्थानीय निकायों द्वारा जैव विविधता प्रबंध समितियों के गठन की व्यवस्था है जिनके कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ जैव विविधता से संबंधित प्रलेखन और जैव विविधता से संबंधित ज्ञान का अभिलेखन शामिल है। राष्ट्रीय विज्ञान, संचार एवं सूचना संसाधन संस्थान ने परम्परागत ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय विकसित किया है जो आयुर्वेदिक विषयों की वर्तमान सूचना को पांच अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं में तैयार करता है। परम्परागत ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय आयुर्वेद की संहिताबद्ध परम्परागत ज्ञान की जैव चोरी को रोकने में पटेंट परीक्षकों के लिए सहायक होगी।

[हिन्दी]

कर्मचारी भविष्य निधि निवेश के आकलन हेतु परामर्शदाता

1011. **श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने उनके निवेश की मात्रा का आकलन करने हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो परामर्शदाता को यह कार्य कब तक सौंपा जाएगा;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता से संपर्क किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि विकास हेतु कार्यक्रम

1012. **श्री खगेन दास**: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि के सर्वांगीण विकास हेतु कोई योजना और कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं और कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) उत्तर-पूर्वी राज्यों में कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु प्रमुख क्रियान्वयनाधीन स्कीमों की सूची निम्नवत् है:

(1) वृहत् प्रबन्धन स्कीम।

(2) खेत पर जल प्रबंधन।

(3) सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों में बागवानी विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन।

(4) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ.पी.पी.)।

(5) त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (ए.एम.डी.पी.)

(6) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एन.पी.डी.पी.)

(7) कृषि क्लिनिक एवं कृषि व्यवस्था केन्द्र स्कीम।

(8) सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण।

कोलम्बो-तिरूवनंतपुरम के बीच उड़ानें

1013. **श्री वी.एस. शिवकुमार**: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीलंकाई एयरलाइंस ने हाल में कोलम्बो-मालदीव-कोचीन और वापसी उड़ानों के संचालन का अधिकार प्राप्त करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या सरकार का विचार तिरूवनंतपुरम विमानपत्तन से उड़ान संपर्क स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त सेवाओं को मंजूरी देने में हुए विलंब के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) भारत और श्रीलंका के बीच मौजूदा विमान सेवा करार के अनुसार, श्रीलंकन एयरलाइंस एअर इंडिया के साथ वाणिज्यिक करार के मुताबिक माले के लिए/वहां से ट्रैफिक उठाने/छोड़ने के अधिकारों सहित कोचीन के लिए प्रति सप्ताह 3 आवृत्तियां/450 सीटों की विमान सेवा प्रचालित कर सकती है।

(ख) और (ग) श्रीलंकन एयरलाइंस इस समय कोलम्बो और तिरूवनंतपुरम के बीच प्रति सप्ताह 7 सेवाएं प्रचालित कर रही है। कोलम्बो और माले के बीच श्रीलंकन एयरलाइंस की उड़ानों को तिरूवनंतपुरम से जोड़े जाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुवाहाटी में एटीआर केन्द्र

1014. **श्री पी.आर. किन्डिया**: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन मंत्रालय का विचार एटीआर केन्द्र को कोलकाता से हटाकर गुवाहाटी स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो एटीआर केन्द्र को कब तक गुवाहाटी ले जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो एटीआर केन्द्र को गुवाहाटी नहीं ले जाने के क्या कारण हैं जबकि एटीआर सेवाएं विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ही हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) एटीआर हब के रूप में गुवाहाटी का प्रयोग, इस स्थान पर अपेक्षित आधारिक संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के सृजन पर निर्भर करेगा। तथापि, एलाइंस एयर का अक्तूबर, 2003 के बाद, गुवाहाटी में एक एटीआर विमान के रात्रि ठहराव का प्रस्ताव है। ऐसा किए जाने से एलाइंस एयर अंत: क्षेत्रीय विमान सेवा सम्पर्क तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा शेष भारत के बीच विमान सेवा संपर्क में वृद्धि कर पाने में सक्षम हो सकेगी।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए संभावनाएं

1015. **श्री अकबर अली खांदोकर:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा राज्यों की संभावनाओं का आकलन करने तथा क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इनकी संभावनाओं के मद्देनजर पश्चिम बंगाल सहित राज्यों को नए कार्यक्रम/योजनाएं प्रदान करने पर विचार करेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में खाद्य प्रसंस्करण की संभावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं कराया है। वैसे मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल समेत सभी राज्यों को ऐसा अध्ययन कराने के लिए लिखा है।

(ङ) और (च) मंत्रालय बुनियादी सुविधा विकास, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण, अनुसंधान एवं विकास, जनशक्ति विकास आदि जैसी स्कीमों हेतु सहायता प्रदान करता है। ऐसी सहायता राज्य सरकार के जरिए समय-समय पर प्राप्त तकनीकी-आर्थिक तौर पर व्यवहार्य स्कीमों को दी जाती है और ये स्कीमें इस मंत्रालय के मामकों के अनुरूप होती हैं।

पर्यटन विकास के लिए प्रस्ताव

1016. **श्री प्रकाश वी. पाटील:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान लम्बित/विचाराधीन/अस्वीकृत किए गए प्रस्ताव कितने हैं; और

(ग) सभी प्रस्तावों को स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) पर्यटन परियोजनाएं, प्रत्येक वर्ष, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सलाह करके अभिनिर्धारित की जाती हैं तथा मेरिट के आधार पर मंजूर की जाती हैं, बशर्ते कि धन की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकता हो। प्राप्त प्रस्तावों और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ हुए परामर्शों के आधार पर, विगत तीन वर्षों के दौरान, पर्यटन के विकास एवं संवर्धन हेतु, विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 784 पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। प्राप्त हुए परियोजना प्रस्तावों को, जिन्हें पिछले वर्ष मंजूर नहीं किया गया, राज्य सरकारों से परामर्श की शर्त पर नए वित्तीय वर्ष में हाथ में ले लिया गया है।

इन्दौर हवाई अड्डे का विस्तार

1017. **श्री वीरेन्द्र कुमार:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन्दौर हवाई अड्डे के विस्तार तथा विकास के लिए भू-अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है; और

(ग) हवाई अड्डे के विकास और विस्तार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने रनवे तथा सम्बद्ध कार्यों के विस्तार के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार से 150 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने अब अपेक्षित भूमि का आकार कम करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनुरोध किया है जिसकी इस समय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अपेक्षित भूमि मिल जाने, अधिसूचित एअरलाइनों द्वारा अपनी उड़ानें प्रचालित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से दृढ़ वचनबद्धता जाहिर करने तथा परियोजना को सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद ही हवाई अड्डा योजना के विकास तथा विस्तार के कार्य को अंतिम रूप दिया जायेगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की क्षमता का विस्तार

1018. श्रीमती प्रभा राव:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी तथा सरकारी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में इस्पात क्षमता को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की इस्पात क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई योजना बनायी गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका अनुमानित व्यय कितना है;

(घ) इसके कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ङ) प्रत्येक संयंत्र की वर्तमान क्षमता कितनी है; और

(च) गत दो वर्षों के दौरान इसका कितना उपयोग किया जा रहा है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) फिलहाल, सरकार की सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की क्षमता को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। कतिपय स्थान-स्थिति संबंधी प्रतिबंधों को छोड़कर निजी और सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की क्षमता को बढ़ाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उद्यमी अपने वाणिज्यिक निर्णयों के आधार पर अपनी इस्पात क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) मौजूदा विक्रेय इस्पात क्षमता और पिछले दो वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र इस्पात संयंत्रों में इसके उपयोग को नीचे दर्शाया गया है:-

इस्पात संयंत्र	मौजूदा क्षमता (हजार टन)	प्रतिशत क्षमता उपयोगिता	
		2001-02	2002-03
भिलाई इस्पात संयंत्र	3153	107	115
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	1586	96	100
राउरकेला इस्पात संयंत्र	1671	81	91
बोकारो इस्पात संयंत्र	3780	85	89
मिश्र इस्पात संयंत्र	184	46	54
सेलम इस्पात संयंत्र	175	36	47
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट	77	113	109
इस्को, बर्नपुर	*	102	82
विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र	2656	104	115

*2001-02 और 2002-03 के दौरान इस्को की क्षमता क्रमशः 297,000 टन और 351,000 टन थी।

सफदरजंग हवाई अड्डे को बंद करना

1019. श्रीमती कांति सिंह:
श्री राम प्रसाद सिंह:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ब्रिटिश काल के दौरान बनाए गए वर्तमान सफदरजंग हवाई अड्डे को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो हवाई अड्डे की 200 एकड़ भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा;

(ग) क्या वर्तमान हवाई अड्डे के स्थान पर किसी वैकल्पिक हवाई अड्डे का प्रस्ताव है;

(घ) क्या असैनिकों को प्रशिक्षण देने वाला वर्तमान फ्लाईंग क्लब भी बंद कर दिया जाएगा जिससे दिल्ली में कोई भी फ्लाईंग क्लब नहीं बचेगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सुझाए गए विकल्प का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

स्कूली बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता

1020. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पर्यावरणीय शिक्षा अभी स्कूल पाठ्यक्रम का भाग नहीं बनी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) बच्चों को पर्यावरणीय जागरूकता के प्रति शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करने के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) पर्यावरणीय अवधारणा को सभी राज्यों के विद्यालयों के पाठ्यक्रमों/पाठ्य पुस्तकों में पहले ही शामिल किया जा चुका है। परन्तु पाठ्यक्रम में शामिल किए गए विषयों को सदृढ़ करने के प्रयोजन से सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से आठ राज्यों में प्रायोगिक परियोजना शुरू की है।

(ग) और (घ) स्कूली बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए, राष्ट्रीय हरित सेना की स्कीम के अन्तर्गत पारिक्लब पूरे देश में स्थापित किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य-वार जारी धनराशियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

स्कूली बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता सृजित करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार जारी धनराशियों का ब्यौरा

राज्य	जारी धनराशि रुपयों में
1	2
आन्ध्र प्रदेश	64,68,529
अण्डमान एवं निकोबार	1,08,300
अरुणाचल प्रदेश	12,61,770
असम	33,83,237
बिहार	36,03,360
चण्डीगढ़	1,47,504
छत्तीसगढ़	24,06,193
दादरा एवं नगर हवेली	90,480
दमन एवं दीव	40,920
दिल्ली	16,12,300
गोवा	3,05,008
गुजरात	77,27,410
हरियाणा	47,90,300
हिमाचल प्रदेश	30,25,890
जम्मू एवं कश्मीर	12,61,770
झारखंड	18,92,160
कर्नाटक	39,67,213
केरल	35,29,235
लक्षद्वीप	22,701
मध्य प्रदेश	1,13,43,969
महाराष्ट्र	48,54,110
मणिपुर	810,360
मेघालय	811,350
मिजोरम	7,20,870
नागालैण्ड	7,20,870
उड़ीसा	75,62,646
पांडिचेरी	3,60,930
पंजाब	43,84,974
राजस्थान	28,83,480
तमिलनाडु	43,63,677

1	2
त्रिपुरा	3,59,940
सिक्किम	3,59,940
उत्तरांचल	19,12,355
उत्तर प्रदेश	63,05,880
पश्चिम बंगाल	28,52,545

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर तथा पश्चिमी बंगाल में मत्स्य पालन का विकास

1021. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू कश्मीर और पश्चिमी बंगाल में मत्स्य पालन के विकास हेतु कोई योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि जारी की गई; और

(घ) इन राज्यों में किए गए विकास कार्यों का जिलेवार-अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) ताजा जल जलकृषि का विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना मत्स्य कृषक विकास एजेंसियों (एफएफडीए) के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर और पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। क्षेत्रीय स्तर पर प्रचालित दो एफएफडीए के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर के सभी जिलों को कवर किया गया है। जबकि पश्चिम बंगाल के मामले में जिला स्तर प्रचालित 18 एफएफडीए के माध्यम से सभी जिलों को कवर किया गया है। एकीकृत तटवर्ती जलकृषि का विकास पर एक अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजना भी पश्चिम बंगाल सहित सभी तटवर्ती राज्यों में लागू की जा रही है। जहां 3 खारा जल मत्स्य कृषक विकास एजेंसियां (बीएफडीए) चल रही हैं। दोनों योजनाओं के तहत एजेंसियां मत्स्य किसानों को तकनीकी, वित्तीय और विस्तार सहायता का पैकेज उपलब्ध कराती हैं। लाभार्थियों को उक्त योजना के तहत बहुत से विकासात्मक गतिविधियों के लिए राज्यों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में मात्स्यिकी और जलकृषि के विकास पर एक पायलट योजना वर्ष 2001-02 के दौरान जम्मू कश्मीर राज्य के लिए स्वीकृत की गई थी।

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों को उक्त योजनाओं के तहत केन्द्रीय हिस्से के रूप में क्रमशः 1.12 करोड़ रुपये और 8.08 करोड़ रुपये दिए गये थे।

(घ) संलग्न विवरण I और II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।

विवरण I

पश्चिम बंगाल—विगत दो वर्षों के दौरान (2001-2003) किए गए जिलावार कार्य—ताजा जल जलकृषि का विकास

क्र.सं.	जिले का नाम	मत्य पालन के तहत लाया गया जल क्षेत्र (है.)
1	2	3
1.	बर्दवान	368.0
2.	हुगली	333.5
3.	हावड़ा	235.0+ 53यू. सजावटी*
4.	24 परगना (द.)	458.7+ 13यू. सजावटी*
5.	24 परगना (उ.)	578.6+ 5यू. सजावटी*
6.	नाडिया	267.0
7.	मुर्शिदाबाद	261.3
8.	माल्दा	80.4
9.	बीरभूम	335.0
10.	उ. दीनाजपुर	121.3
11.	द. दीनाजपुर	110.6

1	2	3
12.	सिलीगुड़ी उपखंड	11.0
13.	जलपाइगुड़ी	149.6
14.	दार्जिलिंग	314यू. झोरा**
15.	कूच बिहार	65.0
16.	मिदनापुर	739.1
17.	बनकुरा	193.1
18.	पुरुलिया	128.8
	कुल	4436.0 +68यू. सजावटी +314 यू. झोरा

*यूनिट सजावटी मछली
**यूनिट झोरा मछली

एकीकृत तटवर्ती जलकृषि का विकास

क्र.सं.	जिले का नाम	मत्स्य पालन के तहत लाया गया जल क्षेत्र (है.)
1.	24 परगना (द.)	312.5
2.	24 परगना (उ.)	296.3
3.	मिदनापुर (पू.)	254.4
	कुल	863.2

विवरण II

जम्मू एवं कश्मीर—विगत दो वर्षों के दौरान (2001-2003) किए गए जिलावार कार्य—मात्स्यिकी और जलकृषि विकास पर पायलट योजना

जिले का नाम	कार्यों का मद
1	2
अनन्तनाग	कोकरनाग ट्राउट फार्म में एक प्रयोगशाला और अनन्तनाग जिले में एक ट्राउट ईकाई स्थापित की गई है।
श्रीनगर	हारवान में एक आहार मिल और श्रीनगर जिले में एक ट्राउट ईकाई स्थापित की गई है।
बारामुल्ला	शोकबाबा में एक आहार मिल और बारामुल्ला जिले में एक ट्राउट ईकाई स्थापित की गई है।
कुपवाड़ा	कुपवाड़ा जिले में एक ट्राउट ईकाई स्थापित की गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

1022. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नारियल, सुपारी, रबर, इलायची, चाय और कॉफी जैसी फसलों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल करने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि केरल सरकार द्वारा सिफारिश की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी नही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फसलों के पिछले उपज आंकड़े पर्याप्त रूप में उपलब्ध न होने के कारण तथा फसलों की मल्टी-पिंकिंग प्रकृति के कारण उपज का आकलन करने में होने वाली कठिनाई की वजह से इन फसलों को कवर नहीं किया जाता है।

नमूरा बनधारा योजना

1023. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में ''नमूरा बनधारा योजना'' के प्रथम चरण के अन्तर्गत नदी घाटी में 100 बांधों (बैराज) का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कार्य कब तक पूर्ण होने की संभावना है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण सहित सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, वित्तपोषण के साथ-साथ प्राथमिकता निष्पादन, प्रचालन और रख-रखाव का उत्तरदायित्व मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का है। जैसा कि कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है, 'नमूरा बनधारा' स्कीम के अंतर्गत सभी नदियों/प्रमुख नालों पर निर्माण कराये जाने वाले बैराजों के स्थान एवं संख्या अभिज्ञात करने के लिए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् बैराजों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सी.बी.डब्ल्यू.ई. द्वारा श्रमिकों को प्रशिक्षण

1024. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेन्ट्रल बोर्ड फार वर्कर्स एजुकेशन (सी.बी.डब्ल्यू.ई.) श्रमिकों को ट्रेड यूनियनिज्म की तकनीकों का प्रशिक्षण देती है तथा श्रमिकों के बीच उनके अधिकारों, कर्त्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता लाने का काम करती है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का प्रशिक्षण देने के लिए क्या माड्यूल अपनाया गया है;

(ग) प्रशिक्षण शिविरों की संख्या कितनी है तथा गत दो वर्षों के दौरान ये कहां-कहां आयोजित किए गए और इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने वाले विभिन्न ट्रेड यूनियनों के श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या इस प्रकार के प्रशिक्षण से ट्रेड यूनियनों को संगठन के सामान्य कार्यकरण को बाधित किए बिना अपना गतिविधियां चलाने में सहायता मिलती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी हां। प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपनाए गए माड्यूल्स में उत्पादकता, शिक्षा, श्रम अर्थशास्त्र सामाजिक सुरक्षा, अनौपचारिक श्रम पंजीकरण, बदलते वैश्विक परिदृश्य में कामगारों की भूमिका इत्यादि जैसे विषय शामिल किए गए हैं।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान अर्थात् अप्रैल 2001 से मार्च 2002 और अप्रैल 2002 से मार्च, 2003 तक केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड ने संगठित क्षेत्र में केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों और परिसंघों जैसे बी एम एस, इंटक, एटक, एच एम एस, एच एम के पी, यूटक, सीटू इत्यादि और उनसे सम्बद्ध संस्थाओं के 1,81,732 कामगारों के लाभ के लिए 7101 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ये प्रशिक्षण कार्यक्रम बोर्ड के मुम्बई स्थित भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान नामक एक उच्च प्रशिक्षण संस्थान और देश भर में फैले 49 क्षेत्रीय निदेशालयों के माध्यम से आयोजित किए गए। इसके अलावा असंगठित/ग्रामीण क्षेत्र के 3,38,485 कामगारों के लिए भी 8684 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(घ) और (ङ) जी हां। 1996 में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण से पड़ने वाले प्रभाव संबंधी अध्ययन से पता चलता है कि केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से कामगारों को अपने संबंधित श्रमिक संघों में प्रभावी ढंग से भागीदारी करने में मदद मिली है। कामगारों और उनके संघों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, कामगार शिक्षा योजना से कामगारों को श्रमिक संघ के कार्यचालन से जुड़े दैनिक कार्यकलापों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में संघ के सदस्य और पदाधिकारी दोनों के रूप में विकास करने में मदद मिली है।

कम्प्यूटर कचरे (ई-वेस्ट) का आयात

1025. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पुराने कम्प्यूटर के नाम से देश में आयातित बड़ी मात्रा में कम्प्यूटर कचरे को पुनर्चक्रित किया जा रहा है जिससे लोगों को गम्भीर स्वास्थ्य संबंधी खतरा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में कम्प्यूटर कचरे के पुन: प्रसंस्करण के लिए कोई दिशानिर्देश हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में कम्प्यूटर कचरे (ई-वेस्ट) के निपटान के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु क्या नए कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (घ) आयात-निर्यात नीति 2002-2007 के पैरा 2.17 के अनुसार, इस्तेमाल हुए सामान का आयात प्रतिबंधित है और केवल महानिदेशक विदेश व्यापार की अनुमति से ही आयात किया जा सकता है। 2003 में यथा संशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम 1989 की अनुसूची-3 की सूची-क और सूची-ख में इलैक्ट्रोनिक अपशिष्ट भी शामिल हैं। इस अपशिष्ट के आयात के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की विशेष अनुमति लेना आवश्यक है। मंत्रालय द्वारा आज तक किसी प्राधिकारी अथवा व्यक्ति को कोई अनुमति नहीं दी गई है।

(ङ) पर्यावरणीय दृष्टि से ठोस तरीके से इलैक्ट्रोनिक अपशिष्टों को पुनः संशोधित करने के अन्तर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देश हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इनका अध्ययन करने और अन्य बातों के साथ देश में पैदा हुए इलैक्ट्रोनिक अपशिष्ट के कम्पोजीशन को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त दिशार्निदेश तैयार करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. कर्मचारी

1026. श्री बालकृष्ण चौहान: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में कार्यरत समूह 'क' 'ख' 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों की समूहवार संख्या क्या है; और

(ख) कुल कर्मचारियों में से अ.प.व./अ.जा. और अ.ज.जा. के कर्मचारियों की श्रेणी-वार अलग-अलग संख्या कितनी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

असम में दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र

1027 श्री एम.के. सुब्बा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने राज्य में डेयरी उद्योग के प्रोत्साहन हेतु असम में दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा परीक्षण की गई एक परियोजना 1998 में भेजी थी;

(ख) यदि हां, तो असम में दुग्ध उत्पादन की अनुमानित मात्रा कितनी है और वहां दुग्ध की प्रतिदिन खपत कितनी है;

(ग) प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध अतिरिक्त दुग्ध का ब्यौरा क्या है;

(घ) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ङ) इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी केन्द्रीय सहायता और आईडीबीई सहायता मांगी गई है; और

(च) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

असंगठित श्रम क्षेत्र हेतु केन्द्रीय कोष

1028. श्री जी. गंगा रेड्डी: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेंशन सहित असंगठित श्रम क्षेत्र कल्याण हेतु केन्द्रीय कोष में 1,000 करोड़ रु. प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कोष में राज्य सरकारों को भी अंशदान करना अपेक्षित है; और

(घ) यदि हां, तो इस कोष में केन्द्र तथा राज्य के अंशदान का अनुपात क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आम का उत्पादन

1029. श्री आदि शंकर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 2003 से तथा आज की स्थिति के अनुसार गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में आम का कुल कितना उत्पादन किया गया और उसकी कीमत कितनी है; और

(ख) वर्ष 2003-2004 के दौरान निर्धारित उत्पादन लक्ष्य क्या है और इसका अनुमानित मूल्य कितना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जनवरी 1, 2003 के उत्पादित आमों की मात्रा तथा आज की स्थिति के अनुसार इनके मूल्य संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) वर्ष 2003-2004 के दौरान आमों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों का रख-रखाव

1030. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सभी विमानपत्तनों के रख-रखाव के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जिम्मेदार है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विभिन्न विमानपत्तनों विशेषत: हैदराबाद में उच्च स्तरीय सुविधाओं का रख-रखाव करने में विफल रहा है;

(ग) क्या हैदराबाद विमानपत्तन पर जनसुविधाओं की कमी है;

(घ) यदि हां, तो क्या एएआई द्वारा विमानपत्तन प्रबंधन की कुशलता और मानकों का आकलन करने हेतु कोई प्रणाली विद्यमान है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन समस्याओं के निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने की प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। हैदराबाद हवाईअड्डे पर उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं को इस हवाईअड्डे का उपयोग कर रही यात्रियों की संख्या के लिए पर्याप्त समझा जाता है। तथापि, टर्मिनल भवनों पर यात्री सुविधाओं को सुधारने की दृष्टि से इस हवाईअड्डे पर कुछ खास सुधार किये जा रहे हैं। हवाईअड्डे की क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ विशेष प्रचालनात्मक सुधार जैसे, रनवे का विस्तार व पुनर्सतहीकरण, एप्रन, शहरी साइड पर एक समानान्तर टैक्सी-ट्रेक तथा कैनोपी का निर्माण तथा टर्मिनल बिल्डिंग का सुधार आदि कार्य किए गए हैं।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देश के चुनिंदा हवाईअड्डों पर ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षणों के लिए एक बाहरी एजेंसी की सेवाएं ली हैं। उनसे प्राप्त जानकारी के आधार पर हवाईअड्डे पर उपलब्ध विभिन्न यात्री सुविधाओं में सुधार किये जा रहे हैं।

(च) हवाईअड्डों पर यात्री सुविधाओं का स्तरोन्नयन एवं सुधार एक सतत् प्रक्रिया है तथा इसे हवाईअड्डों की प्रचालनात्मक आवश्यकताओं व विस्तार योजनाओं, यातायात की अपेक्षाओं एवं ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षणों द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर पूरा किया जाता है।

बांस निर्भरता संबंधी सम्मेलन

1031. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2002-2003 के दौरान आंध्र प्रदेश में हुए बांस निर्भरता संबंधी सम्मेलन में कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार बांस पर निर्भर लोगों की सहायता के लिए पूरी तरह सक्रिय है;

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में इस वर्ग की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) मंत्रालय को 2002-03 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में हुई बांस निर्भरता संबंधी सम्मेलन की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जी, हां। मंत्रालय ने बांस-उत्पादन कर रहे राज्यों के प्रधान मुख्य वन संरक्षकों की बैठक आयोजित करने के बाद, गरीबी उन्मूलन और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने के एक उद्देश्य से, आन्ध्र प्रदेश के प्रस्ताव सहित, बीस प्रस्ताव, राष्ट्रीय बांस प्रौद्योगिकी और और व्यापार विकास मिशन के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु योजना आयोग को भेजे हैं। मंत्रालय यह भी सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय वनीकरण पारिविकास बोर्ड द्वारा वित्तपोषित वनीकरण परियोजनाओं में बांस एक रोपित प्रजाति है।

होटल टैरिफ में वृद्धि

1032. श्री सईदुज्जमा: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों के होटलों का अपना टैरिफ अक्तूबर से बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या इससे देशी तथा विदेशी दोनों पर्यटकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार होटल टैरिफ का नियमन नहीं करता है। यह होटलों द्वारा, बाजार की स्थिति एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अनुसार तय किया जाता है। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के होटलों की बात है, भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) ने बताया है कि उनका अक्तूबर 2003 से टैरिफ बढा़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सफदरजंग विमानपत्तन का उपयोग

1033. श्री राम मोहन गाड्डे: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन से सफदरजंग विमानपत्तन को एक प्रदर्शनी केन्द्र के लिए पट्टे पर देने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या एएआई ने इस विमानपत्तन के वैकल्पिक उपयोग सुझाने के लिए एक समिति गठित की है; और

(घ) यदि हां, तो इस समिति द्वारा दिए गए सुझाव/सिफारिशें क्या हैं और इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सफदरजंग हवाई अड्डे की भूमि का उपयोग कन्वेंशन सेंटर एवं एक्जिबीशन हाल के निर्माण के लिए किए जाने की संभावना के संबंध में कांफेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की ओर से एक प्रस्ताव मिला है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सफदरजंग हवाई अड्डा जो एक आपरेशनल हवाई अड्डा है के सफदरजंग हवाई अड्डा काम्पलेक्स को प्रदर्शनियों के आयोजनों के लिए पट्टे पर लिए जाने के संबंध में भी इंडियन ट्रेड प्रोमोशन आर्गनाइजेशन की ओर से भी अनुरोध-पत्र मिला है। तथापि, इसका उपयोग अति विशिष्ट व्यक्तियों के विमान के लिए प्रतिबंधित है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोयला खान दुर्घटनाओं के लिए आयोग

1034. श्री लक्ष्मण गिलुवा:
श्री रामटहल चौधरी:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं के बाद कितने आयोगों का गठन किया गया;

(ख) ऐसे प्रत्येक आयोग पर कितना व्यय किया गया;

(ग) कौन-कौन से आयोग निर्धारित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं;

(घ) इन आयोगों द्वारा अपनी रिपोर्टों में कितने अधिकारियों के नामों का उल्लेख किया गया है; और

(ङ) सरकार ने इन रिपोर्टों के आधार पर कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बागडिगी कोयला खान त्रासदी के पश्चात् खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत केवल एक जांच न्यायालय गठित किया गया था।

(ख) इस जांच न्यायालय पर लगभग 14.5 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गयी थी।

(ग) बागडिगी कोयला खदान दुर्घटना के जांच न्यायालय की रिपोर्ट समय पर प्राप्त हो गयी थी।

(घ) बागडिगी कोयला खदान दुर्घटना के जांच न्यायालय की रिपोर्ट में 11 अधिकारियों पर आरोप लगाए गए थे।

(ङ) रिपोर्ट के आधार पर आरोपित अधिकारियों के विरुद्ध अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

विदेशी पर्यटकों के लिए आगमन पर वीजा

1035. **श्री बी.के. पार्थसारथी:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव चीनी पर्यटकों के लिए उनके यहां आने के 24 घंटे के भीतर आगमन-पर-वीजा प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस विशेष छूट का उद्देश्य क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) चीनी पर्यटकों को आगमन-पर-वीजा प्रदान करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत शवदाहगृहों के लिए प्रदूषण रोधी उपकरण

1036. **श्री गुनीपाटी रामैया:**
श्री बी.के. पार्थसारथी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत शवदाहगृहों में प्रदूषण रोधी उपकरणों की स्थापना हेतु महानगरों के स्थानीय निकायों की सहायता करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत नदियों के प्रदूषण उपशमन के लिए स्थापित किए जा रहे विद्युत शवदाहगृहों को इस समय प्रदूषण रोधी उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं।

जल प्रबंधन नीति

1037. **श्री अजय सिंह चौटाला:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसी ऐसी जल प्रबंधन नीति को तैयार करने का है जिससे देश में बाढ़ की समस्या समाप्त हो जायेगी अथवा बाढ़ का प्रकोप कम हो जायेगा और सिंचाई की सुविधाओं में भी वृद्धि होगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) राष्ट्रीय जल नीति-2002 में बाढ़ के प्रभाव को कम करने तथा सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराने सहित देश के जल संसाधनों के एकीकृत विकास और प्रबंधन की योजना है। बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन के संबंध में राष्ट्रीय जल नीति (2002) में शामिल किए गए प्रावधान इस प्रकार हैं:

बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन:

"17.1 प्रत्येक बाढ़ प्रवण बेसिन के लिए बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन की मास्टर योजना होनी चाहिए।

17.2 बेहतर बाढ़ प्रबंधन को सरल बनाने के लिए जहां कहीं संभव हो जल भंडारण परियोजनाओं में पर्याप्त बाढ़ कुशन मुहैया कराये जाने चाहिए। अधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में, कुछ सिंचाई अथवा विद्युत लाभ लागतों का त्याग करके जलाशय विनियमन नीति में बाढ़ नियंत्रण पर अभिभावी रूप से विचार किया जाना चाहिए।

17.3 तटबंधों और बांधों जैसे वास्तविक बाढ़ सुरक्षा कार्यों को अनिवार्य रूप से जारी रखे जाते समय, बाढ़ हानियों को न्यूनतम करने तथा बाढ़ राहत संबंधी बार-बार होने वाले व्यय में कमी लाने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी, बाढ़ मैदान जोनिंग और बाढ़ रोधी जैसे गैर-संरचनात्मक उपायों पर व्यापक रूप से जोर दिया जाना चाहिए।

17.4 बाढ़ के कारण जान-माल की हानि को न्यूनतम करने के लिए बाढ़ रोधी सहित बाढ़ मैदान जोनों में निर्धारण और आर्थिक क्रियाकलाप का कड़ाई से विनियमन किया जाना चाहिए।

17.5 बाढ़ पूर्वानुमान क्रियाकलापों को आधुनिक, मूल्य वर्द्धित और अन्य शामिल न किए गए क्षेत्रों में विस्तार किया जाना चाहिए। प्रभावी विनियमन के लिए जलाशयों के अन्तर्वाह पूर्वानुमान की स्थापना की जानी चाहिए।"

सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के संबंध में राष्ट्रीय जल नीति-2002 में शामिल किए गए प्रावधान इस प्रकार हैं:

सिंचाई:

"9.1 सिंचाई की आयोजना या तो प्रत्येक परियोजना अथवा बेसिन में समग्र रूप से भूमि की सिंचाई, जल के

उपलब्ध सभी स्रोतों से सिंचाई लागत प्रभावी संभव विकल्पों और जल उपयोग कुशलता को अधिकम करते हुए उपयुक्त सिंचाई तकनीकों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। अधिकतम उत्पादन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, सिंचाई में इस सीमा तक वृद्धि की जानी चाहिए ताकि यथा संभव बड़ी संख्या में खेतिहर परिवार सिंचाई का लाभ प्राप्त कर सकें।

9.2 जल उपयोग और भूमि उपयोग नीतियों का घनिष्ठ तालमेल होना चाहिए।

9.3 सिंचाई प्रणाली में जल का आबंटन समानता और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। शीर्ष पहुंच और अंतिम सिरे के खेतों और बड़े तथा छोटे खेतों के बीच जल की उपलब्धता में असमानता को बारी-बारी से जल वितरण प्रणाली तथा निश्चित सीमा तक युक्ति संगत मूल्यनिर्धारत के अधीन मात्रात्मक आधार पर जल की आपूर्ति को अपनाकर दूर किया जाना चाहिए।

9.4 सृजित सिंचाई क्षमता का पूर्णरूपेण उपयोग सुनिश्चित करने के संयुक्त प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए, सभी सिंचाई परियोजनाओं में कमान क्षेत्र विकास दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

9.5 सिंचाई में स्वच्छ जल की सर्वाधिक खपत होने के कारण, जल की प्रति यूनिट की इष्टतम उत्पादकता प्राप्त किए जाने का प्रयास होना चाहिए। जहां कहीं संभव हो वैज्ञानिक जल प्रबंधन, खेत संबंधी कार्यकलापों और सिंचाई की स्प्रिंकलर और ड्रिप प्रणाली अपनाई जानी चाहिए।

9.6 वैज्ञानिक और लागत प्रभावी पद्धतियों द्वारा जल भराव/लवणता प्रभावित भूमि के सुधार को कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का एक भाग बनाया जाना चाहिए।''

सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ प्रबंधन उपायों और सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने सहित सभी जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण और क्रियान्वयन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

कृषि उत्पादों का निर्यात

1038. डा. एन. वेंकटस्वामी:
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और इसके अंतर्गत क्या उपलब्धियां प्राप्त की गयी हैं;

(ग) किसानों को उनकी कृषि उपज के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए दिए गए विभिन्न प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि संबंधी निर्यात से कुल कितनी आय प्राप्त की गयी और भारत से होने वाले कुल निर्यात में इसका कितना हिस्सा था?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ग) सरकार अवसंरचना विकास, आधुनिक पैकेजिंग एककों, गुणवत्ता में सुधार और गुणवत्ता नियंत्रण मण्डी विकास आदि के लिए जिन्स बोर्डों, प्राधिकरणों आदि जैसे अपने अभिकरणों के जरिए वित्तीय और अन्य सहायता के रूप में नाना प्रकार से प्रोत्साहन दे रही है ताकि भारत में कृषि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

(ख) कृषि निर्यात के लिए लक्ष्य विगत कार्य निष्पादन और भावी संभावनाओं के आधार पर अनुमान के रूप में है।

(घ) भारत में कृषि निर्यात (चाय, कहवा, समुद्री उत्पाद, कपास, जिसमें कचरा और कास्टर आयल शामिल है) से कुल निर्यात अर्जन और भारत से कुल निर्यात में इसका अंश निम्नलिखित है:-

वर्ष	निर्यात (मूल्य लाख रु. में)	कुल निर्यात में %अंश
2001-01	1677348.32	8.33
2001-02	1876287.51	8.98
2002-03	2118476.02	8.38

स्रोत: डी.जी.सी.आई. एण्ड एस.

[हिन्दी]

राजस्थान में गोवंश का संरक्षण

1039. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में गोवंश संतति की संख्या लगभग एक करोड़ तीस लाख है लेकिन गोवंश संतति का लगभग 25 प्रतिशत लगातार चौथे वर्ष सूखे के कारण मारा गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। 1997 की पशुधन गणना के अनुसार, राजस्थान में गोपशुओं की संख्या 1.21 करोड़ है। 1992-97 से वार्षिक वृद्धि दर 0.74 प्रतिशत है। 2003 के लिए प्रतिलक्षित गोपशु संख्या लगभग 1.27 करोड़ है। सूखे के कारण मरे गो संतति के संबंध में राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) भारत सरकार ने सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य की विभिन्न तरीकों से सहायता की है, यथा:-

(1) गोपशु देखभाल तथा गोशालाओं/गोपशु शिविरों में आहार के लिए एन सी सी एफ से 11.66 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे।

(2) राज्य को भारतीय खाद्य निगम से आबंटित 30,000 मी. टन गोपशु आहार ग्रेड क्षतिग्रस्त खाद्यान्न की गुणवत्ता परीक्षण आयोजित किया गया।

(3) रेल द्वारा चारे और पानी की मुफ्त ढुलाई को सुविधाजनक बनाया गया।

(4) पड़ोसी राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे अधिशेष चारा राजस्थान को उपलब्ध कराएं।

(5) सभी राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे चारे का औद्योगिक प्रयोजन के लिए इस्तेमाल न करें, भूसे को न जलाए तथा फसल कटाई के समय चारे को बेकार न जाने दें ताकि राजस्थान में प्रभावित गोपशुओं को अधिक चारा उपलब्ध हो सके।

(6) राज्य को उपयुक्त क्षेत्रों में हरा चारा उगाने तथा प्रभावित गोपशुओं को सप्लाई करने के लिए अतिरिक्त चारा बीज मिनिकिट उपलब्ध किए गए थे।

(7) राजस्थान सरकार को चारे की कीमतें विनियमित करने तथा राज्य के भीतर चारे की अनधिकृत जमाखोरी पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया था।

(8) माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिसम्बर, 2002 में की गई स्व-घोषणा के अनुसरण में गोपशुओं की देखभाल और आहार के लिए गोपशु शिविरों/गोशालाओं को एन सी सी एफ/पी एम आर एफ से सहायता उपलब्ध कराई गई थी।

[अनुवाद]

सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार

1040. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत दो वर्षों के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र में सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित कोई शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन समितियों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) सरकार ने महाराष्ट्र सहित देश में पिछले दो वर्षों में कुछ सहकारी समितियों के संबंध में शिकायतें प्राप्त की हैं। शिकायतों का ब्यौरा और की गई कार्रवाई निम्नवत् है:-

(1) बॉम्बे मर्कैटाइल कोआपरेटिव बैंक, मुम्बई धोखाधड़ी, अनियमितताओं और बैंक के कार्यकरण के कुप्रबंध के मामले के संबंध में।

बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत जांच करते हुए बैंक के प्रबंधन बोर्ड का अधिक्रमण किया गया। अन्य बातों के साथ-साथ उपचारात्मक उपाय करने के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति की गई है;

(2) मधेपुरा मर्कैटाइल कोआपरेटिव बैंक, अहमदाबाद नकदी की गंभीर समस्या तथा बैंक के कार्यकरण में कुप्रबंध के मसले के संबंध में।

बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत जांच करते हुए बैंक के प्रबंधन बोर्ड का अधिक्रमण किया गया। अन्य बातों के साथ-साथ उपचारात्मक उपाय करने के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति की गई है।

(3) केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली, टेंडर आमंत्रित करने में अनियमितताओं, क्रय में भ्रष्टाचार तथा तत्कालीन अध्यक्ष, केन्द्रीय भण्डार द्वारा टेलिफोन और स्टाफ कार के दुरूपयोग के संबंध में।

बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जांच से क्रय नीति और उपनियमों का कोई भी

उल्लंघन सामने नहीं आया है तथा साथ ही स्टॉफ कार के उपयोग में कोई अनियमितता उजागर नहीं हुई है।

(4) प्रादेशिक कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश, सहकारी समितियों के बदले निजी व्यापारियों से दूध की खरीद, प्रबंध निदेशक और दुग्ध आयुक्त के प्रभार के सचिव और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ केन्द्रीकरण के संबंध में, जिसके कारण दुग्ध फेडरेशन और संघों को भारी नुकसान हुआ, प्रादेशिक कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन के कुछ कर्मचारियों द्वारा भी और दूध के पाउडर की अप्राधिकृत बिक्री तथा प्रादेशिक कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन में अन्य कुप्रबंध।

शिकायत टिप्पणी के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को भेज दी गई है।

कावेरी निगरानी समिति (सी.एम.सी.) द्वारा उपसमिति का गठन

1041. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कावेरी निगरानी समिति (सी.एम.सी.) ने बेसिन राज्यों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की एक उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समिति द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) 9 जून, 2003 को नई दिल्ली में आयोजित कावेरी नदी प्राधिकरण के अंतर्गत निगरानी समिति की 17वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में आयुक्त (परियोजना), जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में 11 जून, 2003 को तकनीकी विशेषज्ञों का उप-दल गठित किया गया जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के तकनीकी प्रतिनिधि इसके सदस्य थे। तकनीकी समिति के इस उप-दल द्वारा राज्यों के तकनीकी प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार किया जाना तथा इसके आधार पर कावेरी नदी प्राधिकरण की निगरानी समिति द्वारा विचार करने तथा उसे अपनाने के वास्ते अपने गठन के चार सप्ताह के भीतर डिस्ट्रेस शेयरिंग तरीके/तरीकों का सुझाव देना अपेक्षित था। तकनीकी विशेषज्ञों के उप-दल ने दो बैठकें की। दिनांक 07.07.2003 को नई दिल्ली में आयोजित दूसरी बैठक में, कर्नाटक के तकनीकी प्रतिनिधि ने जल की कमी के दौरान कावेरी नदी के जल के बंटवारे के संबंध में एक प्रस्ताव परिचालित किया। इस उप-दल के अध्यक्ष का विचार था कि चूंकि प्रस्ताव काफी विस्तार में है, इसलिए अन्य पक्षकार राज्यों के साथ-साथ केन्द्रीय जल आयोग द्वारा भी इसकी विस्तृत जांच की ज़ाने की जरूरत है, अतः उन्होंने अनुरोध किया कि तकनीकी प्रतिनिधि अपने विस्तृत विचार एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें। तमिलनाडु राज्य की टिप्पणियां दिनांक 21.07.2003 को प्राप्त हो गई हैं। अन्य राज्यों से अभी टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

दलहन उत्पादन

1042. **श्री शिवाजी माने:**

डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दालों का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान दलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए हैं और इन दो वर्षों में दलहन उत्पादन में कितनी वृद्धि दर्ज की गयी; और

(घ) देश में दलहन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कौन-कौन सी योजना चलायी जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। देश में दालों का उत्पादन आवश्यकता से कम है इसलिए मांग व आपूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए दालों का आयात किया जा रहा है।

(ग) देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, दालों को तिलहन एवं दलहन प्रौद्योगिकी मिशन के दायरे में लाया गया था। दलहन विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पिछले दो वर्षों में निम्नलिखित राशि मुहैया कराई गई है।

वर्ष	राशि (लाख रु. में)
2001-02	3778.00
2002-03	3100.00

पिछले दो वर्षों में दालों का उत्पादन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

वर्ष	उत्पादन (लाख मीटरी टन में)
2001-02	131.91
2002-03	113.10 (अनुमानित)

(घ) देश में दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के तहत बीज उत्पादन एवं वितरण, बीज मिनीकिटों, उन्नत कृषि उपकरणों के उत्पादन व वितरण, रिजोबियम कल्चर, सूक्ष्म पोषक तत्वों, समेकित कृमि प्रबंध तथा स्प्रिंकलर सेटों, जिप्सम, न्यूक्लियर पोलिहेड्रोसिस वाइरस (एन पी वी) आदि के वितरण जैसे महत्वपूर्ण आदानों के लिए सहायता मुहैया कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी अंतरण हेतु किसानों के खेतों पर फ्रंटलाइन तथा ब्लाक प्रदर्शन भी आयोजित किए जाते है।

जल संकट

1043. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कई राज्यों से ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उनकी झीलें और कुएं सूख चुके हैं और शहरों को पानी की आपूर्ति की मजबूरन राशनिंग करनी पड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र भूजल प्राधिकरण ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा किए गए प्रेक्षणों के अनुसार आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, झारखण्ड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के कुछ स्थलों के भू जल स्तरों में महत्वपूर्ण गिरावट पाई गई है। ऐसे कुछ क्षेत्रों में, हैंड पंप और नलकूप निष्क्रिय हो गए हैं।

(घ) जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों के संवर्धन स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और उनके क्रियान्वयन का उत्तरादायित्व मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का होता है। केन्द्र सरकार ने देश में भू जल संसाधनों के संवर्धन के लिए निम्नलिखित उपाय प्रारंभ किए हैं:-

(1) देश में भू-जल पुनर्भरण अध्ययन संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का क्रियान्वयन करना।

(2) दसवीं योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए 175 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 'भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन' संबंधी एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम तैयार करना।

(3) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैनुअल/दिशा-निर्देश परिचालित करना ताकि वे भू जल स्तरों में गिरावट के रूख को रोकने के लिए क्षेत्र विशेष कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(4) वर्षा जल संचयन और भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण के संबंध में जन जागरूकता कार्यक्रमों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करना।

(5) वर्ष 1970 में एक माडल बिल का परिचालन जिसे वर्ष 1992 और वर्ष 1996 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पुन: परिचालित किया गया ताकि वे भू-जल विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानून बना सकें।

(6) भू-जल प्रबंधन और विकास को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन करना।

(7) वर्षा जल संचयन संबंधी विभिन्न तकनीकों और भविष्य में उपयोग के लिए इसके भण्डारण के संबंध में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने और जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से छत के वर्षा जल संयचन संबंधी एक वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीजीडब्ल्यूबीइण्डिया.काम.) प्रारंभ करना।

[हिन्दी]

पर्यटन स्थलों का विकास

1044. **श्री पी.आर. खूंटे:**
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:
श्री पुन्नू लाल मोहले:
डा. जसवंतसिंह यादव:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने वर्ष 2003-04 के दौरान राज्य में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए केन्द्र सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के लिए कितनी धनराशि निर्धारित/जारी की गयी है; और

(ग) इस योजना को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने और कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) पर्यटन परियोजनाएं, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के परामर्श से अभिनिर्धारित की जाती हैं तथा मेरिट के आधार पर एवं धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर मंजूर की जाती हैं। वर्ष 2003-2004 के दौरान, राजस्थान राज्य में अजमेर शरीफ एवं पुष्कर में विकास कार्य हाथ में लेने का निर्णय लिया गया है। संबंधित अभिकरणों से, विस्तृत योजना एवं अनुमान तैयार करने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

मकई बीजों के लिए मानसेन्टों इंडिया लिमिटेड पर प्रतिबंध

1045. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनी की एक सहायक कंपनी, मानसेन्टों इंडिया लिमिटेड द्वारा घटिया और संदूषित कारगिल हाई ब्रिड 900 एम मकई बीजों को बेचने पर इसलिए प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि ये अंकुरित होने में विफल रहे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किसानों को इस कारण कुल कितना घाटा हुआ है और क्या मानसेन्टों इंडिया लिमिटेड ने किसानों को किसी मुआवजे का भुगतान किया है;

(घ) क्या किसी अन्य राज्य ने इस कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गये कारगिल हाई ब्रिड 900 एम मकई बीजों के साथ प्रयोग करके देखा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, नहीं।

कृषि विभाग, बिहार सरकार और मैसर्स मानसेन्टों इंडिया लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2002-03 के दौरान बिहार में मैसर्स मानसेन्टों इंडिया लिमिटेड द्वारा ''कारगिल'' ब्रांड नाम से मक्का बीज की कोई बिक्री नहीं की गई है। मानसेन्टों कम्पनी से प्राप्त सूचना के अनुसार 1 अप्रैल, 1999 को मानसेन्टों टैक्नोलाजिज इंडिया लिमिटेड द्वारा कारगिल सीड्स इंडिया लिमिटेड को अधिगृहित किया गया था। तत्पश्चात् 15 दिसम्बर, 2000 को मानसेन्टों टैक्नोलाजिज इंडिया लिमिटेड के नाम को बदलकर मानसेन्टों इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। वर्ष 2001 तक कारगिल 900 एम के ब्रांड नाम से बीज बेचे गए। बाद में वर्ष 2001 में कारगिल 900 एम नाम को बदल दिया गया और एसग्रो 900 एम के ब्रांड नाम से उत्पाद को विपणित किया गया। मई 2002 में फिर से इस ब्रांड को बदलकर ''सुपर 900 एम'' रख दिया गया, जो फिलहाल उपयोग में है। मानसेन्टों इंडिया लिमिटेड ने मक्का संकरों के 2418.59 मी. टन बीजों की बिक्री की जिसमें 2002-03 शीत मौसम के दौरान बिहार राज्य में 900 एम के 1166.92 मीटरी टन शामिल है। अंकुरण के कारण संकर 900 एम के मक्का बीज की विफलता का कोई मामला इस विभाग को सूचित नहीं किया गया है।

(ग) बिहार में मानसेन्टों इंडिया लिमिटेड के मक्का बीज के अंकुरण की विफलता के कारण किसानों द्वारा उठाई गई क्षति का कोई भी मामला इस विभाग को सूचित नहीं किया गया है। कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार मानसेन्टों इंडिया लिमिटेड द्वारा किसानों को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) जैसाकि भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित है, 2002-03 शीत मौसम के दौरान किसी भी राज्य को मानसेन्टों इंडिया लिमिटेड द्वारा कारगिल संकर 900 एम मक्का बीज की किसी भी प्रकार की आपूर्ति नहीं की गई। तथापि, वर्ष 2002-03 मौसम के दौरान बिहार के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में मानसेन्टों इंडिया लि. द्वारा संकर 900 एम हिशैल और आल राउण्डर मक्का के बीज की आपूर्ति की गई।

इन राज्यों में कम्पनी द्वारा बेचे गए बीज की मात्रा का राज्य-वार और संकर-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

रबी मौसम 2002-03 (शीत)

(मात्रा मीटरी टन में)

क्र.सं.	राज्य	900 एम	हिशैल	आल राउण्डर
1.	महाराष्ट्र	120	100	100
2.	कर्नाटक	1500	150	300
3.	तमिलनाडु	600	400	20
4.	आंध्र प्रदेश	650	350	100
5.	उत्तर प्रदेश	60	50	40
6.	गुजरात	100	100	150
7.	मध्य प्रदेश	200	50	50

इस विभाग द्वारा उपर्युक्त राज्यों में से किसी से भी इन संकरों के कार्यनिष्पादन के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

वनभूमि को गैर-वन भूमि में परिवर्तित किया जाना

1046. डा. चरणदास महंत:
श्री कमलनाथ:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कतिपय राज्य सरकारों को वन्य गांवों को राजस्व गांवों के रूप में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में वन्य भूमि पर गैर-कानूनी रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है और उसे अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाने हेतु परिवर्तित किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने वन भूमि का कोई वास्तविक सर्वेक्षण (फिजिकल सर्वे) कराया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) जी हां।

(ख) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति 1988 और सितम्बर, 1990 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अब तक मध्य प्रदेश के पांच जिलों के 94 वन गांवों के जिला नन्दुर्बार में 73 वन गांवों को राजस्व गांवों में बदलने की अनुमति दी है।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में लगभग 13.5 लाख हैक्टेयर वन भूमि अतिक्रमणाधीन है। केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों को समयबद्ध तरीके से वन भूमि और सभी अपात्र अतिक्रमणकर्त्ताओं को बेदखल करने के लिए 3.5.2002 को निर्देश जारी किए हैं।

(ङ) और (च) वन प्रबंधन के प्रचालनात्मक पहलुओं की जिम्मेदारी विभिन्न राज्य/संघ शासित सरकारों की है। केन्द्रीय सरकार ऐसे वास्तविक सर्वेक्षण स्वप्रेरण से नहीं करती है। केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में जब कभी सूचना की आवश्यकता होती है तो उसे विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई सूचना पर ही विश्वास करना पड़ता है।

नदी तटों पर वनरोपण

1047. डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसी योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है जिसके तहत नदी तल में खुदाई की जाएगी और नदी तटों पर बड़े पैमाने पर वनरोपण किया जाएगा ताकि गंगा नदी में प्रदूषण को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब आरंभ किया जा रहा है;

(ग) क्या यह योजना गंगा कार्य योजना का एक भाग है;

(घ) गंगा कार्य योजना पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है और इसी नयी योजना के लिए अभी तक कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत अभी तक किये जा चुके कार्यों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (ङ) भारत सरकार द्वारा गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत गंगा नदी में प्रदूषण रोकने के लिए नदी तल में खुदाई और नदी किनारों पर बड़े पैमाने पर वनीकरण करने की अब तक ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की गई है। परन्तु गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत विभिन्न नगरों में 1.65 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत से एक लघु वनीकरण घटक आरम्भ किया जा रहा है। नदी के आसपास बसे विभिन्न नगरों में गंगा कार्य योजना चरण I और II के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक दी गई राशि 580.53 करोड़ रुपए है।

नदियों को जोड़ने की योजना

1048. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में नदियों का नेटवर्क तैयार किये जाने से संबंधित कोई बैठक आयोजित की गयी;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय जल विकास कृतिक बल के अध्यक्ष ने भी उक्त बैठक में भाग लिया था:

(ग) इस बैठक में किये गये विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला;

(घ) क्या नदी ग्रिड परियोजना को मंत्रालय की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यबल की तीसरी बैठक कार्यबल के अध्यक्ष श्री सुरेश पी. प्रभु, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) की अध्यक्षता में 28 अप्रैल, 2003 को नई दिल्ली में हुई।

(ग) (1) इस कार्यबल में अभीष्ट प्रयोजनों की पूर्ति के लिए सम्पूर्ण देश में (क) हिमालयी घटक (14 संपर्क) और (ख) प्रायद्वीपीय घटक (16 संपर्क) नामक दो घटकों के तहत व्यवहार्य संपर्कों को अभिज्ञात करने में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा किए गए व्यापक कार्य के महत्व को स्वीकार किया है।

(2) इसके पश्चात इस कार्यबल ने राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के शेष व्यवहार्यता अध्ययनों को दिसम्बर, 2003 की समाप्ति तक पूरा करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया ताकि भावी कार्रवाई तय की जा सके।

(3) संपर्कों के लिए संबंधित राज्यों के साथ बातचीत करने का निर्णय लिया गया तथा पुष्टि के प्राप्त होने के पश्चात चुनिंदा संपर्कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआरएस) को तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है।

(4) इस कार्यबल ने राष्ट्रीय अभिकरणों और संस्थानों के परामर्श से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रक्रियाओं को तैयार करने का निर्णय लिया है। अन्य बातों के साथ-साथ वास्तविक लाभ लागत विश्लेषण के लिए इसमें शामिल तकनीकी-आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, प्रशासनिक, प्रबन्धकीय और वित्तीय मुद्दों के विस्तृत विवेचन का निर्णय लिया गया।

(घ) और (ङ) जी, हां। जल संसाधन मंत्रालय की नवीनतम अर्थात वर्ष 2002-2003 की वार्षिक रिपोर्ट में पृष्ठ 96 से 103 तक राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण पर एक अध्याय दिया गया है। इस अध्याय में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के गठन और उद्देश्यों, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना प्रस्तावों और कार्यबल के गठन का विवरण दिया गया है। इसमें अन्तर बेसिन तल हस्तांतरण संपर्कों को दर्शाने वाला भारत का एक मानचित्र तथा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना प्रस्तावों के प्रायद्वीपीय और हिमालयी घटक संबंधी अध्ययनों की स्थिति दर्शाने वाले 'दो बार डाइग्राम' दिए गए हैं।

एरियाना अफगान एयरलाइन को सुदृढ़ बनाया जाना

1049. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अफगानिस्तान की फ्लैगशिप वाहक एरियाना अफगान एयरलाइन को सुदृढ़ बनाने में सहायता करने के लिए सहमत हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में संबंधित दोनों पक्षों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) जी, हां। इंडियन एयरलाइंस ने अपने स्वामित्व के तीन एयरबस ए-300 बी4 विमान, अफगानिस्तान की अग्रणीय विमान सेवा, एरियाना अफगान एयरलाइंस को सुपुर्द किए थे। एयर इंडिया द्वारा एरियाना अफगान एयरलाइंस के उनके इंजीनियरी व ग्राउंड सेवा कार्मिकों सहित 6 पायलटों, 3 फ्लाइट इंजीनियरों, 12 फ्लाइट डिस्पैचरों और 18 कर्मी दल सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है। कर्मी दल के एक सदस्य को अनुदेशक के रूप में प्रशिक्षण भी दिया गया था। एअर इंडिया ने 3 ए-300 बी4 विमान के लिए अनुरक्षण सहायता भी उपलब्ध कराई है।

(ग) और (घ) जी, हां। 2 सितम्बर, 2002 को भारत सरकार, एयर इंडिया अफगानिस्तान की ट्रांजिशनल इस्लामिक सरकार और एरियाना अफगान एयरलाइंस के बीच चार पक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अनुसार एयर इंडिया ने आधारभूत सहायक पुर्जों सहित 3 ए-300 बी4 विमान दिए जिनका मूल्य लगभग 1,000,000 अमरीकी डालर हैं। उपर्युक्त समझौते के अनुसार एअर इंडिया ने उनके कार्मिकों को प्रशिक्षण भी दिया तथा 3 एयरबस ए-300 बी4 विमान के लिए अनुरक्षण सहायता भी उपलब्ध कराई।

आम उपजाने वाले क्षेत्रों में बागवानी फसलों की जैव कृषि को बढ़ावा

1050. डा. वी. सरोजा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में आम उपजाने वाले क्षेत्रों में बागवानी फसलों की जैव कृषि को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नाबार्ड ने मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों की ऐसी परियोजनाओं के लिए धनराशि निर्धारित की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने जैविक कृषि को एक अभिवृद्धि क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया है और तमिलनाडु में थेनी जिले के सवदीपट्टी गांव में अल्फान्सो आम की जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया को एक परियोजना को स्वीकृति दी है जिसमें नाबार्ड के 90 लाख रुपये के पुनर्वित्त से 54 है. क्षेत्र कवर किया गया है।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में बागवानी फसलों की जैविक कृषि के संबंध में नाबार्ड को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

दिल्ली में आई.टी.डी.सी. के होटलों में डिस्कों पर प्रतिबंध

1051. डा. बी.बी. रमैया: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में आई.टी.डी.सी. के होटलों में डिस्को पर प्रतिबंध लगाने और शास्त्रीय संगीत आदि नृत्य आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या यह प्रतिबंध निजी होटलों पर भी लागू होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) आई.टी.डी.सी. के होटलों (विनिवेशित/विनिवेशाधीन) समेत, भारत के सभी होटलों तथा निजी होटलों को, देश के मौजूदा कानूनों के अनुसार कार्य करना होता है, तथा यह सुनिश्चित करना होता है, कि सांस्कृतिक निष्पादन तथा संगीत एवं नृत्य कार्यक्रम इस प्रकार से संचालित किए जाएं, जिससे कि इस विषय पर कानून के प्रावधानों का उल्लंघन न हो। इस संबंध में किसी भी होटल को कोई अन्य हिदायत/सलाह जारी नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

किसानों की दुर्दशा

1052. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसान प्रचुर मात्रा में फसलों को उपजाने के बावजूद भी परेशान हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी स्थिति उत्पन्न होने को रोकने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) देश में कुछ कृषि जिंसों के थोक मूल्य कुछ चुनिन्दा केन्द्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) से कम चल रहे हैं।

(ख) और (ग) कृषि जिंसों के मूल्यों की निरन्तर समीक्षा की जाती है और यथा आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। इस कारण से किसानों को होने वाली कठिनाईयों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम ये हैं- प्रमुख कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण तथा सार्वजनिक एवं सहकारी अभिकरणों के माध्यम से उनकी खरीद, राज्य सरकार के अनुरोध पर बागवानी तथा उत्पाद की गौण मदों को कवर करते हुए मण्डी हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस) का कार्यान्वयन तथा आयात को हतोत्साति करने एवं निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए व्यापारिक साधनों का प्रयोग करना।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) में भ्रष्टाचार

1053. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसे कुछ अधिकारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) में कार्यरत हैं और वह भी संवेदनशील क्षेत्रों में

जिनके नाम भ्रष्टाचार में शामिल होने के कारण केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट पर दिखाये गये थे और उन पर भारी अर्थदंड लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्टाफ पक्ष के एच.क्यू. जे.एस.सी. ने ऐसी अनियमित नियुक्ति और तैनाती के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गयी अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सूची में जिन अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दण्ड लगाया गया है, उसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के किसी भी अधिकारी का नाम नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एच.क्यू.जे.एस.सी. द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों की जांच की गई और वे निराधार पाए गए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दूध की आपूर्ति

1054. श्री हरिभाई चौधरी:
श्री मानसिंह पटेल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि लगभग पांच प्रतिशत लोगों के स्वास्थ्य पर दूध पीने के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने दुधारू पशुओं से प्रति वर्ष एक हजार लीटर दूध प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) उचित मूल्य पर दूध की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार की नीति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) ऐसी कोई रिपोर्ट भारत सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां। वर्ष 2000-01 में प्रति दुधारू पशु का औसत दुग्ध उत्पादन गाय के लिए 1045 लीटर तथा भैंस के लिए 1521 लीटर था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजना स्कीमें लागू करके राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति कर रहा है जो उचित मूल्यों पर दूध की सुचारू आपूर्ति को सुनिश्चित करेंगी। योजनाएं इस प्रकार हैं:-

(1) राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना।

(2) आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता।

(3) पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता।

(4) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना।

(5) सहकारिताओं को सहायता।

(6) समेकित डेयरी विकास कार्यक्रम (आईडीडीपी)।

लाभकारी पेशे के रूप में कृषि

1055. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि को लाभकारी और अर्थक्षम पेशा बनाने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) मूल्य समर्थन की वर्तमान नीति, राजसहायता के तरीके तथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के जरिए जोखिम प्रबंध के अतिरिक्त, वर्तमान वर्ष के दौरान हाई-टेक बागवानी और सूक्ष्म कृषि पर केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई स्कीम शुरू किए जाने का प्रस्ताव है ताकि कृषि को बागवानी, पुष्पकृषि आदि में विविधीकृत किया जा सके जिसमें अधिक लाभ तथा लाभकारी आय मिलने की आशा है। जैव-प्रौद्योगिकीय साधनों के प्रयोग जैसे हाई-टेक हस्तक्षेपों, हरित खाद्य उत्पादन तथा हाई-टेक हरित गृहों का प्रयोग इस स्कीम के प्रमुख घटक होंगे। नई प्रस्तावित स्कीम के तहत, वर्तमान

वित्तीय वर्ष के दौरान, 50 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। इन सभी प्रयासों को मिलाकर किसानों की आय तथा लाभ में वृद्धि होगी और कृषि एक लाभप्रद एवं व्यवहार्य व्यवसाय बन जाएगी।

कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार

1056. श्री रामजी लाल सुमन:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में एक करोड़ अतिरिक्त रोजगार के अवसरों के सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र में रोजगार के अतिरिक्त अवसरों के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने श्रमोन्मुखी, कृषि उत्पादन क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये किसी अनुसंधान संस्थान की जवाबदेही निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो अनुसंधान संस्थान का नाम क्या है; और

(ङ) प्रौद्योगिकी उन्नयन के कब तक विपणन किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) दसवीं योजना में 5 वर्षों (2002-07) में 50 मिलियन रोजगार के अवसरों के सृजन की परिकल्पना की गई है इसमें से, वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना, बागवानी, फार्म प्रबंधन, कृषि क्लिनिकों, बीज उत्पादन ट्रैक्टर आदि के क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों के जरिए दसवीं योजना में ही कृषि क्षेत्र में 9.47 मिलियन रोजगार का सृजन होगा।

(ग) प्रौद्योगिकी सृजन और उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है, जो 47 राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों, 5 राष्ट्रीय ब्यूरो, 12 परियोजना निदेशालयों और 33 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों वाली राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली द्वारा शुरू की जा रही है।

(घ) संस्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ङ) कई प्रौद्योगिकियों का उन्नयन तथा उनका विपणन किया गया है। सतत आधार पर प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों/परियोजना निदेशालयों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/ब्यूरो के निदेशकों की सूची

फसल विज्ञान

1. डा. एस. नागराजन,
निदेशक,
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान,
पुसा, नई दिल्ली-110012

2. डा. कुन्दन सिंह, निदेशक,
केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान,
पो.बॉ. संख्या 2,
शंकर नगर पो.ओ.
नागपुर-440010 (महाराष्ट्र)

3. डा. डी. नाथ,
निदेशक,
केन्द्रीय पटसन एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान,
बैरकपुर, कोलकाता-700120
(पश्चिम बंगाल)

4. डा. एस.जी. शर्मा,
निदेशक, (कार्यवाहक)
केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान,
कटक-753006
उड़ीसा

5. डा. के.डी. सिंह,
निदेशक,
केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान,
राजामुन्दरी-533105
(आ.प्र.)

6. डा. पी.एस. पाठक,
निदेशक,
इंडियन ग्रासलैण्ड एण्ड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट,
पाहुज धाम,
झांसी-ग्वालियर रोड़
झांसी-284003 (उ.प्र.)

7. डा. मसूद अली,
निदेशक,
भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान,
कल्याणपुर,
कानपुर-208024 (उ.प्र.)

8. डा. जे.एल. कारीहालू,
डीएनए फिंगरप्रिंट, राष्ट्रीय पौध अनुवांशिक
संसाधन ब्यूरो एनआरसी,
नई दिल्ली-110012

9. डा. एस.आर. मिश्रा,
निदेशक,
भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान,
पो.आ. दिलकुशा,
लखनऊ-226002 (उ.प्र.)

10. डा. बी.एस. ढिल्लन,
निदेशक,
राष्ट्रीय पौध अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो,
पूसा कैम्पस,
नई दिल्ली-110012

11. प्रो. अमेरिक सिंह,
निदेशक,
नेशनल इंटग्रेटेड सेंटर ऑन पेस्ट मेनेजमेंट,
(एनआईसीपीएम),
पूसा, नई दिल्ली-110012

12. डा. एन. बालसुन्दरम,
निदेशक,
शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट,
कोयम्बटूर-641007 (तमिलनाडु)

13. डा. एच.एस. गुप्ता,
निदेशक,
विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला,
अलमोड़ा-263601 (उत्तरांचल)

14. डा. एम.एस. बासु,
निदेशक
राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र,
आईवा नगर रोड़ पो.बा. संख्या-5,
जूनागढ़-362001 (गुजरात)

15. डा. यू.आर. मूर्ति,
निदेशक,
राष्ट्रीय सोरघम अनुसंधान केन्द्र,
अखिल भारतीय समन्वित सोरघम सुधार परियोजना
राजेन्द्रनगर,
हैदराबाद-500030 (आ.प्र.)

16. डा. बी.एन. सिंह,
परियोजना निदेशक,
चावल अनुसंधान निदेशालय राजेन्द्रनगर,
हैदराबाद-500030 (आ.प्र.)

17. डा. डी.एम. हैग,
परियोजना निदेशक,
तिलहन अनुसंधान निदेशालय राजेन्द्रनगर,
हैदराबाद-500030 (आ.प्र.)

18. डा. डी.एस. चौहान,
कार्यकारी परियोजना निदेशक (गेहूं)
गेहूं अनुसंधान निदेशालय
पो.ओ. बाक्स संख्या 158,
कुंजपुरा रोड़,
करनाल-125001 (हरियाणा)

19. डा. आर.जे. रबिन्द्र,
परियोजना निदेशक,
बायोलोजिकल परियोजना निदेशालय केन्द्र,
पो.बॉ. संख्या 2491, एच.ए. फार्म पोस्ट,
बेलारी रोड़, हेब्बल,
बंगलोर-560024 (कर्नाटक)

20. डा. अरविन्द कुमार,
निदेशक,
राष्ट्रीय तोरिया सरसों अनुसंधान केन्द्र, सेवार,
भरतपुर-321303 (राजस्थान) .

21. डा. एन.एन. सिंह,
परियोजना निदेशक (मक्का),
मक्का अनुसंधान निदेशालय,
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान,
नई दिल्ली-110012

22. डा. के.आर. कुंडल,
परियोजना निदेशक,
राष्ट्रीय पादप जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र,
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान,
नई दिल्ली-110012

23. डा. ओ.पी. जोशी,
स्थानापन्न निदेशक,
राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र,
खण्डवा रोड़
इन्दौर-452017 (म.प्र.)

24. प्रो. डी.के. अरोड़ा,
निदेशक,
नेशनल ब्यूरो आफ एग्रीकल्चरली इंपोरटेंट
मेक्रो-ऑर्गेनिज्म (एनबीपीजीआर पुरानी बिल्डिंग)
पुसा केम्पस, नई दिल्ली-110012

बागवानी

25. डा. आर.के. पाठक,
निदेशक,
केन्द्रीय उष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान,
रेहमनखेड़ा,
पो.ओ. काकोरी,
लखनऊ-227107 (उ.प्र.)

26. डा. एस. एडिसन,
निदेशक,
केन्द्रीय कन्द बीज अनुसंधान संस्थान,
श्रीकर्तियम,
तिरून्तपुरम-695017 (केरल)

27. डा. वी. राजगोपाल
निदेशक,
केन्द्रीय फसल रोपण अनुसंधान संस्थान,
कासरगोड-670124 (केरल)

28. डा. एस.एम. पाल खुराना,
निदेशक,
केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान,
शिमला-171001
(हि.प्र.)

29. डा. एस.डी. शिखामणी,
निदेशक,
भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान,
हेसरघट्टा लेक पोस्ट
बंगलोर-560089
(कर्नाटक)

30. डा. एम. गोपालकृष्णन,
निदेशक (कार्यवाहक),
राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र,
पुत्तूर-574202, डी.के.
(कर्नाटक)

31. डा. श्यामा सिंह
निदेशक,
राष्ट्रीय सीट्रस अनुसंधान केन्द्र,
पोस्ट बाक्स संख्या 464,
शंकरनगर पो.ओ.
नागपुर-440010
(महाराष्ट्र)

32. डा. एस.आर. शर्मा,
कार्यकारी निदेशक,
राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान केन्द्र,
चम्बाघाट, सोलन-173212 (हि.प्र.)

33. डा. वी.ए. पार्थसार्थी
निदेशक,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान
पो.बा. संख्या 1701, मारीकुन्नू पो.ओ.
कालीकट-673012 (केरल)

34. डा. एम.के. बनर्जी,
कार्यकारी निदेशक,
भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान,
(एनएआरआईए) I गांधी नगर,
पो.ओ. बाक्स संख्या 5002,
पो.ओ. बीएचयू. वाराणसी-221005 (उ.प्र.)

35. डा. डी.जी. धान्दर,
निदेशक,
केन्द्रीय एरिड बागवानी संस्थान,
श्रीगंगानगर रोड़,
बच्चाल इंडस्ट्रीयल एरिया पो.ओ.
बीकानेर-334006 (राजस्थान)

36. डा. ए.ए. सोफी,
निदेशक,
केन्द्रीय समशीतोषण बागवानी संस्थान,
पो.ओ. सनत नगर,
श्रीनगर, कश्मीर-190005 (जम्मू एवं कश्मीर)

37. डा. वी.एम. रेड्डी,
कार्यकारी निदेशक,
राष्ट्रीय आयल पाम अनुसंधान केन्द्र,
तवहार, नवोदय विद्यालय,
पेदावेगी-534450
पश्चिम गोदावरी निदेशक (आ.प्र.)

38. डा. आर.सी. उपाध्याय,
इंचार्ज,
राष्ट्रीय आर्चिड्स अनुसंधान केन्द्र,
पाकयोग-737106 (सिक्किम)

39. डा. पी.जी. अड्सूल,
कार्यकारी निदेशक,
राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र,
पो.बॉ. संख्या,
मंजारी फार्म पोस्ट,
सोलापुर रोड़ पुणे-412307
महाराष्ट्र

40. डा. एस मैती,
निदेशक,
राष्ट्रीय औषधीय एवं सुगंधित
पौध अनुसंधान केन्द्र,
बोरिवाई,
आनन्द-387310 (गुजरात)

41. डा. के.ई. लवाण्डे,
निदेशक,
राष्ट्रीय प्याज और लहसुन
अनुसंधान केन्द्र,
राजगुरूनगर-410505,
महाराष्ट्र

42. डा. एस. सत्यामूर्ति,
निदेशक,
राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र,
नं. 44, रामलिंगम नगर, वेल्लूर रोड,
त्रिची-620017 (तमिलनाडु)

43. डा. बी.बी. वशिष्ठ,
कार्यकारी निदेशक,
राष्ट्रीय बीज प्रजाति अनुसंधान केन्द्र,
ताबिजी नगर, अजमेर,
(राजस्थान)

44. डा. मटगुरा राय,
विशेष कार्य अधिकारी,
राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र फार मांची हाउस,
क्लब रोड, मुजफ्फरपुर-842002, बिहार

45. डा. जर्नादन जी,
विशेष कार्य अधिकारी एवं प्रधान वैज्ञानिक,
राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केन्द्र,
शाखा कार्यालय-सी.पी.आर.एस. पो.आ. अहायानगर,
पटना-801506, बिहार

राष्ट्रीय संसाधन प्रबंध (एन.आर.एम.)

46. डा. एस. सुब्रमणियम,
निदेशक इंजार्च,
गोवा का आई.सी.ए.आर. अनुसंधान काम्पलैक्स,
इला ओल्ड, गोवा-403402

47. डा. आर.बी. राय,
निदेशक (कार्यकारी),
केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान,
पो. बाक्स नं. 181, पोर्ट ब्लेयर-744101

48. डा. प्रताप नारायण,
निदेशक,
केन्द्रीय एरिड जोन अनुसंधान संस्थान,
जोधपुर-342003 (राजस्थान)

49. डा. वाई.एस. रामाकृष्णा,
निदेशक,
केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान,
संतोष नगर, सैदाबाद पो.आ.
हैदराबाद-500059 (आंध्र प्रदेश)

50. डा. एन.के. त्यागी,
निदेशक,
केन्द्रीय मृदा अनुसंधान संस्थान,
जरीफा फार्म, कचीवा रोड,
करनाल-132001, हरियाणा

51. डा. के.एम. बेजबरूआ,
निदेशक,
उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए आई.सी.ए.आर.
अनुसंधान काम्पलैक्स,
अमरोई रोड,
बारापानी-793103, मेघालय

52. डा. वी.एन. शारदा,
निदेशक,
केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण संस्थान,
218, कौलागढ़ रोड़,
देहरादून-248195, उत्तरांचल

53. डा. डी.एल.एन. राव,
निदेशक (स्थानापन्न),
भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान,
नबी बाग, बेरासिया रोड,
भोपाल-462038, मध्य प्रदेश

54. डा. ए.के. सिक्का,
निदेशक,
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए
भा.कृ.अ.प. अनुसंधान काम्पलैक्स,
वाल्मी काम्पलैक्स, पो.आ. फुलवारी शरीफ,
पटना-801505, (बिहार)

55. डा. के.एस. गजभिए,
निदेशक,
राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग
योजना ब्यूरो,
शंकर रोड, अमरावती रोड़,
नागपुर-440010, महाराष्ट्र

56. डा. पी. राय,
निदेशक (कार्यकारी)
राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र,
पाहूज बांध के पास, ग्वालियर रोड,
झांसी-284003, मध्य प्रदेश

57. डा. एन.टी. यादूराजू,
निदेशक,
राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केन्द्र,
एम.पी. हाऊसिंग कालोनी महाराजपुर,
आधारताल, जबलपुर-482004 (मध्य प्रदेश)

58. डा. एस.के. शर्मा,
परियोजना निदेशक,
फसल प्रणाली अनुसंधान निदेशालय,
मोदीपुरम, मेरठ-250110,
उत्तर प्रदेश

59 डा. एच.एन. वर्मा,
निदेशक,
पूर्वी क्षेत्र जल प्रौद्योगिकी केन्द्र,
नाल्को नगर के पास,
चन्द्र शेखरपुर,
भुवनेश्वर-751012 (उड़ीसा)

कृषि इंजीनियरिंग

60. डा. नवाब अली,
निदेशक,
केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान,
नबीबाग बेरासिया रोड,
भोपाल-462038 (मध्य प्रदेश)

61. डा. एस.एम. इलियास,
निदेशक,
केन्द्रीय पोस्ट हारवेस्ट इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान,
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय कैम्पस, लुधियाना 141004

62. डा. एस.एम. इलियास,
निदेशक,
केन्द्रीय पोस्ट हारवेस्ट इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान,
अबोहर-152116, फिरोजपुर, पंजाब

63. डा. श्रीनिवासन,
निदेशक,
केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान,
पो. बा. नं. 16640, एडीनवाला रोड,
माटुंगा, मुम्बई-400019 (महाराष्ट्र)

64. डा. के.के. कुमार,
कार्यकारी निदेशक,
भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, पो.आ. नामकुम,
रांची-834010.

65. डा. एस.के. भट्टाचार्य
निदेशक,
राष्ट्रीय पटसन एवं सम्बद्ध फाइबर प्रौद्योगिकी
अनुसंधान संस्थान,
रिजेन्ट पार्क, कोलकत्ता-700040
(पश्चिम बंगाल)

66. डा. एस.डी. कुलकर्णी,
परियोजना निदेशक,
सोयाबीन प्रसंस्करण और उपयोग
परियोजना, केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान,
रबी बाग, बैरसिया रोड,
भोपाल-462038 (मध्य प्रदेश)

कृषि विस्तार

67. डा. (श्रीमती) हेमा पाण्डे,
निदेशक,
राष्ट्रीय कृषि महिला अनुसंधान केन्द्र,
93-धर्मे विहार, खण्डगीरि-पोस्ट आफिस
भुवनेश्वर 751030 (उड़ीसा)

पशु विज्ञान

68. डा. टी.एस. जौहरी,
निदेशक (कार्यवाहक),
केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान,
इज्जतनगर 243122
उत्तर प्रदेश

69. डा. बी.एस. पुनिया,
निदेशक,
केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान,
सिरसा रोड,
हिसार-125001 (हरियाणा)

70. डा. नगेन्द्र शर्मा,
निदेशक,
केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान,
मखदूम, पोस्ट आफिस फराह,
मथुरा-281122

71. डा. विजय कुमार सिंह,
निदेशक,
केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान,
तहसील मालपुरा, जिला टोंक,
वाया-जयपुर-304501 (राजस्थान)

72. डा. नगेन्द्र शर्मा,
अतिरिक्त निदेशक,
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान,
करनाल-132001 (हरियाणा)

73. डा. एम.पी. यादव,
निदेशक,
भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान,
इज्जतनगर-243122, (यू.पी.)

74. डा. एस.पी.एस. अहलावत,
निदेशक,
राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो,
पोस्ट बाक्स नं. 129,
करनाल-132001

75. डा. मोहन सिंह साहनी,
निदेशक,
राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केन्द्र, जोरबीर,
पोस्ट बाक्स नं. 7,
बीकानेर-334001 (राजस्थान)

76. डा. एस.के. द्विवेदी,
निदेशक,
राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र,
सिरसा रोड,
हिसार-125001 (हरियाणा)

77. डा. टी.आर.के. मूर्ति,
ओ.एस.डी.,
राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केन्द्र, सईदाबाद,
सी.आर.आई.डी.ए. कैम्पस,
हैदराबाद-500059 (ए.पी.)

78. डा. सी.राज खोवा,
निदेशक,
राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र,
झरनापानी, मेदजीफेमा,
नागालैण्ड-797106

79. डा. कृपाल सिंह,
निदेशक,
पशु परियोजना निदेशालय,
पी.एच.-7, पल्लावपुरम, फेज-II,
मोदीपुरम,
मेरठ-250110 (उत्तर प्रदेश)

80. डा. आर.पी. शर्मा,
परियोजना निदेशक,
कुक्कुट परियोजना निदेशालय,
राजेन्द्रनगर,
हैदराबाद-500030 (ए.पी.)

81. डा. खूब सिंह,
निदेशक,
राष्ट्रीय पशु पोषाहार एवं कार्यिकी संस्थान,
अदुगोदी, बंगलौर-560030

82. डा. एम. भट्टाचार्य,
निदेशक,
राष्ट्रीय याक अनुसंधान केन्द्र,
दीरांग, पश्चिम कामेंग,
(अरुणाचल प्रदेश)-790101

83. डा. एम. राजशेखर,
परियोजना निदेशक,
पशु रोग प्रबोधन एवं निगरानी परियोजना निदेशालय,
हेब्बल, बंगलौर-560024 (कर्नाटक)

84. डा. एस.के. बंधोपाध्याय,
कार्यवाहक परियोजना निदेशक (एफ.एम.डी.),
खुरपका एवं मुंहपका रोग परियोजना निदेशालय,
आई.बी.आर.आई. कैम्पस,
मुक्तेश्वर-कुमाऊं,
जिला नैनीताल-263138 (उत्तरांचल)

85. डा. एच.के. प्रधान,
निदेशक,
उच्च सुरक्षा पशु रोग लेबरोट्री,
हथाई खेडा फार्म,
आनंद नगर,
भोपाल-462021

मात्स्यिकी

86. डा. मैथ्यू अब्राहम,
कार्यवाहक निदेशक,
केन्द्रीय खारा पानी जलकृषि संस्थान,
चैन्नई-600028 (तमिलनाडु)

87. डा. वी.वी. सुगूनन,
स्थानापन्न निदेशक,
केन्द्रीय अंतर्देशीय मछली पालन अनुसंधान संस्थान,
बैरकपुर, कोलकाता,
पश्चिम बंगाल-743101

88. डा. काजरा जानकी राम,
निदेशक,
केन्द्रीय ताजापानी जलकृषि संस्थान,
पोस्ट आफिस कौशल्यागंगा,
वाया भुवनेश्वर-751002, (उड़ीसा)

89. डा. के. देवदासन,
निदेशक,
केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान,
विलींगडन आईलैंड,
कोची-682029 (केरल)

90. डा. मोहन जोसेफ मोदायील,
निदेशक,
केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान,
पोस्ट बाक्स नं. 1603,
एर्नाकुलम,
कोचीन-682014 (केरल)

91. डा. एस.सी. मुखर्जी,
एक्टिंग निदेशक,
केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, जयप्रकाश रोड,
सेवेन बंगलो, वरसोवा,
मुम्बई-400061 (महाराष्ट्र)

92. डा. डी. कपूर,
निदेशक,
राष्ट्रीय मछली आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो,
कैनल रींग रोड,
पोस्ट आफिस-दिलखुश,
तेलीबाग, लखनऊ-226002 (यू.पी.)

93. डा. के.के. वास,
निदेशक,
राष्ट्रीय शीतलजल मात्स्यिकी अनुसंधान केन्द्र,
भीमताल-263136
जिला नैनीताल (उत्तरांचल)

प्रबन्धन

94. निदेशक,
राष्ट्रीय कृषि प्रबंध अनुसंधान अकादमी,
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद-500030 (ए.पी.)

95. डा. एस.डी. शर्मा,
निदेशक,
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान,
लाईब्रेरी एवेन्यू,
पूसा, नई दिल्ली-110012

96. डा. मृत्युंजय,
निदेशक,
राष्ट्रीय कृषि आर्थिक नीति अनुसंधान केन्द्र,
लाईब्रेरी एवेन्यू,
पूसा, नई दिल्ली-110012

97. श्री के.एन. कुमार,
निदेशक,
राष्ट्रीय मूल्य एवं नीतिशास्त्र केन्द्र,
भारतीय कृषि अनुसंधान केन्द्र,
कमरा नं. 206,
कृषि भवन, नई दिल्ली।

[अनुवाद]

बड़े उद्यानों को प्रोत्साहन

1057. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में बड़े उद्यानों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्यों को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ उड़ीसा के किन जिलों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई और किसी अन्य तरह की सहायता दी गई तो उसकी प्रकृति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड "उत्पादन और फसल कटाई पश्चात् प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास" नामक स्कीम के तहत समग्र देश में बड़े उद्यानों सहित हाइटिक कृषि परियोजना के लिए जिसे तकनीकी एवं वित्तीय रूप से व्यवहार्य पाया जाता है को 25.00 लाख रु. प्रति परियोजना की अधिकतम सीमा के साथ कुल परियोजना लागत का अधिकतम 20% की दर से पार्श्वान्त (बैक एन्डेड) पूंजी निवेश राजसहायता प्रदान करता है। उत्तर-पूर्व/जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों के लिए राजसहायता की सीमा 30.00 लाख रु. प्रति परियोजना होगी।

(ख) उपरोक्त स्कीम के तहत, वित्तीय सहायता राज्यों की नहीं बल्कि व्यक्तिगत उद्यमियों को प्रदान की जाती है। वर्ष 2002-03 के दौरान विभिन्न राज्यों में बड़े उद्यानों के संवर्धन हेतु उद्यमियों को प्रदान की गई सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) उड़ीसा के खुरदा जिले में, वर्ष 2002-03 के दौरान बड़े उद्यानों के संवर्धन हेतु एक परियोजना के लिए 1.73 लाख रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

विवरण

वर्ष 2002-03 के दौरान "उत्पादन और फसल कटाई पश्चात प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास" के तहत प्रदत्त सहायता का ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य के नाम	2002-03	
		परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राजसहायता
1.	आंध्र प्रदेश	13	76.48
2.	गुजरात	43	292.00
3.	हरियाणा	1	3.86
4.	कर्नाटक	77	417.33
5.	महाराष्ट्र	29	157.54
6.	तमिलनाडु	18	79.69
7.	मध्य प्रदेश	1	1.99
8.	उड़ीसा	1	1.73
9.	नागालैण्ड	3	5.18
	कुल	186	1035.8

विदेशों द्वारा वित्त पोषित कृषि परियोजनायें

1058. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों द्वारा देश में विशेषकर महाराष्ट्र में वित्त पोषित की जा रही/वित्त पोषण के लिये प्रस्तावित कृषि परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में चल रही ऐसी कृषि परियोजनाओं की राज्यवार स्थिति क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार से विदेशी सहायता के लिये कोई नई परियोजनायें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

पर्यटन विकास के लिये राज्यों को धनराशि

1059. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** 16.12.2002 के तारांकित प्रश्न सं. 364 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटन विकास के लिये राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता प्रति वर्ष स्वीकृति धनराशि की करीब आधी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वर्ष 2002-2003 के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और कितनी जारी की गई?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) 9वीं योजना के दौरान पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए, सामान्तया स्वीकृत राशि की 30% राशि, पहली किश्त के रूप में जारी की गई थी। पूर्व की किश्तों का उपभोग करने के उपरांत परवर्ती किश्तें जारी की गई थीं। तथापि, अब स्वीकृत राशि का उच्चतर प्रतिशत भी रिलीज किया जाता है, जो अपेक्षाओं एवं निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2002-2003 के दौरान, स्वीकृत परियोजनाएं एवं जारी की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2002-2003 के दौरान राज्यवार स्वीकृत परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2	507.50	195.00
2.	असम	9	768.13	618.85
3.	अरुणाचल प्रदेश	5	41.30	32.50
4.	बिहार	8	505.00	505.00
5.	छत्तीसगढ़	9	308.00	98.50
6.	गोवा	1	0.05	0.05
7.	गुजरात	2	197.12	59.13
8.	हरियाणा	8	332.25	311.00
9.	हिमाचल प्रदेश	30	779.32	760.38
10.	जम्मू एवं कश्मीर	3	94.38	89.47
11.	झारखण्ड	0	0	0
12.	कर्नाटक	6	902.49	625.49
13.	केरल	11	861.36	829.86
14.	मध्य प्रदेश	18	711.18	574.79
15.	महाराष्ट्र	8	623.46	546.25
16.	मणिपुर	2	5.24	2.62
17.	मेघालय	3	70.35	21.20
18.	मिजोरम	6	141.16	48.46
19.	नागालैंड	5	360.50	323.43
20.	उड़ीसा	2	47.50	15.75
21.	पंजाब	3	23.00	14.60
22.	राजस्थान	13	1098.70	1096.20

1	2	3	4	5
23.	सिक्किम	13	346.24	269.76
24.	तमिलनाडु	5	559.00	316.10
25.	त्रिपुरा	5	216.13	67.78
26.	उत्तरांचल	3	548.00	418.00
27.	उत्तर प्रदेश	3	295.00	295.00
28.	पश्चिम बंगाल	5	201.10	60.00
29.	अण्डमान एवं निकोबार	0	0	0
30.	चण्डीगढ़	3	7.75	6.63
31.	दादरा नगर हवेली	2	8.07	6.46
32.	दिल्ली	14	504.00	449.02
33.	दमन एवं दीव	3	49.50	16.90
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पांडिचेरी	2	7.87	6.30
	जोड़	212	11121.10	8680.93

[हिन्दी]

ऐतिहासिक तालाबों का पुनरूद्धार

1060. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चन्देल शासन काल के दौरान उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में करीब हजार वर्ष पहले निर्मित विभिन्न तालाबों की पहचान और पुनरूद्धार के लिये कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, उत्तर प्रदेश के महोबा जिला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित चन्देल काल के निम्नलिखित छः टैंकों का संरक्षण, परिरक्षण और अनुरक्षण पुरातत्वीय सिद्धान्तों के अनुसार किया जाता है:-

1. चार चन्देल मन्दिर तथा एक छोटा चिनाई टैंक, अकोना, तहसील कुल्पहार
2. ब्रहम ताल, कबराई, तहसील महोबा
3. कीरट सागर झील, मल्कापुरा, तहसील महोबा
4. विजय सागर झील, विजय सागर, तहसील महोबा
5. विशाल चन्देल टैंक, रावात पुर, तहसील कुल्पाहार
6. मदन सागर झील, मदनसागर, तहसील महोबा

पिछले तीन वर्षों में किया गया व्यय निम्नानुसार है:-

2001-01	-	1,50,000/- रुपए
2001-02	-	81,184/- रुपए
2002-03	-	5,13,182/- रुपए
2003-04 के लिए व्यवस्था	-	11,00,000/- रुपए

[अनुवाद]

रोजगार के नये अवसरों का सृजन

1061. **श्री जे.एस. बराड़:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पदों के सृजन पर लगे प्रतिबंध और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों द्वारा दिये गये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं से रोजगार के नये अवसर सीमित हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में बेरोजगार युवाओं के लिये रोजगार के नये अवसरों के सृजन हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) वर्ष 2003-04 में विभिन्न श्रेणियों में सृजित की जाने वाली नई नौकरियों की संख्या कितनी है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) यद्यपि सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार में थोड़ी गिरावट आई है, फिर भी अर्थव्यवस्था में कुल रोजगार जो वर्ष 1993-94 के दौरान 374 मिलियन था, वर्ष 1999-2000 के दौरान बढ़ कर 397 मिलियन हो गया।

(ख) और (ग) सरकार ने 10वीं योजनावधि में वर्ष 2003-04 सहित, 10 मिलियन प्रतिवर्ष की दर से 50 मिलियन रोजगार अवसरों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। सामान्य प्रक्रिया के साथ-साथ विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से इनका सृजन किया जाएगा।

एयर इंडिया की ग्राउंड सर्विस

1062. **श्री गंता श्रीनिवास राव:**
श्री बी.के. पार्थसारथी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि एयर इंडिया की ग्राउंड सर्विसेज को बेहतर बनाने और इसे अन्य विदेशी विमान कंपनियों के मुकाबले और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): एयर इंडिया ने अपने आप को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अपनी भू-सेवाओं में सुधार लाने के लिए चालू प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध कराई हैं:- (1) प्रथम/एक्जीक्यूटिव श्रेणी के यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष सेवा यूनिट की स्थापना। यह सुविधा भारत/इंग्लैंड/यूरोप/अमेरिका पर विमान क्षमता के 20 प्रतिशत तक इकॉनामी क्लास के यात्रियों को भी उपलब्ध कराई गई है; (2) टेल चैक-इन सुविधा; (3) इंटरनेट पर सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए एडवांस सीट आरक्षण सुविधाएं; (4) सीएसआई हवाईअड्डे पर प्रथम/एक्जीक्यूटिव श्रेणी के यात्रियों के लिए कर्बसाईड चैक-इन सुविधा; (5) महाराजा लाऊंज सुविधा; (6) चैन-इन सुविधा से इंटरलाइन; (7) फ्रीक्वैंट फ्लायर प्रोग्राम महाराजा क्लब, लीडिंग ऐज कार्यक्रमों का आरम्भ; (8) प्रथम/एक्जीक्यूटिव श्रेणी के यात्रियों के सामान पर प्राथमिकता का टैग लगाना तथा उन्हें विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंटेनरों में भरना; (9) एअर इंडिया के खर्च पर होटल के पात्र प्रथम/एक्जीक्यूटिव श्रेणी के यात्रियों को विशेष रूप से बनाए गए होटलों की उच्चतर श्रेणी में स्थान उपलब्ध कराना, और (10) यात्रियों को टूल-फ्री नम्बर पर 24 घंटों सूचना उपलब्ध कराने के लिए काल सेंटरों की स्थापना।

कृषि वानिकी और बागवानी को प्रोत्साहन

1063. **श्री राजो सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर बिहार में कृषि वानिकी और बागवानी को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता मुहैया कराई गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) जी, हां। भू-संसाधन विभाग गैर-वन बंजर भूमि के विकास के लिए प्रौद्योगिकी के विकास विस्तार एवं प्रशिक्षण पर केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत, बिहार सहित, देश के भिन्न-भिन्न कृषि जलवायु संबंधी क्षेत्रों में कृषि वानिकी मॉडलों के परीक्षणार्थ विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/भा.कृ.अ.प. के संस्थानों को प्रायोगिक परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) 27 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा भा.कृ.अ.प. के 10 संस्थानों के जरिए देश में कृषि वानिकी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कार्यान्वित कर रही है। कृषि में वृहत् प्रबंध कार्य योजनाओं के जरिए राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण, पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में अभिज्ञात पनधाराओं तथा नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों एवं बाढ़ प्रवण नदियों में कृष्य एवं गैर-कृष्य भूमि

में विविधीकृत फार्मिंग शुरू करने के लिए सभी राज्य सरकारों को सहायता पहुंचाई जा रही है। इस स्कीम के तहत देश में बागवानी फसलों के विकास के लिए भी सहायता दी जा रही है।

(घ) भू संसाधन विभाग तथा भा.कृ.अ.प. द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कृषि वानिकी पर विभिन्न परियोजनाओं के तहत निर्मुक्त की गई राज्य-वार धनराशि

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	भू संसाधन विभाग		भा.कृ.अ.प.		
		1993-94 से 2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03
1.	आंध्र प्रदेश	7.10	17.55	18.00	10.01	10.00
2.	असम			9.00	12.30	3.00
3.	बिहार			4.80	4.80	-
4.	छत्तीसगढ़	22.76		6.49	6.49	6.00
5.	गुजरात			14.74	14.74	19.69
6.	हरियाणा			12.42	12.42	13.85
7.	हिमाचल प्रदेश			12.94	12.94	16.05
8.	जम्मू एवं कश्मीर			7.62	7.62	8.00
9.	झारखंड			6.25	6.25	5.00
10.	कर्नाटक			11.00	11.00	17.45
11.	केरल			12.97	12.97	4.00
12.	महाराष्ट्र	15.44		57.14	57.14	63.13
13.	मध्य प्रदेश			11.05	11.05	16.64
14.	मेघालय	7.20	4.87			-
15.	उड़ीसा	70.48		9.90	9.90	11.00
16.	पंजाब			13.15	13.15	7.00
17.	राजस्थान		2.21	8.50	8.50	-
18.	तमिलनाडु	19.28		23.25	23.25	17.00
19.	उत्तर प्रदेश	25.22	31.22	29.25	29.25	18.33
20.	उत्तरांचल	9.97	5.50	16.00	16.00	7.72
21.	पश्चिम बंगाल			9.52	9.52	15.08

राज्यों में कृत्रिम 'रिचार्ज' प्रयोग

1064. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (सी.जी.डब्ल्यू.ए.) ने गुजरात समेत विभिन्न राज्यों में कृत्रिम 'रिचार्ज' प्रयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा और प्रयोग हेतु राज्यवार किन नये क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार सभी राज्य सरकारों, निजी भवनों, वाणिज्यिक परिसरों और बहुमंजिला इमारतों में वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाया जाना आवश्यक बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में कौन से ठोस प्रयास किये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी.जी. डब्ल्यू.बी.) ने 'भूजल के पुनर्भरण के अध्ययन' संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम कार्यान्वित की है जिसके तहत गुजरात सहित देश के विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 174 कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें प्रारम्भ की गई हैं। इस स्कीम के तहत प्रारम्भ की गई पुनर्भरण परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने 175 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दसवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए ''भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन'' संबंधी एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम भी अनुमोदन के लिए प्रस्तावित की है। प्रस्तावित स्कीम के तहत प्रारम्भ की जाने वाली पुनर्भरण संरचनाओं की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) जल राज्य का विषय होने के कारण वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना को अनिवार्य बनाने संबंधी उपाय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए जाने होते हैं। तथापि, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत गठित केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम जिले, हरियाणा के फरीदाबाद और बल्लभगढ़ नगर निगम, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद नगर निगम, हरियाणा के गुड़गाँव टाउन और गुड़गांव जिले के आस-पास के औद्योगिक क्षेत्रों, जोकि 'अधिसूचित क्षेत्र' हैं, में स्थित ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों, संस्थानों, स्कूलों, होटलों, औद्योगिक स्थापनों और फार्म हाउसों को छत के वर्षा जल संचयन की प्रणाली अपनाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के ऐसे क्षेत्रों जहां भूजल स्तर 8 मीटर से अधिक है और भूजल निकाला जा रहा है में स्थित सभी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को छत के वर्षा जल संचयन की प्रणाली अपनाने के निर्देश भी जारी किए हैं। जल संसाधन मंत्रालय ने शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय को भी छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करने की सलाह दी है। तदनुसार, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने दिल्ली में 100 वर्गमीटर और उससे अधिक के भूखंडों पर बने सभी नए भवनों में वर्षा जल सहित जल अपवाह के संचयन के माध्यम से वर्षा जल संचयन के प्रावधान को अनिवार्य बनाते हुए भवन उप-नियमावली, 1983 में संशोधन किया है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा और तमिलनाडु राज्य सरकारों ने भी विनिर्दिष्ट श्रेणी के भवनों के लिए छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने के लिए नगर भवन उप-नियमों में संशोधन जारी किए हैं।

विवरण I

केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम ''भूजल के पुनर्भरण के अध्ययन'' के तहत कृत्रिम पुनर्भरण का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित परियोजनाओं की लागत (लाख रुपए में)	30.6.2003 तक जारी की गई राशि (लाख रुपये में)	पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या	चल रही परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	10	54.55	52.25	10	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	20.00	20.00	1	0

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	1	63.50	63.50	0	1
4.	बिहार	2	10.52	9.84	1	1
5.	चंडीगढ़	7	64.23	60.49	5	2
6.	दिल्ली	18	96.07	92.22	15	3
7.	गुजरात	3	20.05	20.05	3	0
8.	हरियाणा	8	107.17	107.17	4	4
9.	हिमाचल प्रदेश	6	81.65	81.65	6	0
10.	जम्मू एवं कश्मीर	8	78.96	78.96	6	2
11.	झारखण्ड	5	25.73	25.73	0	5
12.	कर्नाटक	2	43.30	43.30	1	1
13.	केरल	13	88.18	88.18	8	5
14.	मध्य प्रदेश	5	53.85	53.85	5	0
15.	महाराष्ट्र	4	126.63	81.63	3	1
16.	मेघालय	1	20.32	18.65	1	0
17.	मिजोरम	1	28.00	28.00	1	0
18.	नागालैंड	3	116.43	110.47	1	2
19.	उड़ीसा	8	1508.29	1152.46	1	7
20.	पंजाब	17	361.92	361.92	15	2
21.	राजस्थान	18	122.80	122.24	12	6
22.	तमिलनाडु	10	161.14	161.14	8	2
23.	उत्तर प्रदेश	10	139.07	103.31	5	5
24.	उत्तरांचल	1	2.00	2.00	1	0
25.	पश्चिम बंगाल	7	154.09	130.23	2	5
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	3	12.92	8.39	0	3
27.	लक्षद्वीप	2	19.85	19.85	0	2
	कुल	174	3581.22	3097.48	115	59

विवरण II

"भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा चल संचयन" संबंधी स्कीम के तहत शुरू की जाने वाली पुनर्भरण संरचनाओं की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुनर्भरण संरचनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	185
2.	बिहार और झारखंड	205
3.	छत्तीसगढ़	104
4.	दिल्ली	235
5.	गोवा	30
6.	गुजरात	240
7.	हरियाणा	260
8.	हिमाचल प्रदेश	64
9.	जम्मू और कश्मीर	40
10.	कर्नाटक	373
11.	केरल	95
12.	मध्य प्रदेश	232
13.	महाराष्ट्र	212
14.	पूर्वोत्तर राज्य	165
15.	उड़ीसा	100
16.	पंजाब	425
17.	राजस्थान	196
18.	सिक्किम	170
19.	तमिलनाडु	184
20.	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	770
21.	पश्चिम बंगाल	236
22.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	77
23.	चंडीगढ़	100
24.	लक्षद्वीप	100
25.	दादरा व नगर हवेली	140
26.	दमन व दीव	110
27.	पांडिचेरी	38
28.	पूर्वी तटीय राज्य	1
29.	पश्चिमी तटीय राज्य	1

[हिन्दी]

कस्तूरी मृगों का अवैध शिकार

1065. श्री मोहन रावले: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान हिमालय क्षेत्र में कस्तूरी मृगों और अन्य दुर्लभ जानवरों का अवैध शिकार निर्बाध जारी है और इसका मुख्य कारण औषधियों विशेषकर यौन शक्तिवर्धक औषधियों का तैयार किया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कस्तूरी मृगों के संरक्षण हेतु कौन से प्रभावी कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) हिमालयी प्रदेश से कस्तूरी मृग सहित दुर्लभ जानवरों के अवैध शिकार की सूचना समय-समय पर मिलती रहती है। कस्तूरी मृग और गैंडों जैसे जानवरों का अवैध शिकार मुख्य रूप से क्रमश: कस्तूरी और सींग के लिए किया जाता है जिनका उपयोग कामोत्तेजक सूत्रों में किया जाता है।

(ख) कस्तूरी मृग की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित है:-

(1) कस्तूरी मृग को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में शमिल किया गया है जिससे इसे उच्चतम सुरक्षा प्रधान की गई है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कस्तूरी मृग का शिकार निषिद्ध है।

(2) कस्तूरी मृग के अवैध शिकार और इसके अंगों तथा उत्पादों के अवैध व्यापार की शास्ति को न्यूनतम एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष और अधिकतम छ: वर्ष से

बढ़ाकर सात वर्ष कर दिया गया है। नियमित अपराधियों की सम्पत्ति जब्त करने का प्रावधान भी किया गया है।

(3) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्यजीव अपराधियों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकद्दमा चलाने की शक्तियां प्रदान की गई है।

(4) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत राज्य सरकारों को, वन्यजीव अपराधों का पता लगाने और अपराधियों को पकड़वाने में मदद करने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपये तक की राशि से पुरस्कृत करने की शक्तियां प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र के जल मल शोधन संयंत्र का विपथन

1066. श्री नरेश पुगलिया: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय नदी कार्य योजना, केन्द्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत प्रायोजित केन्द्रीय योजना है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने जल मल व्ययन और जल मल शोधन संयंत्र के अवरोधन और विपथन संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केन्द्र सरकार के पास उसकी प्रशासनिक मंजूरी हेतु भेजी है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त मंजूरी प्रदान कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत स्कीमें मार्च, 1997 तक भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार के बीच बराबर-बराबर की लागत हिस्सेदारी के आधार पर वित्त पोषित की जाती थीं। अप्रैल 1997 से राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत स्कीमें 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम हैं जबकि मार्च 2001 के बाद अनुमोदित नई स्कीमें भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार/स्थानीय निकाय के बीच 70:30 की लागत की हिस्सेदारी के आधार पर वित्त पोषित की जा रही है।

(ख) से (ङ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के चार नगरों नामतः नासिक, त्र्यंबकेश्वर, नांदेड़ और कराद के लिए अपशिष्ट जल के अवरोधन और दिशा परिवर्तन और सीवेज शोधन संयंत्र से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्टें अनुमोदित की गई थी। सरकार द्वारा सांगली के सीवेज शोधन संयंत्र की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में अनुमोदित कर दिया गया था परंतु अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन घटक के कार्य के स्वरूप में परिवर्तन के कारण इसे छोड़ दिया गया था जिसके लिए अलग से अनुमोदन लेना आवश्यक था।

कर्नाटक में वरही परियोजना

1067. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में वरही परियोजना का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सिंचाई बोर्ड (एन.आई.जी.ए.एम.) निकट भविष्य में परियोजना कार्य पूरा कर लेगा;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) 250.00 करोड़ रुपये की नवीनतम लागत वाली वरही सिंचाई परियोजना, जिसमें 15.70 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजन करने की योजना है, का निष्पादन किया जा रहा है और इसके, दसवीं पंचवर्षीय योजना के बाद पूरी होने की संभावना है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) उन निर्माणाधीन वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को प्रदान की जाती है जिन्हें योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति दे दी गई है। वरही सिंचाई परियोजना, एक अनुमोदित परियोजना होने के नाते, एआईबीपी के अंतर्गत सीएलए के लिए पात्र नहीं है।

[हिन्दी]

जैव कृषि और कृषि में नई तकनीक

1068. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों को जैव कृषि द्वारा फल और सब्जी की उपज बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन देने और उन्हें कृषि की नई तकनीकों से परिचित कराने हेतु कोई कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा फलों और सब्जियों सहित जैविक फार्मिंग शुरू करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु जैविक उत्पादन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत जैविक फार्मिंग प्रत्यायन अभिकरणों की पहचान की गई है और वाणिज्यिक विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रत्यायन हेतु नियमों और प्रक्रियाओं पर दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, जैव-उर्वरकों, हरी खाद, वर्मी-कम्पोस्ट, फार्म यार्ड खाद तथा जैविक फार्मिंग प्रणाली में नीम आधारित समेकित कीट प्रबंध नियंत्रण उपायों के भी वर्द्धित उपयोग को बढ़ावा दे रहा है।

[अनुवाद]

जल की कमी

1069. **श्री सवशीभाई मकवाना:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने हाल ही अपनी रिपोर्ट में कुछ विकासशील देशों में पानी के गंभीर संकट की ओर इशारा किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रिपोर्ट में भारत सर्वाधिक प्रभावित देशों में एक कहा गया है;

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट में किन कारणों का उल्लेख किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा आगामी वर्षों में पानी की कमी से निपटने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ''अनलाकिंग द वाटर पोटेन्शियल आफ एग्रीकल्चर'' नामक रिपोर्ट के अनुसार जल की कमी वाले देशों में किसी देश का नामश: उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि वर्ष 2030 तक प्रत्येक पांच विकाससील देशों में से एक को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि विकासशील देशों में मौजूदा 205 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र के वर्ष 2030 तक 242 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ जाने की आशा है तथा सिंचाई के लिए निकाले जाने वाले जल में 14 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। वर्ष 2030 तक पूर्व एशिया, पूर्व के समीप और उत्तर अफ्रीका अपनी सिंचाई योग्य भूमि के तीन-चौथाई हिस्से और दक्षिण एशिया लगभग 90% हिस्से का उपयोग कर रहा होगा।

(घ) देश में सिंचाई और अन्य उपयोगों के लिए जल की उपलब्धता में वृद्धि तथा उसके कुशल उपयोग के लिए 177 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) की भंडारण क्षमता का सृजन किया गया है। निर्माण के विभिन्न चरणों में चल रही परियोजनाओं के पूर्ण होने पर 75 बीसीएम के भंडारण का और सृजन होगा। 132 बीसीएम की भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए भी प्रस्ताव प्रक्रियाधीन/विचाराधीन हैं। निर्माणाधीन स्कीमों को शीघ्र पूरा करके सिंचाई क्षमता के सृजन में तीव्रता लाने के लिए भारत सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) प्रारम्भ किया है। भारत सरकार भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की क्षेत्र सुधार परियोजना के तहत वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल संचयन के माध्यम से वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दे रही है जिसके लिए राज्य सरकारों तथा अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने भी प्रायोगिक आधार पर ''भूजल के पुनर्भरण के अध्ययन'' संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम प्रारम्भ की है। सृजित तथा प्रयुक्त क्षमता के बीच के अंतर को कम करने के लिए राज्य सरकारों को कमान क्षेत्र विकास (सीएडी) कार्यक्रम के तहत भी सहायता दी जा रही है। जल की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने एक दीर्घकालीन उपाय के रूप में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें दाता-आदाता राज्यों के बीच आम सहमति के अनुसार जहां व्यवहार्य हो वहां अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल को जल की कमी वाले बेसिनों में हस्तांतरित किए जाने के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़े जाने की योजना है।

[हिन्दी]

एयर इंडिया द्वारा बिक्री एजेंटों को कमीशन

1070. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:**
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया को अपने लंदन स्थित कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बिक्री एजेंटों को मनमाने ढंग से निर्धारित कमीशन के भुगतान के परिणामस्वरूप भारी घाटा उठाना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो एयर इंडिया को इसके परिणामस्वरूप कुल कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या सी.बी.आई. जांच में दोषी पाये जाने के बाद इन अधिकारियों पर कोई जुर्माना लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी धनराशि का जुर्माना लगाया गया और इसके कब तक वसूली किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) सीबीआई ने लंदन में मै. वेलकम ट्रैवल्स के इसके भूतपूर्व जनरल सेल्ज एजेंट को एयर इंडिया द्वारा अनुचित भुगतान संबंधी मामले की छानबीन की है और उसने 268,888.01 यूके पौंड स्टर्लिंग के रूप में अतिरिक्त भुगतान की वसूली की सिफारिश की है।

(ग) और (घ) जी, हां। एक अधिकारी पर प्रताड़ना/निंदा की पेनल्टी आरोपित कर दी है। एक और अधिकारी के मामले में अंतिम सेवानिवृत्त देय जबकि तीसरे अधिकारी के मामले में चिकित्सा और यात्रा संबंधी सुविधाएं वापस ले ली गई हैं। एयर इंडिया ने जनरल सेल्ज एजेंट को दिए गए अतिरिक्त रकम की वसूली करने की बाबत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

एयर कोरिडार को कई लेन का बनाया जाना

1071. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कई लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की तर्ज पर देश से गुजरने वाले एयर कोरिडार को कई लेन वाला बनाकर भारतीय वायु सेवा में क्रांति लाने का है ताकि वर्तमान हवाई यातायात के कम से कम तीन गुने यातायात का वहन किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का और भारतीय वायु क्षेत्र तथा भारतीय हवाईअड्डों पर अतिरिक्त विमान सेवाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विमान कंपनियों द्वारा की गई मांग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को लागू करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एयर कोरिडोर्स की मल्टीपल-लेनिंग के सिस्टम को इमार्सह (ईएमएआरएसएसएच) (एशिया से मध्य पूर्व/यूरोप-साउथ आफ हिमालय के लिए संशोधित सर्विसेज रूट स्ट्रक्चर) के नाम से पुकारा गया है। यह 28 नवम्बर, 2002 को लागू किया गया। इस सिस्टम में, कुछ पुराने एयर कोरिडोर्स को हटा दिया गया है और लगभग 20 नए एयर कोरिडोर्स शामिल किए गए हैं। पुराने एयर कोरिडोर्स में कुछ निर्मित कनवर्जिंग प्वाइंट उपलब्ध थे। नए सिस्टम में, अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रैफिक की मांग की पूर्ति के लिए उन कनवर्जिंग प्वाइंट्स को हटाने के प्रयास किए गए हैं।

एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस द्वारा अपने बेड़े में विस्तार

1072. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के पुराने विमान हटाकर उनकी क्षमता से वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक सभी औपचारिकतायें पूरी हो जायेंगी?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस के निदेशक मंडल ने 27 मार्च, 2002 को हुई अपनी 61वीं बैठक में 10,089 करोड़ रुपये की शुद्ध लागत से वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक अवधि के दौरान एयरबस इंडस्ट्रीज से ए-319, ए-320 तथा ए-321 किस्म के 43 विमान खरीदने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया। यह प्रस्ताव इंडियन एयरलाइंस द्वारा सरकार के अनुमोदनार्थ भेजा जा चुका है। इस समय कोई पक्की तारीख नहीं बताई जा सकती चूंकि निर्धारित क्रियाविधियों का अनुपालन किया जाता है।

एयर इंडिया की भी अपने विमान-बेड़े को युक्तियुक्त बनाने और क्षमता के विस्तार के साथ-साथ अपेक्षाकृत पुराने विमानों को हटाने के उद्देश्य से नए विमान खरीदे जाने की योजनाएं हैं। सरकार को अभी तक तत्संबंधी प्रस्ताव नहीं मिला है।

नीलाचल इस्पात संयंत्र की स्थापना के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास और उन्हें मुआवजा

1073. श्री के.पी. सिंह देव: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में नीलाचल इस्पात संयंत्र की स्थापना के कारण कितने लोग विस्थापित हुये; और

(ख) सरकार द्वारा प्रभावित हुये लोगों के पुनर्वास और उन्हें मुआवजा देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) नीलाचल इस्पात संयंत्र निगम को स्थापित करने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा अधिगृहीत की गई भूमि से कुल 634 परिवार विस्थापित हुए हैं।

(ख) सरकार ने विस्थापित लोगों के लिए गोबरघाटी में पुनर्वास कालोनी स्थापित की है जहां बसने के इच्छुक परिवार स्थानान्तरित हो गए हैं। इस कालोनी में एक प्राथमिक स्कूल, सड़कें, सामुदायिक केन्द्र, बिजली तथा पीने के पानी की व्यवस्था है। प्रत्येक विस्थापित परिवार को रहने की अस्थाई व्यवस्था के लिए 2000/- रुपए की राशि दी गई तथा ऐसे परिवारों, जिन्होंने अपना स्वयं पुनर्वास करने का विकल्प दिया था, को 50,000/- रुपए की राशि दी गई थी।

विशेष सूखा राहत कोष

1074. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2003-04 के दौरान धान की दो किस्मों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य 550 रुपये और 580 रुपये निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) धान, गेहूं और गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष बढ़ाये जाने का क्या औचित्य है जबकि भारतीय खाद्य निगम के भंडारगृहों में इनका बिना बिका भारी भंडार पड़ा हुआ है;

(घ) क्या वर्ष 2003-04 हेतु पिछले वर्ष की तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल का विशेष सूखा राहत कोष का संघटक शामिल है; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 2003-04 हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य में एस.डी.आर.एफ. को शामिल किये जाने के क्या कारण हैं जबकि अच्छे मानसून के कारण देश में सूखे के हालात नहीं हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ङ) वर्ष 2003-04 के दौरान धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) का निर्धारण इस समय सरकार के विचाराधीन है।

पर्यटन उद्योग में कर ढांचा

1075. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या होटल उद्योग में विद्यमान कराधान की बहुलता के कारण विदेशी पर्यटकों के आगमन में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में पर्यटन उद्योग में विद्यमान कर ढांचे पर गौर करने हेतु एक समिति का गठन किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(च) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(छ) प्रत्येक राज्य में एकल खिड़की प्रणाली की व्यवस्था करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/जाने का विचार है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) होटल उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, केन्द्र सरकार द्वारा होटलों पर लगाया गया 10% व्यय कर, 1 जून, 2003 से पूरी तरह हटा लिया गया है। होटल उद्योग को जहां होटलों में आयोजित सम्मेलनों और बैंकटों के दौरान पर्याप्त भोजन परोसा जाता है, वहां भी सेवा कर में छूट का विस्तार दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (चै) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे अपने-अपने राज्यों में एकल खिड़की क्लियरेंस प्रणाली स्थापित करें।

'सार्स' की वजह से हानि

1076. श्री चिंतामन वनगा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ देशों में सार्स के फैलने की वजह से कुछ उड़ानों को निलंबित करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उड़ानों को रद्द किए जाने के कारण हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सार्स प्रभावित देशों के लिए उड़ानें पुनः शुरू की जा चुकी है; और

(ङ) यदि हां, तो यात्रियों और विमानों के कर्मी दल को 'सार्स' से बचाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) जी, हां। एयर इंडिया को हांग-कांग के लिए अपनी उड़ाने बन्द करनी पड़ी थी तथा सिंगापुर, बैंकाक और टोकियो के लिए अपने परिचालनों को कम करना पड़ा।

(ग) सार्स बीमारी के फैलने के साथ-साथ इराक में युद्ध तथा एयर इंडिया के पायलटों द्वारा उड़ान भरने से इंकार करने के परिणामस्वरूप रद्द उड़ानों तथा इन कारणों से हुई हानियों की मात्रा का पता लगाना कठिन है।

(घ) एयर इंडिया ने जून, 2003 से बैंकाक और टोकियो के लिए अपनी उड़ानें आरम्भ कर दी हैं। चूंकि हांग-कांग 'सार्स' से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है इसलिए हांग-कांग के लिए बन्द की गई उड़ानों को मंद बाजार के कारण अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है। बहरहाल 11.07.2003 से हांग-कांग के रास्ते ओसाका के लिए दो उड़ानें आरम्भ की गई है।

(ङ) एयर इंडिया के प्रबंधन के विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयटा द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार हर सम्भव एहतियात बरती है।

सभी कर्मी दल सदस्यों को मास्क उपलब्ध कराए गए हैं। निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार विमानों को कीटाणु रहित किया गया, सफाई के लिए विशेष प्रकार के डिटर्जेंट उपलब्ध कराए गए। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए विमान के उड़ने से पूर्व हांग-कांग और सिंगापुर हवाई अड्डों पर संबंधित देश के स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा यात्रियों की कड़ी जांच की गई थी। इसी प्रकार भारतीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा भी सभी प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की व्यापक स्वास्थ्य जांच की गई। एयर इंडिया ने ऐसी व्यवस्थाएं भी की थी कि कर्मीदल को ऐसे शहरों में रात को रूकना न पड़े। कर्मीदल, काकपिट क्रू, भू अनुरक्षण दल तथा सभी कर्मचारियों को इस बीमारी के संबंध में अनेक स्वास्थ्य सलाहें दी गई, जैसे कि विमान में 'सार्स' प्रभावित मामले से कैसे निपटें, सार्स प्रभावित शहरों में जाने तथा वापिस आते समय कैसे एहतिहाती कदम उठाएं जाएं।

बाल श्रम संबंधी राष्ट्रीय नीति में संशोधन

1077. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल श्रम संबंधी कानूनों को कड़ाई से लागू करने हेतु बाल श्रम संबंधी राष्ट्रीय नीति, 1987 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं (एन.सी.एल.पी.) के लिए राज्यवार कितना वित्तीय आवंटन किया गया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) वर्तमान में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान निधियों के आवंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अभी तक कोई निधि आवंटित नहीं की गई है।

विवरण

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की स्कीम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार निधियों का आवंटन

(रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2000-2001	2001-2002	2002-2003
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	11,84,33,204	16,57,66,834	17,30,99,447

1	2	3	4	5
2.	बिहार	1,90,74,484	95,02,507	1,50,38,454
3.	कर्नाटक	97,44,405	2,11,47,534	2,96,34,864
4.	मध्य प्रदेश	18,410,684	1,01,28,924	1,50,40,004
5.	महाराष्ट्र	38,19,492	56,40,776	1,34,26,232
6.	उड़ीसा	7,65,21,415	12,32,13,408	9,29,31,983
7.	राजस्थान	1,80,40,638	3,09,39,987	3,37,10,290
8.	तमिलनाडु	3,01,70,905	6,55,71,835	7,49,14,668
9.	उत्तर प्रदेश	3,36,23,091	7,66,99,134	8,41,73,823
10.	पश्चिम बंगाल	3,45,14,785	5,21,31,878	5,00,76,934
11.	पंजाब	59,96,066	1,14,64,151	1,87,54,380
12.	चंडीगढ़	–	1,05,65,638	1,87,05,009
13.	झारखंड	–	1,74,59,149	1,64,78,418

विमानपत्तन का पुनः नामकरण

1078. **डा. मन्दा जगन्नाथ:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुरू रवि दास की स्मृति में वाराणसी विमानपत्तन तथा भारत रत्न, डा.बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर नागपुर विमानपत्तन का पुनः नामकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह पाया गया है कि सामान्यतः यात्री तथा विशेषः विदेशी पर्यटक तथा अन्य यात्री, जो सम्भवतः स्थानीय इतिहास से परिचित नहीं होते, हवाई अड्डे को आसानी से पहचान पाते हैं यदि उनका नाम उसी शहर के नाम पर हो जिसे वह सेवा प्रदान करता है।

मोटे अनाजों, दालों और खाद्य तेलों के लिए समर्थन मूल्य योजना

1079. **श्री ए. वेंकटेश नायक:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोटे अनाजों, दालों और खाद्य तेलों को समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत लाने हेतु राज्य प्रतिनिधियों के साथ कोई बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार मोटे अनाजों, दालों आदि को समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत लाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उन महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों के नाम क्या हैं जो वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत आते हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी तथा जौ) और दलहन (अरहर (तुर), मूंग, उड़द, मसूर और चना) पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) स्कीम के दायरे में आते हैं।

(च) न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम के अन्तर्गत कवर की गई कृषि जिंसें हैं- धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, गेहूं, जौ, चना, अरहर (तुर), मूंग, उड़द, मसूर (लैंटिल), गन्ना, कपास, मूंगफली छिलके सहित, पटसन, तोरिया/सरसों, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, कुसम, तोरिया, तम्बाकू (वी एफ सी), खोपरा, तिल तथा रामतिल।

[हिन्दी]

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु राज्यों में अतिथि गृह

1080. श्रीमती रीना चौधरी: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु उपलब्ध अतिथि गृहों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन अतिथि गृहों में ठहरने वाले कर्मचारियों से सरकार द्वारा लिए जा रहे किराये का अतिथि-गृहवार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) संलग्न विवरण-I में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।

(ख) संलग्न विवरण-II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।

विवरण I

दौरा पर अधिकारियों हेतु होस्टल तथा अवकाश गृहों की सूची

क. दौरे पर अधिकारियों हेतु होस्टल

क्र.सं.	नगर का नाम	अतिथि गृह का स्थान
1.	कोलकाता	निजाम पैलेस, 234/4, आचार्य जे.सी. बोस रोड, कोलकाता-20
2.	मुम्बई	(1) प्रतिष्ठा भवन, 101, एम.के. रोड़ (चर्च गेट के निकट) मुम्बई-20
		(2) केन्द्रीय सरकार बहुंजिला अपार्टमेंट, हैदराबाद एस्टेट, नेपियन सी रोड प्रियदर्शिनी पार्क), मुम्बई
3.	चेन्नई	(1) शास्त्री भवन, 26-हैडोज रोड, चेन्नई-600006
		(2) जी-स्कंध, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, राजाजी भवन, बसन्त नगर, चेन्नई-600090
4.	बेंगलूर	(1) केन्द्रीय सरकार अधिकारी आवास, पूछताछ कार्यालय (सिविल) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, मुख्यालय, डोमलुर, बेंगलुर-560071
		(2) केन्द्रीय सरकार अतिथि गृह, सत्रहवां मुख्य, II ब्लाक, कोरमंगला, बेंगलूर-560034
5.	त्रिवेन्द्रम	सी.जी.ओ. परिसर, वेलायनी, डाकखाना पुनकुलम, त्रिवेन्द्रम-695522
6.	लखनऊ	केन्द्राचल कालोनी, सेक्टर-के, अलीगंज, लखनऊ-226020
7.	दिल्ली	एफ-ब्लाक, कर्जन रोड़ होस्टल, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

ख. अवकाश गृह

क्र.सं.	नगर का नाम	अवकाश गृह का स्थान
1	2	3
1.	शिमला	ग्रैंड होटल, दि माल, शिमला-171001
2.	कन्याकुमारी	केन्द्रीय सरकार कर्मचारी अवकाश गृह, कोवलम रोड, (लाइट हाउस के समीप), कन्याकुमारी

1	2	3
3.	अमरकंटक	केन्द्रीय सरकार अवकाश गृह, अमरकंटक (मध्य प्रदेश पर्यटन के साथ)
4.	मैसूर	अवकाश गृह, के.लो.नि.वि. कार्यालय परिसर, टी. नरसीपुर रोड, सिद्धार्थ नगर, मैसूर-570011

विवरण II

दौरा पर सरकारी अधिकारियों हेतु होस्टल/अवकाश गृहों के लिए किराया

(प्रभार, प्रति दिन)

आवास की श्रेणी	ड्यूटी पर सेवारत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी	छुट्टी पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी	सरकारी कर्मचारियों के अतिथि के रूप में साथ रहने वाले गैर सरकारी व्यक्ति
क. यात्रा पर अधिकारियों हेतु होस्टल			
एक बिस्तर वाला कमरा	15/-रु.	25/-रु.	100/-रु.
दो बिस्तर वाला कमरा	30/-रु.	50/-रु.	195/-रु.
शयन शाला/पी.ए. कक्ष	10/-रु.	15/-रु.	65/-रु.
ख. अवकाश गृह (ग्रैंड होटल, शिमला को छोड़कर)			
एक बिस्तर वाला कमरा	25/-रु.	25/-रु.	115/-रु.
दो बिस्तर वाला कमरा	40/-रु.	40/-रु.	165/-रु.
चार बिस्तर वाला कमरा	50/-रु.	50/-रु.	245/-रु.

अवकाश गृह (ग्रैंड होटल, शिमला)

कक्षों की श्रेणी	ड्यूटी पर सेवारत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी	अवकाश पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी/सेवा-निवृत्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी	सरकारी कर्मचारियों के अतिथि के रूप में साथ रहने वाले गैर सरकारी व्यक्ति
एकल	70	140	350
विवाहित (2 बिस्तरे)	105	210	525
परिवार हेतु कमरा (4 बिस्तरे)	140	280	700
अतिविशिष्ट व्यक्ति हेतु (4 बिस्तरे वाला कमरा) मेयो ब्लाक	300	600	1800
शयन-शाला (प्रति बिस्तर)	50	100	150

ग्रैंड होटल, शिमला के लिए दरें 16 जुलाई से 30 सितम्बर, तथा 16 जनवरी से 31 मार्च तक कम करके आधी होती हैं।

[अनुवाद]

सिंगापुर के लिए उड़ानें

1081. श्री वी.एस. शिवकुमार: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तिरूवनंतपुरम और सिंगापुर को हवाई मार्ग से जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) सिंगापुर की सिल्क एयर तिरूवनंतपुरम और सिंगापुर के बीच प्रति सप्ताह 3 सेवाएं प्रचालित कर रही है।

पारिस्थितिकीय पर्यटन सर्किट

1082. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिलांग की पूर्वोत्तर के पारिस्थितिकीय पर्यटन सर्किटों में से एक के रूप में पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) शिलांग, पारिस्थितिकीय पर्यटन परिपथ नामक, पूर्वोत्तर परिपथ में शामिल है, जो इस प्रकार है:–

शिलांग-गुवाहाटी-काजीरंगा-तेजपुर-भलकपुंग-तवांग (अरुणाचल प्रदेश)-मजुली-सिवसागर-कोहिमा।

पूर्वोत्तर के परिपथ के विकास हेतु, वर्ष 2002-2003 क दौरान, निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं:–

असम:

(1) ब्रह्मपुत्र के साथ रिवर फ्रंट का विकास।

(2) भलकपुंग में जनजातीय ग्राम का विकास।

(3) खोड़ा में कैंपिंग स्थल।

(4) संकेतक।

नागालैण्ड:

(1) खोनोमा में हरित ग्राम योजना

वर्ष 2002-2003 के दौरान, उत्पाद/अवसंरचना तथा गंतव्य विकास योजना के अंतर्गत, निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए, मेघालय सरकार को 70.35 लाख रु. की राशि की मंजूरी दी गई हैं:–

1. नागखनम में सोनखई वीनिया फाल्स के ऊपर सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण।
2. नागखनम द्वीप में 4 कुटीरों का निर्माण।
3. लंपोडिंग द्वीप के उमीयम में बोट हाउस कैफेटेरिया एवं अन्य सुविधाओं का निर्माण।

चालू वर्ष 2003-04 में, अवसंरचना, उन्नयन तथा प्रचार परियोजना के अभिनिर्धारण की प्रक्रिया, मेघालय सरकार समेत, राज्य सरकारों के परामर्श से पहले ही शुरू की जा चुकी है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में यूरिया उर्वरक का प्रयोग

1083. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में प्रयोग में लाए जा रहे यूरिया उर्वरक की प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस उर्वरक के प्रयोग को कम करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001-02 के दौरान 81% के अखिल भारतीय औसत की तुलना में नाइट्रोजन पोषक तत्व की खपत का 87.86% उपयोग यूरिया उर्वरक से किया जा रहा है।

(ख) से (घ) सरकार मृदा परीक्षण के आधार पर यूरिया सहित रासायनिक उर्वरकों के युक्तिसंगत उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा पौध पोषक तत्वों के अनुपूरण तथा कृषि उत्पादकता को सतत बनाए रखने के लिए जैविक खाद तथा जैव उर्वरकों के मिश्रित उपयोग पर भी जोर दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

फ्रिक्वेन्ट फ्लायर प्रोग्राम

1084. **श्री परसुराम माझी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन एयरलाइंस द्वारा शुरू किए गए फ्रिक्वेन्ट फ्लायर प्रोग्राम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ख) एफ.एफ.पी. को किस तिथि से लागू किया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) फ्रीक्वेन्ट फ्लायर कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं:-

*पंजीयन:

12 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु का व्यक्ति सदस्य बन सकता है।

*वैधता:

- इसमें शामिल होने की तारीख से सदस्यता 3 वर्षों के लिए वैध है।

*विशेषाधिकार:

- सफल होने पर नि:शुल्क अवार्ड टिकटें।
- बड़े हवाई अड्डों पर सदस्यों के लिए अलग चैक-इन काउंटर।
- केवल हाथ का सामान लेकर यात्रा कर रहे सदस्य दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै, हैदराबाद और बंगलोर पर टैली चैक-इन ले सकते हैं।
- इंडियन एयर लाइंस के अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय सैक्टरों पर (डोर्नियर और एटीआर-42 विमान को छोड़कर) 10 किलोग्राम अतिरिक्त सामान भत्ता।
- जब प्रतीक्षा सूची में हो, तब पुष्टि कराने के लिए अग्रता।
- आकर्षक अर्न-बर्न अनुपात।
- पुनर्लाभ के प्रयोजन के लिए उपार्जित माइलेज प्वाइंटों को प्राप्त करने के लिए पति-पत्नी को अपने प्वाइंट्स इकट्ठा करने की अनुमति दी गई है।
- निश्चित समयावधि आधार पर एवार्ड टिकट जारी किए जाते हैं।
- संबंधी अथवा मित्र भी इन प्वाइंटों का प्रयोग कर सकते हैं।

(ख) इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया और एलायंस एयर (इंडियन एयरलाइंस की एक अनुषंगी) की संयुक्त फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्यक्रम जून, 1994 में लाया गया था।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत किसानों के लम्बित बीमा दावे

1085. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत अनेक वर्षों से देश के विभिन्न राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) के तहत किसानों को भुगतान बकाया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और उसके पश्चात् तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान बीमा दावों के विरुद्ध किए गए भुगतान का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान देय बकायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बकाया राशि का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रबी 1999-2000 में लागू की गई थी। पिछले छ: फसल मौसमों (अर्थात रबी 1999-2000 से खरीफ 2002) के लिए महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में लम्बित दांवों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

ये दावे अभी लम्बित हैं, क्योंकि दावों से संबंधित देयता का राज्य का अंश एवं/अथवा प्रीमियम राजसहायता की राशि कार्यान्वयन अभिकरण को प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत प्रदत्त दावों एवं बकाया दावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) राज्यों से धनराशि प्राप्त होते ही दावों का निपटान कर दिया जाता है।

विवरण I

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत पिछले छः मौसमों के दौरान लम्बित दावे

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	मौसम	कुल बकाया दावे
1.	मध्य प्रदेश	खरीफ 2000	12.65
2.	झारखण्ड	रबी 2000-01	0.11
3.	महाराष्ट्र	रबी 2000-01	23.45
4.	झारखण्ड	खरीफ 2001	1.75
5.	कर्नाटक	खरीफ 2001	15.52
6.	केरल	खरीफ 2001	170.44
7.	असम	रबी 2001-02	12.11
8.	झारखण्ड	रबी 2001-02	2.03
9.	केरल	रबी 2001-02	1.56
10.	असम	खरीफ 2002	0.79
11.	बिहार	खरीफ 2002	1308.82
12.	गुजरात	खरीफ 2002	704.03
13.	झारखण्ड	खरीफ 2002	23.67
14.	कर्नाटक	खरीफ 2002	1510.70
15.	केरल	खरीफ 2002	16.81
16.	मध्य प्रदेश	खरीफ 2002	11779.95
17.	महाराष्ट्र	खरीफ 2002	2509.36
18.	मेघालय	खरीफ 2002	587
19.	तमिलनाडु	खरीफ 2002	8.82
	कुल		18108.44

विवरण II

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत प्रदत्त दावे तथा बकाया दावे

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	कुल दावे	प्रदत्त दावे	भुगतान योग्य दावे
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	34653.80	34653.80	0.00
2.	असम	15.92	3.02	12.90

1	2	3	4	5
3.	बिहार	2122.48	813.66	1308.82
4.	छत्तीसगढ़	16382.09	16382.09	0.00
5.	गोवा	2.23	2.23	0.00
6.	गुजरात	93141.60	92437.57	704.03
7.	हिमाचल प्रदेश	485.64	485.64	0.00
8.	झारखण्ड	27.56	0.00	27.56
9.	कर्नाटक	18225.19	16698.97	1526.22
10.	केरल	583.10	394.29	188.81
11.	मध्य प्रदेश	26804.91	15012.31	11792.60
12.	महाराष्ट्र	27194.00	24661.19	2532.81
13.	मेघालय	16.67	10.80	5.87
14.	उड़ीसा	35426.76	35426.76	0.00
15.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
16.	तमिलनाडु	1987.18	1978.36	8.82
17.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
18.	उत्तर प्रदेश	3096.57	3096.57	0.00
19.	पश्चिम बंगाल	467.33	467.33	0.00
20.	अंडमान व निकोबार	0.61	0.61	0.00
21.	पांडिचेरी	59.32	59.32	0.00
	कुल	260692.96	242584.52	18108.44

वनों के विकास में सामुदायिक भागीदारी

1086. श्री अनन्त नायक: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वनों के संरक्षण और विकास में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस दिशा में, विशेषकर उड़ीसा के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) जी, हां।

(ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन प्रभाग तथा संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों के स्तर पर समाज को शामिल करते हुए ग्रामीण स्तर पर वन विकास अभिकरण के टू-टीयर मेकेनिज्म के माध्यम से वनों के पुनरूद्भव और विकास हेतु राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) दसवीं योजना के दौरान उड़ीसा सरकार को 1138 संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों को शामिल करते हुए 28 वन विकास अभिकरणों के लिए कुल 60.65 करोड़ रुपये की परियोजना लागत हेतु स्वीकृति प्रदान की है। अब तक 15.11 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

चुनिंदा पौधों के 'जर्मप्लाज्म' की अदला-बदली

1087. **श्रीमती प्रभा राव:**
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और श्रीलंका कृषि अनुसंधान में आपसी सहयोग बढ़ाने हेतु चुनिन्दा पौधों के जर्मप्लाज्म की अदला-बदली करने पर सहमत हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि अनुसंधान नीति परिषद, श्रीलंका के बीच एक कार्ययोजना पर दिनांक 5.5.2003 को हस्ताक्षर किए गये हैं। इस कार्य योजना में प्रशिक्षण/अध्ययन दौरे, जनित्रद्रव्य (जर्मप्लाज्म) का आदान-प्रदान और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोगी अनुसंधान परियोजनाएं शामिल हैं। जनित्रद्रव्य के आदान-प्रदान पर हुई सहमति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। अब तक विनिमय की गई जनित्रद्रव्य सामग्री का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

कार्य योजना के अंतर्गत हुई सहमति के अनुसार जनित्रद्रव्य का आदान-प्रदान (2003-2004)

भारत से श्रीलंका को:

- चावल, रागी, ज्वार, मक्का, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, मिर्च, चना, मूंग, गन्ना की जैविक दबाव प्रतिरोधी और उन्नत किस्में।
- अमरूद, अंगूर, पपीता, चीकू, नागपुरी संतरा, एनौना, आम, अनार, नींबू, इमली, बेर, नारियल, काजू, बैंगन, कद्दू, परवल, लुफ्पा, पत्तागोभी, फूलगोभी, मुरूंगा, टमाटर, चौलाई, मूली, शलजम की उन्नत किस्में।
- गुलाब, बौगनविल्ला, क्राइसैन्थेमम, ग्लैडिला, हिबिस्कस, चमेली, गेंदा की नई संकर किस्में।
- बकरियां और भेड़ों का प्रसंस्कृत वीर्य एवं भ्रूण

श्रीलंका से भारत को:

- औषधीय एवं सगंधीय पौधे
- रैंबुटैन-किस्में: चम्पू, रौंग राजन, तवी देंखें
- एवोकैडो-किस्में: ब्लैकबर्ड, मैक जो, गौटिफ्राइड, फ्यूर्ट
- मैंगोस्टीन-किस्में: जैवानिका बौरेल, चॉयसी
- डूरियन-किस्में: मॉन थौंग, गुम्पुन खाओ, लुऐंग खल्यूज, चा-नी, कैन-यौ, कन्दुम-टौंग

एनौना-ए. ऐटेमॉया किस्में: अफ्रीकन प्राइड, पेज, कोची आइलैंड

ए. स्क्यूआमॉसा किस्में: मौइना नंग, मौइना फाई, लिंकन

ए. चैरीमोला किस्में: एम सी फेसन, बेज

ए. डाइवर्सिफालिया किस्में: इमरी

लैंगसैट (लैंसियम डोमेस्टिकम कोरिया)

सॉर सॉप (ऐनौना म्यूरिकैटा एल)

विवरण II

कार्य योजना के अन्तर्गत भारत और श्रीलंका के बीच जनित्र द्रव्य का आदान-प्रदान (1998-2003)

एक. आयात

क्र.सं.	फसल का नाम	वनस्पति वैज्ञानिक नाम	प्रविष्टि सं.
1	2	3	4
1.	ऐम्ब्रेरेल्ला	स्पॉन्डियस ड्यूल्सिस	1
2.	कैरम्बाला	ऐवेन्हौआ कैरम्बोला	1
3.	चेरिमाया	अनौना चरिमाला	1
4.	मिर्च	कैप्सिकम स्पे.	3
5.	नारियल	काकास न्यूसिफेरा	4
6.	क्रासैन्डा	क्रासैन्ड्रा स्पे.	1
7.	डुरैन	ड्यूरियो जिबनथिनस	1

1	2	3	4
8.	फ्रेंचबीन	फैसेओलस वल्गैरिस	1
9.	गैल सियाम्बला	डैलियम ऐवोइडियम	1
10.	अमरूद	पी सीडियम गौजावा	1
11.	कटहल	एर्टोकार्पस हेटेरॉफिलस	1
12.	लावी	फलैकेर्टिया इन्डिका	1
13.	मैंगोस्टीन	गैर्सीनिया मैंगोस्टैना	2
14.	मूंग	विंग्ना रैडिएटा	13
15.	पपीता	कैरिका पपैया	1
16.	अनार	प्यूनिका ग्रैनैटम	1
17.	रैम्बुटन	नेप्थीलियम लैपैसियम	1
18.	चावल	ओरिजा सविता	20
19.	ज्वार	सौरघम बाइकलर	10
20.	उरूरेसा	फ्लैकोर्टिया इनेर्मिस	1
21.	वेरलु	इलैओकैपर्स सैरैटस	1
		कुल	67

नोट: भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर, भारत द्वारा अन्वेषण से कुल 37 प्रविष्टिया संकलित की गई थीं।

दो. निर्यात

क्र. सं.	फसल का नाम	वनस्पति वैज्ञानिक नाम	प्रविष्टि सं.
1	2	3	4
1.	गोभी	ब्रैसिका ओलीरैसिआ वर. बॉट्रिटिस	1
2.	नारियल	कौकास न्यूसिफेरा	9
3.	ग्लैडिओलस	ग्लैडिओलस स्प.	6
4.	अमरूद	पी सीडियम गौजावा	1
5.	मक्का	जी मेस	4
6.	आम	मैंगिफेरा इन्डिका	2
7.	मैरिगोल्ड	टार्गेटिस स्प.	2

1	2	3	4
8.	मूंग	विग्ना रैडिएटा	1
9.	प्याज	एलियम सेपा	3
10.	मटर	पिसम सैटिवम	2
11.	अनार	प्यूनिका ग्रैनैटम	1
12.	आलू	सोलैनम ट्यूबरोसम	14
13.	ज्वार	सोर्घम बाइकलर	4
14.	टमाटर	लाइकापार्सिकान एस्कुलेन्टम	2
		कुल	52

नोट: श्रीलंका के प्राधिकारियों द्वारा अन्वेषण से संकलित कुल नौ प्रविष्टियां थीं।

राष्ट्रीय जड़ी-बूटी परिषद की स्थापना किया जाना

1088. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में जड़ी-बूटीय पौधों के विकास को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय जड़ी-बूटी परिषद की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में जड़ी-बूटीय पौधों के विकास को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) सरकार का राष्ट्रीय हर्बल परिषद के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय औषधीय पौधों संबंधी बोर्ड (एन.एम.पी.बी.) कार्य कर रहा है।

(ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, कृषि में वृहत प्रबंध-कार्य योजना के जरिए राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण नामक केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत राज्य सरकारें, औषधीय एवं सुगंधदायक पौधों की खेती सहित अपनी अनुभूत आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्यक्रमों को शुरू कर सकें। राष्ट्रीय औषधीय पौधों संबंधी बोर्ड (एन.एम.पी.बी.) देश में औषधीय पौधों के क्षेत्र के समग्र विकास की स्कीमें भी कार्यान्वित कर रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु अतिरिक्त उड़ाने

1089. श्री एम.के. सुब्बा: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र में अतिरिक्त उड़ानों का प्रचालन करने के लिए वर्ष 2002-2007 के दौरान एलायंस एयर को 175 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में एयर कनेक्टिविटि में सुधार लाने की दृष्टि से एलायंस एयर को 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो वर्ष 2002-03 से 2006-07 तक चलेगी में 5 वर्षों के लिए कुल 175 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर परिषद के बजट से प्रति वर्ष 35 करोड़ रुपए के बजटीय अनुदान के भुगतान की मंजूरी दे दी है। तदनुसार पूर्वोत्तर परिषद ने एलायंस एयर द्वारा पट्टे पर चार 50 सीटर विमान खरीदने के लिए वर्ष 2002-03 के दौरान उसे 35 करोड़ रुपए के अनुदान की आन अकाउंट अदायगी की मंजूरी दे दी है। एलायंस एयर के बेड़े में चरणबद्ध ढंग स ये विमान शामिल हो गए हैं जिनसे 3 जनवरी, 2003 से पूर्वोत्तर क्षेत्र से अलग-अलग स्थानों के लिए प्रचालन सेवाएं की जा रही है।

आई.सी.ए.आर. द्वारा किसानों को प्रशिक्षण

1090. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.सी.ए.आर. किसानों, ग्रामीण युवकों और कृषि विस्तार श्रमिकों को के.वी.के. के माध्यम से प्रशिक्षित करने के कार्य में जुटा है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ग के लोगों को आई.सी.ए.आर. द्वारा दिए गए प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आई.सी.ए.आर. के इस कार्यकलाप की उपयोगिता क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान 23,332 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयांजन किया गया था, जिनसे 4.33 लाख किसानों, 0.66 लाख ग्रामीण युवाओं तथा 0.41 लाख विस्तार कार्मिकों को लाभ पहुंचा।

(ग) ऐसी गतिविधि से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी के प्रसार का एक मैकेनिज्म मुहैया होता है तथा इससे पुनर्निवेशन (फीडबैक) मिलता है।

बैंकों के अस्थायी कर्मचारियों की बर्खास्तगी

1091. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटस्वरलु: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश में कतिपय बैंकों ने काफी संख्या में लंबे समय तक सेवा दे चुके अस्थायी कर्मचारियों को बर्खास्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्रीय क्षेत्रीय श्रमायुक्त, हैदराबाद को कोई प्रतिवेदन दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) विभिन्न राज्यों में सरकार के पास लंबित ऐसे दृष्टांतों की संख्या कितनी है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) जी हां। क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) हैदराबाद को बैंक के अस्थाई कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त किए जाने से संबंधित 913 मामलों में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में ऐसे विवादों का समाधान सुलह के माध्यम से, जिसके न होने पर जहां कही जरूरी पाया जाए, न्यायनिर्णयन द्वारा किए जाने की व्यवस्था है।

(ङ) केन्द्रीय क्षेत्र में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के पास कुल 190 विवाद लम्बित हैं।

आई.सी.ए.आर. संबंधी शिकायतें

1092. श्री राम मोहन गाड्डे: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो महीनों के दौरान आई.सी.ए.आर. में प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी हां, पिछले दो महीनों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय में प्रशासनिक तथा वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित आरोपों की 15 शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उनकी केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परिपत्र सं. 3 (V)/99/2 दिनांक 29.06.1999, सं. 98/डीएसपी/9 दिनांक 31.01.2002, सं. 98/डीएसपी/9 दिनांक 11.10.2002 तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग मैनुअल के अनुसार निर्धारित क्रियाविधि के अनुरूप जांच की जा रही हैं।

नौका पर्यटन

1093. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में रोजगार सृजन हेतु नौका पर्यटन की सम्भावनाओं को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेषकर पश्चिमी तट पर नौका पर्यटन के विकास हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) नौका पर्यटन की संभावना का पता लगाने एवं पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाहों में संबंधित अवसंरचना का विकास करने के लिए, जहाजरानी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई है। इसके आगे, मुम्बई/मार्मागोवा/न्यू मेंगलोर/कोच्चि एवं तूतीकोरिन के प्रमुख बंदरगाहों में, बंदरगाह स्तरों पर समितियां गठित की गई हैं।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, भारत ने भी हिन्द महासागर में नौका पर्यटन के विपणन हेतु एक समिति गठित की है।

बांधों और जलाशयों के कारण विस्थापित हुए जनजातीय परिवार

1094. श्री लक्ष्मण गिलुवा:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े बांधों और जलाशयों के निर्माण के कारण विस्थापित हुए बहुत से जनजातीय परिवार अब भी पुनर्वास की प्रतीक्षा में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनका उचित पुनर्वास सुनिचित करने के लिए कोई आकस्मिक योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण सहित सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, प्राथमिकता के आधार पर वित्तपोषण, निष्पादन, प्रचालन तथा रख-रखाव का उत्तरदायित्व मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों पर होता है। बांधों पर राज्य सरकारों का स्वामित्व होने के कारण, परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों अथवा बांधों के निर्माण के कारण विस्थापित होने वाले व्यक्तियों संबंधी आंकड़ों का रख-रखाव केन्द्र सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। विभिन्न राज्य सरकारों ने स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के संबंध में अपनी-अपनी पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना नीतियां तैयार की हैं।

आंध्र प्रदेश में चारा बैंक की स्थापना

1095. श्री गुनीपाटी रामैया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य फार्मों के सुदृढ़ीकरण और चारा बैंक की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ राज्य सरकार ने कितनी धनराशि मांगी है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) इस विभाग में आंध्र प्रदेश राज्य से राज्य फार्मों के सुदृढ़ीकरण तथा चारा बैंकों की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। सभी घटकों सहित ''चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता'' योजना 2002-2003 से बंद कर दी गई है। तथापि इस योजना के दो घटकों: चारा बैंकों की स्थापना तथा भूसा/सैलूलोसिक अपशिष्ट के संवर्धन को कार्य बल द्वारा हाल के सूखा के कारण मार्च, 2004 तक पुन: शुरू किया गया है। योजना के तहत ''राज्य फार्मों का सुदृढ़ीकरण'' घटक को 1.4.2002 से बंद कर दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि-योग्य भूमि

1096. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में कृषि-योग्य भूमि का कितना क्षेत्र है और इस भूमि की सिंचाई करने के लिए राज्यवार कितने जल की आवश्यकता है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई के लिए निर्धारित कृषि-योग्य भूमि के कितने क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्राप्त किए गए लक्ष्य का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कृषि-योग्य भूमि की सिंचाई करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) वर्ष 2003-2004 के दौरान सिंचाई के लिए लंबित कृषि-योग्य भूमि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) उपर्युक्त संदर्भ में दसवीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) वर्ष 1999-2000 (नवीनतम) के लिए कृषि मंत्रालय की भूमि उपयोग सांख्यिकी के अनुसार कुल कृषि योग्य क्षेत्र (कृष्य भूमि) 183.59 मि.हेक्टे. है। वर्ष 2000 में सिंचाई के लिए अपेक्षित कुल जल की मात्रा 501 बिलियन क्यूबिक मीटर आंकी गई थी। कुल कृषि योग्य क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) नौवी योजना के दौरान अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन हेतु निर्धारित लक्ष्य और तदनुरूप उपलब्धियों के राज्यवार क्षेत्र संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्राप्त करने, अंतर्राज्यीय मुद्दों को हल करने में हुए, विलंब, परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना संबंधी कार्य में धीमी प्रगति आदि जैसे विभिन्न कारणों से निर्माणाधीन वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो सकीं जिसके परिणामस्वरूप निर्धारण सिंचाई क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी आयी है।

(च) योजना आयोग द्वारा वर्ष 2003-04 के लिए सिंचाई क्षमता के सृजन संबंधी लक्ष्यों को अंतिम रूप दे दिया गया है।

(छ) योजना आयोग द्वारा वृहद एवं मध्यम सिंचाई कार्यक्रम और लघु सिंचाई कार्यक्रम के संबंध में दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए गठित कार्य दलों ने वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 11.14 मिलियन हेक्टे. और लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 8 मिलियन हेक्टे. की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन के लक्ष्य की सिफारिश की है। योजना आयोग द्वारा अनुमोदित सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए दसवीं योजना परिव्यय 95743 करोड़ रुपये है जिसमें राज्य योजनाओं का 92143 करोड़ रुपये और केन्द्र योजनाओं का 3600 करोड़ रुपये शामिल हैं।

विवरण I

क्र. सं.	राज्य का नाम	कुल कृषि योग्य क्षेत्र (हजार हेक्टेयर में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	15856
2.	अरुणाचल प्रदेश	293
3.	असम	3257
4.	बिहार झारखण्ड सहित	10859
5.	गोवा	198
6.	गुजरात	12361
7.	हरियाणा	3821
8.	हिमाचल प्रदेश	805
9.	जम्मू व कश्मीर	1050
10.	कर्नाटक	12897
11.	केरल	2444
12.	मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सहित	22899
13.	महाराष्ट्र	21104
14.	मणिपुर	164
15.	मेघालय	1082
16.	मिजोरम	446
17.	नागालैण्ड	636

1	2	3
18.	उड़ीसा	7975
19.	पंजाब	4250
20.	राजस्थान	25692
21.	सिक्किम	114
22.	तमिलनाडु	8301
23.	त्रिपुरा	310
24.	उत्तर प्रदेश उत्तरांचल सहित	20739
25.	पश्चिम बंगाल	5836
	सभी राज्यों का योग	183389
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	204
	पूरे भारत का कुल योग	183593

विवरण II

क्र. सं.	राज्य का नाम	नौवीं योजना के दौरान अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन (हजार हैक्टे. में)	
		लक्ष्य	उपलब्धि*
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	608.03	378.53
2.	अरुणाचल प्रदेश	23.00	18.38
3.	असम	19.34	13.83
4.	बिहार झारखण्ड सहित	697.25	271.22
5.	गोवा	19.24	6.01
6.	गुजरात	1937.10	844.60
7.	हरियाणा	278.35	141.14
8.	हिमाचल प्रदेश	9.00	8.72
9.	जम्मू व कश्मीर	50.90	13.16
10.	कर्नाटक	1264.88	429.97
11.	केरल	423.30	79.77
12.	मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सहित	534.75	276.18
13.	महाराष्ट्र	2283.00	682.17
14.	मणिपुर	65.38	15.38
15.	मेघालय	12.70	44.31
16.	मिजोरम	1.85	4.33
17.	नागालैण्ड	18.80	8.76
18.	उड़ीसा	1004.99	322.78
19.	पंजाब	367.86	49.18
20.	राजस्थान	508.70	210.76
21.	सिक्किम	4.50	4.77
22.	तमिलनाडु	16.37	12.07
23.	त्रिपुरा	38.92	15.59
24.	उत्तर प्रदेश उत्तरांचल सहित	6000.00	4611.26
25.	पश्चिम बंगाल	845.00	671.95
	सभी राज्यों का योग	17033.21	9134.82
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	22.31	15.18
	संपूर्ण भारत का कुल योग	17055.52	9150.00

*अनन्तिम हैं और राज्यों द्वारा इसकी पुष्टि की जानी है।

[अनुवाद]

जल संसाधनों का रिक्तिकरण

1097. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमित और अल्प जल संसाधनों पर काफी दबाव है और उनका रिक्तिकरण हो रहा है जबकि शहरीकरण, जनसंख्या विस्फोट, बढ़ती आय और औद्योगिक विकास की वजह से क्षेत्र संबंधी मांग तीव्र गति से बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या जल उपलब्धता संबंधी राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े एक घाटी से दूसरी घाटी और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यापक अंतर दर्शाते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की योजना किसी तंत्र के माध्यम से जल का समान वितरण सुनिश्चित करने की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत सरकार ने जल संसाधनों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों तथा हिमालयी नदियों को आपस में जोड़ने की योजना है। नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना का उद्देश्य आम-सहमति के अनुसार व्यवहार्य संपर्कों में जल के क्षेत्रीयक असंतुलन को कम करना है।

साईबेरियाई सारसों संबंधी अनुसंधान परियोजना

1098. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात की जानकारी है कि हर वर्ष 45 साईबेरियाई सारस सर्दियों में भरतपुर पक्षी विहार, राजस्थान में आते हैं लेकिन गत वर्ष वहां पर उक्त पक्षियों का केवल एक जोड़ा ही आया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे अन्य देशों से बात की है जिन देशों से होकर साईबेरियाई सारस उड़ते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या यहां पर और अधिक साईबेरियाई सारसों को आने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु किसी अनुसंधान परियोजना को अंतिम रूप दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) जी, हां। सरकार को प्रत्येक शरद ऋतु में केवलादेव धाना राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर का दौरा करने वाले साइबेरियन सासरों की संख्या में हो रही कमी की जानकारी है। 1977-78 में साइबेरियन सारसों की संख्या 55 थी जो 2001-2002 में घटकर 02 रह गई थी। इनकी संख्या में गिरावट का कारण साइबेरिया में प्रजनन भूमि में इनकी संख्या में कमी, वास स्थलों का विनाश तथा उनके प्रवासी मार्ग पर अवैध शिकार किया जाना है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने साइबेरियन सारस की रेंज वाले अन्य राज्यों के साथ कन्वैंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के तत्वावधान में साइबेरियन सारस पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। साइबेरियन सारसों के प्रवासी मार्ग पर अध्ययन के उद्देश्य से नब्बे के दशक के मध्य पूर्व सोवियत संघ सरकार के साथ मिलकर एक सहयोगी परियोजना का सफल संचालन किया था। बाद में भारत और रूस ने साइबेरियन सारसों की नई संख्या के स्थापन के उद्देश्य से प्रयास करते हुए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में बन्दी प्रजनन साइबेरियन सारसों को जंगली साइबेरियन सारसों के साथ छोड़ने के लिए एक और परियोजना की शुरूआत की। लेकिन परियोजना के वांछित परिणाम नहीं मिल सके।

पर्वतीय पर्यटन नीति

1099. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पर्वतों के आकर्षण को ध्यान में रखकर कोई पर्वतीय पर्यटन नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का पर्वतीय स्टेशनों का विकास करके और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु कौन सी योजनाएं आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकारों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) पर्वतीय राज्यों में पर्यटन का व्यवस्थित रूप से संवर्धन करने के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय ने हिमालयी पर्यटन परामर्शी बोर्ड (एचआईएमटीएबी) का गठन किया है। जिसमें अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल सदस्य राज्य हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों में सुगमतापूर्वक पहुंचने के लिए सुधार करने तथा पर्यटन अवसंरचना एवं पर्वतीय राज्यों में इको फ्रेंडली पर्यटन के निरंतर विकास के प्रयोजन से, इन क्षेत्रों में सुविधाओं का विकास करने हेतु, एक कार्य योजना तैयार की गई है। विदेशों में स्थित भारत पर्यटन कार्यालय, विदेशी पर्यटकों को और अधिक आकर्षित करने के लिए, विदेशों के प्रमुख पर्यटक बाजारों में, पर्वतीय क्षेत्रों का आक्रामक तरीके से लगातार संवर्धन कर रहे हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान, राज्य सरकारों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

2000-2001, 2001-2002 एवं 2002-2003 के दौरान स्वीकृत/रिलीज की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001		2001-2002		2002-2003	
		स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	299.50	228.50	167.85	129.76	507.50	195.00
2.	असम	338.35	134.47	397.50	195.68	768.13	618.85
3.	अरुणाचल प्रदेश	49.75	17.50	321.90	205.88	41.30	32.50
4.	बिहार	324.48	148.52	1.35	1.35	505.00	505.00
5.	छत्तीसगढ़	120.28	37.25	35.00	23.50	308.00	98.50
6.	गोवा	93.30	29.90	93.73	49.85	0.05	0.50
7.	गुजरात	469.20	155.62	305.50	120.30	197.12	59.13
8.	हरियाणा	123.31	74.75	125.44	82.89	332.25	311.00
9.	हिमाचल प्रदेश	397.29	246.75	157.64	78.95	779.32	760.38
10.	जम्मू एवं कश्मीर	474.93	328.63	65.50	60.95	94.38	89.47
11.	झारखण्ड	206.49	115.14	80.00	24.00	0	0
12.	कर्नाटक	489.30	295.66	254.76	166.99	902.49	625.49
13.	केरल	717.60	471.44	680.08	356.62	861.36	829.86
14.	मध्य प्रदेश	262.33	91.14	256.37	105.44	711.18	574.79
15.	महाराष्ट्र	282.69	97.40	1128.20	965.91	623.46	546.25
16.	मणिपुर	782.77	234.92	0	0.00	5.24	2.62
17.	मेघालय	105.59	46.10	87.87	36.95	70.35	21.20
18.	मिजोरम	311.19	265.73	73.25	44.20	141.16	48.46
19.	नागालैण्ड	156.53	95.95	41.54	22.70	360.50	323.43
20.	उड़ीसा	156.94	65.52	38.05	28.82	47.50	15.75
21.	पंजाब	203.50	61.33	17.50	12.34	23.00	14.60
22.	राजस्थान	454.96	253.71	5.00	2.50	1098.70	1096.20

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	सिक्किम	368.62	267.63	108.83	68.70	346.24	269.76
24.	तमिलनाडु	122.83	48.82	533.67	167.26	559.00	316.10
25.	त्रिपुरा	333.23	166.09	114.40	64.87	216.13	67.78
26.	उत्तरांचल	70.19	33.53	65.51	40.79	548.00	418.00
27.	उत्तर प्रदेश	423.74	182.66	55.74	46.87	295.00	295.00
28.	पश्चिम बंगाल	432.99	311.03	229.85	98.63	201.10	60.00
29.	अण्डमान एवं निकोबार	1.78	0.89	0	0.00	0	0
30.	चण्डीगढ़	22.13	16.14	8.00	7.12	7.75	6.63
31.	दादरा नगर हवेली	8.00	2.40	3.70	1.85	8.07	6.46
32.	दिल्ली	17.70	9.99	55.01	37.30	504.00	449.02
33.	दमन एवं दीव	0	0.00	5.00	1.50	49.50	16.90
34.	लक्षद्वीप	0	0.00	17.00	5.10	0	0
35.	पांडिचेरी	26.18	9.09	78.61	55.98	7.87	6.30
	जोड़	8647.67	4544.20	5609.35	3311.55	11121.10	8680.93

सस्ते दामों पर प्रशिक्षण के अवसर

1100. **श्री जी. गंगा रेड्डी:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गरीब लोगों को सस्ते दामों पर प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ धनराशि का प्रबंध कैसे किया जाएगा?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार का प्रयास हमेशा ही प्रशिक्षुओं को सस्ते दामों पर प्रशिक्षण प्रदान कराना रहा है। श्रम मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षा शुल्क प्रति प्रशिक्षु 20 रु. प्रति माह है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रशिक्षुओं से कोई शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाता।

(ग) राज्य सरकारों/निजी रूप से चलाए जा रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का शिक्षा शुल्क संबंधित राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित किया जाता है।

प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु निधियों की व्यवस्था केन्द्र/राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों/निजी एजेंसियों द्वारा अपने बजट से की जाती है।

इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में वृद्धि

1101. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अंतर्राष्ट्रीय स्थलों, विशेषकर दक्षिणपूर्व एशियाई क्षेत्र और मध्य पूर्व के लिए इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के

बीच मार्ग-संयुक्तिकरण मुद्दे का परीक्षण करने के लिए तीन सदस्यों वाली समिति गठित की गई है। यह समिति एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के दृष्टिकोणों, नागर विमानन मंत्रालय से जुड़ी परामर्शदात्री-समिति की टिप्पणियों तथा दोनों एयरलाइनों के अल्पकालिक/दीर्घकालिक हितों आदि को ध्यान में रखने के बाद अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

ताजमहल के आसपास प्रदूषण

1102. **डा. चरणदास महंत:**
श्री नरेश पुगलिया:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री भास्करराव पाटील:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को ताजमहल के आसपास प्रदूषण के स्तर के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने ताजमहल के आसपास प्रदूषण स्तर संबंधी कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ताजमहल प्रदूषण प्रयोगशाला के पास उपलब्ध प्रदूषण स्तर के आंकड़े चौकाने वाले हैं; और

(च) यदि हां, तो ताजमहल के पास प्रदूषण स्तर को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (ङ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ताजमहल के आसपास की प्रवेशी वायु गुणता नियमित रूप से मानीटर की जा रही है। वायु प्रदूषण के कुछ पैमाने निर्धारित मानकों से अधिक हैं।

(च) ताजमहल एवं उसके इर्द-गिर्द क्षेत्र की सुरक्षा के लिए किए गए उपाय हैं- कोयला आधारित ताप विद्युत गृहों को बन्द करना, हरित पट्टी का विकास, फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योगों को गैस कनैक्शन उपलब्ध कराना, यातायात अपवर्तन के लिए बाई-पास मार्ग, ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में वाहन यातायात पर प्रतिबंध लगाना।

बाल श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिए धनराशि

1103. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल:**
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाल श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिए कतिपय धनराशि आबंटित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना में बाल श्रमिकों के लिए किसी बीमा योजना को सम्मिलित किया गया है अथवा सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार के श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के लिए किए गए आबंटन में सभी प्रशिक्षण घटकों के लिए भी प्रावधान किया है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना में स्कूलों के बच्चों के लिए छात्र सुरक्षा बीमा पॉलिसी हेतु पहले ही अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

सामान में वृद्धि

1104. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने सामान सीमा में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सामान सीमा में वृद्धि के कारण, घरेलू कोरियर सेवा प्रभावित होगी;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

भविष्य निधि हेतु वसूली निदेशालय की स्थापना

1105. **डा. वी. सरोजा:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भविष्य निधि बकाया राशि हेतु वसूली निदेशालय स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मार्च, 2003 की समाप्ति पर भविष्य निधि की बकाया राशि का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वसूली निदेशालय स्थापित करने का निर्णय लिया है जिसका मुख्यालय दिल्ली में तथा कार्यालय उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु में होंगे। निदेशालय का अध्ययन निदेशक होगा तथा क्षेत्रों में चार उप-निदेशक उनकी सहायता करेंगे।

(ग) 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कुल बकाया राशि 1511.79 करोड़ रुपये है। इसमें से 331.61 करोड़ रुपये वसूली योग्य है तथा 1180.18 करोड़ रुपये की राशि रूकी पड़ी है अर्थात् न्यायालय आदेशों आदि के कारण इसकी शीघ्र वसूली नहीं हो सकती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की विशेष लेखा परीक्षा

1106. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) की विशेष लेखा परीक्षा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के माध्यम से वित्त मंत्रालय द्वारा कराई गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) को विशेष लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस रिपोर्ट में घोर वित्तीय और *प्रशासनिक अनियमितताओं की ओर इंगित किया गया है;* और

(घ) यदि हां, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी नहीं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के माध्यम से वित्त मंत्रालय द्वारा विशेष लेखा-परीक्षा नहीं कराई गई थी।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

यमुना नदी में पानी का बहाव

1107. **श्री रामजीलाल सुमन:**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यमुना नदी के बेसिन से बह रहे पानी की कुल मात्रा का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुल पानी में से विभिन्न राज्यों द्वारा पानी के कितने हिस्से का उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) शेष पानी के उपयोग के लिए निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय जल आयोग की ''गंगा बेसिन जल संसाधन विकास-एक परिप्रेक्ष्य योजना'' मार्च, 1996 की रिपोर्ट के अनुसार यमुना उप-बेसिन (चंबल को छोड़कर) में वार्षिक औसत प्रवाह 57.241 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है। यमुना नदी में ओखला तक 11.70 बीसीएम 75 प्रतिशत विश्वसनीय नोशनल वर्जिन प्रवाह आंका गया है तथा वार्षिक औसत जल उपलब्धता 13.0 बीसीएम आंकी गई है।

ओखला तक यमुना जल से सतही प्रवाह के बंटवारे के संबंध में पांच सह-बेसिन राज्यों अर्थात हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा 12.5.1994 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये थे। उत्तरांचल के नए राज्य के रूप में गठन होने के कारण, समझौता ज्ञापन में उत्तर प्रदेश को आबंटित किए गए भाग को उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल

राज्यों द्वारा आपस में पुनः आबंटित किया जाना है। समझौता ज्ञापन के अनुसार, बेसिन राज्यों के उपयोग के लिए वार्षिक जल उपलब्धता के आधार पर आकलित उपयोज्य जल संसाधनों का आबंटन इस प्रकार किया गया है:

1.	हरियाणा	-	5.730 बीसीएम
2.	उत्तर प्रदेश	-	4.032 बीसीएम
3.	राजस्थान	-	1.119 बीसीएम
4.	हिमाचल प्रदेश	-	0.378 बीसीएम
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	0.724 बीसीएम

तथापि, वास्तविक जल का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा अपनाई जा रही प्रबंधन पद्धतियों पर निर्भर करेगा।

(ग) जल राज्य का विषय होने के कारण, उपलब्ध जल के उपयोग संबंधी स्कीमों/परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, तैयारी, क्रियान्वयन एवं उनका वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों तथा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

[अनुवाद]

सूखा प्रभावित राज्य

1108. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस वर्ष दर्ज सामान्य और वास्तविक वर्षों तथा कम वर्षा का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) कम वर्षा के कारण सूखा पीड़ित राज्य घोषित किए राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार द्वारा कौन से उपचारी कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इस संबंध में राज्यों के कृषि मंत्रियों से कोई परामर्श किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) वर्तमान दक्षिण-पश्चिम मानसून (1.6.2003 से 16.7.2003) के दौरान भारत मौसम विभाग (आई.एम.डी.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ङ) अभी तक किसी राज्य सरकार ने इस वर्ष सूखे की घोषणा की सूचना नहीं दी है।

विवरण

वर्षा का राज्य-वार विवरण

01.06.2003 से 16.07.2003

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	वास्तविक (एम.एम.)	सामान्य (एम.एम.)	% कमी	श्रेणी
1	2	3	4	5	66
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	391.5	603.5	-35%	डी
2.	*अरुणाचल प्रदेश	922.2	841.8	10%	एन
3.	असम	765.7	674.3	14%	एन
4.	मेघालय	3205.1	1715.4	ए	ई
5.	नागालैण्ड	329.0	538.5	-38%	डी
6.	मणिपुर	581.1	402.6	44%	ई
7.	मिजोरम	740.5	590.3	25%	ई

1	2	3	4	5	6
8.	त्रिपुरा	950.3	679.2	40%	ई
9.	सिक्किम	968.0	842.0	15%	एन
10.	पश्चिम बंगाल	666.1	534.0	25%	ई
11.	उड़ीसा	340.0	382.9	-11%	एन
12.	बिहार	487.6	339.8	43%	ई
13.	झारखण्ड	323.3	360.8	-10%	एन
14.	उत्तर प्रदेश	312.7	226.4	38%	ई
15.	उत्तरांचल	457.1	390.4	17%	एन
16.	हरियाणा	187.1	132.9	41%	ई
17.	चण्डीगढ़	281.4	272.1	3%	एन
18.	दिल्ली	459.4	176.0	161%	ई
19.	पंजाब	137.6	136.0	1%	एन
20.	हिमाचल प्रदेश	254.5	263.6	-3%	एन
21.	जम्मू व कश्मीर	90.8	121.4	-25%	डी
22.	राजस्थान	167.4	140.4	19%	एन
23.	मध्य प्रदेश	273.7	290.3	-6%	एन
24.	छत्तीसगढ़	301.3	382.7	-21%	डी
25.	गुजरात	362.4	309.6	17%	एन
26.	दादरा नगर हवेली व दमन	806.9	800.9	1%	एन
27.	दीव		291.8		
28.	गोवा	1874.9	1400.7	34%	ई
29.	महाराष्ट्र	421.1	388.1	9%	एन
30.	आंध्र प्रदेश	219.0	175.2	25%	ई
31.	तमिलनाडु	82.5	81.4	1%	एन
32.	पांडिचेरी	122.4	61.4	99%	ई
33.	कर्नाटक	380.3	370.2	3%	एन
34.	केरल	846.7	1105.1	-23%	डी
35.	लक्षद्वीप	720.0	469.6	53%	ई

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की श्रेणीवार संख्या

श्रेणी	राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की संख्या
अत्यधिक (ई)	12
सामान्य (एन)	16
कम (डी)	5
बहुत कम (एस)	0
वर्षा रहित (एन)	0
कोई आंकड़े नहीं (एन)	1

[हिन्दी]

कर्मचारी भविष्य निधि चूककर्त्ता

1109. **श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल:**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री के.पी. सिंह देव:
डा. (श्रीमती) सुधा यादव:
श्री रामजी मांझी:
श्री शीशराम सिंह रवि:
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री प्रकाश वी. पाटील:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में सरकारी और निजी कम्पनियों/निगमों/उपक्रमों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में अपने अंशों के भुगतान में चूक की है;

(ख) इस प्रकार की चूक करने के क्या कारण हैं;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान चूक और वसूली के बीच कितनी कमी रही;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उन कंपनियों/निगमों/उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिनकी परिसंपत्तियों को कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि वसूल करने के लिए सरकार द्वारा नीलाम किया गया है;

(ङ) परिसंपत्तियों की नीलामी करने से पूर्व मूल्य निर्धारणकर्त्ताओं को नियुक्त करने के लिए सरकार द्वारा कौन-सी प्रक्रिया अपनाई गई है;

(च) क्या सरकार चूककर्त्ताओं को अपनी बकाया राशियों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त समय देती है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार का भविष्य में भविष्य निधि को समय पर जमा कराने के लिए ठोस नीति बनाने का विचार है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) चूक के कारणों में आर्थिक मंदी, वित्तीय बाधाएं, उद्योग की रुग्णता, न्यायालयों द्वारा स्थगन, परिसमापन, बंदी तथा नियोजक की ओर से जानबूझकर चूक शामिल हैं।

(ग) चूक और वसूली के अंतर की मात्रा संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) इसके ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(ङ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कोई मूल्यांकक नियुक्त नहीं करता है। फिर भी जरूरी होने पर सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अनुमोदित मूल्यांककों की सेवाएं ली जाती हैं।

(च) और (छ) जी हां। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 7-क और 14 ख के अंतर्गत देयों के निर्धारण के पश्चात चूककर्त्ताओं को 15 दिनों का नोटिस भेजा जाता है। वित्तीय वर्ष के अंदर देयों को न लौटाए जाने की स्थिति में बकाया देयों के संबंध में वसूली प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। प्रत्येक वसूली प्रमाण पत्र पर वसूली अधिकारी एक मांग नोटिस जारी करता है जिसमें देयों के प्रेषण के लिए 15 दिनों की अतिरिक्त नोटिस अवधि की अनुमति होती है। इस के बाद ही अवपीड़क कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा उपयुक्त मामलों में किस्तों की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

(ज) और (झ) जी हां। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पहले ही री-इंजीनियरिंग कार्यक्रम शुरू कर दिया है जिसमें वसूली भी शामिल है। मासिक चूक का कम्प्यूटरीकृत अनुपालन बैंकिंग प्रणाली (सीसीटीएस), नामक आई टी सहायता प्राप्त कार्यक्रम के माध्यम से अनुवीक्षण किया जाता है।

विवरण I

क्षेत्र	2000-2001				2001-2002				2002-2003				30.6.2003 की स्थिति के अनुसार			
	सार्वजनिक क्षेत्र		निजी क्षेत्र		सार्वजनिक क्षेत्र		निजी क्षेत्र		सार्वजनिक क्षेत्र		निजी क्षेत्र		सार्वजनिक क्षेत्र		निजी क्षेत्र	
	प्रतिष्ठान	राशि	प्रतिष्ठान	राशि	प्रतिष्ठान	राशि	प्रतिष्ठान	राशि	प्रतिष्ठान	राशि	प्रतिष्ठान	राशि	प्रतिष्ठान	राशि	प्रतिष्ठान	राशि
आंध्र प्रदेश	44	3246.96	3377	2991.65	45	2231.97	2842	5404.67	52	4101.74	1330	6079.50	52	4101.74	1345	7696.46
बिहार	78	5772.36	689	1188.15	28	3779.08	286	931.19	32	4410.94	42	257.14	6	500.57	114	1015.63
छत्तीसगढ़	0	0.00	0	0.00	3	1152.10	321	380.00	3	1105.65	222	302.25	3	1105.65	400	357.94
दिल्ली	1	390.27	278	971.39	2	148.14	401	1562.37	1	35.43	311	2269.39	1	179.52	890	2071.90
गोवा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	48	144.29	0	0.00	84	174.63	0	0.00	90	187.18
गुजरात	26	1381.97	1116	2935.70	26	1424.46	2043	4447.85	24	882.22	2145	3637.22	24	882.22	2048	4483.03
हिमाचल प्रदेश	6	22.43	128	282.17	4	22.40	131	494.90	2	18.67	136	357.51	2	18.67	124	588.07
हरियाणा	16	4823.96	1058	2188.52	18	2601.13	998	4840.15	5	1300.78	1035	4975.64	5	1300.78	984	6214.38
झारखण्ड	0	0.00	0	0.00	9	2830.98	337	533.02	8	3004.70	123	666.29	2	120.01	46	197.80
कर्नाटक	14	3841.86	762	2790.35	31	3836.72	405	2294.50	30	2440.55	1288	6515.05	30	2440.55	769	6650.88
केरल	36	786.82	1347	2991.36	51	776.35	1666	4438.76	40	1069.47	3336	5645.60	19	152.08	4755	1185.15
मध्य प्रदेश	354	6911.67	1654	4298.37	24	2148.85	1913	11099.56	46	6379.98	1846	2943.25	46	6379.98	1142	2608.29
महाराष्ट्र	30	3246.56	1790	7423.15	270	6318.39	1174	3977.52	46	5321.24	2130	13051.65	30	5347.77	2171	15523.31
पूर्वोत्तर क्षेत्र	42	3409.66	319	222.92	77	3387.73	172	510.85	35	2539.53	271	722.74	31	2865.84	374	758.13
उड़ीसा	359	3778.33	970	1496.78	342	5026.91	916	2466.61	124	3900.04	1093	3264.54	13	255.90	26	158.98
पंजाब	71	1228.66	1489	1062.23	120	1243.24	2847	1645.59	23	691.65	1910	2722.26	30	691.65	646	3040.18
राजस्थान	9	2289.35	1323	1511.83	9	2298.74	1272	1691.20	13	1436.93	1369	1505.52	13	1218.19	1647	1691.38
तमिलनाडु	669	1018.02	6380	6048.80	53	768.51	7816	9180.62	31	1059.84	6258	11036.12	61	665.69	11395	12898.70
उत्तर प्रदेश	228	2742.16	1155	4192.57	216	3548.91	2984	3593.65	98	7022.18	2322	4690.22	98	7022.18	2436	4911.18
उत्तरांचल	0	0.00	0	0.00	38	366.75	68	394.83	22	992.16	59	149.76	22	812.45	61	150.31
पश्चिम बंगाल	95	23317.90	294	7604.90	169	12038.27	1347	17642.32	68	14213.93	1764	18285.29	68	14213.93	1847	28702.65
	2078	68208.04	24129	50200.84	1535	55949.6	29987	77674.45	703	61927.63	29074	89251.57	556	50275.37	33310	101091.53

विवरण II

पिछले तीन वर्षों की तुलनात्मक वसूली स्थिति

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कुल चूक	की गई वसूली	चूक और वसूली के बीच अन्तर*
2000-2001	1981.08	796.98	1184.10
2001-2002	2194.77	858.53	1336.24
2002-2003	2397.77	885.99	1511.79
1.4.2003 से 30.6.2003**	1741.60	227.93	1513.67

*न्यायालयों से स्थगन उद्योगों की रुग्णता (ओ.एवं वि. पुनर्नि. दो. प्रतिष्ठानों के परिसमान के कारण मांग तत्काल वसूलनीय नहीं।

**अनन्तिम आंकड़े

विवरण III

क्षेत्र	प्रतिष्ठान का नाम	वसली गई राशि (लाख रुपये में)	नीलामी की तारीख
कर्नाटक	सम्राट अशोक एक्सपोर्टस लिमि. बंगलौर	150.00	28.3.2001
केरल	एपिल फोटो बीड़ी, पलाक्कड़	6.71	1.6.2001
महाराष्ट्र	ए टी वी प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमि.	0.44	30.4.2003
उड़ीसा	छोटे लाल कुम्भार	0.59	8.7.2003
पंजाब	मियांजी स्टील (प्रा.) लिमि.	1.35	3.12.2002
तमिलनाडु	गणेश सी एन सी	0.05	22.10.2001
	डग्गी रेजार्ट्स इन्टरनेशनल, चेन्नई	0.37	8.7.2002
	केमिक. इंजी. प्रा.लि. चेन्नई	5.72	10.10.2002 और 18.2.02
पश्चिम बंगाल	ग्रान्ड आजाद हिंद ट्रांसपोर्ट प्रा. लि. कोलकाता	3.60	2.3.2000 और 25.10.2000
	एन्सीलरी सप्लायर्स, 24 परगना	21.51	25.10.2000
	ऐंगल क. लिमि. कोलकाता	10.38	25.6.2001
	समनुगर जुट फैक्टरी पी आई सी कोलकाता	86.25	20.8.2001
	विक्टोरिया जूट कं. लिमि. कोलकाता	67.38	20.8.2001
	डायमन्ड लिफ्टर प्रा. लिमि. कोलकाता	2.83	11.10.2001
	सेन्ट्रल इन्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कं. लिमि. कोलकाता	21.00	11.10.2001
कुल		378.18	

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस के यात्री यातायात में वृद्धि

1110. **श्री गंता श्रीनिवास राव:**
श्री गुनीपाटी रामैया:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के यात्री यातायात में दर्ज की गई प्रतिशत वृद्धि वर्षवार कितनी है;

(ख) क्या नागर विमानन क्षेत्र ने वर्ष 2002-2003 के लिए पांच प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य रखा था;

(ग) यदि हां, तो क्या यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस में यात्री यातायात में वृद्धि का प्रतिशत निम्न प्रकार से है:-

एयर इंडिया

वर्ष	यात्री किलोमीटर (मिलियन)	प्रतिशत वृद्धि
2000-2001	12047.683	+4
2001-2002	11288.745	-6
2002-2003	11896.129	+5

इंडियन एयरलाइंस

वर्ष	यात्री किलोमीटर (मिलियन)	प्रतिशत वृद्धि
2000-2001	8539	+1.9
2001-2002	8257	-3.3
2002-2003	8855	+7.2

(ख) जी, नहीं। तथापि, मंत्रालय द्वारा गठित नागर विमानन संबंधी कार्य दल ने घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय सेक्टरों में क्रमश: 5% तथा 6% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सूखा पीड़ित राज्यों को अतिरिक्त सहायता

1111. **श्री नरेश पुगलिया:**
श्री रामानन्द सिंह:
श्री अधीर चौधरी:
श्री एम. दुराई:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उप-प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले उच्च-स्तरीय कार्यबल ने 30 जून, 2003 को हुई बैठक में सूखा पीड़ित राज्यों की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या सूखा पीड़ित राज्यों की सारी मांगे पूरी कर दी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक पीड़ित राज्य को प्रदान की गई सहायता और खाद्यान्नों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन राज्यों से कार्यबल द्वारा उपयोगिता रिपोर्ट प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ङ) सूखा प्रबंध पर कार्यबल ने 30 जून, 2003 को हुई अपनी बैठक में, राहत रोजगार हेतु खाद्यान्नों के अतिरिक्त आबंटन के लिए गंभीर रूप से सूखे से प्रभावित कुछ राज्यों के अनुरोधों पर विचार किया तथा सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त आबंटनों का उपयोग जुलाई, 2003 में ही किया जाना है, जिसका ब्यौरा निम्नवत है:-

राज्य	अनुमोदित मात्रा (लाख मी.टन)
आंध्र प्रदेश	2.20*
छत्तीसगढ़	0.31
गुजरात	1.58
कर्नाटक	0.55
मध्य प्रदेश	0.70
तमिलनाडु	1.00

*अनुमोदित 1.15 लाख मी.टन शामिल है, लेकिन पहले निर्मुक्त नहीं की गई।

प्रभावित राज्यों से उठाए गए खाद्यान्नों, सृजित मानव दिवसों आदि के बारे में आवधिक रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है।

महाराष्ट्र में उजनी बांध से भीमा नदी के लिए पानी छोड़ना

1112. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार उच्चम न्यायालय के आदेशानुसार उजनी बांध से भीमा नदी के लिए पानी नहीं छोड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का हस्तक्षेप करने और मामले को हल करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) भीमा नदी नीरू आर, राइथावर्गा समिति द्वारा भारत सरकार तथा अन्य के विरुद्ध दायर रिट याचिका (सिविल) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 1 अप्रैल, 2003 और 2 मई, 2003 के आदेशों में दिए गए निर्देशों के अनुसरण में महाराष्ट्र सरकार ने, उनके वकील द्वारा 14.5.2003 को न्यायालय में दी गई सूचना के अनुसार, उज्जिनी बांध से 1000 क्यूसेक जल छोड़ना प्रारम्भ कर दिया है। मई और जून, 2003 के लिए नरसिंहपुर और टकली, दोनों ही भीमा नदीं पर उज्जिनी बांध के अनुप्रवाह पर स्थित, में केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) स्थलों पर दर्ज किए गए प्रवाह विवरण में संलग्न हैं। भीमा नदी नीरू आर. राइथावर्गा समिति अर्थात याचिकाकर्त्ता ने उपरोक्त रिट याचिका (सिविल) में महाराष्ट्र राज्य के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की है।

विवरण

टकली और नरसिंहपुर में निस्सरण
(घन मीटर प्रति सेकेण्ड में)

दिनांक	टकली	नरसिंहपुर
1	2	3
01.05.03	स्थिर	3.366
02.05.03	स्थिर	स्थिर
03.05.03	स्थिर	स्थिर
04.05.03	स्थिर	स्थिर
05.05.03	स्थिर	स्थिर
06.05.03	स्थिर	14.680
07.05.03	स्थिर	25.670
08.05.03	शून्य	24.710
09.05.03	शून्य	26.220
10.05.03	स्थिर	28.320
11.05.03	स्थिर	25.000
12.05.03	स्थिर	26.440
13.05.03	स्थिर	33.220
14.05.03	स्थिर	26.560
15.05.03	स्थिर	30.220
16.05.03	1.324	47.570
17.05.03	10.710	50.790
18.05.03	10.190	50.640
19.05.03	7.900	46.380
20.05.03	7.754	51.650
21.05.03	0.621	30.800
22.05.03	स्थिर	29.310
23.05.03	12.240	28.650
24.05.03	7.340	25.040
25.05.03	3.720	24.550
26.05.03	5.093	25.100
27.05.03	3.925	47.330
28.05.03	2.080	52.420
29.05.03	3.740	51.220
30.05.03	2.180	46.880
31.05.03	3.740	27.360
01.06.03	4.540	8.000

1	2	3
02.06.03	3.792	8.964
03.06.03	5.290	6.246
04.06.03	3.420	6.110
05.06.03	2.300	6.232
06.06.03	1.113	6.094
07.06.03	0.455	6.094
08.06.03	स्थिर	4.560
09.06.03	स्थिर	2.698
10.06.03	स्थिर	1.552
11.06.03	स्थिर	1.573
12.06.03	स्थिर	1.561
13.06.03	स्थिर	1.587
14.06.03	स्थिर	2.136
15.06.03	स्थिर	2.467
16.06.03	स्थिर	2.210
17.06.03	स्थिर	2.930
18.06.03	स्थिर	2.283
19.06.03	स्थिर	2.256
20.06.03	स्थिर	1.921
21.06.03	स्थिर	2.290
22.06.03	स्थिर	1.324
23.06.03	स्थिर	0.878
24.06.03	स्थिर	1.984
25.06.03	स्थिर	2.17
26.06.03	स्थिर	2.195
27.06.03	स्थिर	1.954
28.06.03	स्थिर	1.971
29.06.03	स्थिर	1.717
30.06.03	स्थिर	1.72

असंगठित क्षेत्र के कामगारों का कल्याण

1113. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए बोर्ड गठित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित असंगठित क्षेत्र कामगार अधिनियम, 2003 के अनुसार केन्द्रीय असंगठित क्षेत्र कार्यकर्त्ता बोर्ड में गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधित्व सम्मिलित होंगे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में किसी प्रारूप विधान पर विचार किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए विधान अधिनियमित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

गुजरात में हेलीपैड

1114. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का राज्य सरकार के सहयोग से गुजरात में हैलीपैड बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से कोई एयरलाइन परियोजनाएं कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस समय इंडियन एयरलाइंस गुजरात राज्य में अहमदाबाद, भावनगर, जामनगर, राजकोट तथा वडोदरा के लिए

प्रचालन करती है। इंडियन एयरलाइंस ने पर्यटन को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने के लिए हाल ही में गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं। इंडियन एयरलाइंस ने चालू ग्रीष्म अनुसूची में दिल्ली-अहमदाबाद तथा दिल्ली-वडोदरा मार्गों पर क्षमता भी बढ़ायी है।

द्विपक्षीय विमानन समझौता

1115. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पारस्परिक सहयोग के आधार पर विदेशी विमान कम्पनियों के साथ कई द्विपक्षीय विमानन समझौते किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या थाई एयरवेज को चेन्नई और बंगलौर से बड़े आधार वाले विमानों के साथ उड़ान भरने की अनुमति प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे आई.ए.आई. के व्यवसाय को विशेषकर उक्त क्षेत्र में, नुकसान होगा; और

(घ) यदि हां, तो देश के इन नेशनल प्लैज कैरियरों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) दोनों पक्षों के पारस्परिकता तथा लाभों में तालमेल के आधार पर द्विपक्षीय विमान सेवा समझौते किए जाते हैं। इस प्रकार के करार को अंजाम दिए जाने से पहले, पर्यटन प्रोत्साहन, वाणिज्य और व्यापार सुविधाओं, शेष विश्व के साथ भारत की विमान सेवा सम्पर्क में सुधार करने, राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के वाणिज्यिक लाभों जैसे तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय नागर विमानन विचार-विमर्श के पिछले दौर के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ इस पर निर्णय लिया गया था कि थाईलैंड की नामित विमान कम्पनियां चेन्नई और बंगलौर दोनों के लिए/से प्रति सप्ताह 4 आवृत्तियां/1220 सीटों के प्रचालन की क्रमशः 2003 की शरदकाल से तथा 2004 के ग्रीष्मकाल से अधिकारी होंगी।

(ग) और (घ) जी, नहीं। थाईलैंड के लिए प्रचालन के लिए एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को भी क्षमता में पारस्परिक वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, चेन्नई और बंगलौर के लिए थाईलैंड की नामित विमान कम्पनियों द्वारा प्रचालन किया जाना, भारत की नामित विमान कम्पनियों के साथ वाणिज्यिक करार के आधार पर होगा। भारत की नामित विमान कम्पनी बंगलौर और चेन्नई से यूएसए के लिए अपनी स्वयं की उड़ान संख्या से, थाई एयरवेज की उड़ानों पर सीटों के संबंध में विक्रय कर पाने में सक्षम हो सकेंगी। ऐसा किए जाने से भारत की नामित विमान कंपनी के नेटवर्क में विस्तार हो सकेगा।

आंध्र प्रदेश की विश्व बैंक पोषित वानिकी की परियोजना

1116. श्री बी.के. पार्थसारथी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने संयुक्त वन प्रबंधन के रूप में जानी जाने वाली आंध्र प्रदेश वानिकी की परियोजना के प्रथम चरण में हुई कतिपय चूक पर खेद प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक ने बैंक की पुनर्वास नीति के अन्तर्गत खेती योग्य भूमि को शिफ्ट करने पर भी विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या किसी गैर सरकारी संगठन ने विश्व बैंक से इस बात का खुलासा किया है कि वह प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर पहुंचे हैं; और

(घ) यदि हां, तो विश्व बैंक वानिकी की परियोजनाओं के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कहां तक सहमत हो गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस समय कार्यान्वित की जा रही आंध्र प्रदेश सामुदायिक वन प्रबन्धन परियोजना के अन्तर्गत परियोजना गतिविधियों के कारण प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनः स्थापना के लिए प्रावधान किया गया है।

खतरनाक अवशिष्ट का आयात

1117. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पर्यावरणविद् खतरनाक अवशिष्ट के लिए नए तरीकों पर विचार कर रहे हैं चूंकि अवशिष्ट के बढ़ते अम्बारों से निपटना काफी जटिल है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में पिछले महीने बनाए गए नियमों से पुन: चक्रण हेतु खतरनाक अवशिष्ट के आयात का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पुनर्संशोधित करने वाले और पुनर्चक्रित करने वालों के लिए यह बाध्यकारी बनाया गया है कि वे अवशिष्ट के निपटान हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ अपना पंजीकरण कराएं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में पर्यावरणविदों द्वारा व्यक्त विचारों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है अथवा की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (ग) घरेलू और आयातित परिसंकटमय अपशिष्टों के कुशल प्रबंध के लिए नियमों को युक्तिसंगत बनाने और इन्हें सरल बनाने हेतु मई 2003 में परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियमों में संशोधन किया गया है। संशोधित नियमों के अंतर्गत 29 परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात-निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त यद्यपि अनुसूची-4 में शामिल अपशिष्टों को केवल पंजीकृत पुन: चक्रणकर्त्ताओं द्वारा आयात किया जा सकता है तथापि अनुसूची-3 में शामिल अपशिष्टों के आयात हेतु केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेनी अपेक्षित होगी।

(घ) से (च) जी हां। संशोधित नियमों के नियम 19 और अनुसूची-4 के अनुसार 22 अभिनिर्धारित परिसंकटमय अपशिष्टों के पुन: प्रसंस्करणकर्त्ताओं और पुन:चक्रणकर्त्ताओं को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

पशुपालन केन्द्र

1118. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खेत क्रांति को बढ़ावा देने हेतु पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने के लिए देश में पशुपालन केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र में राज्यवार कितने उप केन्द्र स्थापित किए गए; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) भारत सरकार पशुपालन केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई योजनागत स्कीमें क्रियान्वित नहीं कर रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय बाजार में नकली कीटनाशक

1119. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय बाजारों में नकली कीटनाशक धड़ल्ले से आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का विचार है कि बाजार में केवल असली कीटनाशक ही तैयार किए जाएं;

(ग) क्या सरकार के पास राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इनके परीक्षण की सुविधा है;

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ऐसी प्रयोगशालाएं स्थित हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) सरकार को भारतीय बाजारों में भारी मात्रा में मिलावटी कीटनाशी आ जाने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त गुणवत्ता नियंत्रण विश्लेषण आंकड़ों में केवल 3% (लगभग) गलत ब्राण्ड वाले कीटनाशी पाए गए हैं।

(ख) कीटनाशियों का आयात, विनिर्माण, बिक्री तथा वितरण का विनियमन कृमिनाशी अधिनियम, 1968 तथा कृमिनाशी नियम 1971 के अंतर्गत किया जाता है। कीटनाशियों का पंजीकरण केन्द्रीय सरकार के स्तर पर करने तथा पंजीकरण के बाद कीटनाशियों के विनिर्माण तथा बिक्री के लिए लाइसेन्स राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा देने का प्रावधान है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल वास्तविक/गुणवत्ता युक्त कीटनाशी ही बाजार में बेचे/वितरित किए जाएं, उक्त अधिनियम के अंतर्गत चार महत्वपूर्ण प्राधिकारियों अर्थात् लाइसेन्स प्रदाता अधिकारी, अपीलीय प्राधिकरण, कीटनाशी निरीक्षक तथा कीटनाशी विश्लेषक के बारे में अधिसूचना जारी करने का प्रावधान है। कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा कड़ी प्रशासनिक/कानूनी कार्रवाई की जाती है।

इसके अलावा विश्लेषकों द्वारा कीटनाशियों के नमूने लेने और अधिसूचित केन्द्रीय कीटनाशी निरीक्षकों द्वारा उनकी गुणवत्ता की

जांच कराने के लिए सरकार ने कृषि एवं सहकारिता विभाग में एक कार्यदल भी गठित किया है।

कीटनाशियों की गुणवत्ता की जांच एवं विश्लेषण के लिए 46 राज्य कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं और केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत 2 क्षेत्रीय कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं और केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला का एक नेटवर्क है जिसकी स्थापना कृमिनाशी अधिनियम, 1968 के प्रावधान की धारा 16 के तहत की गई है। वर्ष में लगभग 50,000 नमूने लेकर उनकी जांच की जाती है।

(ग) से (ङ) देश के 19 राज्यों तथा 1 केन्द्र शासित प्रदेश में 46 राज्य कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, जिनकी वार्षिक क्षमता 56,116 नमूनों के विश्लेषण की है (अनुबंध-I)। इसके अतिरिक्त खासतौर से उन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों, जिनके पास अपनी राज्य कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है, के संसाधनों के अनुपूरण के लिए कानपुर तथा चण्डीगढ़ में एक-एक क्षेत्रीय कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। सन्दर्भी विश्लेषण की सांविधिक भूमिका निभाने के लिए कृमिनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 16 के अंतर्गत केन्द्रीय स्तर पर एक केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला की स्थापना की गई है।

उन राज्यों की सूची जहां ये प्रयोगशालाएं स्थित हैं, संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

विवरण

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाएं

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	प्रयोगशालाओं की संख्या	स्थान	वार्षिक विश्लेषण क्षमता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5	राजेन्द्र नगर, गुन्टूर, अनंतपुर, तदेपालीगुडेम व वारंगल	10000
2.	असम	1	गुवाहाटी	200
3.	बिहार	1	पटना	500
4.	गुजरात	2	जूनागढ़ व गांधीनगर	2200
5.	हरियाणा	2	करनाल व सिरसा	2200
6.	हिमाचल प्रदेश	1	शिमला	-
7.	जम्मू व कश्मीर	2	श्रीनगर व जम्मू	700
8.	कर्नाटक	5	बंगलौर, बेल्लारी, धारवाड़, शिमोगा व कोटनूर	6000
9.	केरल	1	त्रिवेन्द्रम	2000
10.	मध्य प्रदेश	1	जबलपुर	1000
11.	महाराष्ट्र	4	पुणे, अमरावती, थाने व औरंगाबाद	5000
12.	मणिपुर	1	मन्तिपुखरी	30
13.	उड़ीसा	1	भुवनेश्वर	1000
14.	पंजाब	3	अमृतसर, लुधियाना व भटिण्डा	3900

1	2	3	4	5
15.	राजस्थान	2	जयपुर, बीकानेर	1200
16.	तमिलनाडु	9	कोयम्बटूर, कोविलपट्टी, इरोडे, मदुरै, त्रिची, अदुथराय, सलेम, गुड्डालोर व कांचीपुरम	16236
17.	उत्तर प्रदेश	3	मेरठ, लखनऊ व वाराणसी	3000
18.	पश्चिम बंगाल	1	मिदनापुर	450
19.	पांडिचेरी	1	पांडिचेरी	500
	कुल	46		56116

क्षेत्र कवरेजः संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश

कर्नाटक के संरक्षित स्मारक/संग्रहालय

1120. श्री ए. वेंकटेश नायकः
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियारः

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्नाटक में राज्यवार ऐसे कितने स्मारक/संग्रहालय हैं जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक स्मारक और संग्रहालय के रखरखाव पर कितनी धनराशि खर्च की गई और निर्गत की गई और वर्ष 2003-2004 के लिए कितनी राशि खर्च और निर्गत किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इन स्मारकों/संग्रहालयों का ए.एस.आई. द्वारा जो रखरखाव किया जा रहा है वह संतोषप्रद है; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाएं गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है जिसमें कर्नाटक राज्य के स्मारक शामिल हैं।

(ख) से (घ) कर्नाटक राज्य में रखरखाव एवं संरचनागत मरम्मतों के लिए स्मारक/संग्रहालय-वार किया गया व्यय एवं 2003-2004 के लिए प्रावधान क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं। स्मारकों का संरक्षण, जो एक सतत प्रक्रिया है, संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए परातत्वीय मानकों के अनुसार किया जाता है।

विवरण I

अनुरक्षण तथा संरचनात्मक संरक्षण के लिए स्मारकवार किए गए व्यय का ब्यौरा

क्र.सं.	स्मारक का नाम	किया गया व्यय 2000-2001 (रुपए)	2001-2002 (रुपए)	2002-2003 (रुपए)
1	2	3	4	5
1.	ज्योतिर्लिंग मन्दिर समूह ऐहोल	1,10,000.00	-	-
2.	बेनियार गुडी, ऐहोल	2,60,000.00	4,10,277.00	6,78,471.00
3.	चक्रगुडी तथा बडिगेर गुडी, ऐहोल	-	1,46,067.00	6,23,520.00

1	2	3	4	5
4.	नदरगुडी, ऐहोल	–	–	4,15,704.00
5.	चरन्तमिठ, ऐहोल	–	–	7,00,330.00
6.	हुच्चिमल्लीगुडी, ऐहोल	–	–	4,90,900.00
7.	स्मारक समूह, पट्टडकल	3,32,700.00	–	–
8.	स्मारक समूह, पट्टडकल	3,67,199.00	50,000.00	–
9.	पपनाथ मंदिर, पट्टडकल	–	3,88,234.00	–
10.	चन्द्रशेखर मंदिर, पट्टडकल	–	2,65,634.00	1,87,749.00
11.	अगस्त्य तीर्थ टैंक, बादामी	2,66,994,00	2,30,684.00	–
12.	मालगिट्टी शिवालय मंदिर, बादामी	–	3,57,945.00	1,31,000.00
13.	उत्तरी किला, बादामी	–	–	7,58,351.00
14.	उत्तरी भूतनाथ मंदिर, बादामी	–	–	9,18,341.00
15.	जैन मन्दिर, वक्कुण्ड	1,86,987.00	2,93,000.00	–
16.	सफा मस्जिद, बेलगाम	3,67,243.00	78,604.00	–
17.	चतुर्मुख बती, गेरूसोप्पा	1,08,927.00	–	–
18.	किला, मीरजान	3,49,842.00	1,48,000.00	–
19.	किला, मीरजान	–	2,88,115.00	3,90,316.00
20.	स्मारक समूह, अश्तुर	2,04,552.00	2,54,895.00	–
21.	मदरसा मोहम्मद गांव, बीदर	1,97,927.00	1,71,780.00	–
22.	सोलाकम्भ मस्जिद, बीदर	–	–	8,65,928.00
23.	बड़ी कमान, बीजापुर	18,710,00	1,05,873.00	–
24.	गोल गुम्बज, बीजापुर	4,85,101.00	13,767.00	–
25.	जुम्मा मस्जिद, बीजापुर	4,65,352.00	28,925.00	–
26.	असर महल, बीजापुर	3,80,942.00	–	–
27.	इब्राहीम रौजा, बीजापुर	4,05,522.00	3,45,023.00	7,59,099.00
28.	मेहतारी महल, बीजापुर	1,05,302.00	77,236.00	15,000.00

1	2	3	4	5
29.	हाजी हसन साहेब मकबरा बीजापुर	–	4,61,236.00	–
30.	असर महल, बीजापुर	–	2,90,915.00	3,86,968.00
31.	गोल गुम्बज, बीजापुर	–	3,73,604.00	–
32.	करीमुद्दीन मस्जिद, बीजापुर	–	1,24,465.00	30,000.00
33.	मैदान में महल, आइनापुर	2,27,419.00	92,411.00	–
34.	चन्द्रमौलेश्वर मंदिर, उन्कल	1,89,098.00	–	–
35.	सिद्धेश्वर मंदिर, हवेरी	4,98,173.00	–	–
36.	महान मस्जिद, गुलबर्गा	3,46,340.00	1,69,241.00	82,000.00
37.	किला गुलबर्गा	–	–	4,72,118.00
38.	तारकेश्वर मंदिर, हंगल	65,064.00	–	–
39.	स्मारक समूह, हलशी	–	4,00,607.00	–
40.	मंदिर समूह, हलशी	–	–	7,87,601.00
41.	जट्टप्पानायकन, चन्द्रनाथ	–	4,50,085.00	1,72,208.00
42.	वीरांगल, बेडकनी	–	2,61,231.00	6,18,397.00
43.	बारीद मकबरा, उदगिर	–	85,325.00	–
44.	किला के दो दरवाजे, धारवाड़	–	45,677.00	3,83,853.00
45.	मधुकेश्वर मंदिर, बनवासी	–	4,48,706.00	–
46.	प्राचीन स्थल, गुडनापुर	–	2,41,863.00	19,277.00
47.	उत्खनित स्थल (महास्तूप) कंगल हल्ली	–	–	2,33,179.00
48.	भोगनंदीश्वर मंदिर, नंदी	3,01,374.00	–	–
49.	टीपु सुल्तान महल, बंगलौर	89,705.00	7,56,466.00	1,00,000.00
50.	किला दूनगांव एवं द्वार कंगलहल्ली	–	2,29,470.00	1,05,289.00
51.	सोमेश्वर मंदिर, कोलार	1,74,966.00	1,02,207.00	–
52.	किला तथा मंदिर, चैत्रदुर्ग	1,50,000.00	7,06,889.00	2,33,521.00
53.	कमानाबगीलु तथा होस्ट क्षेत्र, चैत्रदुर्ग	–	–	11,17,321.00

1	2	3	4	5
54.	कैलाश्वर मंदिर, बागली	60,000.00	3,35,732.00	–
55.	चेन्नाकेश्वर मंदिर, आराकेरे	2,05,785.00	88,291.00	–
56.	होयसलेश्वर मंदिर, हेलेविड	2,47,629.00	1,23,266.00	–
57.	केश्या मंदिर, बेलुर	4,20,426.00	1,18,692.00	3,25,727.00
58.	विट्ठल मंदिर, वेंकटपुर	1,16,000.00	–	3,94,800.00
59.	चंडीकेश्वर मंदिर, कमलापुर	2,34,959.00	2,47,425.00	–
60.	सासेवेकलु गणेश, कमलापुर	–	4,84,158.00	4,94,569.00
61.	कदालेकलु गणेश, कमलापुर	–	9,71,037.00	19,95,671.00
62.	शाही अहाता की बाड़, कमलापुर	–	20,61,556.00	11,24,224.00
63.	किला एवं गढ़ी बेलारी	1,00,000.00	5,45,860.00	3,20,525.00
64.	कीर्तिनारायन मंदिर, तालाकड	6,74,128.00	4,68,528.00	2,72,334.00
65.	वैदेश्वर मंदिर, तालाकड	–	65,000.00	60,000.00
66.	श्रीकतेश्वर मंदिर, नंजनगुड	2,54,000.00	2,92,000.00	–
67.	केश्वा मंदिर, सोमनाथ्सुर	64,800.00	1,71,398.00	–
68.	मुसाफिरखान एवं हौंडा, संतेषेन्नुर	1,40,000.00	40,000.00	–
69.	त्रिपुरतेश्वर मंदिर, बेल्लीगावी	1,81,505	–	–
70.	रंगनाथस्वामी मंदिर, श्रीरंगपटना	1,24,217	4,06,417	–
71.	नबीनारायन मंदिर, तोनाउर	3,07,146	1,75,356	–
72.	दरिया दौलत बाग, श्रीरंगपटना			
संग्रहालय				
73.	पुरातत्वीय संग्रहालय, एहोल एवं बादामी	3,55,000.00	7,35,000.00	12,23,327.00
74.	पुरातत्वीय संग्रहालय, बीजापुर	5,55,000.00	7,82,000.00	4,94,952.00
75.	पुरातत्वीय संग्रहालय, कमलापुर हम्पी	4,00,371.00	12,23,422.00	12,83,855.00
76.	टीपू सुल्तान संग्रहालय, श्री रंगपटना	4,19,000.00	4,98,708.00	4,04,743.00
77.	पुरातत्वीय संग्रहालय, हेलेबिडु	3,99,511.00	2,94,807.00	5,79,564.00

विवरण II

वर्ष 2003-2004 के लिए रखरखाव एवं संरचनागत संरक्षण प्रावधान

क्र.सं.	स्मारक का नाम	2003-04 के लिए प्रस्ताव रुपये में
1	2	3
1.	चक्रगुडी एवं बादीगेरगुडी, एहोल	2,03,880
2.	नदर गुडी, एहोल	5,62,300
3.	चरंथीमठ एहोल	2,65,700
4.	वेनीयावारगुडी, एहोल	3,16,000
5.	हुच्चीमल्लीगुडी, एहोल	3,75,600
6.	किला, मीरजान	4,27,600
7.	जट्टप्पानाईकाना, भटकल	5,93,100
8.	इब्राहिम रोजा, बीजापुर	2,30,920
9.	चंद्रमुलेश्वर मंदिर, उंकाल	3,08,900
10.	किला गुलबर्गा	4,77,000
11.	उत्खनित स्थल, कंगनहल्ली	2,00,000
12.	बड़ी मस्जिद, गुलबर्गा	2,00,000
13.	करीमुद्दीन मस्जिद, बीजापुर	3,00,000
14.	मेहतारी महल, बीजापुर	2,00,000
15.	असर महल, बीजापुर	2,00,000
16.	दो किला द्वार, धारवाड़	4,00,000
17.	ज्योर्तिलिंग परिसर, एहोल	64,000
18.	मल्लिकार्जुन परिसर, एहोल	75,000
19.	अगस्तया तीर्थ हौज, बादामी	1,00,000
20.	उत्तर किला, बादामी	1,00,000
21.	उत्तर भूतनाथ मंदिर, बादामी	1,00,000
22.	गुफा सं. 1, बादामी जिला बागलकोट	1,00,000
23.	कासीविस्वेश्वर, संगमेश्वर एवं जम्बुलिगेश्वर मंदिर तथा बेदी संरचनाएं, पट्टडकल	1,00,000
24.	विरुपाक्ष मंदिर, पट्टडकल	1,00,000
25.	पापनाथ मंदिर, पट्टडकल	1,00,000
26.	गलगनाथ मंदिर, पट्टडकल	1,00,000
27.	सुवर्णेश्वर मदिर समूह, हल्शी	1,00,000
28.	चन्द्रनाथ बस्ती, हेडुवल्ली	1,00,000
29.	रंगीन महल, बीदर	1,00,000
30.	किला महल, बीदर	20,00,000
31.	गोल-गुंबज, बीजापुर	1,00,000
32.	संगीत एवं नारी महल, तोरवी	1,00,000
33.	महादेव मंदिर, इट्टगी	5,00,000
34.	हफ्त गुबंज परिसर, गुलबर्गा	1,00,000
35.	गलगनाथ, जिला हावेरी	1,00,000
36.	मधुकेश्वर मंदिर, बनवासी	1,00,000
37.	रामालिगेश्वर मंदिर, अवानी	1,70,000
38.	पुराना दूनगांव एवं किला, बंगलौर	10,00,000
39.	टीपू सुल्तान महल, बंगलौर	8,50,000
40.	कमानाबागीलु एवं मोट क्षेत्र, चैत्रदुर्ग	11,17,321
41.	केश्वा मंदिर, बेलुर	2,40,000
42.	टीपु सुल्तान तथा नागलचेरू का किला एवं गढ़ी	9,50,000
43.	लोकपावनी/सीढ़ीनुमा हौज, वेंकटपुर	9,00,000
44.	विट्ठल मंदिर एवं बाजार, वेंकटपुर	10,00,000
45.	विट्ठल मंदिर, वेंकटपुर	10,00,000
46.	अनंथसयाना मंदिर, अनंथसयानागुनी	10,00,000
47.	स्मारक समूह, बेल्लीगावी	15,00,000
48.	हरीहरेश्वर मंदिर, हरीहार	3,00,000

1	2	3
49.	सूर्यनारायण मंदिर, मागला	1,00,000
50.	ईश्वर मंदिर, अरसीकेरे	1,40,000
51.	पुराना शिव मंदिर, वेंकटपुरम	6,00,000
52.	वैदेश्वर मंदिर, तालकड	1,90,000
53.	मुस्लिम कब्रें, कादीरामपुरा	10,00,000
संग्रहालय		
54.	पुरातत्वीय संग्रहालय, कमलापुर हम्पी	15,00,000
55	टीपू सुल्तान संग्रहालय, श्री रंगपटना	8,00,000
56	पुरातत्वीय संग्रहालय, हेलेबिडु	11,00,000
57.	पुरातत्वीय संग्रहालय, बादामी एवं एहोल	18,22,000
58.	पुरातत्वीय संग्रहालय, बीजापुर	9,77,000

तिरूवनन्तपुरम से एयर इंडिया की उड़ान

1121. श्री वी.एस. शिवकुमार: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जब से नेदुम्बसेरी हवाई अड्डे का परिचालन शुरू हुआ है और तब से एयर इंडिया ने तिरूवनन्तपुरम से 17 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें निलंबित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तिरूवनन्तपुरम अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कितनी उड़ानों का आपरेशन बहाल किया गया है; और

(ग) तबसे कितनी उड़ानों को मंजूरी दी गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) नेदुम्बसेरी हवाई अड्डे के आरंभ होने पर तथा कोचीन तथा तिरूवन्तपुरम से यातायात प्रवाह के मार्केट सर्वेक्षण के आधार पर, निम्नलिखित तिरूवनन्तपुरम प्रचालित उड़ानों को रद्द किया गया तथा इन्हें तिरूवनन्तपुरम की बजाय मार्ग बदलकर वाया कोचीन प्रचालित किया गया:- (1) दम्माम/तिरूवनन्तपुरम (2 उड़ानें) से दम्मान/कोचीन/दम्माम (2 उड़ानें) (2) आबू धाबी/तिरूवनन्तपुरम/आबू धाबी/दुबई से आबू धाबी/कोच्ची/आबू धाबी/दुबई, (3) तिरूवनन्तपुरम/दोहा/बहरीन/तिरूवनन्तपुरम से कोच्ची/दोहा/बहरीन/कोच्ची, (4) तिरूवनन्तपुरम/दुबई/तिरूवनन्तपुरम से कोच्ची/दुबई, (5) मस्कट/तिरूवनन्तपुरम/मस्कट से मस्कट/कोच्ची/मस्कट। इस समय एयर इंडिया तिरूवनन्तपुरम तथा आबू धाबी, अल-आइन, दम्माम, दुबई, कुवैत, मस्कट और रियाद के बीच सीधी उड़ानें प्रचालित कर रही है।

(ख) और (ग) तिरूवनन्तपुरम से निम्न स्थानों के लिए प्रचालनों के तरीके की पुनर्संरचना की गयी तथा यह इस प्रकार हैं:-

		उड़ान प्रति सप्ताह
(1)	दुबई	5
(2)	आबू धाबी/मस्कट	3
(3)	मस्कट	1
(4)	अल-आइन	1
(5)	दम्माम	1
(6)	रियाद	4
(7)	कुवैत	1

तिलहन और दलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना

1122. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तिलहन और दलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इसके स्थापना काल से ही इस प्रौद्योगिकी मिशन गतिविधियों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित देश में तिलहन और दलहन के विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना वर्ष 1986 में की थी। तदनन्तर, क्रमशः 1990, 1992-93 तथा 1995-96 में दलहनों, आयल पाम और मक्का को भी मिशन में शामिल किया गया। प्रौद्योगिकी मिशन के उद्देश्य निम्नवत हैं:-

1. इन फसलों का उत्पादन बढ़ाना;
2. इन फसलों की उत्पादकता बढ़ाना;
3. खाद्य तेलों तथा दलहन का आयात कम करना।

(ग) देश में तिलहन तथा दलहन का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए, मिशन ने महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें नामत: तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ.पी.पी.) तथा राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एन.पी.डी.पी.) शुरू की हैं। इन दोनों स्कीमों के अंतर्गत, बीजों के उत्पादन और वितरण, बीज मिनीकिटों के वितरण, उन्नत फार्म उपकरणों, स्प्रिंकलर सैटों, रिजोबियम कल्चर तथा सूक्ष्य पोषक तत्वों आदि के वितरण जैसे विभिन्न आदानों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसानों में उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रमुख प्रदर्शन तथा राज्य के कृषि विभाग द्वारा ब्लॉक प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

हाथियों के हमले से फसलों को नुकसान

1123. **श्री अनन्त नायक:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों में हाथियों से धान फसलों और छोटे-छोटे गांवों का नुकसान बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हाथियों से होने वाले इस तरह के नुकसान पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) सरकार को विभिन्न राज्यों में हाथी के पर्यावासों में और उसके इर्द-गिर्द कृषि उपजों और छोटे-छोटे गांवों में हाथियों द्वारा किए जा रहे नुकसान की जानकारी है। तथापि उड़ीसा सहित कुछ राज्यों द्वारा किए गए निम्न ब्यौरे से नुकसान में किसी निश्चित रूख का पता नहीं चलता है:-

राज्य	1999-2000	2000-01	2001-02
आंध्र प्रदेश	8.4 हैक्टेयर	2.4 है.	1 है.
मेघालय	1290 है.+139 झौंपड़ियां	252 है+ 52 झौंपड़ियां	372 है.+158 झौंपड़ियां
नागालैंड	501 है.+62 झौंपड़ियां	1002 है. +36 झौंपड़ियां	1220 है.+ 10 झौंपड़ियां
उड़ीसा	800 है.+262 झौंपड़ियां	1283 है.+167 झौंपड़ियां	1157 है.+960 झौंपड़ियां
उत्तरांचल	68 है.	135 है.	88 है.
पश्चिम बंगाल	2721+1100 झौंपड़ियां	2568 है.+1000 झौंपड़ियां	2820 है.+1200 झौंपड़ियां

जैसा कि मुख्य वन्यजीव वार्डन ने सूचित किया है वर्ष 2002-03 के दौरान उड़ीसा में 861 हैक्टेयर क्षेत्र में फसल और 725 मकानों को पहुंचाए गए नुकसान के लिए हाथी जिम्मेदार थे।

(ग) हाथियों द्वारा पहुंचाई गई क्षति की समस्या से निपटने के लिए राज्य वन विभागों द्वारा सामान्य तौर पर अपनाए गए तरीकों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. खेतों, गांवों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में हाथियों को जाने से रोकने के लिए अवरोध (खाईयां खुदवाना, बिजली की तार इत्यादि) लगाना।
2. खेतों से हाथियों को खदेड़ने के लिए ग्रामवासियों को पटाखे, सर्च लाइटें इत्याति वितरित करना।
3. हाथियों को वापिस वनों में खदेड़ने में लोगों की मदद हेतु महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेष वन्यजीव दस्ते तैनात करना।
4. उदंड हाथियों की पहचान करना और उन्हें हटाना।
5. वनों के अंदर हाथियों के पर्यावास में विकास कार्य करना।
6. हाथियों के लिए गलियारों को स्थापित करना और सुरक्षित रखना।
7. लोगों को हाथियों के साथ मैत्रीभाव से रहने के लिए शिक्षित करना।
8. वनों की सीमा पर स्थित गांवों में पारि-विकास कार्य प्रारम्भ करना ताकि वहां के निवासियों की जलाऊ लकड़ी चारा और पशुओं की चराई हेतु वनों पर निर्भरता कम की जा सके।
9. मानवीय जीवन, फसल और मकानों को पहुंची क्षति हेतु प्रभावित लोगों को अनुग्रहपूर्वक राहत की अदायगी करना।

भारत सरकार हाथी परियोजना के अंतर्गत हाथी पर्यावास में सुधार के लिए मानव हाथी भिड़ंत की घटनाओं को कम करने और हाथियों द्वारा पहुंचाई गई क्षति से पीड़ित व्यक्तियों को अनुग्रहपूर्वक राहत की अदायगी के लिए हाथियों की अधिक संख्या वाले राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2002-03 के दौरान उड़ीसा सहित 14 राज्यों को 939 लाख रुपए की धनराशि मुहैया कराई गई थी जिसमें क्षति-रोधी उपायों के प्रयोजनार्थ 260.50 लाख रुपए और अनुग्रहपूर्वक राहत हेतु 168.50 लाख रुपए शामिल थे।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म स्थान

1124. श्री के.पी. सिंह देवः क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के कटक स्थित जन्म स्थान जानकी भवन को राष्ट्रीय संग्रहालय में परिवर्तित कर उसका विकास करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार ने इस प्रयोजनार्थ किसी सहायता की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितना धन निर्गत किया गया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के पैतृक आवास को संग्रहालय के रूप में विकसित करने के लिए 150 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है तथा उड़ीसा सरकार द्वारा स्थापित 'नेताजी जन्मस्थल संग्रहालय न्यास' को 75 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

हेरिटेज प्रोग्रैम के लिए सहायता

1125. श्रीमती प्रभा रावः क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वेदों के प्रचार-प्रसार के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कार्यक्रम (कल्चरल हेरिटैज प्रोग्रैम) के संरक्षण और उसके प्रोत्साहन के अंतर्गत यूनेस्को (यूएनईएससीओ) से वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि की मांग की है;

(ग) क्या यूनेस्कों ने वांछित धनराशि को निर्गत करने पर सहमति जताई है; और

(घ) देश में वेदों के प्रचार-प्रसार के लिए यूनेस्को द्वारा दी गई धनराशि का किस तरह उपयोग किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) यूनेस्को के "प्रोक्लेमेशन आफ मास्टरपीसेज आफ दि ओरल एंड इनटैंजिबल हेरिटेज आफ ह्यूमैनिटी" कार्यक्रम के अंतर्गत "वेदों और वैदिक विरासत की मौखिक परंपरा" पर एक अभ्यर्थिता (केन्डीडेचर) फाइल तैयार करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आईजीएनसीए) का वित्तीय सहायता प्राप्त करने संबंधी एक प्रस्ताव यूनेस्को को प्रस्तुत किया गया है।

(ख) 20,000 (बीस हजार) अमरीकी डालर।

(ग) यूनेस्कों ने आईजीएनसीए को अभ्यर्थिता फाइल तैयार करने के लिए 18,000 अमरीकी डालर जारी कर दिए हैं।

(घ) यूनेस्को द्वारा प्रदान की गई निधियों का अभ्यर्थिता फाइल तैयार करने के लिए उपयोग किया जाना है। इसमें सर्वेक्षण करना, विशेषज्ञों, विद्वानों और पेशेवरों की बैठकें आयोजित करना, दृश्य-श्रव्य प्रलेखन तैयार करना, अभ्यर्थिता फाइल तैयार करना और एक कार्य-योजना शामिल है।

असम में कृषि के विकास के लिए आधुनिक तकनीक

1126. श्री एम.के. सुब्बाः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास असम और पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि के विकास के लिए आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके अंतर्गत असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई; और

(घ) इनकी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की गई है और इसमें अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) असम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि विकास की आधुनिक प्रौद्योगिकी का संवर्धन करके बहुत सी केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें पहले ही कार्यान्वित की जा रही हैं। इन स्कीमों की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जायेगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्र.सं.	स्कीम का नाम
1	2
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	
1.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा जम्मू और कश्मीर एवं उत्तरांचल के लिए बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन।
2.	वृहत् प्रबंध स्कीम।
3.	आन फार्म जल प्रबंध।
4.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ.पी.पी.)
5.	राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम (एन.पी.डी.पी.)
6.	त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (ए.एम.डी.पी.)
7.	प्रमुख फसलों के क्षेत्र तथा उत्पादन के अनुमानों की समय पर रिपोर्टिंग (टी.आर.एस.)।
8.	फसल सांख्यिकी का सुधार (आई.सी.एस.)
9.	आंकड़ों की रिपोर्टिंग के लिए एजेन्सी की स्थापना (ई.ए.आर.ए.एस.)।
10.	प्रमुख फसलों की खेती की लागत।
11.	कृषि सांख्यिकी का सुधार।
12.	कृषि संगणना।
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें	
13.	राज्य भूमि विकास बैंकों के ऋण-पत्रों में निवेश (एस.एल.डी.बी.एस.)।
14.	सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
15.	सहकारी रूप से अल्प विकसित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सहकारी विपणन, प्रसंस्करण तथा भण्डारण।
16.	सहकारी कताई मिलों में शेयर पूंजी भागीदारी।
17.	कृषि-क्लिनिक तथा कृषि-व्यापार।
18.	कृषि विस्तार सेवाओं का सुदृढ़ीकरण।
19.	कृषि में महिलाओं का प्रशिक्षण।
20.	कृषि में मानव संसाधन विकास/प्रशिक्षण सहायता।
21.	सूचना सहायता/प्रबंध सूचना प्रणाली।
22.	बीज बैंक की स्थापना तथा रखरखाव।
23.	राष्ट्रीय बीज निगम/भारतीय राज्य फार्म निगम/राज्य बीज निगमों/कृषि उद्योगों/शीर्ष/सहकारी संघों/सोसायटियों आदि को बीच पर परिवहन राजसहायता आदि।
24.	बीजों की गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था।

आई.सी.ए.आर.

1127. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने सेलिसा उपयोग करते हुए पेस्टिस-डि-पेस्टिटाईटिस रूमैनेन्टिस (पी.पी.आर.) और रिन्डरपेस्ट का भिन्न-भिन्न तरह से न्दिान के लिए एक असली किट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी किट विश्व के अन्य किसी भाग में नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इस रोग के पीड़ितों को कहीं और किए गए इलाज का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आई.सी.ए.आर. ने पशुओं को प्रभावित करने वाले कई सामान्य रोगों के लिए उपयुक्त किट का उपचार तैयार नहीं किया है; और

(च) ऐसे दावों का आकलन करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पशुप्लेग और पेस्टिस-डि-पेस्टिटिस रूमैनेन्टिस (पी.पी.आर.) के विभेदी निदान के लिए देसी सेलिसा किट विकसित की है।

(ग) विश्व में पशुप्लेग और पी.पी.आर. के विभेदी निदान के लिए केवल एक किट उपलब्ध है।

(घ) इस किट का प्रयोग केवल उपर्युक्त दो रोगों के विभेदी निदान की पुष्टि के लिए किया जाता है, उपचार करने हेतु नहीं।

(ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गोपशुओं के प्रमुख सामान्य रोगों नामत: खुरपका एवं मुंहपका रोग, पशुप्लेग, पी.पी.आर. ब्रूसेला, संक्रमण गोजातीय राइनोट्रकेइटिस तथा अन्य प्रमुखों रोगों के निदान के लिए किटों का विकास किया है। इन रोगों की रोकथाम के लिए टीके उपलब्ध है।

(च) नई विकसित नैदानिक किटों/टीकों का अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों और भारतीय फार्माकोपिया तथा नियामक एजेन्सियों द्वारा वैधीकृत करने पर विकास किया जाता है।

आर्टिफिशियल रिचार्ज ट्रेनिंग विषय पर सेमिनार

1128. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.) ने वर्ष 2002-03 में ''वाटर मैनेजमेंट एण्ड आर्टिफिशियल रिचार्ज ट्रेनिंग'' विषय पर इंजीनियरों और आर्किटेक्टों के लिए सेमिनार का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितने सेमिनारों का आयोजन किया गया;

(ग) क्या इसमें भाग लेने वालों ने सी जी डब्ल्यू बी को कोई शुल्क का भुगतान किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी जी डब्ल्यू बी) द्वारा ऐसा कोई सेमिनार आयोजित नहीं किया गया था। तथापि, सी जी डब्ल्यू बी ने जल प्रबंधन और कृत्रिम पुनर्भरण पर लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से वर्ष 2002-2003 के दौरान देश के विभिन्न भागों में 32 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये हैं। इन कार्यक्रमों में अभियंताओं और वास्तुविदों सहित केन्द्रीय/राज्य सरकार के संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों और व्यवसायियों ने भाग लिया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोई फीस नहीं ली जाती है।

[हिन्दी]

गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य

1129. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सरकार द्वारा गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति टन कितनी वृद्धि की गई और गन्ना उत्पादकों की इस संबंध में क्या मांग हैं;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि गन्ना उत्पादकों को संबंधित राज्य सरकारों से बढ़े हुए मूल्य समय पर मिल सकेंगे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में गन्ना उत्पादकों के लिए उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के पिछले तीन चीनी मौसमों में से प्रत्येक में इनसे पूर्व के चीनी मौसमों के संदर्भ में गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्यों (एस.एम.पी.) में वृद्धि क्रमश: 3.40 रुपये, 2.55 रुपये और 7.45 रुपये प्रति क्विंटल थी। इस संबंध में किसी गन्ना उत्पादक संगठन से कोई एक समान अथवा विशेष मांग/प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) से (घ) गन्ना उत्पादकों को बढ़े हुए मूल्य मिलना सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। नवम्बर, 2000 में गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में संशोधन किया गया ताकि राज्य सरकार (सरकारों) को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि (ब्याज सहित) को भू-राजस्व की बकाया राशि के समान वसूल करने के अधिकार प्रदान किए जा सकें। राज्य सरकारें इन अधिकारों का प्रयोग, न्यायालय के आदेशों के अधीन, यदि कोई हैं, गन्ना उत्पादकों को सांविधिक न्यूनतम मूल्यों का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु कर सकती है।

[अनुवाद]

नदी जल का उपयोग

1130. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री लक्ष्मण गिलुवा:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नदी जल के अधिकतम उपयोग के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कहां तक सफलता मिली है;

(ग) क्या सरकार नदी जल को उसकी क्षमता भर उपयोग करने में सफल नहीं रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान नदी जल का उपयोग करने के लिए किन-किन नदियों हेतु योजनाएं बनाई गई हैं और इसमें कितनी प्रगति हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) उपयोग योग्य जल संसाधनों को 690 बिलियन घनमीटर (बीसीएम) आंका गया है और वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन लगभग 432 बीसीएम हैं। इस समय देश में विभिन्न प्रयोजनों के लिए 605 बीसीएम जल उपयोग किया जा रहा है। देश में सिंचाई और अन्य उपयोगों के लिए नदियों के जल के अधिकतम उपयोग तथा उसके कुशल प्रयोग के लिए 177 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) की भंडारण क्षमता का सृजन किया गया है। निर्माण के विभिन्न चरणों में चल रही परियोजनाओं के पूर्ण होने पर 75 बीसीएम के भंडारण का और सृजन होगा। 132 बीसीएम की भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए भी प्रस्ताव प्रक्रियाधीन/विचाराधीन हैं। निर्माणाधीन स्कीमों को शीघ्र पूरा करके सिंचाई क्षमता के सृजन में तीव्रता लाने के लिए भारत सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) प्रारम्भ किया है। भारत सरकार भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की क्षेत्र सुधार परियोजना के तहत वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल संचयन के माध्यम से वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दे रही है जिसके लिए राज्य सरकारों तथा अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने भी प्रायोगिक आधार पर "भूजल के पुनर्भरण के अध्ययन" संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम प्रारम्भ की है। जल की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने एक दीर्घकालीन उपाय के रूप में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यक योजना तैयार की है जिसमें विभिन्न प्रायद्वीपीय और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़े जाने की योजना है।

(ग) और (घ) अनेक विचाराधीन स्कीमों के निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में होने के कारण उपयोग योग्य जल का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है। कुछ स्कीमें अन्वेषण और आयोजना की अवस्था में हैं।

(ङ) जल राज्य का विषय होने के कारण नदियों का जल उपयोग में लाने के लिए स्कीमों को तैयार करने सहित सभी जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार का होता है। केन्द्रीय जल आयोग को जुलाई, 2000 से जून, 2003 तक विभिन्न नदी बेसिनों के लिए तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए प्राप्त हुई स्कीमों की संख्या की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इनमें से 49 परियोजनाएं मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं में है, 12 परियोजनाओं को कुछ टिप्पणियों के अधीन जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और एक परियोजना का निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग को भेजा गया है।

विवरण

विभिन्न नदी बेसिनों के लिए जुलाई, 2000 से जून, 2003 तक तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के अधीन नई स्कीमें

क्र.सं.	बेसिन का नाम	स्कीमों का संख्या
1.	सिंधु	1
2.	कृष्णा	14
3.	नागावल्ल	3
4.	गंगा	4
5.	गोदावरी	10
6.	सोन	1
7.	महानदी	3
8.	तापी	14
9.	ब्रह्मपुत्र	1
10.	बैतरणी	1
11.	गोमती	1
12.	बेतवा	2
13.	यमुना	1
14.	आनन्दपुर हाइडल चैनल	1
15.	सतलज	1
16.	फिरोजपुर फीडर	1
17.	चेनाब	1
	कुल	60

समुद्र तट के साथ-साथ शौचालयों के निर्माण हेतु नियम

1131. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नियमों के तहत समुद्र तट के किनारे शौचालयों के निर्माण पर प्रतिबंध के कारण लोग समुद्र के किनारे ही मल त्याग कर देते हैं जिससे वहां बदबू और अत्यधिक प्रदूषण का वातावरण होता है और बीचों का निहित प्रयोजन प्रभावित होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में संबंधित नियमों की समीक्षा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (ग) समय-समय पर यथासंशोधित तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 के उपबंधों के अनुसार तटीय विनियमन क्षेत्र-II, पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन जीव-मण्डल रिजर्व क्षेत्र के पारम्परिक निवासियों के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र I और तटीय विनियमन क्षेत्र-III के स्थानीय निवासियों के प्रयोग के लिए शौचालयों के निर्माण की अनुमति है। तटीय विनियमन क्षेत्र-IV जिसे उपर्युक्त के अनुसार तटीय विनियमन क्षेत्र II और क्षेत्र III के रूप में वर्गीकृत किया है, में भी शौचालयों के निर्माण की अनुमति है।

एयर इंडिया की नई उड़ानें

1132. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया यूरोप और अफ्रीका में और नए मार्गों पर विमान चलाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार एयर इंडिया के बेड़े को मजबूती प्रदन करने के लिए नए विमानों को पट्टे पर लेने या खरीदने में एयर इंडिया को सहायता प्रदान करेगी; और

(ग) क्या एयर इंडिया बुडापेस्ट होते हुए इसके लिए एक साप्ताहिक उड़ान सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

[हिन्दी]

समर्थन मूल्य की घोषणा

1133. **डा. चरणदास महंत:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने मांग की है कि कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य की घोषणा एक फसल पहले ही की जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस वर्ष समर्थन मूल्य एक फसल पहले ही घोषित करने का है जैसा कि उक्त राज्यों ने मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) जी, नहीं। हालांकि, बुआई मौसम पूर्व शीघ्रातिशीघ्र प्रमुख कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करने के सभी प्रयास किये जाते हैं। सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य देशभर में एक समान होते हैं।

कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए राजसहायता

1134. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए किसानों को राजसहायता प्रदान करने और इस पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने का कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों को अग्रिम ऋण देने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रबंध किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने मूल्य के कृषि आधारित निर्यात किए गए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) कृषि पर विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार, विकासशील देशों को, संचालन, ग्रेडिंग एवं प्रसंस्करण लागत सहित विपणन की लागत तथा अन्तर्राष्ट्रीय एवं आंतरिक परिवहन एवं भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति के अनुसार उनके कृषि निर्यात को सहायता प्रदान करने की अनुमति दी जाती है। सरकार

मुख्यत: गेहूं और चावल के निर्यात पर इन लागतों में से कुछ की प्रतिपूर्ति करती रही है। कुछ किस्मों के बीजों (रोपण सामग्री) को छोड़कर लगभग सभी कृषि जिन्सों के निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटा लिए गए हैं।

(ग) और (घ) संस्थागत ऋण प्रणाली अर्थात वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा कृषि कार्यों को शुरू करने हेतु किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में संस्थागत ऋण का प्रवाह वर्ष 1997-98 में 31956 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2001-2002 में 61942 करोड़ रुपये हो गया है और वर्ष 2002-03 में 75000 करोड़ रुपये तकर पहुंच जाने का अनुमान है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि उत्पादों (चाय, कॉफी, समुद्र उत्पादों, कपास जिसमें अपशिष्ट तथा अरण्डी का तेल शामिल है, को छोड़कर निम्नलिखित हैं:-

(कीमत लाख रुपये में)

वर्ष	निर्यात
2000-2001	1677348.32
2001-2002	1876287.51
2002-2003	2118476.02

[अनुवाद]

सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग

1135. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी खबर है कि आईसीएआर के कुछ शीर्षस्थ अधिकारियों ने सरकारी गाड़ियों से मेरठ, देहरादून, मसूरी का बार-बार दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो गत छह महीनों के दौरान ऐसे दौरों का ब्यौरा क्या है और ऐसे दौरों के क्या उद्देश्य थे और इसके तहत यदि कोई उपलब्धि मिली है तो वह क्या है;

(ग) क्या सक्षम प्राधिकारी से वांछित रूप से पूर्व अनुमोदन लिया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों ने सरकारी कार्य के लिए सरकारी कार द्वारा मेरठ, मोदीपुरम, देहरादून तथा मसूरी का दौरा किया था। इस संबंध में विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले छ: महीनों के दौरान स्टाफ कारों से भा.कृ.अ.प. अधिकारियों द्वारा किये गये दौरे संबंधी कार्यक्रम का ब्यौरा

तिथियां	स्थान जहां का दौरा किया	उद्देश्य
1	2	3
महानिदेशक, भा.कृ.अ.प. तथा सचिव (डेयर)		
24.1.03 से 26.1.03	दिल्ली से मोदीपुरम तथा वापस	सचिव (डेयर), भा.कृ.अ.प. के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने के बाद एक बार मोदीपुरम का दौरा किया। इनके दौरे से वहां स्थित भा.कृ.अ.प. के संस्थानों में बीज उत्पादन गतिविधिंयों सहित प्राथमिकीकरण तथा युक्तिसंगत अनुसंधान में मदद मिली है।

1	2	3
	अपर सचिव (डेयर) तथा सचिव, भा.कृ.अ.प.	
24.1.03 से 26.1.03	दिल्ली से मोदीपुरम तथा वापस	पीडीसीएसआर, पीडीसी तथा सीपीआरएस, मोदीपुरम के अधिकारियों के साथ बैठक
8.3.03 से 10.3.03	दिल्ली मोदीपुरम तथा वापस	सीपीआरएस, मोदीपुरम में इंटरनेशनल कांफ्रेंस आन प्रोसेसिंग आफ पोटेटो विद इन एशिया में भाग लेना
17.3.03 से 23.3.03	दिल्ली से मसूरी मसूरी से देहरादून, देहरादून से मसूरी तथा मसूरी से दिल्ली	देहरादून में भा.कृ.अ.संस्थान का दौरा किया तथा एलबीएसएनएए, मसूरी में इन्टर एक्टिव सैशन में भाग लेना
13.4.03 से 14.4.03	दिल्ली से मोदीपुरम तथा वापस	पीडीसीएसआर, पीडीसी तथा सीपीआरएस, मोदीपुरम के अधिकारियों के साथ अनुवर्ती बैठक (जनवरी, 2003 में हुई)
14.6.03 से 19.6.03	दिल्ली से मोदीपुरम (भा.कृ.अ.प. की कार द्वारा) मेरठ से देहरादून रेल द्वारा, देहरादून से मसूरी सड़क मार्ग द्वारा, मसूरी से देहरादून सड़क मार्ग द्वारा तथा देहरादून से दिल्ली रेल द्वारा	एलबीएसएनएए, मसूरी में प्रशासन में नैतिक मुद्दों में प्रशासन में नैतिक मुद्दों पर सत्र में भाग लेने और भाषण देने

ट्रेवेलिंग एजेन्टों द्वारा धोखाधड़ी

1136. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय श्रमिकों को ट्रेवेलिंग द्वारा धोखा दिया जा रहा है उन्हें अवैध दस्तावेजों के साथ खाड़ी देशों में भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे एजेन्टों के विरुद्ध राज्य-वार कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने श्रमिकों को विदेशी भूमि पर होने वाली परेशानी से बचाने के उद्देश्य से उनके विमान में चढ़ने से पहले अकुशल श्रमिकों के यात्रा संबंधी कागजातों की जांच करने हेतु प्रकोष्ठ का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) भर्ती एजेन्टों द्वारा अपनाये जा रहे विभिन्न प्रकार के कदाचार के आरोपों की छुट-पुट शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती हैं। यात्रा संबंधी दस्तावेजों, अर्थात् रोजगार वीजा एवं उत्प्रवास संरक्षियों की उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं वाली मुहरों की जालसाजी के दो मामले उत्प्रवास संरक्षी, दिल्ली की जानकारी में आए हैं। इन्हें समुचित कार्रवाई हेतु पुलिस प्राधिकारियों के पास भेज दिया गया है।

(ग) से (ङ) संबंधित उत्प्रवास संरक्षी अकुशल कामगारों के यात्रा संबंधी कागजातों की छानबीन करके उन्हें क्लियर करते हैं। हवाई-अड्डे पर उत्प्रवास संरक्षी यह जांच करने के लिए निरीक्षण कराने हेतु भी प्राधिकृत हैं कि अकुशल श्रमिकों सहित विदेश जाने वाले व्यक्तियों के यात्रा संबंधी कागजात सही हैं अथवा नहीं। समस्त अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तनों पर स्थापित उत्प्रवास जांच केन्द्र भी इस संबंध में सतर्कता बरतते हैं।

कर्नाटक को खाद्यान्नों की आपूर्ति

1137. श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से पशु आहार उत्पादन के लिए कर्नाटक को खाद्यान्न का विशेष आबंटन करने हेतु आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) पशु आहार बनाने के लिए खाद्यान्नों का आबंटन करने के लिए कर्नाटक सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइंस की अव्यावहारिक रूटों पर उड़ानें

1138. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस को भारी हानि हो रही है चूंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह अपनी उड़ानें अव्यावहारिक मार्गों पर संचालित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2001-02 के दौरान एयरलाइंस द्वारा संचालित सत्तर घरेलू सेवाओं में से 24 सेवाओं ने प्रचालन की प्रत्यक्ष (नकद) लागत को भी पूरा नहीं किया;

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इस संबंध में वर्ष 2002-03 और 2003-04 के लिए कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) एलाइंस एयर समेत इंडियन एयरलाइंस मुख्यतया सामाजिक-आर्थिक दायित्वों की वजह से घरेलू नेटवर्क के अनेक गैर-किफायती सेक्टरों पर सेवाएं प्रचालित करती रही है। नागर विमानन महानिदेशालय की न्यूनतम अपेक्षाओं की एवज में श्रेणी-II और श्रेणी-III के मार्गों पर अतिरिक्त क्षमता लगाने के फलस्वरूप, इंडियन एयरलाइंस को काफी घाटा उठाना पड़ता है। एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते, इंडियन एयरलाइंस पूर्ण रूप से वाणिज्यिक सिद्धांतों पर सेवाएं संचालित करने की स्थिति में नहीं है चूंकि इसे क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क और विकास की जिम्मेदारी को पूरा करना पड़ता है।

सरकार नियमित आधार पर कंपनी के कार्य निष्पादन की समीक्षा करती है और दूसरे मंत्रालयों से परामर्श करके संभव सीमा तक प्रचालन सेवाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार लाने की दिशा में प्रयास किए जाते हैं।

कोयला खान दुर्घटनाओं के लिए जांच न्यायालय का गठन

1139. श्री राम मोहन गाड्डे:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गोदावरी खानों में कोयला खान दुर्घटना के लिए जांच न्यायालय का गठन किया है जिसमें सत्रह खान मजूदरों की जानें गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है; और

(ङ) सरकार द्वारा कोयला खान मजदूरों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) गोदावरी खान कोयला खान दुर्घटना की जांच करने के लिए उच्च न्यायालय के एक आसीन जज की अध्यक्षता में जांच अदालत गठित करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) तदनुसार खान अधिनियम 1952 की धारा 24 के अधीन जांच अदालत गठित करने संबंधी अधिसूचना जारी की जा रही है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) खानों में नियोजित श्रमिकों की सुरक्षा कल्याण और स्वास्थ्य को खान अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा विनियमित किया जाता है। श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन प्रावधानों का कार्यान्वयन खान प्रबंधनों की जिम्मेदारी है। खान सुरक्षा महानिदेशालय दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए कानूनी प्रावधानों पर बल देता है और इस की निगरानी करता है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित उपायों के माध्यम से सरकार द्वारा श्रमिकों और खान प्रबंधनों के बीच सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए कानूनी व अन्य उपाय भी किए जाते हैं:

(क) खानों में सुरक्षा पर सम्मेलन

(ख) प्रबंधन द्वारा स्वत: विनियमन।

(ग) सुरक्षा प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी।

(घ) विभिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय और द्विपक्षीय समीक्षा।

(ङ) कामगारों का प्रशिक्षण।

(च) सुरक्षा सप्ताह मनाना और सुरक्षा अभियान चलाना।

(छ) राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार।

अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए एलायंस एयरक्राफ्ट

1140. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायु सेना द्वारा अतिविशिष्ट व्यक्तियों के उपयोग के लिए एलाइंस एयरवेज से एक एयरक्राफ्ट किराये पर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे एलाइंस एयरवेज को अपनी नियमित उड़ानें कम करनी पड़ रही हैं जिससे इसके ग्राहकों को असुविधा हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके कारण एलाइंस एयरवेज के स्थायी ग्राहक निजी विमान कंपनियों के पास जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या एलाइंस एयरवेज पर दबाव कम करने के प्रयास में इंडियन एयरलाइंस को तीन नए मार्गों पर एयरबस 320 का संचालन करना पड़ा; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त उड़ानों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) 15 जून से 31 अक्तूबर, 2003 की अवधि के लिए भारतीय वायु सेना को एक बोइंग 737 विमान ड्राई लीज पर दिया गया है।

(ख) से (ङ) इस करार के किए जाने से, एलाइंस एयर की समय-अनुसूची में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। बोइंग 737 से एयरबस 320 और इसके विपरीत सेवाओं की अदला-बदली एक सामान्य प्रैक्टिस है जिसे इंडियन एयरलाइंस और एलाइंस एयर की प्रचालनात्मक और यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। एलाइंस एयर बोइंग 737 विमान से, इंडियन एयरलाइन्स की ओर से, अस्थायी रूप से तीन सेवाएं प्रचालित कर रही थी, ये सेवाएं दिल्ली/अहमदाबाद/दिल्ली/श्रीनगर/जम्मू और दिल्ली/पुणे मार्गों पर प्रचालित की जा रही थी। इन सेवाओं को पुन: एयरबस 320 नेटवर्क में स्थानांतरित कर दिया गया है।

पशुपालन विभाग में निवेश

1141. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष कार्य योजना के अंतर्गत पशुपालन विभाग का आबंटन 1677.88 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2345.64 करोड़ रुपए कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभाग के खराब कार्य निष्पादन के कारण इसका बजट प्रावधान घटाकर 1682.95 करोड़ कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो खराब कार्य निष्पादन और धनराशि का उपयोग न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के लाभ के लिए इन योजनाओं के लिए अपनी योजना में सुधार और नियंत्रण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने नौवीं योजना के दौरान विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शुरू में 1677.88 करोड़ रुपए का योजना आबंटन निश्चित किया था जिसे बाद में खाद्य उत्पादन को दुगुना करने की सरकारी नीति के अनुसरण में बढ़ाकर 2345.64 करोड़ रुपए कर दिया गया था। तथापि, पूरी नौवीं योजना का वास्तविक संचयी बजटीय आबंटन 1682.95 करोड़ रुपए रहा था। वार्षिक बजटीय आबंटनों का निर्णय योजना द्वारा विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्तावों, सकल आर्थिक परिदृश्य, वित्तीय संसाधनों, पूर्व निष्पादन आदि के आधार पर किया जाता है।

(घ) और (ङ) पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने दसवीं योजना के प्रस्तावों को तैयार करते समय योजना को बंद/विलय योजना स्कीमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से शून्य आधारित बजटीय व्यवस्था को लाया है। इसके परिणामस्वरूप दसवीं योजना में बहुत सी योजना स्कीमों को कम करके 17 कर दिया है जिसमें 2500 करोड़ रुपए के कुल योजना परिव्यय के साथ तीन नई योजना भी शामिल हैं।

गहरे समुद्र में टूना मत्स्यन हेतु संयुक्त उद्यम परियोजना

1142. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से गहरे समुद्र में टूना मत्स्यन के दोहन हेतु वर्ल्ड टूना डेवेलपमेंट इंटरनेशनल आई.एन.सी. के साथ संयुक्त उद्यम परियोजना हेतु मंजूरी देने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा वांछित अपेक्षित सूचना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेज दी गई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार को यह सूचना कब प्राप्त हुई; और

(घ) यह प्रस्ताव के कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं। केन्द्र सरकार द्वारा मांगे गए पूरे ब्यौरे आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अन्य संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों से भी कुछ स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रस्ताव की आगे जांच तभी हो सकती है जब सभी अपेक्षित जानकारी प्राप्त हो जाए।

तिरूवनंतपुरम विमानपत्तन का विकास

1143. श्री वी.एस. शिवकुमारः क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तिरूवनंतपुरम विमानपत्तन की मौजूदा धावन पट्टी के विकास और परिसर की दीवार के निर्माण हेतु कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ख) यह कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार द्वारा तिरूवनंतपुरम विमानपत्तन पर हवाई पुलों (एरो-ब्रिज) की व्यवस्था करने हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(घ) क्या विमानपत्तन पर यात्रियों को लाने ले जाने के लिए प्रयुक्त पुराने वाहनों को बदलने हेतु कोई कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) मुख्य रनवे के सुदृढ़ीकरण तथा ट्रेन के निर्माण सहित अन्य आपरेशनल पेवमेंटस के लिए 18.37 करोड़ रुपये और कम्पाउंड दीवार के मानकीकरण व आपरेशनल एरिया की फेंसिंग के लिए 5.00 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी गई है।

(ख) मुख्य रनवे के सुदृढ़ीकरण और सम्बद्ध कार्यों से संबन्धित कार्य नवम्बर, 2003 में शुरू होने की संभावना है जबकि कम्पाउंड दीवार का निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) विमान से टर्मिनल भवन तक यात्रियों को लाने-ले-जाने में प्रयुक्त वाहनों को बदले जाना एक सतत प्रक्रिया है। इस समय इंडियन एयरलाइंस तीन वाहन खरीदने की प्रकिया में है जिनको तीन-चार महीने के भीतर आपरेशन में लगाया जाना है जबकि एयर इंडिया नए वाहन खरीदे जाने की प्रक्रिया में है जिनको अगले छह-सात महीने के भीतर प्रचालन में लगाए जाने की संभावना है।

नई नागर विमानन नीति

1144. श्री रामशेठ ठाकुरः
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्तिः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई राष्ट्रीय नागर विमानन नीति तैयार करने हेतु पांच सदस्यीय पैनल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पैनल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके किस तारीख से क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या वर्तमान नागर विमानन नीति नागर विमानन क्षेत्र को विकसित करने में विफल रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा नागर विमानन क्षेत्र के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) सरकार ने नागर विमानन सेक्टर के लिए एक रोड मैप तैयार करने के उद्देश्य से दिनांक 21 जुलाई, 2003 को एक पांच-सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह, रोड मैप नई राष्ट्रीय नागर विमानन नीति का मूलाधार होगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकार की नीति नागर विमानन सेक्टर को सक्षम और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने की है जिसमें सेवा, संरक्षा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों के अनुरूप व्यवहार्य एवं टिकाऊ वायु परिवहन सेवायें तथा विमानन अवसंरचना विकसित हो सके। इस प्रक्रिया में सम्पर्कता स्थापित करने के अलावा, व्यापार के साथ सीनर्जी, वाणिज्य तथा पर्यटन बढ़ाया गया, आर्थिक विकास हुआ तथा रोजगार के अवसर सृजित किये गये।

जल संसाधनों का प्रबंधन

1145. **श्री एम.के. सुब्बा:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नदी घाटी के आपस में जोड़ने के संदर्भ में पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन हेतु कोई नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति-2002 को अंगीकार किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की व्यवस्था है कि बेसिन/क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के रूप में एक नदी बेसिन से दूसरे नदी बेसिन में हस्तांतरण द्वारा जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

सरकार ने देश में नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव में दो घटक नामत: हिमालयी नदी विकास घटक और प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, हिमालयी घटक में मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा संपर्क नामक एक संपर्क के जरिए असम में ब्रह्मपुत्र नदी से पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में अधिशेष जल का हस्तांतरण करने के लिए एक प्रस्ताव भी शामिल है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मछली की प्रजातियों की सूची बनाना

1146. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने दावा किया है कि उसने मछली की 2100 प्रजातियों की सूची बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा ऐसी सूची बनाने के लिए कितनी लागत वहन की गई;

(ग) उन किस्मों का ब्यौरा क्या है जिनकी सूची भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अभी बनाई जानी है; और

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तालाबों, झीलों और ऐसे अन्य जल निकायों में मछली को प्रभावित करने वाले रोगों पर ध्यान देने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) 150 लाख रुपये।

(ग) फिनफिशों के अतिरिक्त श्रिम्पों, झींगों, मोलस्कों और इकीनोडर्मों आदि की अन्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मीठा जल एवं समुद्री जीवों को भी सूचीबद्ध किया जाएगा जिनकी लगभग 5000 प्रजातियां हैं।

(घ) तालाबों, झीलों और अन्य जल निकायों में मछली को प्रभावित करने वाले रोगों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

(1) तालाबों, झीलों और जलाशयों में विदेशी/देशी रोगजनकों की निगरानी करना।

(2) रोगों के विरुद्ध रोगनिरोधकों और रोगोपचारों का प्रयोग करना उदाहरणार्थ कार्पों के व्रणकारी संलक्षण (अल्सरेटिव सिन्ड्रोम) के लिए सीफैक्स का प्रयोग करना।

(3) रोगजनकों (देशी/विदेशी) की जांच के लिए त्वरित आण्विक नैदानिक किटों/एसेज का विकास करना।

(4) मछली के टीकों और प्रोबायोटिक्स तथा रोग नैदानिक किटों का विकास करना।

(5) कुशल प्रबंधन वाली कृषि-क्रियाओं/एच.ए.सी.पी. को अपनाना।

भू-क्षरण के मानचित्र

1147. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के सभी राज्यों के लिए भू-क्षरण के मानचित्र बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) किस वैज्ञानिक आधार पर ये मानचित्र बनाए गए हैं; और

(घ) भू-क्षरण संबंधी आंकड़े एकत्र करने और उनकी जांच करने हेतु कौन सा विशिष्ट संस्थान उत्तरदायी था?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) 19 राज्यों के मृदा भू-क्षरण मानचित्र पूरे किए जा चुके हैं तथा अन्य राज्यों का कार्य प्रगति पर है।

(ख) ये मानचित्र देश के विभिन्न क्षेत्रों में भू-क्षरण बाधाओं का मूल्यांकन करने तथा उपयुक्त सुधार संबंधी उपायों का सुझाव देने के लिए उपयोगी हैं।

(ग) 10 कि.मी. ग्रिड के आधार पर संभावित मृदा क्षति आकलन करने के लिए सम्पूर्ण मृदा क्षति समीकरण का प्रयोग किया गया था।

(घ) उक्त उद्देश्य के लिए केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून जिम्मेदार है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कार्य में समानता संबंधी रिपोर्ट

1148. **श्रीमती प्रभा राव:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को कार्य में समानता संबंधी रिपोर्ट जारी की है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस रिपोर्ट से पता चलता है कि महिलाओं को कम भुगतान वाली अकुशल मजहरी की श्रेणी में रखा जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्षेत्रीय कार्यालय, नयी दिल्ली के सहयोग से 12 मई, 2003 को संयुक्त रूप से टाइम फार इक्वालिटी एट वर्क नामक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ग्लोबल रिपोर्ट जारी की थी।

(ख) रिपोर्ट की प्रमुख बातें निम्नवत हैं:

1. कार्यस्थल पर भेदभाव अब भी एक आम समस्या है।
2. कार्यस्थल पर भेदभाव से निपटने में हुई प्रगति, यहां तक कि महिलाओं के प्रति भेदभाव जैसे काफी लम्बे समय से मान्य मामले में भी, अनियमित और असमान रही है।
3. भेदभाव से पीड़ित समूहों में असमानताएं बढ़ती जा रही है।
4. भेदभाव से लोग अक्सर कम आमदनी वाले अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार में फंस जाते हैं।
5. भेदभाव समाप्त न कर पाने से गरीबी की स्थिति बनी रहती है।
6. कार्यस्थल पर भेदभाव समाप्त होने से व्यक्ति, उद्यम और कुल मिलाकर समाज, सभी का फायदा होगा।

(ग) जी हां।

(घ) कार्यस्थल पर स्त्री-पुरुष में समानता सुनिश्चित करने की दृष्टि से देश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 बनाए गए हैं। राज्य सरकारों, को जब भी आवश्यक हो, क्रमश: समान पारिश्रमिक अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत कार्यस्थल पर समान पारिश्रमिक और न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के उल्लंघन होने पर कार्रवाई आरंभ करने की शक्ति/प्राधिकार प्राप्त है।

स्मारकों पर तड़ित चालक

1149. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश भर में अधिकांश ऊंचे ऐतिहासिक भवन/स्मारक या तो पर्याप्त तड़ित चालकों से सुसज्जित नहीं है अथवा तड़ित चालक खराब हो गए हैं जिसके फलस्वरूप वर्षा काल के दौरान बिजली गिरने से ढांचे को भारी नुकसान हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो संरक्षित स्मारकों के प्रति ऐसे लापरवाहीपूर्ण रवैये के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा स्मारकों को बिजली गिरने से उचित प्रकार से बचाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) जी, नहीं। स्मारकों में जहां कहीं आवश्यक है वहां तड़ित चालकों की व्यवस्था है और संबंधित एजेंसियों द्वारा उनकी समय-समय पर जांच की जाती है तथा जहां उन्हें खराब पाया जाता है, बदल दिया जाता है।

[हिन्दी]

वृहत् प्रबंधन योजनाएं

1150. डा. चरणदास महंत: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में वृहत् प्रबंधन योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 2003-04 के दौरान इन राज्यों में उपर्युक्त योजनाओं के लिए और अधिक धनराशि मंजूर करने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 2001-02 के दौरान किसानों के लिए कम किए गए पचास प्रतिशत अनुदान को बहाल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है और तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में वृहत कृषि प्रबंधन स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) 27 घटक स्कीमों के तहत नवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त औसत सहायता, राज्यों के कार्य निष्पादन और राज्यों के पास खर्च न की गई बकाया राशि के आधार पर राज्यों/संघ शसित प्रदेशों को योजना द्वारा प्रदत्त एवं अनुमोदित धनराशि निर्मुक्त की जाती है। वित्त मंत्रालय द्वारा इस स्कीम के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार धनराशि निर्मुक्त की जाती है।

(ग) वृहत प्रबंध स्कीम वर्ष 2000-01 से चालू की गई और वर्ष 2000-01 एवं 2001-02 के लिए देय सहायता को वृहत-प्रबंध स्कीम में समाहित की गई 27 अभिज्ञात स्कीमों के तहत यथा अनुमोदित उसी स्तर पर रखा गया। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने दसवीं योजना के दौरान वृहत प्रबंध स्कीम इस शर्त के साथ अनुमोदित की कि प्रति किसान अथवा प्रति कार्यकलाप राजसहायता, लागत के 25 प्रतिशत से अधिक अथवा 27 अभिज्ञात स्कीमों के तहत अनुमोदित वर्तमान राजसहायता के स्तर, जो भी कम हो से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विश्व स्तर के विमानपत्तन

1151. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व स्तर के विमानपत्तन तैयार करने के लिए कार्यविधियां तैयार की हैं;

(ख) यदि, हां तो क्या मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव शुरू किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन प्रस्तावों के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) देश में सभी विमानपत्तनों पर सुरक्षोपायों में कहां तक सुधार किया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) जनवरी, 2000 में भारत सरकार ने जब और जैसे उपयुक्त पाया जाए, दीर्घावधिक पट्टामार्ग के माध्यम से, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाईअड्डों की पुनः संरचना किए जाने को अनुमोदित कर दिया था। पहले पहल, पुनः संरचना कार्रवाई के लिए दिल्ली, मुम्बई चेन्नई और कोलकाता को चुना गया था। बड़े हवाईअड्डों की लीजिंग के लिए वर्तमान पहल के अतिरिक्त, दिल्ली और मुम्बई हवाईअड्डों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार आधुनिक बनाये जाने का प्रस्ताव है। विमानपत्तन प्राधिकरण से आरंभिक बराबर की इक्विटी भागीदारी से दो अलग कम्पनियों बनाई जाएंगी। ये दोनों कम्पनियां संयुक्त उद्यम भागीदार भी ले सकेंगी।

(घ) प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। इसलिए इस अवस्था में कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

(ङ) अपहरण विरोधी तथा पैरामीटर सुरक्षा ड्यूटियों का निर्वाह करने के लिए 47 हवाईअड्डों पर विशेष रूप से प्रशिक्षित सीआईएसएफ ग्रुपों (हवाई अड्डा सुरक्षा ग्रुप) को लगाया गया है। सभी पुराने सुरक्षा उपकरणों को धीरे-धीरे रंगीन एक्स-बिस इत्यादि जैसे नये आधुनिक उपकरणों से बदला जा रहा है। दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, त्रिवेन्द्रम, अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर, गोवा, कोचीन, हैदराबाद, बंगलौर और अहमदाबाद में टर्मिनल भवनों में क्लोज सर्किट टेलीविज लगाए गए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सत्र

1152. श्री राम मोहन गाड्डे:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में एक भारतीय शिष्टमंडल अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के हाल में आयोजित इक्यानवें सत्र में सम्मिलित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें सहभागियों द्वारा क्या मुद्दे उठाए गए थे; और

(ग) इसका क्या परिणाम निकला और इसमें यदि कोई अन्तिम निर्णय लिया गया तो वह क्या था?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) कई मुद्दे सम्मेलन में विचारार्थ लिए गए। उनके ब्यौरे और उन पर प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए बिन्दुओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गए हैं।

(ग) विचार-विमर्शों के निष्कर्ष और सम्मेलन की कार्यसूची में शामिल विभिन्न मदों पर लिए गए अंतिम निर्णय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

सम्मेलन की कायसूची में निम्नलिखित मदें शामिल थीं

स्थायी मदें

1. (क) शासी निकाय के अध्यक्ष और महानिदेशक की रिपोर्ट

(ख) कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन घोषणापत्र के अनुवर्तन की ग्लोबल (वैश्विक) रिपोर्ट

2. 2004-05 के लिए बजट प्रस्ताव, कार्यक्रम और अन्य मुद्दे

3. अभिसमयों और अनुशंसाओं के अनुप्रयोग संबंधी सूचना और रिपोर्ट

शासी निकाय द्वारा सम्मेलन की कार्यसूची में रखी गई मदें:

4. मानव संसाधन प्रशिक्षण और विकास-मानव संसाधन विकास अनुशंसा 1975 (सं. 150) (मानक निर्धारण, प्रथम चर्चा) का संशोधन।

5. नियोजन संबंध का दायरा (सामान्य चर्चा)

6. व्यवसाय जन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मानक संबंधी क्रियाकलाप; ऐसे क्रियाकलापों के लिए कार्य योजना निर्धारण हेतु चर्चा के लिए गहन अध्ययन (समेकित दृष्टिकोण पर आधारित सामान्य चर्चा)

7. नाविकों की पहचान की बेहतर सुरक्षा व्यवस्था (नयाचार या अन्य लिखत को स्वीकार करने के लिए मानक निर्धारण, एकल चर्चा)

महानिदेशक की रिपोर्ट पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए माननीय श्रम मंत्री डा. साहिब सिंह वर्मा ने सम्मेलन में आए अंतर्राष्ट्रीय शिष्टमंडल की सम्मानित सभा को सूचित किया कि इस संबंध में एक निष्ठापूर्ण और समर्पण भावना से पूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस वैश्विक चुनौती का सामना करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, भारत के संविधान में समानता के लिए पर्याप्त प्रावधान विद्यमान है और विभिन्न कानून प्रभावी ढंग से प्रवृत्त किए जा रहे हैं। अतिरिक्त रोजगार सृजन और आय वृद्धि के लिए विशेष रूप से केन्द्रीभूत कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं जिनका उद्देश्य ऐसे संवेदनशील समूहों की मदद करना है, जो अधिक सामान्य उत्कर्ष संवर्धन नीतियों से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिष्टमंडल के सम्माननीय मंच को इस दिशा में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से भी अवगत कराया गया। माननीय श्रम मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि जाति, वंश, धर्म और भौगोलिक विभाजन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

वैश्विक (ग्लोबल) रिपोर्ट जो इस वर्ष "कार्यस्थल पर समानता के लिए समय" विषय पर थी पर बोलते हुए माननीय श्रम राज्य मंत्री ने जोर देकर कहा कि भेदभाव मिटाने के लिए कार्यस्थल एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। संवैधानिक, विधिक कानूनी और विकासगत उपायों के माध्यम से भेदभाव की समस्या को हल करने की दिशा में सरकार को सकारात्मक और कार्योन्मुख नीति को अन्य अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों के समक्ष रखा गया।

वित्त समिति में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा तैयार "शून्य वास्तविक विकास बजट" का समर्थन किया और उसके पक्ष में मतदान किया।

मानव संसाधन प्रशिक्षण और विकास संबंधी समिति में यह कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए यह उपयोग होगा कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास निधि विकसित करे ताकि गरीब देशों की बड़े पैमाने पर कौशल प्रशिक्षण कार्यकलापों को चलाने और उन्हें अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को सुधारने में मदद की जा सके।

रोजगार संबंध समिति में यह स्पष्ट किया गया कि प्रशिक्षण और कौशल विकास रोजगार की गुणवत्ता के स्तर को उठाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अतएव, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बैनर तले एक वैश्विक व्यवस्था स्थापित की जानी जरूरी है ताकि श्रम बल में कौशल विकास के लिए विकासशील देशों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में उनकी मदद करने के उपाय खोजे जा सके।

व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समिति में यह कहा गया कि श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य भारत सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। कार्यस्थल और असंगठित क्षेत्र को व्यवसायगत सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना एक बड़ी चुनौती है जिसका सामना किया जाना है। सरकार ने यह विश्वास भी जारि किया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन स्वयं विकसित विश्व से संसाधन जुटाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ताकि विकासशील देशों की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से श्रमिकों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में अंतरित करने में मदद की जा सके और किसी देश विशेष द्वारा अनुरोध किए जाने पर उसके राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी सहयोग भी प्रदान किया जा सके। इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन व्यवसायगत सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलापों के क्षेत्र में एक उपयोगी कार्य योजना तैयार करे। सरकार ने व्यवसायगत सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यकलापों के नियमित समीक्षा के सुझाव का समर्थन किया क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को सदस्य देशों में व्यवसायगत सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित विशिष्ट समस्याओं को समझने में मदद मिलेगी और सदस्य देशों को भी अन्यों द्वारा किए गए विशिष्ट उपायों की जानकारी मिलेगी।

नाविकों संबंधी समिति में भारत के सरकारी सदस्य ने कहा कि चूंकि अभिसमय सं. 108 चालीस साल से अधिक पुराना है अत: अब इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।

विवरण II

मानव संसाधन प्रशिक्षण और विकास समिति ने मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण नामक एक संकल्प अंगीकार किया जिसमें दूसरे विचार विमर्श के लिए अगले सत्र की कार्यसूची शामिल की जाएगी।

रोजगार संबंध समिति में निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त विषय पर एक सिफारिश का अंगीकार किया जाना एक समुचित उत्तर होगा। यह सिफारिश छद्मवेशी रोजगार संबंध और मशीनीकरण की आवश्यकता पर केन्द्रित होगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि रोजगार संबंध से जुड़े एक व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर पर उचित सुरक्षा मिल सकेगी। समिति ने यह संकल्प अंगीकार किया कि शासी निकाय रोजगार संबंध पर भविष्य की कार्यनीति बनाने के लिए समिति में अंगीकार किए गए निर्णयों पर समुचित विचार करे और साथ ही समिति ने महानिदेशक से कार्यक्रम कार्यान्वित करते समय वर्ष 2004-2005 द्वि-वर्षीय बजट तथा वर्ष 2004-05 द्वि वर्षीय बजट के दौरान उपलब्ध ऐसे अन्य स्रोतों के आबंटन करते समय इन दोनों बातों को ध्यान में रखने का अनुरोध किया।

समिति द्वारा व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर अंगीकार किये गए निर्णय में कार्य पर सुरक्षा व स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कार्य योजना तैयार की गई। समिति में व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मानक संबंधी क्रियाकलापों के प्रभाव, सुसंगति और उनकी महत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से भी एक संकल्प अंगीकार किया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के शासी निकाय को व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनमानक संबंधी क्रियाकलापों में भविष्य की कार्यनीति बनाते समय इन निर्णयों पर उचित ध्यान देना चाहिए, यदि शासी निकाय द्वारा नवम्बर, 2003 में अनुमति दी जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 2005 के 93वें सत्र की कार्यसूची में व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य संबंधी मद को रखने के वर्तमान अवसर को ध्यान में रखते हुए महानिदेशक से अनुरोध किया जाना चाहिए कि वे मौजूदा व 2004-05 के कार्यक्रम क्रियान्वित करते समय, वर्ष 2004-05 के द्वि वार्षिक कार्यक्रम के दौरान यथा उपलब्ध होने वाले ऐसे स्रोतों को आबंटित करते समय और द्विवर्षीय कार्यक्रम हेतु भविष्य की कार्यनीति योजना व कार्यक्रम तथा विशेष रूप से वर्ष 2006-07 का बजट तैयार करते समय इन्हें प्राथमिकता प्रदान करें।

समिति द्वारा नौ-वाहकों पर एक संशोधित अभिसमय अंगीकार किया गया।

बंगलौर अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन

1153. श्री विनय कुमार सोराके: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने नई शर्तें लगाई हैं कि यदि यह सुविधा निर्धारित समय सीमा के भीतर शुरू नहीं की जाती है तो बंगलौर ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के प्रोमोटरो को जुर्माने का सामना करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रोमोटर्स एल एण्ड टी, ज्यूरिच विमानपत्तन और सीमेन्स के संघ ने यह मांग की है कि नीतिगत अथवा प्रक्रियागत उलझनों के कारण परियोजना में विलम्ब होने की स्थिति में मुआवजे का भुगतान सरकार को करना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या का हल निकालने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) कर्नाटक सरकार से परामर्श करके भारत सरकार नागर विमानन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा विधि मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए माडल कनसेंशन एग्रीमेंट के साथ-साथ कनसेंशन एग्रीमेंट का एक मसौदा तैयार किया जा रहा है।

अनुसंधान केन्द्र का स्थानान्तरण

1154. श्री वी.एस. शिवकुमार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विझिन्जाम, त्रिवेन्द्रम, केरल में केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान का एक अनुसंधान केन्द्र काम कर रहा है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को जन प्रतिनिधियों से विकासात्मक गतिविधियों के लिए 2 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के संबंध में कोई अनुरोध मिला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस केन्द्र को विझिन्जाम से स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) तिरूवनंतपुरम से माननीय सांसद (लोक सभा) सहित अनेक जन प्रतिनिधियों ने केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सी.एम.एफ.आर.आई.) के विझिन्जाम अनुसंधान केन्द्र को स्थानांतरित या बंद न करने के संबंध में पत्र भेजे हैं तथा उन्होंने दसवीं योजना के दौरान इस केन्द्र के विकास के लिए 2 करोड़ रुपये के आबंटन का अनुरोध किया है। यह केन्द्र समुद्री मात्स्यिकी एवं संवर्धन के कुछ पहलुओं पर कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त सी.एम.एफ.आर.आई. के विभिन्न केन्द्रों के गतिविधियों को समेकित करने का प्रस्ताव है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. के पुनर्गठन संबंधी योजनाएं

1155. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री भास्कर राव पाटील:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. की वित्तीय और कारोबार पुनर्गठन संबंधी योजनाओं की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा आलोचना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. का विचार अपने निर्णय की समीक्षा करने और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की अनुमोदित कारोबार पुनर्संरचना योजना के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति के बारे में कुछेक टिप्पणियां की गई हैं। विनिवेश प्रक्रिया तथा श्रम शक्ति को सही आकार देने, कमियां तथा कंपनी के असंतोषजनक निष्पादन के संबंध में टिप्पणी प्रमुख मुद्दे हैं।

(ग) और (घ) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल की पुनर्संरचना एक सतत् प्रक्रिया है। पुनर्संसचना के लिए सरकार की मंजूरी के अनुसरण में कंपनी ने पैकेज में कार्यान्वयन के लिए अभिज्ञात अठारह कार्यों में से दस कार्य पूरे कर लिए हैं। यद्यपि, युक्तिसंगत प्रस्तावों के अभाव में तथा विभिन्न संगठनों तथा कर्मचारियों द्वारा विरोध किये जाने के कारण कुछ कार्यकलापों में विलम्ब हुआ है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सम्पूर्ण प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो जाये, सरकार में विभिन्न स्तरों पर सेल पुनर्संरचना पैकेज के कार्यान्वयन की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

बाल श्रम संबंधी सर्वेक्षण

1156. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री भास्कर राव पाटील:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बाल श्रमिकों की सही संख्या का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों का भी इसमें शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में बच्चों को काम पर लगाने पर निषेध करने वाले कानूनों को लागू करने के बारे में सरकार के क्या प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) देश में बाल श्रम पर प्रामाणिक आंकड़े दस वर्षीय जनगणना के आधार पर ही तैयार किए जाते हैं। 1991 जनगणना के अनुसार भारत में कामकाजी बाल श्रमिकों की संख्या 11.28 मिलियन थी। 2001 की जनगणना के आंकड़े अभी तक प्रकाशित नहीं किए गए हैं।

(ङ) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की अनुसूची में उल्लिखित 13 व्यवसायों और 57 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करना निषिद्ध है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अपने-अपने क्षेत्रों में बाल-श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 से प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। अधिनियम के अन्तर्गत निषिद्ध व्यवसायों व प्रक्रियाओं में बच्चों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरुद्ध अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अभियोजन चलाए जाते हैं।

[हिंन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा गरीबी उपशमन हेतु सहायता

1157. श्री अशोक ना. मोहोल:
डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:
डा. मन्दा जगन्नाथ:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रोजगार अवसरों में वृद्धि करने हेतु और गरीबी उपशमन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में सहायता प्राप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गरीबी उपशमन और रोजगार सृजन कार्यक्रमों का प्रारूप तैयार किया गया है और क्या इसे विचार किए जाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं। तथापि, रोजगार सृजन के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 91वें सत्र में केन्द्रीय श्रम मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास निधि की स्थापना का सुझाव दिया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मछुआरों के लिए आवास योजना

1158. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001-02 के लिए पुरानी पद्धति पर नई आवास योजना के अंतर्गत मछुआरों हेतु आवास योजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने और केरल सरकार को 3,82,19,933/- रुपए के बराबर की राशि जारी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) वर्ष 2001-02 के लिए पुरानी तर्ज पर एनएफडब्ल्यू गृह योजना के तहत मछुआरों के लिए गृह योजना को प्रशासनिक स्वीकृति देने के लिए इस समय सरकार के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को 2000-01 में संशोधित किया गया था और घर के निर्माण की लागत को 35,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दिया गया है। केरल सरकार से प्रस्ताव की प्राप्ति पर विगत तीन वर्षों के दौरान (2000-2003) घरों के निर्माण के लिए 700 लाख रुपए की भी केन्द्रीय सहायता दी गई है।

डिप्टी डी.जी.सी.ए. के विरुद्ध शिकायत

1159. श्रीमती रीना चौधरी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में डिप्टी डी.जी.सी.ए. के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त शिकायत पर अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) जी, हां। शिकायतों में यह आरोप लगाया गया है कि संबंधित नागर विमानन उप महानिदेशक ने, उज्जैन में मैसर्स यश एयर लिमिटेड द्वारा एक उड़ान प्रशिक्षण संस्थान आरंभ करने के लिए अनुमोदन में देरी की तथा बाद में उस हवाई अड्डे पर प्रशिक्षु विमानचालकों द्वारा सेना विमान के प्रचालन के लिए अपेक्षित धावनपथ की चौड़ाई के बारे में शिरपुर पर गलत अर्थ निकाला।

(ग) प्रारंभिक जांच के बाद संबंधित अधिकारी से जवाब मांगा गया है जिसकी अभी प्रतीक्षा है।

चारा उत्पादन

1160. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान चारे के उत्पादन के लिए राज्यों को कुल आबंटित धनराशि में से राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): योजना में निधियों का राज्यवार आबंटन लागू नहीं है। योजना मांग आधारित है तथा "चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता" नामक योजना के तहत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

"चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता" योजना के तहत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी धनराशि

(लाख रुपए में)

राज्य	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	कुल
महाराष्ट्र	50.85	-	-	-	50.85
अरुणाचल प्रदेश	40.862	-	-	-	40.862
हिमाचल प्रदेश	3.50	-	1.00	-	4.50
कर्नाटक	93.00	-	38.55	-	131.55
गुजरात	10.00	-	-	-	10.00
सिक्किम	28.00	30.00	-	-	58.00
नागालैंड	14.00	30.00	20.00	-	64.00
राजस्थान	59.78	-	-	-	59.78
छत्तीसगढ़	-	17.75	100.00	-	117.75
जम्मू एवं कश्मीर	-	47.60	55.50	-	103.10
त्रिपुरा	-	12.80	-	-	12.80
मिजोरम	-	19.60	30.00	-	49.60
पंजाब	-	-	20.00	-	20.00
उत्तरांचल	-	-	76.75	-	76.75
कुल	299.992	157.75	341.80	-	799.542

[हिन्दी]

समूह 'ग' और 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति

1161. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मंत्रालयों के अधीनस्थ विभागों विशेषत: केन्द्रीय जल आयोग (सी डब्ल्यू सी) के अन्तर्गत समूह 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सी.डब्ल्यू.सी. और मंत्रालय के अधीनस्थ विभागों में कार्यरत कर्मचारी कई वर्षों से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) हां, सरकार ने इस मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय केन्द्रीय जल आयोग और इस मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के समूह 'ग' और 'घ' कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति की समीक्षा की है और समय-समय पर इसमें संशोधन किए गए हैं।

(ख) केन्द्रीय जल आयोग में सभी संवर्गों के लिए सामान्य स्थानांतरण नीति वर्ष 1987 में बनाई गई थी। सितम्बर, 1989 में समूह 'ग' और 'घ' के लिए एक अलग स्थानांतरण नीति बनाई गई थी। केन्द्रीय जल आयोग में स्थानांतरण नीति में अंतिम संशोधन सितम्बर, 1998 में किया गया था। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में समूह 'ग' और 'घ' के लिए स्थानांतरण मानकों में संशोधन वर्ष 2000 में किए गए थे।

(ग) और (घ) सार्वजनिक सेवा संबंधी आवश्यकताओं और प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण यथासंभव कम किया जाता है। सीडब्ल्यूसी और सीजी डब्ल्यू बी में निम्नलिखित आकस्मिकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त, सामान्यत: एक स्थान से दूसरे स्थान पर समूह 'ग' और 'घ' कार्मिकों का स्थानातरण नहीं किया जाता है:-

(1) जहां अतिरिक्त कर्मचारियों को समायोजित करने, कमियां दूर करने अथवा किसी कार्यालय के स्थानांतरण के उद्देश्य हेतु स्थानांतरण अनिवार्य हो जाता हो।

(2) अनुकंपा आधार पर कर्मचारियों के अनुरोध पर।

(3) पारस्परिक स्थानांतरण के अनुरोध पर।

(4) किसी व्यक्ति की पदोन्नति पर जब पदोन्नत व्यक्ति को उसी केन्द्र पर नहीं रखा जा सकता हो।

(5) सेवा की आवश्यकताओं अथवा प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए।

(6) गृह नगर से दूर तैनात कर्मचारियों द्वारा सामान्य कार्यकाल के पूरा होने पर।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा कल 29 जुलाई 2003 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 29 जुलाई 2003/7 श्रावण, 1925 (शक) के पूर्वाहन ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.35.6/2003 (एन०)
280

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।